अष्टम माला, खंड 36, अंक 16

बुधवार, 16 मार्च, 1988

26 फाल्गुन, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 36, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 16, बुधवार, 16 मार्च, 1988/26 फाल्गुन, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
नों के मौखिक उत्तर	1-22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 303 से 305 और 307 से 311 . . .	1-22
नों के लिखित उत्तर	22-192
तारांकित प्रश्न संख्या : 302, 306 और 312 से 322 . .	22-39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3251 से 3254, 3256 से 3289, 3291 से 3296, 3298 से 3333, 3335 से 3338 और 3340 से 3417	39-192
-पटल पर रखे गए पत्र	193-196
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
49वां प्रतिवेदन	196
1988-89 के लिए पंजाब का बजट प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य	200
377 के अधीन मामले	201-205
(एक) हरियाणा में सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन के निकट रेल लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण करना	
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	201
(दो) गर्भवती महिलाओं के लिए औषधियां और पोषक आहार की व्यवस्था करके बाल मृत्यु-दर कम करने हेतु समेकित बाल विकास योजनाओं का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन करना	
डा० कृपासिन्धु भोई	201-202

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) मध्य प्रदेश की बीना नदी परियोजना को मंजूरी देना	
श्री नंद लाल चौधरी	202
(चार) उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात का औद्योगिक विकास	
श्री जगदीश अवस्थी	202-203
(पांच) बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण संबंधी नीति की समीक्षा किये जाने का सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाना	
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	203
(छः) बोइंग 737 विमान की उड़ान के लिये जबलपुर हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का विस्तार करना	
श्री अजय मुशरान	203-204
(सात) चाय बागान श्रमिकों के आवास के लिये उन्हें गृह निर्माण अनुदान राशि का मंजूर किया जाना	
श्री आनंद पाठक	204
(आठ) तमिलनाडु के हथकरघा उद्योग को संकट निवारण के लिये चीन और अन्य स्थानों से 1000 टन मलबरी रेशम का आयात करना	
श्री पी० कुलनदईवेलू	204-205
सामान्य बजट, 1988-89—सामान्य चर्चा—[जारी]	205-285
श्री राम नगीना मिश्र	205-207
श्री एच० एम० पटेल	207-211
श्री राम प्यारे पनिका	211-216
श्री जुझार सिंह	216-218
श्री पी० कुलनदईवेलू	218-221
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	221-225
श्री एम० आर० सैकिया . . .	226-228
श्री लक्ष्मण मलिक . .	228-230
श्री गंगा राम	231-233
श्रीमती बसवराजेश्वरी	234-238

विषय	पृष्ठ
श्री राम नारायण सिंह	238-242
श्री बी० के० गढवी	242-246
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	247-250
श्री उमा कांत मिश्र	250-253
श्री ए० चार्ल्स	253-256
श्री बी० बी० रमैया	257-259
श्री तरुण कांति घोष	259-262
श्री के० एन० प्रधान	262-265
श्री वी०एस० विजयराघवन	265-268
श्रीमती जयंती पटनायक	269-272
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	272-274
श्री आर० जीवरत्नम	274-277
श्रीमती ऊषा रानी तोमर	277-278
श्री राम देव राय	278-280
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावाणि	281-282
श्री भीष्म देव दुबे	282-285
कार्य-मंत्रणा समिति	
50वां प्रतिवेदन	228
सदस्य की गिरफ्तारी	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	268
आधे घण्टे की चर्चा	
राष्ट्रीय बीज नीति	286-296
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	286-287
श्री भजन लाल	288-289, 293-296
श्री सोमनाथ रथ	289-290
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	290-292
डा० गौरी शंकर राजहंस	292
श्री चिंतामणि जेना	292-293

लोक सभा

बुधवार, 16 मार्च, 1988/26 फाल्गुन, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पीपल्स लिबरेशन आर्मी और ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स के बीच संधि

[अनुवाद]

***303. श्री बाजू बन रियान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स" और "पीपल्स लिबरेशन आर्मी" के बीच अपनी गतिविधियों के संबंध में कोई संधि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी०एल०ए०) और ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स (टी०एन०वी०) के बीच किसी संधि के बारे में ऐसी कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी ऐसे समाचार हैं कि पी०एल०ए०, टी०एन०वी० के साथ सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन संगठनों की गतिविधियों पर जिन्हें गैर-कानूनी संघ घोषित किया गया है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

श्री बाजू बन रियान : महोदय, मेरे प्रश्न का प्रथम भाग यह है कि क्या भारत ने बर्मा सरकार के साथ बर्मा के पश्चिमी सीमा क्षेत्र में उनको वहां से बाहर निकालने की कार्यवाही संयुक्त रूप से करने के लिए कोई संधि की है ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गुप्त ठिकानों का पता लगाया जा सके ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं सुन सका।

श्री बाजू बन रियान : क्या भारत सरकार ने बर्मा के क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गुप्त ठिकानों पर रोक लगाने के लिए उनको वहां से बाहर निकालने की संयुक्त कार्यवाही करने के लिए बर्मा सरकार के साथ कोई करार किया है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : ऐसा कोई भी करार नहीं किया गया है। परन्तु सीमा पर इन गतिविधियों को रोकने के लिए, हम बर्मा सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।

श्री बाजू बन रियान : इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध है कि 19.1.88 की 'अमृत बाजार' पत्रिका में छपे समाचार को देखा जाये, जिसमें विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस संबंध में कोई जानकारी है कि त्रिपुरा में कांग्रेस (आई) और त्रिपुरा उप-जाति युवा समिति के गठजोड़ में एक से अधिक मंत्रियों का त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी से सीधा संपर्क है। जिसके बारे में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे आशा है कि तथ्य कुछ और ही हैं। जब श्री बिनांदा जमातिया और उसके लगभग 80 सदस्यों के पूरे ग्रुप ने आत्मसमर्पण किया तो वे मार्क्सवादी साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी में मिल गये और इस पार्टी के अंग बन गये। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आत्मसमर्पण करने के बाद। **(व्यवधान)**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमारी खबरें यह हैं कि......**(व्यवधान)**

आपने प्रश्न पूछा है और मै उत्तर दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप प्रश्न का उत्तर दें : **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह बात को तोड़ मरोड़कर कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह उनका प्रश्न नहीं था। **(व्यवधान)**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : न तो त्रिपुरा उप-जाति युवा समिति और न ही कांग्रेस (आई) का कोई मंत्री ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स अथवा पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंधित है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि त्रिपुरा उपजाति युवा समिति ने हमेशा यह चाहा है कि ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स की गतिविधियों को रोकने के लिए संपूर्ण त्रिपुरा राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स अथवा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ कोई संबंध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल सी०पी०एम० के लोग और त्रिपुरा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ही ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स छापामारों के सभी संबंधियों के पास गए थे। वह उनके रिश्तेदारों के पास गए थे। जब उनसे यह पूछा गया

कि वह दौरा क्यों कर रहे हैं और उनके रिश्तेदारों से क्यों मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वह उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स आतंकवादी गतिविधियां छोड़ दें। सी०पी०एम० ही...(**व्यवधान**)...मैंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया है, इससे आपका क्या मतलब है ?...(**व्यवधान**)...आप ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स छापामारों के साथ मिले हुए हैं। वे आपके दल में हैं। और इसीलिए जब हमने इसको एक अशांत क्षेत्र घोषित किया तो, आप इतने अधिक उत्तेजित हुये...(**व्यवधान**)...

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स फोर्स—त्रिपुरा एंटी-नेशनल वालंटियर्स फोर्स को बंगलादेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बंगलादेश का इस्तेमाल भीतरी प्रदेश के रूप में किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ कभी उठाया है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स छापामारों की इन सभी गतिविधियों को हम पड़ोसी सरकार के साथ उठा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री ने उनके साथ यह मामला उठाया है कि ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स के छापामारों को वहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुणे में उच्च कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्र

***304. श्री के० एस० राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुपर कम्प्यूटरों के डिजाइन तैयार करने और उनका निर्माण करने के लिये पुणे में उच्च कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस केन्द्र की स्थापना पर सम्भावित व्यय का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(घ) क्या इस केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में किसी विदेशी कम्पनी से परामर्श किया जा रहा है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख). सरकार संसाधन की समानान्तर वास्तुकला पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों के विकास के लिए पुणे में एक उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक) की स्थापना

कर रही है। उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक्ट) देश में उन्नत कम्प्यूटरों के विकास के लिए एक समय-बद्ध प्रौद्योगिकी अभियान (मिशन) की परियोजना है। उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र द्वारा विकसित तकनीकी-जानकारी को उपयुक्त समय पर विनिर्माण के लिए अन्तरित कर दिया जाएगा।

(ग) तीन वर्षों में इस केन्द्र की स्थापना पर आने वाला अनुमानित व्यय 37 करोड़ रु० होने की सम्भावना है तथा उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में शीघ्र ही की जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

श्री के० एस० राव : अमरीका और दूसरे यूरोपीय देशों में कार्यरत ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ माना जाता है। विशेषकर इनमें से एक श्री राजा रेड्डी हैं जिनको उस देश में ही उच्च विशेषज्ञ माना जाता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कुछ अनिवासी भारतीयों को इस परियोजना से सम्बद्ध करना चाहते हैं।

श्री के० आर० नारायणन : हम कुछ अनिवासी भारतीयों को इस परियोजना से लेना चाहते हैं। जहाँ तक श्री राजा रेड्डी का सम्बन्ध है, वह पहले से ही कम्प्यूटर प्रणाली की पांचवी पीढ़ी के विकास के लिए बनायी गयी अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति में हैं।

श्री के० एस० राव : क्या अनिवासी भारतीयों का सहयोग सिर्फ प्रौद्योगिकी और जानकारी हासिल करने में लिया जाएगा अथवा क्या उनको शेयर पूंजी अथवा वित्तीय मामलों में शामिल होने के लिए भी कहा जा रहा है?

श्री के० आर० नारायणन : जहाँ तक समानान्तर प्रक्रिया विकास परियोजना का सम्बन्ध है, हम न तो किसी अनिवासी भारतीय अथवा न ही किसी दूसरे देश को इसमें भाग लेने के लिए कह रहे हैं। यह पूर्णतया स्वदेशी भारतीय कार्यक्रम है। अगर प्रतिष्ठित अनिवासी भारतीय इस परियोजना में शामिल होना चाहेंगे, जो कि एक भारतीय परियोजना है, तो हम उनको आमंत्रित करेंगे।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या लगभग सभी विभागों में कम्प्यूटरीकरण करने की कोई नीति है? यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इससे समूचे देश में हमारे युवकों के रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे?

श्री के० आर० नारायणन : सही कहा जाये तो प्रश्न कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में नहीं है। यह सरकारी कार्यालयों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने के बारे में है। माननीय सदस्य को बताया जाता है कि लोगों को बेरोजगार किये बगैर कार्यालयों में कम्प्यूटर के इस्तेमाल के लिए हमारे पास एक कार्यक्रम है।

श्री आनन्द गजपति राजू : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सुपर कम्प्यूटर की खरीद में इतनी अधिक देरी क्यों की गयी है। यदि इसमें और देरी होती है तो कृषि-जलवायु क्षेत्र

र दूसरी मौसम सम्बन्धी आवश्यक बातों पर निगरानी नहीं हो पायेगी। अगर अमरीका यह र कम्प्यूटर नहीं देता है तो, क्या सरकार जापान और रूस से लेने पर विचार करेगी ?

श्री के० आर० नारायणन : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि क्रे एक्स०एम०पी०—14 र कम्प्यूटर की खरीद के लिए हमने पहले से ही अमरीका के साथ एक करार पर हस्ताक्षर र रखे हैं। यह कम्प्यूटर इस वर्ष किसी समय भी आ जायेगा।

जिला पुनर्वास केन्द्रों के अन्तर्गत योजनाएं

***305. डा० कृपासिंधु भोई :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जिला पुनर्वास केन्द्रों की प्रायोगिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के कितने विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए और इस योजना पर खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य की समीक्षा की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस योजना को अन्य राज्यों में लागू करने से सम्बन्धित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) परियोजना निदेशक के कार्यालय द्वारा जिला पुनर्वास केन्द्रों की अपनी-अपनी मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर, प्रत्येक जिला पुनर्वास केन्द्र की परियोजना के कार्य का आंतरिक मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है और सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है। तथापि, अभी तक किसी बाहरी एजेंसी ने कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है।

(ग) यह एक प्रायोगिक परियोजना है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका बड़े पैमाने पर विस्तार, इसके मूल्यांकन के परिणाम एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्रम संख्या	जिला पुनर्वास केन्द्र का नाम	स्वीकृति की तारीख	*स्कीम लागू होने से अब तक लाभान्वित विकलांग व्यक्तियों की संख्या	वितरित की गई राशि (लाख रुपयों में) 1985-86 आवर्ती	1985-86 अनावर्ती	1986-87 आवर्ती	1986-87 अनावर्ती	1987-88 आवर्ती	1987-88 अनावर्ती
1.	विरार (महाराष्ट्र)	14.3.1983	1750	8.80	7.00	4.83	10.17	—	—
2.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)	14.3.1983	1021	—	—	6.60	10.40	—	—
3.	मैसूर (कर्नाटक)	12.9.1983	536	2.50	5.34	7.00	5.00	7.40	—
4.	खडगपुर (पश्चिम बंगाल)	12.9.1983	3152	3.96	—	5.00	1.00	—	—
5.	चिंगलपेट (तमिलनाडु)	27.10.1984	902	1.50	1.25	—	—	6.50	1.00
6.	सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	28.3.1985	590	2.00	1.25	6.25	2.00	7.50	11.32
7.	भिवानी (हरियाणा)	17.1.1986	कार्मिकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण पूरा न होने से इन जिला पुनर्वास केन्द्र परियोजनाओं में अभी नौकरी दिलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ है।	3.55	12.05	—	—	—	—
8.	विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)	17.1.1986		3.55	12.05	—	—	—	—
9.	बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	7.2.1986		3.55	12.05	—	—	—	—
10.	कोटा (राजस्थान)	27.3.1986		3.55	12.05	—	—	—	—

*जिला पुनर्वास केन्द्र योजना में ग्रामीण विकलांगों को नौकरियाँ दिलाने के कार्यक्रम की परिकल्पना है इसमें निम्नलिखित प्रारम्भिक उपचार सेवाओं के बाद का द्वार-द्वार सर्वेक्षण शामिल है :—

वास्तविक आरोग्यकर सेवा

(क) जर्राही सुधार

(ख) सहायता सामग्री तथा उपकरण लगाना

(ग) आरोग्य सेवाएँ—भौतिक चिकित्सा एवं व्यावसायिक चिकित्सा तथा वाणी चिकित्सा

(घ) शैक्षिक सुविधा

(ङ) व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसमें स्वरोजगार तथा नियोजक सेवाएँ शामिल हैं।

(च) परिवार/पितृ मंत्रणा तथा समुदाय चेतना के कार्यक्रम

(छ) व्यापक सेवाओं के जरिए, अभिज्ञात लाभ भोगियों को राज्यों द्वारा मुहैया सामान्य सेवाओं से जोड़ा जाता है।

डा० कृपा सिंधु भोई : हालांकि माननीय मंत्री ने विस्तार में उत्तर दिया है, तथापि मेरे *प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह समस्या इतनी बड़ी है कि विकलांग वर्ष के दौरान एक* मूल्यांकन किया गया था कि हमारे देश में 2.5 से 3 प्रतिशत लोग विकलांग हैं, और इनके पुनर्वास की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में विभिन्न जिलों में प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गयी थी परन्तु उत्तर में माननीय मंत्री ने जिला प्रायोगिक योजना की कार्यनिष्पत्ति के बारे में बताया है। इस योजना के तहत आबंटित की गयी धनराशि बहुत ही कम है। यह तो पर्वत पर एक पत्थर फेंकने अथवा समुद्र में एक बूंद के समान है। इस सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में विकलांगता कितनी प्रकार की हैं और भोरे समिति की सिफारशों को जानने के बाद मंत्री इससे किस प्रकार निपटने जा रहे हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : चार प्रकार की विकलांगता है—शारीरिक, दृष्टि सम्बन्धी, बहरापन और गूंगापन से सम्बन्धित और मानसिक विकलांगता। जब जिला पुनर्वास केन्द्रों को आरम्भ किया गया था, तो ये शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को लेते थे परन्तु अब हमने अपने कार्यक्रम में दृष्टि सम्बन्धी विकलांगों तथा मानसिक रूप से विकलांगों को शामिल कर लिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास का यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोग विकलांगता से पीड़ित हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति बहरूल इस्लाम की अध्यक्षता में हमने एक समिति का गठन किया है और यह समिति इनके पुनर्वास की समस्याओं के बारे में विस्तार से विचार कर रही है और इस बात पर भी विचार कर रही है कि समाज को विकलांगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् हम इस पर अपनी एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण कर सकेंगे। जहां तक भोरे आयोग की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, वह भी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है।

डा० कृपा सिंधु भोई : मैं मंत्री के उत्तर से प्रसन्न हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि : (एक) यह प्रायोगिक योजना आरम्भ नहीं की जानी चाहिए थी। इसको राष्ट्रीय विकलांगता उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में नही चलाना चाहिए था, क्योंकि अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान स्वास्थ्य विभाग में बम्बई में है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री प्रधान मंत्री से इस संगठन को कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत लेने के लिए प्रस्ताव करेंगे और एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ करेंगे जिसमें इस राष्ट्रीय विकलांगता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिले आने चाहिए। यदि ऐसा है तो, हम 2000 ईसवी तक सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, बम्बई इंस्टीट्यूट आफ फिजिकली हैन्डीकैप्ड काफी पहले स्थापित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी देखभाल करता है। इस संस्थान में पुनर्वास भी एक कार्यक्रम है। अब, राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों की सभी चारों श्रेणियों के लिए हमारे जिला पुनर्वास केन्द्र कार्यक्रम को स्वीकृति मिलने पर, चार राष्ट्रीय संस्थान पहले से ही स्थापित किये गये हैं। क्षेत्रीय संस्थान भी स्थापित किए गए हैं। यदि हम यह समझते हैं कि बम्बई संस्थान के साथ समन्वय करना अनिवार्य है, तो फिर हम उस पर विचार कर सकते हैं।

श्री चिंतामणि जेना : अपना विवरण रखते समय, माननीय मंत्री ने, कुछ राज्यों को, जहां पर ऐसा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, दी गयी धनराशि के बारे में उल्लेख नहीं किया है। क्या मैं

उनसे यह जान सकता हूं कि किन कारणों से उन राज्यों को, विशेषकर उड़ीसा को, जहाँ पर यह *कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, वर्ष 1987-88 में कोई भी धनराशि नहीं दी गयी ? मैं यह भी* जानना चाहता हूं कि उस वित्तीय वर्ष में क्या ऐसी धनराशि उड़ीसा राज्य को दी जा रही है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : उड़ीसा में प्रथम जिला पुनर्वास केन्द्र वर्ष 1983-84 में स्थापित किया गया था। इसको भुवनेश्वर अस्पताल के साथ जोड़ा गया था। आरम्भ में, इसको किसी जिला अस्पताल से जोड़ते हुये, हम अपना जिला पुनर्वास केन्द्र आरम्भ कर रहे हैं। इसके बाद, जब भवन का निर्माण हो जाता है तो सिर्फ तब ही हम दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। उड़ीसा को भी सभी प्रकार की सहायता मिली। वर्ष 1983 में, उड़ीसा में 6.60 लाख रुपये का आवर्ती खर्च था। धन दिया गया था। अनावर्ती खर्च भी जो 10.40 लाख बैठता था, दिया गया था। प्रतिवर्ष, हम आवर्ती और अनावर्ती खर्च देते जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : अध्यक्ष जी मंत्री महोदया अभी कह रही थीं कि इसकी छान-बीन करने और रिपोर्ट देने के लिए हम एक कमेटी बिठा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विकलांग लोगों के लिए एम्प्लायमैंट में क्या ऐसा कोटा निर्धारित करने का सरकार का कोई विचार है ?

अध्यक्ष जी, इनमें किसी का हाथ नहीं है और किसी का पांव नहीं है, लेकिन पार्लियामैंट में आ जाने के बाद हम सब कुछ रहते हुए भी निकम्मे हो जाते हैं, आपके रहते हुए हम कभी-कभी कुछ गड़बड़ी कर लेते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिजीकल, मैंटल और साइक्लोजिकल जो लोग होते हैं, क्या उनके लिए भी आप इस कमेटी में कुछ सोच रहे हैं, क्या कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे उन लोगों को ठीक किया जाए ; उनकी मदद के लिए आप क्या करने वाले हैं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो करवा दूंगी।

श्री बी० तुलसी राम : हमारे पास तो ठीक कराने के कई इलाज हैं, लेकिन अध्यक्ष जी परमीशन नहीं देते हैं।

लोक शिकायत निदेशालय

[अनुवाद]

\+
***307. श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनता की शिकायतों की सुनवाई के लिए कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत लोक शिकायत निदेशालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) निदेशालय द्वारा किस प्रकार की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी; और

(ग) यह प्रस्तावित निदेशालय कब तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा और आम जनता को इससे कितना लाभ होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मंत्रिमण्डल सचिवालय के अन्तर्गत प्रस्तावित लोक शिकायत निदेशालय 1.4.1988 से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा । प्रारम्भ में इस निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में रेल, डाक तथा दूर संचार मंत्रालय/विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग का बैंकिंग प्रभाग शामिल किए जाएंगे । इसके आगे अन्य मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में लाए जाने पर इस संबंध में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

यह निदेशालय शिकायत पर केवल तभी विचार करेगा जबकि शिकायतकर्ता संबंधित मंत्रालय/विभाग से एक समुचित समय के भीतर उसका कोई संतोषजनक निवारण कराने में असफल रहता है और शिकायत ऐसी गंभीर प्रकृति की होनी चाहिए जो कि निदेशालय में विस्तृत छानबीन किए जाने योग्य हो । तथापि, यह निदेशालय किसी मंत्रालय/विभाग में उत्पन्न होने वाले नीति संबंधी मामलो अथवा मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री के स्तर पर पहले ही निपटाई गई याचिकाओं पर कार्रवाई नहीं करेगा । यह निदेशालय सेवा संबंधी मामलों (उन मामलों को छोड़कर जिनका संबंध सेवान्त प्रसुविधाओं के भुगतान से है), वाणिज्यिक करारों अथवा ऐसे मामलों, जो न्यायाधीन हैं अथवा जहां निर्णय लेने के लिए अर्द्ध-न्यायिक क्रिया-विधियां निर्धारित की गई हैं, से सम्बद्ध शिकायत पर भी विचार नहीं करेगा ।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है । मेरा प्रश्न है :

[अनुवाद]

किस प्रकार की शिकायतें निदेशालय द्वारा सुनी जायेंगी ?

[हिन्दी]

लेकिन उसका उत्तर दिया है कि

[अनुवाद]

यद्यपि निदेशालय का इससे कोई सम्बध नहीं होगा । वह इस पर विचार भी नहीं करेगा ।

[हिन्दी]

जो काम डायरेक्ट्रेट नहीं करेगा उसका तो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है जबकि मैंने अप प्रश्न में स्पष्ट रूप से यह पूछा है कि डायरेक्ट्रेट क्या-क्या करेगा और कौन-कौन सी शिकाय सुनेगा ? इन सब का उत्तर माननीय मंत्री जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : यह 5.1.1985 को प्रधान मंत्री का राष्ट्र के नाम प्रसारण व परिणाम था। उन्होंने कहा कि "जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रभावी कार प्रणाली कार्यालयों में और जनता से अधिक सम्बंध रखने वाले विभागों में स्थापित की जायगी।". प्रशासनिक प्रणाली की कमियों को जानना आवश्यक है जो शिकायतों का मौका देती हैं। इसलि इसे न केवल एक एक मामले के आधार पर ही नहीं लिया जायेगा परन्तु इस प्रणाली में पाई ग प्रशासनिक कमियों से भी निपटा जाना चाहिए। माननीय सदस्य उस शिकायत कक्ष के मुख उद्देश्यों को जानना चाहते हैं जिसे स्थापित किया गया है जो इस प्रकार हैं :

(एक) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में शिकायतों को दूर करने की आन्तरिक कार्यप्रणाली।

(दो) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निगरानी के रूप में बाह्य कार्य प्रणाली।

(तीन) मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन शिकायत दूर करने का एक स्वतन्त्र प्राधिकरण।

अतः इस लोक शिकायत-कक्ष की हर बुधवार को बैठक होगी। जो 1 मार्च, 1988 से शुरू हु थी। प्रत्येक मंत्रालय अपने प्रतिनिधि को इस बैठक में लाएगा और जो भी शिकायतें आयेंगी तं उन्हें समिति द्वारा सुना जाएगा और इन मामलों का अध्ययन किया जायेगा और जिन शिकायतों क संबंधित मंत्रालयों द्वारा नहीं निपटाया गया था—हमारे पास चार मंत्रालय हैं—अगर उन्हें समयबद कार्यक्रम में नहीं लिया जाएगा तो इन शिकायतों को इस शिकायत-कक्ष द्वारा देखा जाएगा जिससे कि जनता की शिकायतों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट रूप से यह पूछा है कि जनता की जं आम शिकायतें हैं उनका कैसे निवारण होगा ? जैसे कि ठेकों में भ्रष्टाचार का मामला है। इसके बारे में तो आपने लिख दिया है कि कमर्शियल शिकायतें नहीं सुनी जायेंगी। मैं यह जानना चाहूंग कि यदि कांट्रेक्टर ने भ्रष्टाचार किया तो उसकी शिकायत कहां सुनी जायेगी ? एक गरीब आदम को यदि बैंक ने कर्जा देने से मना कर दिया हो तो क्या वह इस डायरेक्ट्रेट को डायरेक्टली एप्रोच कर सकता है या नहीं ? और बहुत से दूसरे महत्वपूर्ण मामले क्या इसके अन्दर आयेंगे या नहीं ? मेरे कहने का मतलब यह है कि सर्व-साधारण के दुख और दर्द की सुनवाई यहां तक हो सकेगी य नहीं ? मैं माननीय मंत्री जी से इसका साफ तौर से उत्तर जानना चाहूंगा जिससे हम जनता को इस बारे में बता सकें।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : विवरण में यह दिया गया है कि यदि समुचित अवधि के भीतर सम्बन्धित विभाग/मंत्रालय शिकायतों को दूर करने में असफल रहता है तो निदेशालय शिकायतों पर विचार करेगा। अतः इसका हिसाब लगाया जा रहा है। वह पहले सम्बन्धित मंत्रालय को जायेगी और अगर मंत्रालय उचित समय के भीतर उस शिकायत का निपटान नहीं करता है तो वह सीधे ही मंत्रिमंडल सचिवालय को जायेगी और फिर इस पर विचार किया जायेगा। इसलिए ये सब बातें हैं।

श्री ए० चार्ल्स : ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनकी शिकायतें कई वर्षों से दूर नही की गई हैं। अब, मंत्री जी ने बताया है कि इन शिकायतों को सुना जाएगा और उचित समय के भीतर दूर किया जायेगा। उचित शब्द हमेशा 'अनुचित' होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या समय सीमा निर्धारित की जायेगी—जैसे तीन महीने, छः महीने या एक वर्ष, जिसमें इन शिकायतों पर विचार किया जायेगा और अन्तिम उत्तर दिया जायगा।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : हमने समय सीमा पर निर्णय लिया है। अगर मंत्रालय द्वारा इसका 3-4 महीनों में निपटाया नहीं जायेगा तो यह सीधे लोक शिकायत निदेशालय में जायेगी।

श्री अताउर्रहमान : 1947 से हम शिकायत कक्षों के बारे में सुन रहे हैं लेकिन वास्तव में कार्य कुछ नहीं होता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रस्तावित शिकायत कक्ष और राज्य शिकायत कक्षों के बीच कोई सम्बंध होगा या नहीं। लगभग सभी राज्यों में राज्य शिकायत कक्ष हैं जो या तो कुछ मामलों में मुख्यमंत्री के अधीन या दूसरे मामलों में गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं। कई राज्यों में ऐसा है। क्या केन्द्रीय शिकायत कक्ष राज्य सरकारों से सम्बंधित कुछ बहुत गम्भीर शिकायतों को निपटाने के लिए सम्बंधित राज्यों को आवश्यक सलाह देती है या उनका निरीक्षण करती है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : एक बार हमारा लोक शिकायत निदेशालय बहुत अच्छा काम कर जायेगा तो लोगों की शिकायतों को देखने और उनकी सहायत करने के लिए हम इस प्रतिरूप को राज्य सरकारों को भेजेंगे।

श्री अताउर्रहमान : मैं जानना चाहता हूं क्या आपकी योजना में जिला स्तर पर शिकायत कक्ष है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी भी विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं। अगर इन्हें की गई शिकायतों को भली प्रकार देखा नहीं जाता है तो सम्बंधित व्यक्ति इस निदेशालय को सीधे अपनी शिकायतें भेज सकता है।

श्री अताउर्रहमान : मेरा प्रश्न राज्यों में दायर की गई शिकायतों के बारे में है।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष जी, हमें कोई एतराज नहीं है। यदि यह सदन इस बात को सही मानता है तो

[अनुवाद]

हम गृह मंत्रालय के माध्यम से राज्यों में भी शिकायतों का निरीक्षण करने के लिए तैयार हैं।

अमरीका के विदेश विभाग की रिपोर्ट

+

***308. प्रो० के० वी० थामस :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के विदेश विभाग की एक ऐसी रिपोर्ट की जानकारी जिसमें बताया गया है कि भारत में मानव अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हालांकि कुछ हद तक भारत की आलोचना की गई है, फिर भी रिपोर्ट में यह क गया है कि "1987 के दौरान कुल मिलाकर भारतीय मानवाधिकार स्थिति अपेक्षाकृत अपरिवर्ति बनी रही लेकिन व्यावहारिक रूप में इस स्थिति में राज्य दर राज्य आधार पर कुछ भिन्नता रही भारत मूलत: एक लोकतांत्रिक देश है और वहां की जनता की रक्षा के लिए ठोस और कानू उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन इसकी घरेलू कठिनाइयों से मानवाधिकार से संबद्ध काफी समस्याएँ उठ रही हैं।" स्पष्टतया, इस रिपोर्ट को तैयार करने के कार्य से सरकार सम्बद्ध नहीं रही है औ सरकार इस रिपोर्ट में निहित सभी मूल्यांकनों से सहमत नहीं है।

प्रो० के० वी० थामस : निजी एजेन्सियां और अमेरिका सरकार की एजेन्सियां भारत बदनाम करने का एक सुनियोजित प्रयास कर रही हैं। यह धारणा पैदा करने का प्रयास किया रहा है कि अल्प संख्यक समुदाय, विशेष रूप से सिखों और मुसलमानों को भारत में सताया रहा है और उनके अधिकार और विशेषाधिकार सुरक्षित नहीं हैं विदेशों में, विशेष रूप अमेरिका में हमारे दूत अपने देश की राजनीतिक घटनाओं की सही स्थिति बताने के बारे में क कर रहे हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : मुझे आशा थी कि माननीय सदस्य उस रिपोर्ट से सम्बन्धित प्रश्न त ही अपने को सीमित रखेंगे जिसे अमेरिका विभाग द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। वे हर साल ए रिपोर्ट निकालते हैं। ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य है और वे विश्व के सभी देशों के लिए करते हैं। हमने इस रिपोर्ट को देखा है। इन दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू है मैं सदन और माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इस देश को इस बारे में किसी अ देश के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है कि यह मानवीय अधिकारों और इसी प्रकार के अ मामलों पर क्या करता है ? हमने यह रिपोर्ट देखी है।

अब हमारे प्रतिनिधि विदेशों में क्या कर रहे हैं मैं उस बारे में कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम मारे यहां एक स्वतन्त्र प्रेस है। जो कुछ यहां हो रहा है लोग उसे पढ़ते हैं। समाचार पत्र पलब्ध हैं और जब कभी हम समझते हैं कि ऐसे मामले को लाना आवश्यक है, तो हम यह ार्य विदेशों में अपने मिशनों के माध्यम से करते हैं और यह लगातार किया जा रहा है, चाहे मेरिका हो या विश्व का कोई भी देश हो।

प्रो० के० वी० थामस : अमेरिका में प्रचार माध्यमों से हमारे हितों को बदनाम करने का क प्रयास किया जा रहा है। बहुत से भारतीय लोग अमेरिका सरकार में और निजी एजेन्सियों काफी महत्वपूर्ण पदों पर हैं केरल के समान ही हमारे अनेक सांस्कृतिक संगठन हैं। अमरीका प्रत्येक शहर में हमारे मलयाली संगठन हैं। अत: अमरीका में जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर है न्होंने तथा निजी संस्थाओं ने व हमारे अपने संगठनों ने घटनाओं की स्पष्ट छवि प्रस्तुत करने के ए क्या उपाय किए ? यदि पंजाब में गोली चलती है अथवा हैदराबाद में सांम्प्रदायिक दंगे होते तो अक्सर अमरीका के संचार माध्यम उसकी गलत छवि पेश करते हैं। हमारे अपने ांस्कृतिक संगठन देश की स्पष्ट छवि प्रस्तुत करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : अमरीका में बहुत से भारतीय समुदायों के अनेक संगठन हैं। वे हमारे ारतीय दूतावास तथा न्यूयार्क व सेन फ्रांसिको में महावाणिज्य दूत से सम्पर्क बनाए रहते हैं। जैसा क मैंने कहा था, जब कोई विशेष घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी तुरन्त हमारे दूतावास ोते हैं। इस प्रश्न का सम्बन्ध अमरीका सरकार द्वारा मानव अधिकारों पर प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट से है तथा मैं इस विशिष्ट मुद्दे तक ही अपना उत्तर सीमित रखने का प्रयास कर रहा हूं। दि माननीय सदस्य इस विषय में, कि वहां भारतीय समुदाय क्या कर रहे हैं, सूचना प्राप्त करना ाहते हैं तो उन्हें मुझे इसकी सूचना देनी चाहिए तथा मैं उन्हें पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : श्रीमन। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ह जो रिपोर्टें प्रकाशित की जा रही हैं सिर्फ अन्य देशों की नजरों में भारत को बदनाम करने के ए की जा रही हैं अथवा क्या राजनीतिक भावना से प्रेरित हैं ? इस बारे में सरकार की क्या तिक्रिया है ? मैं जानना चाहूंगी कि क्या अभी हाल ही में जेनेवा में हुई बैठक में इस समस्या पर र्चा की गई थी ?

श्री के० नटवर सिंह : अमेरिका में प्रेस स्वतन्त्र है। भारत में भी प्रेस स्वतन्त्र है। वे प्रतिदिन स प्रकार की बातें छापते हैं। यदि अमेरिका में इस प्रकार का कोई समाचार छपता है तो उन्होंने ो कुछ लिखा है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई तथा मैं नहीं समझता कि उन्हें भी इसके लिए धिक चिंतित होने की आवश्यकता है। यदि वास्तव में यह गलत छपा है तथा इससे उस देश के ाथ हमारे सम्बन्ध बिगड़ते हैं तो हम इसे उठाएंगे। मैं नहीं जानता कि जेनेवा बैठक के बारे में ाननीय सदस्य क्या सोचती हैं। मैं उनकी समस्या नहीं समझ पाया। इसलिए कृपया आप इसे ोहरा सकती हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : राजनयिक चैन की नींद सोते हैं।

श्री के० नटवर सिंह : आप प्रयास कीजिए तथा हमें भी चैन से सोने नहीं दीजिए।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : श्रीमन। उन्होंने जो कुछ कहा मैं समझी नहीं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : माननीय मंत्री अपने उत्तर में पूरी जानकारी न देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें उस रिपोर्ट की, जिसमें भारत में जो कुछ हो रहा उसका उल्लेख किया गया है, निश्चित जानकारी है। तथा यदि वे ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट है, तो क्या मैं जान सकता हूं मंत्री महोदय ने उसका राजनयिक स्तर पर अथवा अन्य रूप से कोई विरोध किया है, जिससे उन्हें बताया जा सके कि उन्हें हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे मामले को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं।

श्री के० नटवर सिंह : हमने यह अनेक बार कहा है। यदि माननीय सदस्य इस रिपोर्ट को पढ़ें, इसके अच्छे व बुरे दो पहलू हैं। भारत में सिखों के साथ किए जा रहे कथित व्यवहार में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में पिछले वर्ष अगस्त 1987 में जो घटना जानकारी में आयी थी, 'कांग्रेस' के 17 सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका के राजदूत को लिखा था। हमने तुरन्त यहां और अमरीका में अमरीका सरकार के साथ इस बारे में बात की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीकी राजदूत श्री वेरनाम वाल्टर ने इन 17 कांग्रेस सदस्यों को पत्र लिखा था। हमने कहा था कि हम इस पत्र से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं। हमने तुरन्त इसे उठाया था।

माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि जब इस प्रकार का मामला सामने आता है जिसमें भारत की गलत छवि पेश की जाती है जिससे क्षोम उत्पन्न हो सकता है हमें उस मामले को तुरन्त उठाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तथा सम्भव हो तो हम इसे जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करते है और यदि आवश्यक हो तो उच्च स्तर पर हल करने का प्रयास करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : श्रीमन। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत व अमरीका दोनों ही सांस्कृतिक रूप से तथा अन्य प्रकार से आपस में सम्बन्ध बढ़ाने के इच्छुक हैं, क्या सरकार यह ठीक समझती है कि कम से कम इस समय भारत में उनके राजदूत को बुलाया जाय तथा उसे यहां हमारे देश के मानवाधिकारों की स्थिति से अवगत कराया जाए? मेरे माननीय मित्र अच्छे व बुरे दोनों पक्षों के विषय में बात कर रहे थे।

जहां तक बुरे पहलू का सम्बन्ध है आपको उन्हें सूचना देनी चाहिए तथा सलाह देनी चाहिए कि वे यह ध्यान रखें कि अमरीका द्वारा इस प्रकार की चीजों को, जो भारत के हित में नहीं हैं प्रकाशित न किया जाए, न तैयार किया जाए व अमल में न लाया जाए।

श्री के० नटवर सिंह : सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विषय नया नहीं है यह समय-समय पर उठता रहा है। हम अमरीका के राजदूत से सम्पर्क बनाए हुए हैं। यह वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष निकलती है। यह कोई अभूतपूर्व चीज नहीं है ऐसा विश्व में हर देश में प्रतिवर्ष होता है। यह अमरीकी पद्धति है। हम उनकी पद्धति को बदल नहीं सकते। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत एक स्वतन्त्र देश है कोई भी आ सकता है तथा भारत का जायजा ले सकता है। यहां उनका एक बड़ा दूतावास है। यहां उनका वरिष्ठ राजदूत है। जब हम आवश्यक समझते हैं हम मामले उनकी जानकारी में लाते हैं। वह भारतीय समाचार पत्र पढ़ते हैं। वह भारतीय टेलिविजन देखते हैं। वह संसद सदस्यों से मिलते हैं। वह जहां चाहते हैं जा सकते हैं तथा यदि वह गलत छवि पेश करते हैं तो हम निश्चय ही उसे ठीक करेंगे।

श्री बी० एन० पाटगिल : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार का अमरीका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर इसका इसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पेश करने का प्रस्ताव है ?

श्री के० नटवर सिंह : हमारे यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाए, लेकिन सदन को याद होगा—माननीय सदस्य स्वयं एक वरिष्ठ मंत्री थे, वे जानते हैं कि अमरीका में अश्वेत लोगों के साथ बर्ताव के मामले में अथवा अन्य किसी देश में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में हमने खुले आम इस सदन में तथा प्रेस में आलोचना की है। सिर्फ अमरीका ही क्यों ?

दहेज सम्बन्धी मामलों के लिए लोक अदालतें

***309. डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दहेज सम्बन्धी मामलों को निपटाने हेतु लोक अदालतें आयोजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख). लोक अदालतों द्वारा जिन मामलों पर कार्रवाई की जाती है उनमें दहेज सम्बन्धी विवादों सहित, वैवाहिक मामले भी होते हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : वर्ष 1987 तक दीवानी अदालतों में दहेज सम्बन्धी कितने झगड़े लम्बित हैं तथा कितने निपटा दिये गये हैं ?

श्री० पी० शिवशंकर : मुझे खेद है कि प्रश्न सामान्य अदालतों से सम्बन्धित नहीं है। यह प्रश्न लोक अदालतों से सम्बन्धित है। जो बात बताई गई है वह यह है कि कानूनी सहायता योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समिति के अनुसार विवाह सम्बन्धी अब तक निपटाये गये मामलों की संख्या 2979 है जिसमें दहेज सम्बन्धी मामले भी शामिल हैं परन्तु अलग से दहेज सम्बन्धी मामलों की संख्या ज्ञात नहीं है।

डा० फूलरेणु गुहा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या अभी तक लोक अदालतों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है; यदि हां, तो प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में गुणात्मक और गुणवत्तात्मक जानकारी क्या है ?

श्री पी० शिवशंकर : लोक अदालतें सामान्य न्यायालयों का काम कर रही हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1658 लोक अदालतों का आयोजन किया गया था तथा 10 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। इन लोक अदालतों के जरिये 1053616 मामलों को हल किया गया है। लोक अदालत तथा कानूनी सहायता समिति व्यवस्था में कुछ वर्ष के अनुभव के बाद हमने कानून बनाया है जिसे सभा पिछले वर्ष पारित कर चुकी है। उस कानून के नियम अब बनाये जा रहे हैं ताकि इसे लागू करने के उद्देश्य से घोषणा की जा सके।

डा० फूलरेणु गुहा : क्षमा कीजिए। मेरे प्रश्न का पूरा जबाव नहीं दिया गया है। मैंने पूछा है कि क्या अब तक लोक अदालतों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है। मेहरबानी करके आप हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए।

श्री० पी० शिवशंकर : मैंने कहा है कि लोक अदालतों के कार्यकरण के बारे में कुछ वर्ष के अनुभव के बाद हमने कानूनी सेवायें प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया है जिसे गत वर्ष पारित कर दिया गया था ताकि इन लोक अदालतों को कानूनी शक्तियाँ दी जा सकें, केवल गवाहों इत्यादि को बुलाने के उद्देश्यों के लिए ही नहीं बल्कि जो भी निर्णय किए जायें उन्हें इस न्यायालय के उद्देश्यों हेतु दीवानी न्यायालयों का निर्णय माना जाये।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : 'दहेज' शब्द बहुत व्यापक है। इसमें विभिन्न तरह के अत्याचार, बहू को जलाना, कानूनी तौर पर विच्छेद इत्यादि शामिल हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि दो वर्षों में लोक अदालतों द्वारा बहुओं को जलाने सम्बन्धी कितने मामले निपटाये गये हैं अथवा ये अदालतें वास्तव में देश में बहुत जटिल किस्म के मामलों को छोड़कर, बहुत मामूली किस्म के मामलों को निपटा रही हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : जब यह प्रश्न दहेज सम्बन्धी मामलों के बारे में पूछा गया उसी समय मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि दहेज सम्बन्धी मामलों की संख्या कानूनी सहायता समिति ने हमें नहीं दी है। इसलिए, मेरे लिए बहू को जलाने सम्बन्धी मामलों की सही संख्या बताना मुश्किल है जिसका पता कानूनी सहायता समिति ने लगाया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह प्रतिदिन का रोग है।

श्री पी० शिवशंकर : माननीय सदस्य जानते हैं कि दहेज अधिनियम के सम्बन्ध में संशोधन पर हमने एक कानून पारित कर दिया है तथा ऐसे मामलों को इस द्वारा निपटा जा सकता है। परन्तु चूंकि मैं अपने उत्तर को केवल कानूनी सहायता समिति तथा लोक अदालतों तक ही सीमित रख रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं कि जब कभी कानूनी सहायता समिति द्वारा विवरण उपलब्ध करा दिया जायेगा उसी समय वे आंकड़े दे दिये जायेंगे। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या कानूनी सहायता समिति बहुत छोटे मामलों को निपटा रही है। ऐसा नहीं है। वास्तव में, यह सूचना प्राप्त हुई है कि काफी संख्या में बड़े मामलों का हल इस कानूनी सहायता समिति तथा लोक अदालतों द्वारा निकाला गया है तथा दुर्घटना दावे इत्यादि के अन्तर्गत विभिन्न लोगों को 50 करोड़ रुपये से भी अधिक मुआवजे का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि हमारे समाज में दहेज लेने व देने का मुख्य काम जो है, उसके लिए एक समिति का गठन करने के लिए कुछ सोचा गया है ? कानून बनाने से भी सब होता है लेकिन हमारे यहां लोगों पर सामाजिक दबाव पड़े उसके लिए क्या महिलाओं और युवाओं की कोई समिति गठित करने जा रहे हैं जिससे कि सामाजिक दबाव के लिए यह महिलाएं युवाओं में जा कर काम करें ?

श्री पी० शिवशंकर : मेरे पास में मंत्री महोदया बैठी हैं। आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर वह अभी आपको दे देंगी।

बंगलौर में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के काम्प्लेक्स का विस्तार

[अनुवाद]

***310. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के काम्प्लेक्स में विस्तार की गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड काम्पलेक्स को कोई कार्य सौंपा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर काम्पलैक्स में स्थापित सुविधाएं मुख्यत: रक्षा आवश्यकताओं के लिए है। एक डिवीजन से आरम्भ किए गए बंगलौर काम्पलैक्स ने इन वर्षों में प्रगति की है और अब इसके छ: डिवीजन हैं। इसमें जल्दी ही एक और डिवीजन अर्थात् एरोस्पेस डिवीजन स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

बंगलौर डिवीजन का भावी विस्तार भविष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों और हल्के युद्धक विमानों के विकास से सम्बन्धित परियोजनाएं पूरी होने पर उन्हें बंगलौर काम्पलैक्स को सौंपे जाने की सम्भावना है।

डा० वी० एस० कृष्ण अय्यर : मुझे खुशी है कि एच० ए० एल० बंगलौर में एक और प्रभाग, 'एरोस्पेस प्रभाग' बनाये जाने की सम्भावना है तथा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान बनाने का काम इस प्रभाग को सौंपा जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इन दोनों यानि उन्नत हल्के हेलीकाप्टर तथा हल्के लड़ाकू विमान बनाने में एच०ए० एल० को कितना समय लगेगा तथा इस कार्य में सहयोगी कौन हैं, आप किस देश से प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : वास्तव में यह उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर अपने ही लोगों द्वारा विकसित किया गया है और हल्का लड़ाकू विमान भी हमारे अपने लोगों द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। परन्तु कुछ मामलों में हम अमरीका तथा फ्रांस जैसे दूसरे देशों की सहायता ले रहे हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा और क्या प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण अथवा हमारे देश के अभियंता, जो सक्षम हैं, प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर लेंगे ? इसमें से कितनी प्रौद्योगिकी स्वदेशी है तथा इन विमानों का कितना भाग आयातित प्रौद्योगिकी से बनेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का नमूना अगले वर्ष तक तैयार हो जायेगा। इसका उत्पादन 1992 में शुरू हो जाने की सम्भावना है। हल्के लड़ाकू विमान का

नमूना 1990 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में तैयार हो जायेगा तथा उत्पादन 1993-94 में शुरू हो जाने की सम्भावना है।

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : क्या मैं यह और बता सकता हूं कि हमारा उद्देश्य प्रौद्योगिकी को पूर्णतया आत्मसात कर लेने का है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स काम्पलैक्स' के ठीक साथ ही 'नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरट्री' स्थापित की गई थी ताकि वे एक दूसरे के क्रिया-कलापों में सहयोग दे सकें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है, जैसा कि कई पत्रिकाओं में दिया गया है, कि अपने रक्षा विमान के लिए आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी—इसने विगत में भी बहुत अच्छा कार्य किया है अर्थात् स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने खुद के डिजाइन तैयार करना पर्याप्त कार्य की कमी के कारण वह प्रयोगशाला बेकार होती रही है तथा यहां कार्यरत भारी मात्रा में इंजीनियर तथा विशेषज्ञ पर्याप्त कार्य के लिए तरस रहे हैं जो उन्हें व्यस्त रख सके तथा उनकी प्रतिभा को प्रयोग में लाया जा सके।

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस प्रयोगशाला के पास कुछ परियोजनायें हैं और यह उन पर कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला को आर्डर मिलते हैं और तब उस पर कार्य करती है। उनके पास अपनी परियोजनायें भी हैं। यह प्रयोगशाला तथा इस प्रयोगशाला में विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा टेक्नालाजिस्ट हल्के लड़ाकू विमान के विकास में भी सहयोग दे रहे हैं। कई अन्य क्षेत्रों में भी उनकी सुविज्ञता उपलब्ध है।

श्री अजय मुशरान : माननीय रक्षा मंत्री ने अभी कहा है कि उनका इरादा प्रौद्योगिकी को पूर्णरूप से आत्मसात करने का है। अब जहाँ तक उन्नत हेलीकॉप्टर तथा हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनका निर्माण निर्धारित लक्ष्य पर कर लिया जाये, क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में शोध तथा विकास के लिये कोई अन्तर्निहित योजना है, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, ताकि दिन प्रतिदिन का शोध तथा विकाश कार्य इन विमानों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिये किया जाये।

श्री शिवराज वी० पाटिल : प्रौद्योगिकी को आत्मसात करना वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार की हैं—वस्तु तैयार करने की प्रौद्योगिकी, कल पुर्जे बनाने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी, व्यवस्था बनाने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी, उपकरण, वायुयान ढांचा, वायुयान इंजन बनाने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी इत्यादि। हमारे पास कुछ प्रौद्योगिकी हैं। कुछ क्षेत्रों में हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम बाहर से मदद लें। हम बाहर से सहायता लेते है तथा उस प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। हम उसी प्रौद्योगिकी पर नहीं ठहरते। परन्तु हम उस प्रौद्योगिकी में सुधार करते हैं और फिर हम आत्मसात की गई प्रौद्योगिकी के संयोजन से अन्य प्रौद्योगिकी भी विकसित करते हैं तथा बाहर से प्राप्त करने के बाद इसमें सुधार करते हैं। यह प्रक्रिया जारी है। प्रौद्योगिकी के विकास पर एच० ए० एल० एक निश्चित धनराशि खर्च कर रहा है। उनके यहाँ शोध तथा विकास संस्थान भी हैं। वर्ष 1986-87 में उन्होंने प्रौद्योगिकी विकास

पर लगभग 44 करोड़ रुपये खर्च किये हैं जबकि 1982-83 में उन्होंने केवल 11 करोड़ रुपये खर्च किये थे। इस प्रकार एच०ए०एल० में प्रौद्योगिकी विकास के लिये क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए केन्द्रीय सहायता

***311. श्री एच० बी० पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 17.5 करोड़ टन अनाज के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने हेतु कोई नई योजना और मानदंड निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कम से कम 175 मिलियन टन के स्तर का खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त करने के लिए, योजना आयोग के कृषि के प्रभारी सदस्य की अध्यक्षता वाले कृतिक बल ने एक कार्य-योजना का ढांचा तैयार किया है। इस कार्य-योजना में उन जिलों के लिए, जहां थोड़े समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की क्षमता है, चयनात्मक नीति अपनायी गई है। चावल, गेहूं, मक्का, चना तथा अरहर की पांच खाद्यान्न फसलों के संबंध में 14 राज्यों के कुल 169 जिलों में यह योजना शुरू की जानी है। कार्य-योजना की कार्यनीति में, चुने हुए जिलों में उत्पादन में आने वाली बाधाओं का पता लगाने और उनको दूर करने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संसाधन, इस समय चल रही स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध मौजूदा प्रावधानों से प्राप्त किए जाने हैं और दो वर्ष की सीमित अवधि में विशिष्ठ बाधा दूर करने के लिए, जहां बहुत जरूरी होगा, वहां मामूली सी वृद्धि कर दी जाएगी। विस्तृत जिला-वार कार्य योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा जो खरीफ, 1988 से अमल में लाई जाएंगी, तैयार की जानी हैं। केन्द्रीय स्तर पर इस कार्य-योजना को कार्यान्वित करने की नोडल जिम्मेदारी कृषि और सहकारिता मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की होगी।

श्री एच० बी० पाटिल : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से कार्य-योजना के अन्तर्गत चुने गए जिलों का नाम फसलवार और जिलेवार जान सकता हूं जिसके अन्तर्गत वहां मौजूद उत्पादन की रुकावटों का पता लगाया जाएगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : कर्नाटक में चुने गए जिलों के नाम बेलगांव, हासन, कुर्ग, चिकमंगलूर, उत्तरी केनरा, धारवार, शिमोगा, गुलबर्गा और दक्षिणी केनरा हैं। इन सभी 9 जिलों को चावल के लिए चुना गया है।

श्री एच० बी० पाटिल : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित खाद्यान्नों के मूल्य व्यावसायिक फसलों से बहुत कम हैं और इसलिए किसान

खाद्यान्नों की बजाय व्यावसायिक फसलों को और अधिक अपना रहे हैं? क्या सरकार के पास ऐसी योजना का प्रस्ताव है जिसमें और अधिक समर्थन मूल्य देकर लक्ष्य अर्जित करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाया जाएगा ?

श्री पी० शिवशंकर : यह अनुपूरक मुख्य प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसका सम्बन्ध कृषि मूल्य आयोग से है और यह कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। इसलिए उसके लिए पृथक प्रश्न की आवश्यकता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : कार्य योजना में जिला स्तर पर भी विचार किया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लिया गया है, क्या राज्यों से सलाह मशविरा कर लिया गया है; यदि नहीं तो क्या इस प्रस्ताव पर 19 तारीख को होने वाली राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि यह खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाकर 1750 लाख टन करने का प्रश्न है, ऐसा करना कोई मजाक नही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्यों के साथ ठोस योजनाओं पर चर्चा हुई है।

श्री बीरेन सिह ऐंगती : महोदय, जिलों के चयन को अन्तिम रूप देने से पहले केन्द्र सरकार ने 7 फरवरी 1988 को राज्य सरकारों के साथ बातचीत की थी। राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद ही चौदह राज्यों में जिले चुनने के इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया गया था।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री पी० शिवशंकर : आपका प्रश्न था कि क्या राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया था और उनके साथ विचार विमर्श किया गया था। मेरे माननीय साथी आपको उत्तर देने का यत्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 7 फरवरी 1988 को एक बैठक हुई थी जिसमें इन सभी चौदह राज्यों के अधिकारियों को बुलाया गया था और ब्यौरे पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कुछ वैकल्पिक योजनाएं भी दी थीं। उन पर भी चर्चा हुई थी। ब्यौरे के विषयों पर प्रत्येक जिले के सन्दर्भ में भी चर्चा हुई थी और अन्ततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस उद्देश्य के लिए 169 जिले अवश्य ही निर्धारित किये जाएं।

मैं कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और उन प्राधिकारियों के साथ भी चर्चा करने के लिए कृषि मंत्री ने 18 तारीख को मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई है।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए अनुमति मिलनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : महोदय, आज उत्पादन बढाने के लिए केन्द्र सरकार किसानों को सबसे बड़ी कृषि सहायता या प्रोत्साहन, लाभकारी मूल्य के रूप में ही दे सकती है। इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि आज किसान वर्तमान समर्थन मूल्यों को लाभकारी या उचित नहीं मानते हैं? इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इन लाभकारी मूल्यों में वृद्धि की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, यह मामला मेरे साथी कृषि मंत्री महोदय के विचाराधीन है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पहले ही स्वीकार किया है कि इस बार खाद्यान्नों के उत्पादन में 100 से 150 लाख टन तक कमी आई है। *यह सात से दस प्रतिशत के लगभग है। इस तथ्य को देखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय हमें* बताएंगे कि, हमारी कृषि अभी भी वर्षा पर निर्भर है तो वे कौन सी ठोस योजनाएं लागू कर रहे हैं ताकि बेहतर जल प्रबन्ध के द्वारा हमारे कृषि-उत्पादन का वर्षा पर निर्भर होना काफी हद तक कम हो जाए ? यदि वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं तो जल प्रबन्ध की योजनाओं का ठोस ब्यौरा क्या है, जिन पर वे कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, माननीय सदस्य ने जल के बेहतर प्रबंध के बारे में प्रश्न किया है। वास्तव में मैं प्रारम्भ में ही बताना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय और योजना आयोग का भी अनुमान है कि अन्तिम वर्ष में हमारे यहां लगभग अस्सी लाख टन खाद्यान्न की कमी होगी। 1750 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करने की बजाय हम 1660 या 1670 लाख टन तक का ही उत्पादन कर पाएंगे। इसे बदलने के लिए और 1750 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्य दल को नियुक्त किया गया था, जिसने फसलों की प्रक्रिया, जल प्रबन्ध, बीजों की सप्लाई और खाद आदि सब में विस्तृत अध्ययन किया है। सम्पूर्ण श्रृंखला की जांच की गई है। उन्होंने प्रत्येक जिले का अध्ययन किया है और उस क्षेत्र में कौन सा बेहतर उत्पाद प्रभावी हो सकता है इस पर विचार किया है। अच्छा, क्या कदम उठाए गए हैं, यह पढ़ने के लिए मुझे काफी समय लगेगा, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि बाद में...**(व्यवधान)**।

प्रो० मधु दंडवते : लेकिन क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि अभी तक हम मुख्यत: वर्षा पर ही निर्भर रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं सहमत हूं कि काफी हद तक हम प्रकृति पर निर्भर हैं! यही वजह है कि प्रकृति पर निर्भरता से मुक्त होने के लिए और अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिए इस कार्य दल को यह कार्य सौंपा गया था। इस कार्य दल को दिए गए मुद्दों में से एक मुद्दा यह था कि मिट्टी की प्रकार की जाँच की जाए, और अधिक उत्पादन में आने वाली मुख्य रुकावटों अर्थात अपर्याप्त सिंचाई, नालियों का अभाव, बीज, कीड़े लगने की समस्याओं की जाँच की जाए...**(व्यवधान)**।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

परमाणु विद्युत केन्द्रों से विकिरण के रोगों आदि के फैलने पर प्रभाव के संबंध में अध्ययन

[अनुवाद]

***302. श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु विद्युत केन्द्रों के आसपास के क्षेत्रों में रोग फैलने, बीमारियों, जन्म दर में कमी आदि पर विकिरण के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक, नियंत्रित, स्वतंत्र अध्ययन कराया गया है;

(ख) क्या ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों में कराए गए ऐसे अध्ययनों से चिंताजनक निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) परमाणु बिजलीघरों के आसपास के क्षेत्रों में स्थित विभागीय कालोनियों में रहने वाले कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण गहनतापूर्वक किए गए हैं। उस मेडिकल रिकार्ड के आधार पर कहा जा सकता है कि कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के सदस्यों में रोग फैलने, बीमारियां होने, जन्म-दर के गिरने, आदि की घटनाओं में वृद्धि होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

(ख) अन्य देशों में किए गए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से ऐसे कोई भी चिंताजनक निष्कर्ष नहीं निकले हैं;

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, पर्यावरण की मानिटरिंग यह सुनिश्चित रखने के लिए लगातार करता रहता है कि परमाणु बिजलीघरों के आसपास के क्षेत्रों में विकिरण-सक्रियता की मात्रा सुरक्षित समझी जाने वाली सीमाओं के पूर्णत: भीतर ही रहे।

लोगों के निर्धन होने और निर्धनता निवारण की दर

***306. श्री के० मोहन दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं;

(ख) सातवीं योजना के अन्त में उनकी प्रतिशतता कितनी हो जाने का अनुमान हैं;

(ग) निर्धनता निवारण की दर क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि गांवों और शहरों में लोग किस दर से निर्धन हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में घरेलू उपभोक्ता व्यय के राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 38वें चक्र पर आधारित अनुमान वर्ष 1983-84 के लिए उपलब्ध है। इन अनुमानों के अनुसार वर्ष 1983-84 में 37.4 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे।

(ख) सातवीं योजना के अंत तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या की प्रतिशतता घटाकर 25.8 प्रतिशत करने की योजना है।

(ग) वर्ष 1977-78 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता 48.3 थी जो कि वर्ष 1983-84 में घट कर 37.4 प्रतिशत रह गई।

(घ) और (ङ). गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमान ग्रामीण तथा शहरी लोगों के लिये अलग-अलग किया गया है। वर्ष 1977-78 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में 51.2 और शहरी क्षेत्रों में 38.2 थी जोकि 1983-84 में घटकर क्रमश: 40.4 और 28.1 प्रतिशत हो गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

[हिन्दी]

***312. श्री जगदीश अवस्थी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान समूचे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) क्या न्यायालय द्वारा इनमें से कुछ व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	न्यायालयों द्वारा रिहा किये गये व्यक्ति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	—
2.	असम	—	—
3.	बिहार	4	3
4.	गुजरात	24	17
5.	हरियाणा	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	लागू नहीं	लागू नहीं

1	2	3	4
8.	कर्नाटक	—	—
9.	केरल	—	—
10.	मध्य प्रदेश	121	8
11.	महाराष्ट्र	284	192
12.	मणिपुर	33	14
13.	मेघालय	11	—
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	40	6
16.	पंजाब	272	63
17.	राजस्थान	77	26
18.	तामिलनाडु	5	—
19.	त्रिपुरा	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	225	80
21.	पश्चिम बंगाल	—	—
22.	सिक्किम	—	1
23.	गोवा	9	4
24.	मिजोरम	16	—
25.	अंडमान और निकोबार	—	—
26.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—
29.	दिल्ली	5	—

1	2	3	4
30.	लक्षद्वीप	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—
	जोड़	1130	414

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या तथा लम्बित मामले निपटाना

[अनुवाद]

***313. डा० ए० के० पटेल :**

श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1986, 31 जनवरी, 1987 और 31 जनवरी, 1988 को उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी-कितनी थी तथा उनमें से कितने पद रिक्त पड़े थे;

(ख) उपर्युक्त न्यायालयों में उपरोक्त तारीखों को कितने मामले लम्बित पड़े थे;

(ग) इन 12 महीनों की अवधियों के दौरान लंबित मामलों को निपटाने तथा न्यायाधीशों के रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई; और

(घ) रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं और इन सभी रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जाएगी ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :—

उच्चतम न्यायालय	ता० 31.1.86 को	ता० 31.1.87 को	ता० 31.1.88 को
स्वीकृत संख्या	18	26	26
रिक्त पद	3	12	9

प्रत्येक उच्च न्यायालय में तारीख 31.1.86, 31.1.87 और 31.1.88 को स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) विवरण II संलग्न है।

(ग) और (घ). न्यायालयों में बकाया मामले कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम दर्शित करने वाला विवरण III संलग्न है।

न्यायाधीशों के चयन में सम्बद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों से विचार-विमर्श अन्तर्वलित है और वह एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीशों के रिक्त पद शीघ्रता से भरे जाएं, सभी सम्भव प्रयास करती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरे जाने के लिए कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

विवरण I

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	ता० 31.1.86 को		ता० 31.1.87 को		ता० 31.1.88 को	
		स्वीकृत संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्वीकृत संख्या	रिक्त पदों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद	60	13	60	11	60	10
2.	आन्ध्र प्रदेश	26	8	26	3	26	5
3.	मुम्बई	43	3	48	4	48	2
4.	कलकत्ता	41	2	41	—	42	1
5.	दिल्ली	27	4	27	2	27	5
6.	गुवाहाटी	9	1	10	2	10	2
7.	गुजरात	21	4	21	5	21	4
8.	हिमाचल प्रदेश	6	—	6	1	6	3
9.	जम्मू-कश्मीर	7	1	7	—	7	—
10.	कर्नाटक	24	3	24	4	25	2
11.	केरल	18	—	21	—	21	1

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य-प्रदेश	29	5	29	1	29	5
13.	मद्रास	25	4	25	6	25	7
14.	उड़ीसा	11	2	12	3	12	3
15.	पटना	35	3	35	5	35	7
16.	पंजाब और हरियाणा	23	6	23	7	23	6
17.	राजस्थान	22	1	22	1	23	—
18.	सिक्किम	3	1	3	1	3	1
		430	61	440	56	443	64

विवरण II

उच्चतम न्यायालय में बकाया मामलों की स्थिति

ता० 1.1.1986 को	ता० 1.1.1987 को	ता० 1.1.1988 को
166319	152969	175748

उच्च न्यायालयों में तारीख 1 जनवरी, 1986, 1987 और 1988 को बकाया मामलों की संख्या।

उच्च न्यायालयों के नाम	ता० 1.1.1986 को	ता० 1.1.1987 को	ता० 1.1.1988 को
1	2	3	4
1. इलाहाबाद	265804	312006	**
2. आन्ध्र प्रदेश	90617	92378	80060
3. मुम्बई	112088	125298	139548
4. कलकत्ता	148330	158701	**
5. दिल्ली	67109	762661	77627+14432*

1	2	3	4
6. गुवाहाटी	15285	17868	18563
7. गुजरात	41750	49100	**
8. हिमाचल प्रदेश	10933	9820	9633
9. जम्मू-कश्मीर	30022	35888	37025
10. कर्नाटक	87608	65741	72190
11. केरल	118112	121919	42390 (मुख्य मामले)
12. मध्य प्रदेश	52079	53888	40922
13. मद्रास	158518	137250	**
14. उड़ीसा	31362	35398	**
15. पटना	56904	56061	64110
16. पंजाब और हरियाणा	40285	51366	60962
17. राजस्थान	48921	47053	52998
18. सिक्किम	63	33	59
योग :	1377790	1495814	

*कम्पनी आवेदन के अधीन शासकीय समापक द्वारा फाइल किये गये 14432 मामले उच्च न्यायालय में अभी रजिस्ट्रीकृत किये जाने हैं।

**जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण III

न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

1. मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्य के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त से 1 सितम्बर, 1985 तक हुए सम्मेलन में सभी न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के विषय में विचार-विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में लेटर्स *पेटेन्ट अपील को समाप्त करने के लिए सन् 1976* में सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया था (देखिए धारा 100क)।

3. आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में, वर्ष 1978 में संशोधन किए गए थे।

4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे 29 फरवरी, 1988 को बढ़ाकर 443 कर दिया गया है।

5. उच्च न्यायालयों और अन्य अपील न्यायालयों में विलम्ब और बकाया मामलों पर विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

6. उच्च न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं,

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना,

(ग) कई मामलों में, अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) जिन मामलों को शीघ्र निपटाना अपेक्षित हैं उन्हें पूर्विकता देना।

7. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है।

विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या अन्य तन्त्र की स्थापना करके, उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके;

(ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केन्द्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित सहयोगी न्याय पद्धति स्थापित करके;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके;

न्याय प्रशासन की प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14-क में यथापरिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से सम्बन्धित विभिन्न विषय;

(ग) प्रक्रिया सम्बन्धी विधियां साधारणत: मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क (i) और क (ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना ।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग ।

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(च) न्याय प्रशासन की प्रणाली को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका ।

(छ) ऐसे मानदण्डों को निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए । इसके अन्तर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है ।

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च-मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से ।

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं ।

8. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके, तारीख 10 5.1986 से, 18 से बढ़ाकर 26 (मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित हैं) कर दी गई है ।

9. उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उठाए गए कदम :

(i) एक जैसे विधि के प्रश्न वाले मामले को, एक ग्रुप में रखा जाता है और ग्रुप में सूचीबद्ध किया जाता है जिससे उन सभी को एक साथ निपटाया जा सके ।

(ii) अधिकांश मामलों में, अपील अभिलेख के मुद्रण से अभिमुक्ति दे दी गई है जिससे मुकदमों में पक्षकारों के समय और खर्च में बचत होती है । दाण्डिक अपीलों में, अपीलार्थियों के काउंसेल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख के मुद्रण में लगने वाले समय को बचाने के लिए साइक्लोस्टाइल अभिलेख फाइल करें जिससे कि मामले की शीघ्र सुनवाई हो सके ।

(iii) न्यायालय का समय बचाने के लिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति न्यायालय के कार्य घंटों के पश्चात् "मैन्शनिंग' के मामले ग्रहण करते हैं जिसमें प्रतिदिन कम से कम लगभग एक घंटा लग जाता है ।

(iv) उच्चतम न्यायालय नियमों को संशोधित करके माननीय न्यायाधीशों को (चेम्बर में) और रजिस्ट्रार को कुछ प्रकार के मामले, जिनकी सुनवाई पहले न्यायालय में की जाती थी, निपटाने के लिए सशक्त किया गया है। इससे न्यायालय का समय बचेगा।

(v) माननीय मुख्य न्यायमूर्ति विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करते हैं और शीघ्र निपटान के लिए, विशिष्ट प्रकार के मामले, ऐसी विशेषज्ञ न्यायपीठों को सौंपे जाते हैं।

(vi) उच्चतम न्यायालय में शीघ्र ही कम्प्यूटर तकनीक का उपयोग किया जाने वाला है जिससे कि लम्बित मामलों की संख्या पर्याप्त रूप से कम हो जाने की सम्भावना है।

(vii) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने हाल ही में यह निर्देश दिया है कि यदि प्रत्येक पक्ष की बहस में पांच घंटे से अधिक समय लगता है तो प्रत्येक मामले में काउंसेल को, लिखित बहस फाइल करनी होगी। मौखिक बहस के लिए प्रत्येक पक्ष के काउंसेल को अब पांच घंटे से अधिक का समय नही दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय यह महसूस न करे कि काउंसेल को अधिक समय दिया जाना चाहिए। उस दशा में प्रत्येक पक्ष के काउंसेल को मौखिक बहस के लिए अधिक से अधिक 10 घंटे दिए जाते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों के काउंसेलों की मौखिक बहस के समय को कम कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप मामले अब शीघ्र निपट जाते हैं।

(viii) अभी हाल में एक न्यायालय प्रशासक और महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है। इस पद पर किसी ज्येष्ठ न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिससे कि वह विद्यमान दो रजिस्ट्रारों के सहयोग से रजिस्ट्री की कार्यपद्धति का पुनर्गठन कर सके और उसकी तकनीक तथा दक्षता में सुधार ला सके।

अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

***314. श्री पी० एम० सईद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के वर्ग "ए" के अधिकारियों को अपने 20 वर्ष के सेवा-काल के दौरान कम से कम तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को पूरा करना होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू नियमों में अन्य कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) जनता की सेवा के लिये क्षमता और उपयुक्त कार्य संस्कृति को विकसित करने के लिये सिविल सेवा के सदस्यों के प्रशिक्षण की पुनर्रचना सम्बन्धी सरकार के निर्णय के अनुसरण में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को ऐसी प्रशिक्षण योजनाएं तैयार करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं जिनमें अखिल भारतीय और समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के प्रत्येक सदस्य को लगभग 20 वर्षों की अवधि में तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भेजा जाये। इन अनुदेशों को मद्देनजर रखते हुये तैयार की गई प्रशिक्षण योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

उदाहरण के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्बन्ध में, उक्त तीन अवस्थाएं हैं : (क) 6-9 वर्ष की सेवा, (ख) 10-16 वर्ष की सेवा; और (ग) 17-20 वर्ष की सेवा। उक्त तीन अवस्थाओं में, क्रमश: कार्यक्रम कार्यान्वयन; प्रबन्ध अवधारणाओं और निर्णय निर्माण; तथा नीति नियोजन और विश्लेषण पर बल दिया गया है।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में संशोधन; भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्टों को मानव संसाधन विकास का एक साधन बनाने के लिये संशोधित प्रपत्र; चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों तथा राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व और छुट्टी रिजर्व जैसे रिजर्वों को शामिल करते हुये, अखिल भारतीय सेवा नियमावली में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

पासपोर्ट सम्बन्धी नियमों का आसान बनाया जाना

***315. श्री शांताराम नायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने से सम्बन्धित नियमों को और आसान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). पासपोर्ट जारी करने से सम्बद्ध क्रियाविधि की बराबर समीक्षा की जाती रहती है ताकि इस क्रियाविधि को और अधिक सुव्यवस्थित बनाया जा सके। जब भी इन क्रियाविधियों में परिवर्तन के कारण पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया जाता है, तो संगत राजपत्रित अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जाती हैं।

तेजपुर के निकट भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

***316. श्री सुभाष यादव** :

श्री मानिक रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान 11 जनवरी, 1988 को तेजपुर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था; और

(ख) क्या इस बारे में इस बीच कोई जांच की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। 11 जनवरी, 1988 को तेजपुर हवाई अड्डे के नजदीक भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

(ख) इस सम्बन्ध में गठित एक जांच अदालत इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस अदालत के निष्कर्ष और सिफारिशें वर्गीकृत प्रकृति की होंगी और इन्हें लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकता।

लोक अदालतें

***317. श्री जी० भूपति** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई हैं;

(ख) लोक अदालतों की स्थापना के फलस्वरूप न्यायालयों में आने वाले मामलों में कितने प्रतिशत कमी हुई है; और

(ग) न्यायालयों में मामलों की संख्या कम करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, फरवरी, 1988 के मध्य तक देश के विभिन्न भागों में 1658 लोक अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ख) 1987 के अन्त तक लोक अदालतों में निपटाये गये मामलों की कुल संख्या दस लाख से अधिक थी। न्यायालयों के समक्ष न लाये गये विवादों पर भी लोक अदालतों द्वारा कार्रवाई की गई है। न्यायालयों में मामलों के संस्थित किये जाने में हुई कमी की प्रतिशतता बताना सम्भव नहीं है किन्तु यह आशा है कि इससे लोक अदालतों में काफी मात्रा में मामले आ जाएंगे।

(ग) सरकार ने न्यायालयों में लम्बित मामलों को कम करने के लिये लगातार कई उपाय किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में लैटर्स पेटेन्ट अपील को समाप्त करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन;

(ii) आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन; और

(iii) उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाकर क्रमश: 443 और 26 कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये निम्न प्रकार के कदम उठाये हैं : एक जैसे प्रश्न वाले मामलों को एक ग्रुप में रखना; सूचना का उत्तर देने के लिये थोड़ा समय देकर मामले सुनवाई के लिये नियत करना; कई मामलों में

अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना; विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन करना; कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाना आदि। इसके अतिरिक्त सरकार ने विधि आयोग को न्यायिक प्रणाली का अध्ययन करने और मामलों आदि के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक सुधारों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा है।

जम्मू तथा कश्मीर के लिए "पैकेज" योजना के अन्तर्गत परियोजनायें

***318. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लिये गत वर्ष 1000 करोड़ रुपये की मंजूर की गई पैकेज योजना के अन्तर्गत पूरी की गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्माणाधीन/अपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान और परियोजनायें शुरू करने का विचार है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख). पैकेज में शामिल परियोजनाएं/स्कीमें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

	जम्मू तथा कश्मीर के लिए पैकेज	(करोड़ रुपये)
	1	2
1.	गुलमर्ग के लिये केबल कार	14.00
2.	अन्तर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, श्रीनगर	2.50
3.	पटनी टाप का विकास	1.50
4.	जम्मू-ऊधमपुर रेलवे लाइन (1987-88)	3.00
5.	कंडी वाडरशेड परियोजना (विश्व बैंक में प्रस्तुत की जानी है)	57.00 (7 वर्षों में)
6.	डल का विकास	5.00 (1986-89)
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपास, श्रीनगर का विस्तार	4.75

	1	2
8.	उप मार्ग, स्योर	1.00
9.	इन्दिरा गांधी मार्ग	3.00
10.	उपमार्ग, बटोट	0.60
11.	एच०एम०टी० का विस्तार	3.75
12.	पर्यटन सुविधाओं का विकास	4.06
13.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय	9.00
14.	खाद्यान्नों का आबंटन	5.86
15.	शेयर पूंजी दिया जाना (जे एण्ड के, एच पी एम सी)	1.20
16.	'अंगोरा' बकरियों का आयात	0.21
17.	उड़ी जलविद्युत परियोजना	25.50
18.	श्रीनगर में जीरो ब्रिज और बड़शा ब्रिज	16.00
19.	पारेषण व्यवस्था का सुधार	2.00
20.	परिस्थितिकीय कार्यबल की स्थापना	1.00
21.	खेल सुविधायें	2.70
22.	फर फार्मिंग	0.15
23.	दलहस्ती परियोजना	670.00
24.	400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन	140.00
25.	वितरण नेटवर्क का सुधार	5.00
	कुल जोड़	978.78 (अर्थात लगभग 1000 करोड़ रुपये)

पुन्नापराव्यालार आन्दोलन में भाग लेने वालों को पेंशन

***319. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पुन्नापरा व्यालार आन्दोलन में भाग लेने वाले अनेक व्यक्तियों को, जो इस समय वृद्ध और बीमार हैं अभी तक भी स्वतन्त्रता सैनानी पेंशन नहीं दी जा रही है यद्यपि इस

आन्दोलन के शहीदों को हाल ही में उस समय मान्यता दी गई थी जबकि सभी महत्वपूर्ण स्थानों से जहाँ कि स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था, लाई गई मिट्टी के साथ ही केरल में पुन्नापरा व्यालार शहीद स्मारक से भी मिट्टी लाई गई थी और उसे राजघाट में मिश्रित किया गया था और उस मिट्टी में भारत की आजादी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर पौधे लगाये गए थे;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक पेंशन न दिए जाने के क्या करण हैं; और

(ग) सरकार का बिना किसी और विलम्ब के उन्हें पेंशन मन्जूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) . सरकार ने केरल में पुन्नापरा व्यालार आन्दोलन को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के भाग के रूप में मान्यता नहीं दी है ।

मध्य प्रदेश के युवकों की सेना में भर्ती

[हिन्दी]

***320. श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए सेना में युवकों को भर्ती करने के लिए राज्य में एक विशेष योजना आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवकों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं; और

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). भारतीय थलसेना में युवकों की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश में कोई विशेष योजना चलाने का प्रस्ताव नहीं है । देश के सभी भागों से योग्य एवं पात्र युवकों की भर्ती, समय-समय पर पड़ने वाली आवश्यकता के अनुसार की जाती है तथा भरती बेरोजगारी की स्थिति के आधार पर नहीं की जाती । देश के सभी भागों में समाज के सभी वर्गों के लिए भर्ती खुली है चाहे वे किसी भी जाति, वंश या धर्म के हों बशर्ते वे निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी मानदण्डों को पूरा करते हों ।

न्यायालयों द्वारा मुकदमों को शीघ्र निपटाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

[अनुवाद]

***321. श्री सी० माधव रेड्डी** :

श्री के० कुन्जम्बु :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित न्यायालयों में मुकदमों को शीघ्र निपटाने तथा न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए कोई नये प्रस्ताव तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने पर भी विचार किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में विधि आयोग तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) और (ख). सरकार ने, विधि आयोग को आवश्यक सुधार करने के लिए न्यायिक पद्धति के अध्ययन का कार्य सौंपा है । विचारार्थ विषयों में एक विषय, प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों को साधारणत: मामलों को शीघ्र निपटाने, आवश्यक मुकदमेबाजी और मामलों की सुनवाई में विलम्ब को दूर करने और प्रक्रियाओं तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विधियों में सुधार लाने की दृष्टि से अध्ययन करना है ।

(ग) और (घ). सरकार शीघ्र ही दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना चाहती है । दण्ड प्रक्रिया संहिता में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधन विधि आयोग और राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किए गए विनिश्चयों तथा राज्य सरकारों और अन्यों से प्राप्त सुझावों पर आधारित हैं । इनमें से कुछ संशोधन आपराधिक मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रभावी होंगे; और ये संशोधन संलग्न विवरण में उपदर्शित किए गए हैं ।

विवरण

सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करने का विचार रखती है, जो विधि आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और राज्य सरकारों और अन्य से प्राप्त सुझावों पर किए गए विनिश्चयों पर आधारित हैं, जिनका प्रभाव आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाना होगा :—

(1) धारा 320 (2) से उपाबद्ध सारणी में परिगणित अपराधों के प्रशमन के सम्बन्ध में पक्षकारों की इच्छा पर ध्यान देने के लिए पुलिस को समर्थ बनाने के लिए एक नई उपधारा अन्त: स्थापित करने के लिए धारा 173 का संशोधन करना ।

(2) धारा 223 के उपबन्धों का सेशन न्यायालय तक विस्तार करने के लिए उसमें यह उपबन्ध करने के लिए संशोधन करना कि न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्तियों के संयुक्त विचारण का, यद्यपि वे विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के अन्तर्गत न आते हों, निदेश दे सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति उससे प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं होंगे ।

(3) या तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को या प्रथम वर्ग के किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामला अन्तरित करने और अभियुक्त के उपसंजात होने के लिए कोई तारीख नियत करने के लिए सेशन न्यायाधीश को सशक्त करने के लिए धारा 228 का संशोधन करना ।

(4) निम्नलिखित के लिए धारा 260 का संशोधन करना :—

(i) उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित अपराधों की बाबत यह विनिर्दिष्ट करना कि संक्षिप्त-विचारण आज्ञापक होना चाहिए; और

(ii) चोरी के अपराध और अन्य वैसे ही अपराधों के लिए यह उपबन्ध करना कि जहां सम्पत्ति का मूल्य वर्तमान में दो सौ रुपये की बजाय, दो हजार रुपये से अधिक नहीं है, वहां संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा ।

(5) नई धारा 291क का इस उद्देश्य से अन्त:स्थापन जिससे कि पहचान-ज्ञापन को साक्ष्य में, उसमें वर्णित तथ्यों के औपचारिक सबूत के बिना, ग्रहण किया जा सके ।

(6) धारा 296 का यह विनिर्दिष्ट करने के लिए संशोधन करना कि कुछ तथ्यों को, जैसे कि मृत्यु-समीक्षा और उसकी रिपोर्ट, थाने की साधारण डायरी की प्रविष्टियों और ऐसे अन्य तथ्यों को साबित करने के लिए किसी साक्षी के साक्ष्य को शपथ पत्र द्वारा किया जाए और किसी औपचारिक प्रकृति के किसी अन्य साक्ष्य की तरह उन्हें साक्ष्य में पढ़ा जाए और उन्हें उसकी मुख्य परीक्षा का भागरूप होना चाहिए ।

ब्रिटेन के साथ प्रत्यर्पण संधि

[हिन्दी]

***322. श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) संधि पर अब तक हस्ताक्षर न किए जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारत और यू० के० के विशेषज्ञों ने जनवरी, 1986 से चार बैठकें की हैं ताकि यू० के० में भारत-विरोधी उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के प्रयोजनार्थ किसी ठोस कानूनी प्रावधान जिसमें प्रत्यर्पण संधि का प्रारूप भी शामिल है, के सम्बन्ध में सहमति हो सके ।

(ख) हालांकि इस प्रकार की संधि के प्रावधानों के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच मतभेद कुछ कम हुए हैं, फिर भी, हम अभी तक किसी परस्पर स्वीकार्य पाठ के सम्बन्ध में सहमत नहीं हो पाए हैं ।

अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाना

[अनुवाद]

3251. श्री अमर सिंह राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर रोक लगा दी है;

(ख) जनवरी, 1987 से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के कितने कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि की गई है; और

(ग) उनका सेवा-काल बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). चूंकि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उपयुक्त प्राधिकारी मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत विभिन्न समूहों के सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल में वृद्धि प्रदान करने के लिए सक्षम हैं इसलिए इसकी सूचना इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नही की जाती।

बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगना

3252 श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले बारह महीनों की अवधि के दौरान बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इससे जान और माल की अनुमानित कितनी हानि हुई; और

(ग) आग से ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 1 मार्च, 1987 से 29 फरवरी, 1988 तक बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की 3571 घटनाएं हुईं।

(ख) बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगी आग से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 3.5 करोड़ रुपये की सम्पति की अनुमानित हानि हुई।

(ग) बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगने को रोकने के लिए बहुमंजिले भवनों, औद्योगिक परिसरों और आवास समितियों में लघु सर्किट ब्रेकर और भूमिक्षरण सर्किट ब्रेकर लगाने की सिफारिश की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/दिल्ली नगर निगम/दिल्ली जल प्रदाय संस्थान के विरुद्ध शिकायतों का लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित न किया जाना

3253. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली जल प्रदाय संस्थान जैसे जनसंपर्क कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करना प्रस्तावित लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया है;

(ख) क्या सरकार राजधानी में जनता को इन निकायों द्वारा तंग किये जाने को ध्यान में रखते हुए उन्हें केन्द्रीय स्तर पर स्थापित लोक शिकायत तंत्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : (क) से (ग) . जी हां । शुरू में लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार में केवल चार केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग होंगे जैसे—रेल, डाक, दूर-संचार तथा आर्थिक कार्य विभाग का बैंकिंग प्रभाग । अन्य मंत्रालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों को इसके क्षेत्राधिकार में लाने के प्रश्न पर प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

स्थल चयन समिति

3254. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग की भविष्य में परमाणु विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थलों का निर्धारण करने संबंधी स्थल चयन समिति की रचना क्या है;

(ख) इस समिति का गठन किस तारीख को किया गया;

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को पेश की; और

(घ) समिति की प्रमुख सिफारशें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) भविष्य में लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिए स्थलों का निर्धारण करने के वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग ने जो स्थल चयन समिति गठित की है उसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञ और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

(ख) स्थल चयन समिति का गठन आरम्भ में 15 सितम्बर, 1983 को किया गया था । 4 अप्रैल, 1984 को उसका पुनर्गठन हुआ । बाद में, 6 मई, 1985 को पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को इस समिति का सदस्य नामित किया गया ।

(ग) स्थल चयन समिति पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में अपनी पृथक रिपोर्ट दे चुकी है तथा वे रिपोर्टें अलग-अलग तारीखों में दी गई हैं ।

(घ) स्थल चयन समिति ने देश के चारों क्षेत्रों के कुछ स्थलों के नामों की सिफारिश भविष्य में लगाए जाने वाले बिजलीघरों के लिए की है । समिति की सिफारशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

दिल्ली गोली कांड में शामिल आतंकवादियों की गिरफ्तारी

3256. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1987 को दक्षिण दिल्ली में हुए गोली कांड में शामिल आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) जनवरी, 1987 से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के कितने कर्मचारियों के सेवा-काल में वृद्धि की गई है; और

(ग) उनका सेवा-काल बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) . चूंकि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उपयुक्त प्राधिकारी मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत विभिन्न समूहों के सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल में वृद्धि प्रदान करने के लिए सक्षम हैं इसलिए इसकी सूचना इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नही की जाती।

बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगना

3252 **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले बारह महीनों की अवधि के दौरान बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इससे जान और माल की अनुमानित कितनी हानि हुई; और

(ग) आग से ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 1 मार्च, 1987 से 29 फरवरी, 1988 तक बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की 3571 घटनाएं हुईं।

(ख) बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगी आग से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और लगभग 3.5 करोड़ रुपये की सम्पति की अनुमानित हानि हुई।

(ग) बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगने को रोकने के लिए बहुमंजिले भवनों, औद्योगिक परिसरों और आवास समितियों में लघु सर्किट ब्रेकर और भूमिक्षरण सर्किट ब्रेकर लगाने की सिफारिश की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/दिल्ली नगर निगम/दिल्ली जल प्रदाय संस्थान के विरुद्ध शिकायतों का लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित न किया जाना

3253. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली जल प्रदाय संस्थान जैसे जनसंपर्क कार्यालयों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करना प्रस्तावित लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार से अलग रखा गया है;

(ख) क्या सरकार राजधानी में जनता को इन निकायों द्वारा तंग किये जाने को ध्यान में रखते हुए उन्हें केन्द्रीय स्तर पर स्थापित लोक शिकायत तंत्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) . जी हां । शुरू में लोक शिकायत निदेशालय के क्षेत्राधिकार में केवल चार केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग होंगे जैसे—रेल, डाक, दूर-संचार तथा आर्थिक कार्य विभाग का बैंकिंग प्रभाग । अन्य मंत्रालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों को इसके क्षेत्राधिकार में लाने के प्रश्न पर प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।

स्थल चयन समिति

3254. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग की भविष्य में परमाणु विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थलों का निर्धारण करने संबंधी स्थल चयन समिति की रचना क्या है;

(ख) इस समिति का गठन किस तारीख को किया गया;

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को पेश की; और

(घ) समिति की प्रमुख सिफारशें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) भविष्य में लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिए स्थलों का निर्धारण करने के वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग ने जो स्थल चयन समिति गठित की है उसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञ और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

(ख) स्थल चयन समिति का गठन आरम्भ में 15 सितम्बर, 1983 को किया गया था । 4 अप्रैल, 1984 को उसका पुनर्गठन हुआ । बाद में, 6 मई, 1985 को पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य को इस समिति का सदस्य नामित किया गया ।

(ग) स्थल चयन समिति पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में अपनी पृथक रिपोर्ट दे चुकी है तथा वे रिपोर्टें अलग-अलग तारीखों में दी गई हैं ।

(घ) स्थल चयन समिति ने देश के चारों क्षेत्रों के कुछ स्थलों के नामों की सिफारिश भविष्य में लगाए जाने वाले बिजलीघरों के लिए की है । समिति की सिफारशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

दिल्ली गोली कांड में शामिल आतंकवादियों की गिरफ्तारी

3256. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर, 1987 को दक्षिण दिल्ली में हुए गोली कांड में शामिल आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है;और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) देश में वैमानिक कारखानों के क्या-क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में ऐसे और कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ). रक्षा मंत्रालय के अधीन मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (हॉल) नामक एक विमान-निर्माण कम्पनी है जिसके देश में विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रभाग हैं। इस कंपनी में प्रत्येक वर्ष निर्मित विमानों की संख्या और प्रकार उपभोक्ताओं, प्रमुख रूप से रक्षा प्रयोक्ताओं की आवश्यकता और वहां उपलब्ध उत्पादन क्षमता पर निर्भर करते हैं।

रक्षा मंत्रालय के अधीन विमान बनाने की कोई अन्य कम्पनी स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

लापता छात्र

[हिन्दी]

3261. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 1988 के "दैनिक जनसत्ता" में प्रकाशित स्कूली बच्चों के लापता होने सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में वर्ष 1987 से अब तक ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जनवरी, 1987 से 29 फरवरी, 1988 तक 3853 बच्चों के लापता होने की सूचना दी गई थी जिनमें से 2282 बच्चों का पता लगा लिया गया है।

(ग) अधिकांश मामलों में बच्चे विभिन्न घरेलू/वैयक्तिक कारणों से गायब हो जाते हैं। पुलिस केवल लापता व्यक्तियों का पता लगाने में मदद कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए एक गुमशुदा तलाश दस्ता कार्य कर रहा है।

कच्छ में पाकिस्तान की जासूसी गतिविधियां

[अनुवाद]

3262. श्री टी० बाल गौड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने संवेदनशील कच्छ जिले में अपनी जासूसी सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि की है;

(ख) क्या हाल ही में गुजरात में बनारा में भारतीय वायुसेना के एक अड्डे के निकट निर्माण कम्पनी के रूप में कार्यरत पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने तथा रक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में लूटपाट के मामले

3263. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान और इस वर्ष दिल्ली में लूटपाट के कितने मामले हुए तथा इनमें कितने व्यक्ति मारे गये;

(ख) लूटपाट के कितने मामलों में अभी तक अपराधियों का पता नहीं चल सका है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) तत्सम्बन्धी वर्ष 1984, 1985 और 1986 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) लूटपाट के मामलों में वृद्धि होने और बहुत अधिक मामलों में अपराधियों का पता न लगाये जा सकने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लूटपाट के शिकार व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	सूचित किए गए लूटपाट के मामले	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1987	197	5
1988 (29.2.1988 तक)	26	2

(ख) 1987 में सूचित किए गए लूटपाट के 32 मामलों को "पता न लगा" मामलों के रूप में फाइल कर दिया गया क्योंकि उनमें कोई सुराग नहीं मिल सका था।

(ग) और (घ). 1984, 1985 और 1986 के दौरान सूचित किए गए लूटपाट के मामलों की संख्या नीचे दी गयी है।

वर्ष	सूचित किए गए मामले
1984	235
1985	255
1986	202

1987 में सूचित किए गए लूटपाट के मामलों में कमी आयी है। "पता न लगा" के रूप में फाइल किए गए मामलों की संख्या में भी कमी आयी है।

(ङ) शून्य।

यूरेनियम की तस्करी

3264. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादुगुड़ा खानों से चीन और पाकिस्तान को यूरेनियम की तस्करी की जा रही है;

(ख) इन अपराधों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा कितने मामलों की जांच की गई है; और

(ग) तस्करी की इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). विभिन्न अवसरों पर पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था तथा उनसे ऐसी सामग्री बरामद हुई थी जिसके बारे में सन्देह था कि उसमें यूरेनियम है। तथापि, बरामद की गई सामग्री के नमूनों के विश्लेषण किए गए जिनसे यह पता चला कि उस सामग्री में यूरेनियम बिल्कुल भी नहीं है ! जादुगुड़ा स्थित यूरेनियम की खान तथा मिल दोनों में ही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अन्तर्गत सुरक्षा की कठोर व्यवस्था मौजूद है।

पुणे में बम्बई उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करना

3265. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई उच्च न्यायालय की एक पीठ पुणे में स्थापित करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) मुम्बई उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ पुणे में स्थापित करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस विषय में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही कोई कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी धार्मिक मिशन

3266. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने विदेशी धार्मिक मिशन कार्यरत हैं;

(ख) इन मिशनों द्वारा अपने कार्यों के लिए भारत में वार्षिक रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया जाता है;

(ग) क्या सरकार उनके कार्यकलापों के बारे में रिपोर्टें तैयार कराती है अथवा प्राप्त करती है;

(घ) क्या ऐसी एजेन्सियों के कार्यकलापों के बारे में कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (ङ). विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत कारंवाई करने के लिए दान-दातावार सूचना नहीं रखी जाती है। ऐसी एजेन्सियों के सदस्यों के विरुद्ध जब भी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो विभिन्न अन्य कानूनी उपबन्धों के अन्तर्गत कारंवाई की जाती है।

गुजरात में 20-सूत्री कार्यक्रम

3267. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गुजरात अन्य राज्यों की तुलना में आगे है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मामले में विभिन्न राज्यों की 1 जनवरी, 1986, 1 जनवरी, 1987 और 1 जनवरी, 1988 को स्थिति क्या थी; और

(ग) गुजरात को बीस सूत्री कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार सुलभ कराये गये वित्तीय और अन्य संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, नहीं।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम की कुछ चुनी हुई मदों के कार्यान्वयन में 1.1.86, 1.1.87 और 1.1.88 की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा हासिल किया गया दर्जा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से और अलग से कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया जाता है। ये संगत योजना शीर्षों से लिए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में 20-सूत्री कार्यक्रम और परिवार नियोजन के लिए परिव्यय निम्नलिखित है :—

(करोड़ रु० में)

	1985-86	1986-87	1987-88
20-सूत्री कार्यक्रम (राज्य योजना)	586.12	639.17	584.86
परिवार नियोजन	21.83	21.93	21.90

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 1.1.86, 1.1.87 और 1.1.88 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों की स्थिति

राज्य	1.1.86 को यथास्थिति दर्जा	1.1.87 को यथास्थिति दर्जा	1.1.88 को यथास्थिति दर्जा
1	2	3	4
1. हिमाचल प्रदेश	1	2	8
2. पंजाब	2	4	5
3. हरियाणा	3	9	16
4. आन्ध्र प्रदेश	4	2	4
5. गुजरात	5	11	9
6. सिक्किम	6	1	2
7. राजस्थान	7	8	10
8. उत्तर प्रदेश	7	12	11
9. तमिलनाडू	7	5	3
10. मध्य प्रदेश	7	5	1
11. महाराष्ट्र	11	14	6
12. कर्नाटक	12	7	17
13. बिहार	13	16	7

1	2	3	4
14. त्रिपुरा	14	12	12
15. नागालैंड	14	21	24
16. उड़ीसा	16	17	12
17. केरल	17	10	17
18. प० बंगाल	18	20	15
19. असम	19	19	19
20. मणिपुर	20	14	23
21. जम्मू व कश्मीर	21	18	21
22. मेघालय	22	22	20
23. गोवा*	—	—	14
24. अरुणाचल प्रदेश*	—	—	22
25. मिजोरम*	—	—	25

* ये राज्य 1987 में बने ।

विदेशों को प्रतिभा पलायन का मूल्यांकन करने के बारे में सर्वेक्षण

3268. श्री शरद दिघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से विदेशों को प्रतिभा पलायन का मूल्यांकन करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) देश से सभी वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के प्रवासन का मूल्यांकन करने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है, किन्तु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई से 1973 से 1977 तक की पांच वर्षों की अवधि में बी टैक स्नातक परीक्षा पास करने वाले लोगों के सम्बन्ध में एक प्रायोगिक अध्ययन हाल ही में पूरा किया गया है । अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की कुल संख्या 1262 है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के कुल बी० टैक स्नातकों का केवल 20 प्रतिशत ही है ।

(ख) उक्त प्रायोगिक अध्ययन के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

विदेश जाने वाले प्रतिभाशील लोगों का कुल प्रतिशत 39.4 था । इनमें से 8.6 प्रतिशत वापिस लौट आये हैं और 30.8 प्रतिशत वहां रह गये हैं ।

विदेशों में रह रहे लोगों में से 82.6 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमरीका/कैनेडा में हैं, 7.8 प्रतिशत मध्य पूर्व में तथा केवल 9.6 प्रतिशत अन्य देशों में हैं।

विदेश जाने के निर्णय के पीछे सबसे बड़ा कारण है वहां पर उपलब्ध व्यापक और बेहतर सुविधाओं से लाभ उठाने की इच्छा।

विदेशों में बस जाने के तीन मुख्य कारण हैं :—

(i) व्यक्ति अपने व्यवसाय में अपने आप को अच्छी तरह से लगा सकता है;

(ii) विदेशों में होने वाली आय की तुलना में भारत में थोड़ा और अपर्याप्त वेतन; तथा

(iii) विदेशों में प्राप्त होने वाला बढ़िया शैक्षणिक अनुभव। "जीवन का आरामदेह स्तर" पश्चिमी समाज की सबसे प्रमुख विशेषता है, जिससे भारतीय वहां बस जाने के लिए प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर, "सांस्कृतिक विषमता" सर्वाधिक नकारात्मक तथ्य समझा जाता है, जिसके कारण वे वापिस लौट आते हैं।

भारत वापिस लौट आने वाले लोगों में से लगभग 69 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें वापिस आ जाने का कोई खेद नहीं है, जबकि 22.5 प्रतिशत लोगों में कुछ संकोच अवश्य था।

संगठनों को विदेशों से प्राप्त सहायता

[हिन्दी]

3269. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री तारिक अनवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से वर्ष-वार कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 से सम्बन्धित 1985 और 1986 के आंकड़ों का संगणकीकरण किया जा रहा है।

वर्ष 1987 के लिये विवरणियां अभी प्राप्त हो रही हैं।

अवकाश यात्रा रियायत सुविधा

3270. श्री राज कुमार राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता जो उनके साथ नहीं रहते हैं, के लिए अवकाश यात्रा रियायत प्रदान करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसे माता-पिता जो कि सरकारी कर्मचारी के साथ नहीं रहते वे छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन से पूरक नियमों में यथापरिभाषित परिवार के सदस्य नहीं माने जाते। किफायत की दृष्टि से यह सुविधा उन्हें दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए सोवियत संघ के साथ समझौता

[अनुवाद]

3271. श्री जी० एस० बसवराजू :

श्री वी० कृष्णराव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ का विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी एक शिष्टमण्डल जनवरी, 1988 में भारत आया था और उसने संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए क्षेत्रों का पता लगाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ). सहयोग करार के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के समेकित दीर्घावधि कार्यक्रम के तत्वावधान में अनेक सोवियत वैज्ञानिक भारत के दौरे पर आते रहे हैं।

अवैध हथियार

[हिन्दी]

3272. श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अवैध हथियारों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा अवैध रूप से हथियारों का निर्माण करने वाले एककों का पता लगाने और अवैध हथियार बरामद करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार को देश में अवैध हथियारों की अनुमानित संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है। अवैध हथियारों निर्माण में प्रयुक्त के सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ). शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 को लागू करना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का काम है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को चोरी-छिपे हथियार बनाने से सम्बन्धित गतिविधियों को रोकने के लिए छापे मारने, निर्माताओं की आकस्मिक जांच करने, उन स्थानों पर विशेष इकाईयां स्थापित करने जहां हथियार बनाने से सम्बन्धित अपराध अधिक हैं इत्यादि जैसे विभिन्न उपाय करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। इनके परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में, 1.1.1984 से 31 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान 4000 से अधिक छापे मारे गए और अवैध रूप से हथियार बनाने वाले 764 एककों का पता लगाया गया और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए।

महिलाओं के कल्याण के लिए कानून

[अनुवाद]

3273. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि महिलाओं के कल्याण के लिए पर्याप्त कानून विद्यमान नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

युवा वैज्ञानिकों द्वारा अभ्यावेदन

3274. **श्री प्रताप भानु शर्मा** :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री पी० एम० सईद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और अन्य विज्ञान संस्थानों के युवा वैज्ञानिकों से उनकी कठिनाइयों और मांगों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का युवा वैज्ञानिकों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) युवा वैज्ञानिकों की मुख्य मांगें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :

(1) अनुसंधान फेलोशिप में बढ़ोतरी

(2) अनुसंधान वैज्ञानिकों के संशोधित वेतनमानों को लागू करना

(3) सेवा शर्तों में सुधार

(4) एक संगठित अनुसंधान सेवा का गठन करना, तथा

(5) राष्ट्रीय नीति और योजना निर्माण में युवा वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व ।

(ग) युवा वैज्ञानिकों की मांगों की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था । समिति ने अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं और उन्हें सरकार को प्रस्तुत कर दिया हैं । इन सिफारिशों पर अब सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

महाराष्ट्र में जाति सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने के मानदण्ड

3275. **डा० दत्ता सामंत** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र में, विशेष रूप से बम्बई में, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जाति सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने में केन्द्रीय सरकार के मानदंडों में छूट देने के बारे में क्या सुझाव दिये हैं;और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति के पहले आदेशों के जारी होने अर्थात 1950 के वर्तमान निश्चित निर्देश जिसमें राज्य के बाहर के प्रवासियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया था, में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने की आवश्यकता है कि 37 वर्ष समाप्त होने पर भी यदि ऐसे व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से राज्य में रहते आ रहे थे तो उन्हें उस राज्य में अनुसूचित जाति होने के कारण उन्हें मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र समझा जाना चाहिए ।

(ख) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने मूल राज्य से स्थानांतरित हो गया है और जिसे राष्ट्रपति आदेश, 1950 के जारी होने के पश्चात उसका सामान्य निवास स्थान समझा जाता है तो वह अपने मूल राज्य के ही लाभ प्राप्त कर सकता है और उस राज्य के नहीं जहां वह स्थानांतरित हो गया है और इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार स्थानांतरण के लिए 1950 के निश्चित निर्देश में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता । तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार को उत्तर दे दिया गया था ।

वैज्ञानिक उपकरणों का डिजाइन तैयार करने के लिए अनुदान

3276. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक उपकरणों का डिजाइन तैयार करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोजनों के लिए दी गई धनराशि और इस विभाग द्वारा पेटेंट किए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इस बीच किन्हीं ऐसे उपकरणों का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां, वैज्ञानिक यंत्रों का डिजाइन तैयार करने के लिए अनुसंधान और विकास संस्थानों को सहायता अनुदान दी जा रही है।

(ख) विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	दिया गया सहायता अनुदान
1985-86	17.44 लाख
1986-87	53.60 लाख
1987-88	52.25 लाख

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न संस्थानों द्वारा अभिकल्पित वैज्ञानिक यंत्रों के लिए कोई पेटेंट जारी नहीं करता है। कार्यक्रमों में भाग लेने वाले उद्योग अनुवर्ती उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :—

यंत्र का नाम	निर्माता का नाम
1	2
1. 3" रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप	मैसर्स पंजाब इलैक्ट्रो-आप्टो सिस्टम लिमिटेड, मोहली चण्डीगढ़
2. ग्रेन म्वायस्चर ऐनालाइजर	राजस्थान इलैक्ट्रानिक इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर
3. प्रोफाइल प्रोजेक्टर	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता
4. पायरेनोमीटर	—वही—
5. सन साइन रिकार्डर	—वही—

1	2
6. गेडिंग रिंग	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता
7. माइक्रोफेशे रीडर	—वही—
8. माइक्रोफिल्म रीडर	—वही—
9. मीरर स्टीरियोस्कोप	—वही—
10. पाकेट स्टीरियोस्कोप	—वही—
11. आप्टीकल पेंटोग्राफ	—वही—
12. आडियो विजुअल सिस्टम	सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि०, साहिबाबाद।
13. हेलोजन लैम्प्स	—वही—
14. आई०आर० रेप्लिका ग्रेटिंग्स	—वही—
15. फोटोन काउंटर	—वही—
16. सी० ओ० 2 गैस लेसर (100 डब्ल्यू० सी० डब्ल्यू)	—वही—
17. हाई इन्टेंसिटी मोनोक्रोमेटर	—वही—

अनधिकृत 'गेस्ट हाउस'

[हिन्दी]

3277. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में अनधिकृत 'गेस्ट हाउसों' का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन गेस्ट हाउसों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इन गेस्ट हाउसों को अस्थायी लाइसेंस देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 253

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) स्वास्थ्य संबंधी, अग्नि सुरक्षा तथा यातायात के दृष्टिकोण से स्थान की उपयुक्तता की जांच करके लाईसेंस प्रदान किए जाते हैं। ये गेस्ट हाउस इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते।

सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में भ्रष्टाचार और कदाचार

[अनुवाद]

3278. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग का सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार तथा कदाचार रोकने के लिए अपने व्यवस्था तंत्र को सुदृढ़ बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और कदाचार संबंधी कितने मामलों का पता लगा; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग में एक सतर्कता प्रशिक्षण एकक स्थापित किए जाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयोग को सलाह के लिए रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

1985	—	1903
1986	—	2193
1987	—	2407

(घ) आयोग ने 1985 में 345 मामलों पर, 1986 में 349 मामलों पर तथा 1987 में 261 मामलों पर शास्ति लगाने की सिफारिश की थी।

दुल्हनों के जल जाने के मामले

3279. **श्री वक्कम पुरुषोतमन** :

श्री राम भगत पासवान :

डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी :

श्रीमती ऊषा चौधरी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, देश में दुल्हनों के जल जाने के मामलों की संख्या का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से उपाय किए हैं;

(ङ) क्या प्रत्येक राज्य में दहेज निरोधक अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय किया गया है जो सलाहकार बोर्ड की सहायता से अपना कार्य करेंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) देश में दुल्हनों को जलाने की घटनाओं के आंकड़े केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं। वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान सूचित किए गए दहेज के कारण हुई मौतों ने मामलों की संख्या का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-I और II में संलग्न है।

(ख) दहेज के कारण जलकर आत्महत्या के मामलों और दहेज के लिए जलाकर की गयी हत्या के मामलों की संख्या विवरण-III और IV में संलग्न है।

(ग) 1985 के आंकड़ों की तुलना में 1986 के आंकड़ों में बढ़ोतरी है। 1987 के आंकड़े अपूर्ण हैं और तुलना नहीं की जा सकती है।

(घ) आपराधिक कानूनों का कार्यान्वियन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अपराधों को रोकने के लिए उन्हें कदम उठाने हैं।

(ङ) और (च). इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए संशोधित दहेज निषेध अधिनियम में व्यवस्था की गई है।

विवरण I

वर्ष 1985 और 1986 के दौरान सूचित किए गए दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दहेज के कारण मृत्यु 1985	1986
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	79
2.	असम	1	9
3.	बिहार	16	62
4.	गुजरात	10	9
5.	हरियाणा	99	47
6.	हिमाचल प्रदेश	3	3

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	35	54
9.	केरल	5	4
10.	मध्य प्रदेश	153	200
11.	महाराष्ट्र	136	107
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य
13.	मेघालय	शून्य	शून्य
14.	नागालैंड	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	शून्य	शून्य
16.	पंजाब	32	40
17.	राजस्थान	29	34
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	12	38
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	323	461
22.	पश्चिम बंगाल	88	58
	जोड़ (राज्य)	955	1,255
	संघ शासित क्षेत्र		
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
25.	चण्डीगढ़	2	शून्य
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
27.	दिल्ली	33	64
28.	गोवा, दमन और दीव	शून्य	शून्य
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य

1	2	3	4
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य
	जोड़ (सं०शा०क्षे०)	35	64
	कुल जोड़	990	1,319

विवरण II

वर्ष 1987 के दौरान सूचित किए गए दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दहेज के कारण मृत्यु	टिप्पणी
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	166	जुलाई, 1987 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	
3.	असम	3	अक्तूबर, 1987 तक
4.	बिहार	408***	
5.	गोवा	शून्य	
6.	गुजरात	23	
7.	हरियाणा	7	फरवरी, 1987 तक
8.	हिमाचल प्रदेश	4	
9.	जम्मू और कश्मीर	10	नवम्बर, 1987 तक
10.	कर्नाटक	83	
11.	केरल	2	
12.	मध्य प्रदेश‡	85	मई, 1987 तक
13.	महाराष्ट्र	250	
14.	मणिपुर	शून्य	

1	2	3	4
15.	मेघालय	शून्य	नवम्बर, 1987 तक
16.	मिजोरम	उ० न०	
17.	नागालैण्ड	शून्य	
18.	उड़ीसा	2	
19.	पंजाब	68	नवम्बर, 1987 तक
20.	राजस्थान	113	
21.	सिक्किम	शून्य	
22.	तमिलनाडु	49	
23.	त्रिपुरा	3	
24.	उत्तर प्रदेश	553	
25.	पश्चिम बंगाल	76	सितम्बर, 1987 तक
	संघ शासित क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	
27.	चण्डीगढ़	शून्य	
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	
29.	दिल्ली	78	नवम्बर, 1987 तक
30.	दमन और दीव	उ० न०	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	अगस्त, 1987 तक
32.	पांडिचेरी	शून्य	

नोट : 1. आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें अस्थायी माना जाए ।

2. उ० न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं ।

3. *बिहार राज्य में महिलाओं और लड़कियों के अपहरण के आंकड़ों में अप्रैल, 1987 से जून 1987 तक के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

4. **बिहार में अभद्र व्यवहार और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आंकड़े संयुक्त हैं और इसमें अप्रैल, 1987 से जून, 1987 तक के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

5. ***बिहार के सम्बन्ध में दहेज के कारण मृत्यु के आंकड़े जनवरी, 1987 से मार्च, 1987 तक के हैं ।

6. ‡मध्य प्रदेश राज्य के आंकड़ों में 6 जिलों के आंकड़े नहीं हैं ।

विवरण III

वर्ष 1985 और 1986 के दौरान दुल्हनों को जलाने की घटनाओं के आंकड़े

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1985 दहेज के कारण जलकर आत्म-हत्या करने के मामले	1985 दहेज के कारण जलाकर आत्म-हत्या करने के मामले	1986 दहेज के कारण जलकर आत्म-हत्या करने के मामले	1986 दहेज के कारण जलाकर आत्म-हत्या करने के मामले
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	8	3	28	18
2.	असम	शून्य	शून्य	1	शून्य
3.	बिहार*	9	उ०न०	शून्य	38
4.	गुजरात	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
5.	हरियाणा	58	2	24	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	2	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	13	1	15	5
9.	केरल	शून्य	1	शून्य	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	65	20	100	20
11.	महाराष्ट्र	114	2	43	14
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	पंजाब	15	शून्य	7	8
17.	राजस्थान	6	5	19	17
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	2	शून्य	6	6

1	2	3	4	5	6
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
22.	पश्चिम बंगाल	13	3	18	4
	कुल (राज्य)	305	37	261	130
	संघ शासित क्षेत्र				
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	चण्डीगढ़	उ०न०	उ०न०	शून्य	शून्य
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	दिल्ली	20**	8**	47	13
28.	गोवा, दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (सं०शा०क्षे०)	20	8	47	13
	कुल जोड़	325	45	308	143

नोट : 1. *बिहार राज्य के सम्बन्ध में आंकड़ों में अगस्त और सितम्बर, 1985 के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

2. उ०न० का अर्थ उपलब्ध नहीं।

3. आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और अस्थायी हैं।

4. **दोनों शीर्षों के संशोधित आंकड़े 38 हैं इसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण IV

वर्ष 1987 के दौरान दुल्हनों को जलाने के आंकड़े

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दहेज के कारण जलकर आत्म-हत्या करने के मामलों की संख्या	दहेज के कारण जलाकर आत्म-हत्या करने के मामलों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	102	1	जुलाई, 1987 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	
3.	असम	1	शून्य	
4.	बिहार	शून्य	40 £	जून, 1987 तक
5.	गोवा	शून्य	शून्य	
6.	गुजरात	23	उ०न०	
7.	हरियाणा	2	3	फरवरी, 1987 तक
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	
9.	जम्मू और कश्मीर	5	5	नवम्बर, 1987 तक
10.	कर्नाटक	17	9	
11.	केरल	उ०न०	शून्य	
12.	मध्य प्रदेश*	42	5	मई, 1987 तक
13.	महाराष्ट्र	69	15	
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	नवम्बर, 1987 तक
16.	मिजोरम	उ०न०	उ०न०	
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	
18.	उड़ीसा	1	शून्य	
19.	पंजाब	7	3	नवम्बर, 1987 तक

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	21	18	
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	
22.	तमिलनाडु	16	5	
23.	त्रिपुरा	1	शून्य	
24.	उत्तर प्रदेश	171	187	
25.	पश्चिम बंगाल	17	4	सितम्बर, 1987 तक
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	
27.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	
29.	दिल्ली	8	50**	नवम्बर, 1987 तक
30.	दमन और दीव	उ०न०	उ०न०	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
32.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	

नोट : 1. £ बिहार के सम्बन्ध में जनवरी, 1987 से मार्च, 1987 तक।

2. *मध्य प्रदेश के 6 जिलों के आकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

3. **संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में भा० दं० सं० की धारा 304 (ख) के अन्तर्गत दहेज के कारण हुई मौतों के 42 मामले सम्मिलित हैं।

4. आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें अस्थायी माना जाए।

5. उ०न० का अर्थ उपलब्ध नहीं।

महाराष्ट्र में प्रतिरूपण की घटनाओं में वृद्धि

3280. श्री आर० एम० भोये : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए दी जा रही सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के रूप में प्रतिरूपण की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में कोई सिफारिशें की गई हैं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा दूध की खरीद

3281. श्री महेन्द्र सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रतिष्ठानों को सरकारी डेरी फार्मों से अथवा सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटियों से ही जहां ऐसे फार्म अथवा सोसाइटियां उपलब्ध हैं, दूध खरीदने के सरकार के कोई अनुदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो रक्षा प्रतिष्ठानों के ऐसे स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर इन अनुदेशों के बावजूद दूध गैर-सरकारी दुग्ध वितरकों से खरीदा जाता है और सरकार के अनुदेशों का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन स्थानों पर रक्षा प्रतिष्ठान दूध सरकारी डेरी फार्मों अथवा सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटियों से खरीदते हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). रक्षा प्रतिष्ठानों को, उन स्थानों में जहां सरकारी डेरी फार्म और सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसायटियां स्थित हैं, दूध इन्हीं से खरीदना होता है बशर्ते वे इन रक्षा प्रतिष्ठानों को दूध सप्लाई करने के लिए तैयार हों।

2. इस नीति के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ, जो कि एक समन्वय एजेंसी हैं, अक्तूबर, 1987 में उन स्थानों की सूची देने पर सहमत हो गया जहां कि दूध सप्लाई की सहकारी दुग्ध योजनाएं रक्षा सेनाओं को दूध देने के लिए तैयार हैं। उन स्थानों की सूची को भी भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ को भेजने पर सहमति हो गई थी जहां थलसेना को दूध की आवश्यकता थी।

3. हालांकि अपेक्षित सूचना भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ को भेज दी गई है, परन्तु उन स्थानों की पूरी सूचना, भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ से प्राप्त की जानी है। जहां सहकारी क्षेत्र/सकरारी दुग्ध योजना सशस्त्र सेनाओं को दूध की सप्लाई करने की इच्छुक हैं।

4. संलग्न विवरण I में दी गई सूची में उन स्थानों की दर्शाया गया है जहां निजी सप्लायरों से दूध खरीदा जा रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से अधिकतर स्थानों में सहकारी/सरकारी डेरियों द्वारा दूध की सप्लाई के लिए कोई पेशकश नहीं की गई है।

5. संलग्न विवरण II में उन स्थानों की सूची है जहां सरकारी डेयरी फार्म/सहकारी सोसाइटियों से दूध खरीदा जा रहा है।

6. सहकारी/सरकारी डेरियां रक्षा सेनाओं को हमेशा दूध की सप्लाई क्यों नहीं करती इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं :—

(i) इनको दूध की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, या आवश्यकता बदलती रहती है।

(ii) संबंधित योजना द्वारा सप्लाई के सामान्य निर्धारित क्षेत्र से सप्लाई करने के लिए स्थान की दूरी।

(iii) रक्षा सेनाओं द्वारा जिस समय दूध मांगा जाता है वह दुग्ध योजना के अनुकूल नहीं होता।

विवरण I

उन स्थानों की सूची जहां दूध ए एस सी के ठेकेदारों/निजी सप्लायरों से खरीदा जा रहा है

क्रम सं०	स्थान	क्रम सं०	स्थान
1	2	1	2
1.	रावतभाटा	17.	बीदर
2.	वेल्लाची	18.	सूर्यलंका
3.	अम्बरनाथ	19.	शंकरपल्ली
4.	माउंट आबू	20.	तेजू
5.	नालिया	21.	डूमडूमा
6.	करंजा	22.	लेखावली
7.	तारापुर	23.	मीसा
8.	शिवनगर	24.	आद्रा
9.	मुध	25.	डायमंड हार्बर
10.	वाडसर	26.	कलाइकुन्डा
11.	ओखा	27.	कटिहार
12.	पोरबंदर	28.	पूरणिया
13.	आम्ला	29.	कूच बिहार
14.	गांधीधाम	30.	डिगारू
15.	खावडा	31.	पनेरी
16.	पूरनधर फोर्ट	32.	मोगा

1	2	1	2
33.	अम्बाला	58.	सहारनपुर
34.	चण्डीगढ़ ग्रुप	59.	सरसावा
35.	शाहजहांपुर	60.	सोराना
36.	चकराता	61.	नैनीताल
37.	नौगांव	62.	कैयरकुली
38.	गोपालपुर ऑन सी	63.	कटनी
39.	रीवारेंज	64.	मुरादनगर
40.	पचमढ़ी	65.	बांदीपुर
41.	सिगारही	66.	जिन्द्रह
42.	बिहटा	67.	जम्मू
43.	दरभंगा	68.	साम्बा
44.	जमालपुर	69.	बंगलौर
45.	बालासौर	70.	जयपुर
46.	भुवनेश्वर	71.	नसीराबाद
47.	अल्मोड़ा	72.	सिकन्दराबाद
48.	काठगोदाम	73.	पिम्परी
49.	अकोला	74.	कोलाबा
50.	नेपोरा	75.	बीकानेर
51.	बख्शी-का-तालाब	76.	फतेहगढ़
52.	हेमपुर	77.	गया
53.	घाकुली	78.	दानापुर
54.	कमोला	79.	बेलगांव
55.	बाबूगढ़	80.	बेंगडुबी
56.	कालसी	81.	फिरोजपुर
57.	लंडूर (मसूरी)	82.	आगरा

1	2	1	2
83.	इलाहाबाद	94.	बड़ौदा
84.	बरेली	95.	जोधपुर
85.	देहरादून	96.	काम्पटी
86.	जबलपुर	97.	विशाखापत्तनम
87.	कानपुर	98.	कलकत्ता
88.	लखनऊ	99.	शिलांग
89.	महू	100.	भोपाल
90.	श्रीनगर	101.	ग्वालियर
91.	गोहाटी	102.	सागर
92.	अहमदाबाद	103.	पठानकोट
93.	तेजपुर	104.	अलवर

विवरण II

उन स्थानों के नामों को दर्शाने वाला विवरण जहां सरकारी डेयरी फार्मों/सहकारी सोसाइटियों से दूध खरीदा जाता है

क्रम सं०	स्थानों के नाम	क्रम सं०	स्थानों के नाम
1	2	1	2
1.	जामनगर	8.	जैसलमेर
2.	कोयम्बटूर	9.	पोकरण
3.	मदुकारारी	10.	अजमेर
4.	सुलूर	11.	भरतपुर
5.	कन्नानोर	12.	शेलपुर
6.	त्रिवेन्द्रम	13.	उदयपुर
7.	जलाई	14.	भुज

1	2	1	2
15.	धारंगधारा	40.	गुड़गांव
16.	भंडारा	41.	हिन्डन
17.	भुसावल	42.	मानेश्वर (एन०एस०जी०)
18.	भा०नो०पो० शिवाजी, लोनावाला	43.	पचमढी
19.	औरंगाबाद	44.	वाराणसी
20.	ट्राम्बे	45.	हल्द्वानी
21.	नागपुर/अम्बाझरी	46.	अल्मोड़ा
22.	पुलगांव	47.	बनबासा
23.	बुरडांग	48.	इटारसी
24.	रांगली	49.	कटनी
25.	अम्बाला (नाहन)	50.	मद्रास
26.	भटिंडा	51.	वेलिंगटन
27.	गंगानगर	52.	गंगटोक
28.	हिसार	53.	नामकोमे
29.	लुधियाना	54.	सिकन्दराबाद
30.	सूरतगढ़	55.	जोधपुर
31.	शिमला	56.	कोटा
32.	तिबरी (गुरदासपुर)	57.	जयपुर
33.	संगरूर	58.	देहरादून
34.	पट्टी	59.	अमृतसर
35.	बाज्जू	60.	जालन्धर
36.	बरनाला	61.	अहमदनगर
37.	बसियाना	62.	देवलाली
38.	सिरसा	63.	मारगोटा
39.	नाल	64.	किरकी

भण्डार कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघ के साथ बातचीत

3282. श्री अजय मुशरान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना आयुध कोर के भण्डार कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघ ने सरकार को अपनी मांगों के समर्थन में 19 मार्च, 1988 को एक रैली आयोजित करने का नोटिस भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह नोटिस, सेना आयुध कोर के स्टोरकीपिंग स्टाफ के अखिल भारतीय संघ द्वारा निम्नलिखित मांगों के संबंध में लिया गया था जिन्हें विचार के लिए संबंधित रक्षा संगठनों/सेना मुख्यालयों में दिया गया है :—

(1) स्टोर कीपिंग स्टाफ के चार ग्रेडों के बीच के अनुपात में वायुसेना, नौसेना, अनुसंधान तथा विकास और रेलवे की गति संशोधित करना ।

(2) 1983 के सी ए संदर्भ संख्या 9 और 10 के अंतर्गत स्टोर कीपिंग स्टाफ के लिए 12.8.1985 को "बोर्ड वाफ आर्बीट्रेशन" द्वारा दिए गए निर्णय को कार्यान्वित करना ।

(3) 9.5.83 को रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए एकमुश्त समझौते (पैकेज डील) को कार्यान्वित करना और भर्ती नियमों को बदलना ।

(4) तृतीय और चतुर्थ केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से वेतनमानों में होने वाली विसंगतियों को दूर करना ।

(5) मूलभूत नियम 9 (25) के अंतर्गत सेना आयुध कोर के स्टोर कीपिंग स्टाफ के लिए विशेष वेतन देना ।

(6) अन्य सिविलियन स्टाफ के लिए प्राधिकृत पदों की तरह "फील्ड आर्डनेंस डिपो" और "फील्ड एम्यूनेशन डिपो" में सिविलियन आयुध अफसर (स्टोर) के पद को बनाना और प्राधिकृत करना ।

(7) सशस्त्र सेना मुख्यालय के काडर के समान थलसेना कोर में वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अफसर (आयुध) (स्टोर) का पद बनाना ।

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में लम्बित मामले और न्यायाधीशों की नियुक्ति

[हिन्दी]

3283. श्री हरीश रावत : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में और उसकी लखनऊ पीठ में 31 दिसम्बर, 87 को कुल कितने मामले लंबित थे;

(ख) क्या सरकार का उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कब तक वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग). इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 55 स्थायी न्यायाधीशों और 5 अपर न्यायाधीशों के स्वीकृत पद हैं । उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों के 2 और पद मंजूर करने का विनिश्चय किया गया है । यह बताना संभव नहीं है कि ये नियुक्तियां कब तक कर दी जांएगी ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी

[अनुवाद]

3284. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में क्रमश: कुल कितने अधिकारी हैं; और प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

संवर्ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा (1.1.1988 की स्थिति के अनुसार)			भारतीय पुलिस सेवा (1.12.1987 की स्थिति के अनुसार)		
	कुल	अनु० जाति	अनु० जन जाति	कुल	अनु० जाति	अनु० जन जाति
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	320	38	11	179	18	8
असम-मेघालय	191	8	35	106*	6*	16*
बिहार	363	30	20	182	19	8*
गुजरात	214	25	10	108	11	6
हरियाणा	186	33	2	83	15	—
हिमाचल प्रदेश	118	9	13	50	7	3
जम्मू एवं कश्मीर	94	8	4	40*	3*	1*

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	240	37	6	107	10	5
केरल	161	23	3	87	7	3
मध्य प्रदेश	381	38	19	241	30	12
महाराष्ट्र	334	39	10	162*	18*	3*
मणिपुर-त्रिपुरा	122	5	25	70	2	7
नागालैण्ड	42	—	21	—	—	—
उड़ीसा	204	16	7	106	4	3
पंजाब	185	27	1	102	22	—
राजस्थान	234	2[illegible]	15	115	8	7
सिक्किम	45	4	16	15	7	—
तमिलनाडू	302	47	8	126	24	5
संघ राज्य क्षेत्र	189	19	21	106	12	2
उत्तर प्रदेश	490	73	9	321*	52*	5*
पश्चिमी बंगाल	287	30	13	204	19	11
कुल	4702	533	269	2510	294	105

* 1.1.1987 की स्थिति के अनुसार।

वातावरण में ओजोन (गैस) की परत के संरक्षण के लिए अध्ययन

3285. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वातावरण में ओजोन (गैस) की परत के विनाश के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परत के और विनाश को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) विदेशों में किए गए अनुसंधान अध्ययनों से पता चला है कि प्रशीतन में तथा वायु-विलय नोदकों के रूप में प्रयुक्त क्लोरोफ्ल्यूरोकार्बन (सी०एफ०सी०) जैसे रसायनों से ओजोन परत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु, भारतीय क्षेत्र में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है।

(ग) ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में अनेक देशों ने वियना प्रस्ताव नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित किया। सितम्बर, 1987 में मान्ट्रियल (कनेडा) में एक अन्तर्राष्ट्रीय संलेख पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य सी०एफ०सी० के उत्पादन और खपत को सीमित करना था। भारत ने एक प्रेक्षक के रूप में बैठक में भाग लिया। भारत ने न तो वियना प्रस्ताव पर और न ही मॉन्ट्रियल संलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी मामले

3286. श्री मुकुल वासनिक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन-सम्बन्धी अनेक मामले अभी भी सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ख) सरकार का शीघ्र निर्णय लेने के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख). स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 और स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन 31.1.1988 तक प्राप्त हुए 4,46,062 आवेदनों में से 1231 मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना है, 442 मामले ऐसे हैं जिन्हें कुछ विशेषताओं के कारण पिछले वित्त वर्ष के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में निपटाया नहीं जा सका, 784 मामलों की संवीक्षा आर्य समाज आन्दोलन के मामलों के बारे में गैर-सरकारी समिति द्वारा की जानी है और 5 मामले सिन्ध से सम्बन्धित मामलों की समिति से सम्बन्धित हैं।

सम्बन्धित राज्य सरकारों से सक्रिय रूप से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपनी रिपोर्टें/सिफारिशों को शीघ्र भेजें ताकि मंत्रालय विशेष लक्षणों वाले मामलों को निपटा सके। शेष मामलों को सम्बन्धित गैर सरकारी समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर संवीक्षा करने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा। रद्द किये गये मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए आवेदनों की समीक्षा की जाती है तब भी वे प्राप्त होते हैं।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के लिए प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति

3287. श्री के० राममूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवीणता प्राप्त नये युवाओं को कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के अध्यापन का व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) देश में "डेटा प्रोसेसिंग" के कार्य में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कम्प्यूटर

प्रौद्योगिकी को शिक्षण-व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए कम्प्यूटर व्यवसायविदों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। मुख्य-मुख्य योजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं :

(1) कम्प्यूटर विज्ञान में पी०एच०डी० के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा अध्येतावृत्ति (फेलोशिप)

कम्प्यूटर विज्ञान में पी०एच०डी० करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग प्रतिमाह 1500/-रु० की आकर्षक अध्येतावृत्ति तथा आकस्मिक व्यय के लिए प्रतिवर्ष 5000/-रु० की धनराशि प्रदान करता है। अध्यापन कार्य में लगे व्यवसायविदों को तरजीह दी जाती है। शोधकर्ता के लिए उस संस्थान में अध्यापन का कार्य करना जरूरी है जहाँ वह शोध-कार्य कर रहा होता है। इससे संस्थान को अध्यापन के कार्य में मदद देने के अलावा शोधकर्ता के मन में अध्यापन के क्षेत्र में दिलचस्पी पैदा होने की सम्भावना होगी और अपना शोध-कार्य पूरा कर लेने के बाद वह अध्यापन को अपनी जीविका के रूप में अपना सकेगा।

(2) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा (डी०ए०सी०) के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम को वर्ष 1984 से अमल में लाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य विषयों के शिक्षकों को कम्प्यूटर विषय पर कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा के स्तर पर गहन प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्रशिक्षण चार उप-खण्डों में चलाए जाते हैं जिनकी अवधि छः—छः हफ्तों की होती है।

(3) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात् (एम०सी०ए०) के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात् के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम भी डी०सी०ए० शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार ही है। इस समय तीन संस्थान इस कार्यक्रम को चला रहे हैं।

(4) प्रतिस्थानान्तरण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और वर्ष 1988-89 से इसे अमल में लाए जाने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गणित, सांख्यिकी तथा भौतिकी जैसे अन्य विषयों में पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त शिक्षकों को 18 महीने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और कम्प्यूटर में एम० टेक की उपाधि दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 1500/- रु० की अध्येता-वृत्ति तथा आकस्मिक व्यय के लिए प्रतिवर्ष 5000/- रु० की धनराशि प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में इस कार्यक्रम को दस संस्थानों में क्रियान्वित किया जाएगा।

(ख) आंकड़ा संसाधन में भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए देश में विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर उत्पाद उपलब्ध हैं। इन उत्पादों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत विकसित भारतीय लिपि टर्मिनल शामिल हैं। इन टर्मिनलों को अनेक कम्प्यूटर प्रणालियों के साथ जोड़ा जा सकता है और इन प्रणालियों के साथ मानक साफ्टवेयर के कुछ पैकेज जोड़कर उन्हें आंकड़ा संसाधन के काम में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिए अनेक कम्पनियों ने साफ्टवेयर उत्पादों का विकास किया है।

राज्यों में जिला प्रशासन के लिए नये माडल का प्रारंभ

3288. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्यों में जिला प्रशासन के लिए एक नया मॉडल आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ). जिला प्रशासन का विषय राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है। तथापि, जिला प्रशासन विकास से संबंधित और गरीबी को कम करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों, जिनमें भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित कार्यक्रम भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन के लिए एक ऐसी इकाई के रूप में कार्य करता है जहां उसके साथ जनता का अधिक वास्ता पड़ता है। आजकल भारत सरकार जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति प्रशासन के इस स्तर को और अधिक कुशल और संवेदनशील बनाने के लिए युक्तियों का पता लगा रही है। तदनुसार विभिन्न मंचों पर उक्त विषय पर विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया है और संवेदनशील प्रशासन के विषय पर कलैक्टरों की कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। आशा है कि जिला प्रशासन में सुधारों के लिए विचार-विमर्शों तथा कार्यशालाओं से मुख्य-मुख्य विचार और मार्गदर्शी सिद्धान्त उभरेंगे। अतः मुख्य सचिवों अथवा मुख्य मंत्रियों का जब कोई सम्मेलन हो, इन कार्यशालाओं में उभरे निष्कर्षों को उनके समक्ष विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाए।

चल-मत पेटियों (मोबाइल बेलट बॉक्सस) की शुरूआत

3289. श्री कृष्ण सिंह : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर ग्रामिण क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया को ताकत के प्रभाव से मुक्त करने के लिए कौन से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां चुनावों में अधिकतर ताकत आदि का प्रयोग किया जाता है वहां चल-मत पेटियों (मोबाइल बेलट बॉक्सस) की शुरूआत करने के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) उदाहरणार्थ यह है कि माननीय सदस्य, मत डालने के लिए मतदान केन्द्र को जाने से मतदाता को रोकने के लिए उसे अभित्रस्त किए जाने के उदाहरणों के प्रति निर्देश कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने इस विषय से निपटने के लिए निर्वाचन सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों के भागस्वरूप विनिर्दिष्ट प्रस्ताव तैयार किए हैं। ऐसे विनिर्दिष्ट प्रस्तावों वाला एक विवरण संलग्न है। अभी तक इन प्रस्तावों के बारे में कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) निर्वाचन आयोग ने कुछ पूर्ववर्ती निर्वाचनों में परीक्षण के तौर पर चल-निर्वाचन केन्द्रों की स्कीम का प्रयोग किया था। इसका परिणाम इस दृष्टि से अनुकूल पाया गया कि ऐसे मतदान में सामान्य मतदान की प्रतिशतता की तुलना में मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक था।

निर्वाचन आयोग ने यह रिपोर्ट दी है कि अभित्रास और प्रपीड़न की समस्यायें अधिकतर बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाई गई हैं। इन राज्यों में निर्वाचन आयोग ने उन विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का और पता लगा लिया है जहाँ कि व्यापक रूप से अभित्रास की सामान्यतया आशंका होती थी। सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने यह सलाह दी है कि ऐसे क्षेत्रों में, जहाँ यदि किसी कारण से चल-मतदान केन्द्रों का स्थापित करना सम्भव नहीं होता है तो मतदाताओं को बिना भय और अभित्रास के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सहायता करने के लिए इन क्षेत्रों के केन्द्र में ही अतिरिक्त मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यहां यह भी उल्लिखित किया जा सकता है कि मतदाताओं की सरल पहुंच के भीतर मतदान केन्द्र स्थापित करने के इस प्रश्न की—विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी भी आवश्यक हो, सम्बन्धित मुख्यनिर्वाचन अधिकारी को समुचित अनुदेश भी दिए जाते हैं।

विवरण

मतदान बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करना

आयोग ने इस कुप्रथा को आरम्भ में ही समाप्त करने के लिए प्रभावी अभ्युपाय करने का निश्चय किया है। तदनुसार आयोग ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में, कुछ-कुछ निम्न-लिखित रूप में एक नई धारा संख्या 135क अन्त:स्थापित करने की सिफारिश की है :—

135क. मतदान बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करना :—

(1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करने का दोषी होगा, यदि वह—

(क) अपने आपको घातक आयुधों से सन्नद्ध करता है, मतदान बूथ या केन्द्र पर कब्जा करता है, मतदान दल को मतपत्र अभ्यर्पित करने के लिए बाध्य करता है, मतपत्रों को अपनी पसन्द के उम्मीदवार के पक्ष में मत-चिह्न से चिह्नित करता है और मतदान पेटियों को ऐसे मत-पत्रों से भरता है;

(ख) मतदान बूथ या केन्द्र पर कब्जा करता है तथा केवल अपने ही जानकार समर्थकों को मताधिकार का प्रयोग करने देता है तथा अन्य मतदाताओं को भगा देता है;

(ग) मतदान अधिकारियों का खाद्य, पेय पदार्थों आदि से मनोरंजन करता है और उन्हें इस प्रकार से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है जिससे कि उसके अपने हित की पूर्ति हो जाए; या

(घ) किसी मतदाता को धमकी देता है और ऐसे मतदाता को अपना मत डालने के लिए मतदान बूथ/केन्द्र को जाने से निवारित करता है।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों से दोषी कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से, जो अधिक से अधिक 2 वर्ष तक की और कम से कम 6 मास की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 2000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा 2 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा और उसका प्रयास और दुष्प्रेरण भी अपराध होगा।

एक नई धारा 10ख का भी कुछ-कुछ निम्नलिखित रूप में, प्रस्ताव किया गया है :—

10ख. मतदान बूथ पर कब्जा करने का अपराध करने के लिए निर्हिता—यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 135क में उल्लिखित मतदान बूथ पर बलपूर्वक कब्जा करने के निर्वाचन सम्बन्धी अपराध का, जिसके अन्तर्गत इनका प्रयास और दुष्प्रेरण भी आता है, दोषी है तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा उसे उस आदेश की तारीख से लेकर 6 वर्ष की अवधि तक के लिए निरहित घोषित कर देगा।

यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि जांच के पश्चात आयोग का यह समाधान हो जाता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में किसी स्थान पर बूथ पर बलपूर्वक कब्जा किया गया है तो इसे उस सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द करने और पुन: मतदान का आदेश देने की शक्ति होगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में सुधार

3291. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रशासनिक सेवा में सुधार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्यकरण के सभी पक्षों की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक होता है नीति तथा नियमों में परिवर्तन किए जाते हैं। जहाँ तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है सरकार ने सेवा के सदस्यों के लिए एक सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा लम्बी अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार द्वारा लिए गए एक अन्य निर्णय का सम्बन्ध सीधी भर्ती वालों का ऐसे ढंग से संवर्ग आबंटन किए जाने के साथ है जिससे कि राज्यों के बीच उच्च रैंक वालों तथा निम्न रैंक वालों का एक समान वितरण सुनिश्चित हो सके तथा अन्त: प्रादेशिक स्तर पर अधिकारियों की अपेक्षतया अधिक गतिशीलता बनी रहे। भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीनों की अन्तिम परीक्षा) विनियमावली में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय को कार्यान्वित किया जा सके। सेवा के सदस्यों की गोपनीय रिपोर्ट के प्रपत्र को वस्तुनिष्ठ बनाने तथा मानव संसाधन विकास का एक उपकरण बनाने के लिए संशोधित किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नत अधिकारियों के लिए परिष्ठता नियमावली को भी संशोधित कर दिया गया है, जिससे कि उनके द्वारा राज्य सरकारों के अधीन की गई सेवा की अवधि को समुचित महत्व दिया जा सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर कर्मचारियों की संख्या

[हिन्दी]

3292. श्री भरत सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए कभावाला पश्चिम बिहार, डाबरी मोड़ और बसन्तकुन्ज में पुलिस स्टेशन खोले गए हैं;

(ख) क्या इन पुलिस स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन पुलिस स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को कब तक नियुक्त किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार इन स्टेशनों के लिए जीपों और मोटर साइकल, वायरलैस की व्यवस्था भी करेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) दिसम्बर, 1989

(घ) इन पुलिस स्टेशनों के लिए वायरलैस सेटों से सज्जित जीपें और मोटर साइकिलों की व्यवस्था की जा चुकी है।

योजना आयोग द्वारा नई औद्योगिक नीति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करना

[अनुवाद]

3293. श्री भट्टम श्रीरामभूर्ति : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सितम्बर, 1986 में नई औद्योगिक नीति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किया है;

(ख) इस दस्तावेज की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दस्तावेज में शामिल कुछ मुख्य प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है; और

(घ) क्या वित्त वाणिज्य उद्योग आदि विभिन्न मंत्रालयों से इन प्रस्तावों के बारे में सलाह की गई और यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सातवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र द्वारा संसाधन जुटाना

3294. श्री वाई०एस० महाजन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान योजना के पहले तीन वर्षों में रेलवे और डाक और तार सहित सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उनकी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आन्तरिक संसाधनों को जुटाने के कुल लक्ष्य का केवल 45 प्रतिशत ही जुटा पाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) इस बात की सम्भावना है कि रेलवे तथा दूर-संचार सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान सातवीं योजना के अपने कुल अनुमानों के 43.1 प्रतिशत के बराबर आन्तरिक तथा बजट-बाह्य संसाधन जुटा लेंगे।

(ख) ये उपक्रम अपने वित्तीय कार्यचालन को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं, जिनमें ये उपाय भी शामिल हैं :—

(1) क्षमता के उपयोग में वृद्धि;

(2) उत्पाद—मिश्र का विविधीकरण;

(3) प्रौद्योगिकी का उन्नयन;

(4) आधुनिकीकरण और पुनर्वास;

(5) संगठन तथा प्रबन्ध ढांचे का पुनर्गठन;

(6) प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन; और

(7) विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार तथा चुने हुए उपक्रमों के बीच समझौते के ज्ञापन तैयार करना।

आर्कोनम में नौसैनिक बेस केन्द्र बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण

3295. श्री आर० जीवरत्नम : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में आर्कोनम में नौसैनिक बेस केन्द्र स्थापित करने के लिए कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या जिन भू-स्वामियों की भूमि को इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया गया है उन्हें उचित मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का इन भू-स्वामियों के आश्रितों को केन्द्र में रोजगार देने का विचार है; और

(घ) उक्त केन्द्र की स्थापना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार इस *परियोजना के लिए 930.49 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहीत कर रही है। अधिग्रहीत की गई* भूमि के लिए मुआवजा, तमिलनाडु सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार दिया गया है।

(ग) परियोजना के निर्माण के दौरान इस पर विचार किया जाएगा।

(घ) परियोजना का अनुमानित व्यय 99.24 करोड़ रुपये है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठता सम्बन्धी नियम

3296. श्री सोमनाथ रथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दिनांक 18.1.1988 को यथा-संशोधित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1987 में और आगे कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा

3298. श्री राधाकांत डिगाल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हुई हिंसा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चालू वर्ष के दौरान (9.3.1988 तक) त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों में उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियां आमतौर पर कम रही। तथापि त्रिपुरा में 1988 के प्रारंभ में स्थिति खराब रही लेकिन 5.2.1988 के बाद 9.3.1988 तक हिंसा की कोई घटना सूचित नहीं की गयी।

(ख) सम्पूर्ण त्रिपुरा को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण मणिपुर को पहले ही विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत मैतेयी उग्रवादी संगठन और टी० एन० वी० को अवैध घोषित कर दिया है। राज्य सरकारों को पर्याप्त अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं। विक्षुब्ध घोषित किए गए क्षेत्रों में सेना तैनात की गयी है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

3299. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध संबंधी बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए दंण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). विधि आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर लिए गये निर्णयों और राज्य सरकारों तथा अन्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सरकार का दंड प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने का विचार है। इनमें से कुछ संशोधन जो आपराधिक मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए प्रभावी होंगे, संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

विधि आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों और राज्य सरकारों और अन्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारत सरकार का दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 को निम्नलिखित रूप से संशोधित करने का विचार है, जिससे आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान पर प्रभाव पड़ेगा :—

1. धारा 173 में एक नई उप धारा जोड़ने के लिए संशोधन ताकि पुलिस द्वारा धारा 320 (2) के साथ संलग्न सारणी में दिए गए अपराधों का शमन करने के लिए पक्षकारों की इच्छा का ध्यान रखा जा सके।

2. धारा 223 के उपबन्धों को सत्र न्यायालय के क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए इसका संशोधन, जिसमें यह व्यवस्था होगी कि यदि न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट है कि इस प्रकार के व्यक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वह अभियुक्त व्यक्तियों के संयुक्त विचारण के लिए निदेश दे सकता है चाहे वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अन्दर न आते हों।

3. सत्र न्यायाधीश को यह शक्ति देने के लिए धारा 228 का संशोधन करना कि वह मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर सके और अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए तारीख निर्धारित कर सके।

4. धारा 260 में संशोधन :—

   I. यह विनिर्दिष्ट करने के लिए इसको उप धारा (1) में उल्लिखित अपराधों के संबंध में संक्षिप्त विचारण आदेशात्मक होना चाहिए।

   II. यह व्यवस्था करने के लिए कि जहां संबंधित सम्पत्ति का मूल्य इस समय दो सौ रुपए की बजाय दो हजार रूपए से अधिक न हो, चोरी के अपराध और अन्य संज्ञेय अपराधों का विचारण संक्षिप्त रूप से किया जाए।

5. नयी धारा 291 (क) को इस दृष्टि से जोड़ना कि इसमें निहित तथ्यों के औपचारिक सबूतों के बिना पहचान के स्मरण पत्र को साक्ष्य माना जाए।

6. यह विनिर्दिष्ट करने के लिए कि गवाह के साक्ष्य को कुछ तथ्यों जैसे जांच-पड़ताल और इसकी रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन की सामान्य डायरी में प्रविष्टियों और ऐसे अन्य तथ्यों को शपथ-पत्र द्वारा देना और इसे किसी औपचारिक किस्म के अन्य साक्ष्य के समान साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाना और मुख्य जांच का एक हिस्सा बनाया जाना।

वायुमंडल विज्ञान संबंधी अनुसंधान

3300. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वायुमंडल विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने के लिए उड़ीसा में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में इस प्रकार का वायुमंडल विज्ञान केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

अल्वाय स्थित भारतीय रेयर अर्थ्स के संयंत्र से प्रदूषण

3301. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाय स्थित भारतीय अर्थ्स संयंत्र के अपशिष्ट पदार्थों के पेरिमार नदी में निक्षेपण से पर्यावरणीय और प्रदूषण संबंधी समस्या पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके विवरण और कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और निर्देश-पद क्या हैं तथा समिति की रिपोर्ट कब तक मिल जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). इंडियन रेअर अर्थ्स, आल्वे में व्यवसाय के कारण स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरों के बारे में विभिन्न समाचार-पत्रों में छपे समाचारों से जनता के मन में जो भय पैदा हुआ

उसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति गठित की है। उस मिति के सदस्यों के नाम तथा विचारार्थ विषय नीचे बताए जा रहे हैं :—

समिति के सदस्य

1. डा० एम० एस० वलियाथन, निदेशक, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम।
2. प्रो० बालकृष्णन नायर, पदेन सचिव तथा अध्यक्ष, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम।
3. डा० बी० डी० गुप्ता, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, विकिरण चिकित्सा प्रभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल ऐजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़।
4. डा० के० सुन्दरम्, भूतपूर्व निदेशक, जैव चिकित्सा वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।

समिति के विचारार्थ विषय

1. 1970 से अब तक इंडियन रेअर अर्थ्स, आल्वे में हुई कर्मचारियों की मृत्यु के मामलों का विश्लेषण करना और यह तय करना कि कितने लोगों की मृत्यु कैंसर से हुई है तथा क्या उनकी मृत्यु का कारण वह पर्यावरण था जिसमें वह काम करते हैं, और क्या इंडियन रेअर अर्थ्स के आल्वे स्थित संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों में कैंसर की दर आसपास के अन्य संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों तथा जन सामान्य में पाई गई कैंसर की दर से अधिक है;
2. इंडियन रेअर अर्थ्स, आल्वे के कर्मचारियों में बच्चे पैदा कर पाने की क्षमता के बारे में और उन कर्मचारियों के बच्चों में उत्पन्न वंशानुगत दोषों के बारे में आंकड़ों का विश्लेषण करना और इस बारे में अपनी टिप्पणी देना कि क्या इस प्रकार के मामलों का कोई संबंध कर्मचारियों पर व्यवसाय के कारण पड़ने वाले विकिरण के किसी प्रभाव से है;
3. इंडियन रेअर अर्थ्स के आल्वे संयंत्र में लागू हैल्थ केअर स्कीम का अध्ययन करना तथा यह तय करना कि क्या वह स्काम पर्याप्त है;
4. कम्पनी द्वारा इंडियन रेअर अर्थ्स के आल्वे स्थित संयंत्र में पैदा हुए विकिरण-सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए अपनाई गई सुरक्षा संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन करना और यह पता लगाना कि क्या उससे जन सामान्य तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए कोई समस्या तो पैदा नहीं होती है;
5. यह अध्ययन करना कि क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग द्वारा की गई चैकिंग और मानिटरिंग पर्याप्त हैं और क्या उस प्रभाग द्वारा दी गई सिफारिशें कम्पनी द्वारा समय-समय पर कार्यान्वित की जाती हैं;
6. यह पता लगाना कि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के आल्वे स्थित संयंत्र के प्रचालन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली विकिरण सक्रियता की मात्रा अनुमेय स्तर से अधिक

तो नहीं रहती। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1987 में प्रस्तुत कर दी थी तथा वह रिपोर्ट जनता की जानकारी के लिए जारी की जा चुकी है।

किशोर अपराधियों का पुनर्वास

3302. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1987 में किशोर न्याय अधिनियम के लागू हो जाने के बाद से अब तक कितने किशोर अपराधियों का राज्यवार पुनर्वास किया गया है;

(ख) अधिनियम के लागू हो जाने के बाद उनके लिए राज्यवार कितने पुनर्वास केन्द्र खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इन पुनर्वास केन्द्रों में पुनर्वास और देखमाल सम्बन्धी सेवाओं पर निगरानी रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से तथ्य एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कार्य दिवस बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव

3303. श्री हरूभाई मेहता : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या क्या थी तथा वर्ष 1988 में कितने कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) क्या मुकदमों के निपटाने में विलम्ब की समस्या को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय वर्ष में 220 दिन कार्य करता था। हमारे सुझाव पर उच्चतम न्यायालय ने 222 दिन कार्य करने का विनिश्चय किया है।

उच्च न्यायालयों से पहले ही कहा गया था कि वे अपने दीर्घावकाशों को इस प्रकार विनियमित करें जिससे कि किसी वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या 210 दिन से कम न हो। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति कार्य दिवसों में कोई वृद्धि किया जाना युक्तियुक्त नहीं मानते।

कानपुर छावनी क्षेत्र में शुष्क-शौचालयों को पानी की व्यवस्था वाले शौचालयों में बदला जाना

3304. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्ड, कानपुर द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिसों के पश्चात् क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या निवासियों/स्वामियों ने सफाई कर्मचारियों द्वारा मल ढोये जाने को बन्द किए जाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुष्क शौचालयों को पानी की व्यवस्था वाले शौचालयों में बदलने के लिए क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ताकि कानपुर छावनी क्षेत्र में मल ढोया जाना बन्द किया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (घ). छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 135 के अन्तर्गत, छावनी क्षेत्र में बंगला मालिकों को, शुष्क शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में बदलने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इन नोटिसों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया था। शुष्क शौचालयों को पानी वाले शौचालयों में बदलने के लिए अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 1987 दी गई थी। ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें कहा गया था कि परिवर्तन के लिए दिया गया समय बहुत कम है। बोर्ड ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया और लोगों को सलाह दी कि वे समय बढ़ाने के लिए आवेदन करें। जहां तक सम्भव होगा ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने की कोशिश की जाएगी। शौचालय/सैप्टिक टैंक आदि बनाने के लिए 9 आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से 4 मंजूर किए गए और इन पर कार्य भी पूरा हो गया है। छावनी बोर्ड, बाकी बंगलों के मालिकों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है और जहां तक सम्भव हो शुष्क शौचालयों को पानी के शौचालयों में बदलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ऐसा परिवर्तन पानी की सप्लाई पर निर्भर करता है।

जब शुष्क शौचालय पानी वाले शौचालयों में परिवर्तित हो जाएंगे तो मल ढोया जाना अपने आप बन्द हो जाएगा।

कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने वाले विद्यालय

3305. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विद्यालय स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ग) गुजरात में किन-किन जिलों में कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने वाले विद्यालय खोले जाएंगे और वे कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सन् 1983-84 से 'कम्प्यूटरों के लिए जनशक्ति का सृजन' नामक कार्यक्रम पर अमल कर रहा है। इस कार्यक्रम पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा राज्य सरकारों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से अमल किया जा रहा है। कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थान की क्षमता तथा उसकी मूल संरचनात्मक सुविधाएं चयन की मुख्य कसौटियां हैं।

(ग) गुजरात स्थित संस्थानों की सूची, जहां कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं संलग्न विवरण में दी गई हैं—

विवरण

शहर का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम
1	2	3
राज्य का नाम : गुजरात		
अहमदाबाद	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा (डी०सी०ए०)	विक्रम ए० साराभाई कम्यूनिटी साइंस सेंटर
अहमदाबाद	एम० टेक	एल०डी० कॉलेज आफ इंजीनियरिंग
अहमदाबाद	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात् (एम०सी०ए०)	एल०डी० कॉलेज आफ इंजीनियरिंग
अहमदाबाद	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी०जी०डी०ए०सी०)	गुजरात विश्वविद्यालय
अहमदाबाद	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोलीटेक्नि-कोत्तर डिप्लोमा (पी०पी०डी०सी०ए०)	राजकीय पोलीटेक्निक
अहमदाबाद	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोलीटेक्नि-कोत्तर डिप्लोमा (पी०पी०डी०सी०ए)	बालिका रा० पोलीटेक्निक
बड़ोदा	बी० टेक	बड़ोदा एम०एस० विश्वविद्यालय
बड़ोदा	कम्प्यूटर इंजीनियरी में डिप्लोमा (डी०सी०ई०)	बड़ोदा एम०एस० विश्वविद्यालय
बड़ोदा	एम०टेक	बड़ोदा एम०एस० विश्वविद्यालय
बड़ोदा	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात् (एम०सी०ए०)	बड़ोदा एम०एस० विश्वविद्यालय
बड़ोदा	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी०जी०डी०सी०ए०)	बड़ोदा एम०एस० विश्वविद्यालय
नाडियाड	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात् (एम०सी०ए०)	डी०डी०इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलाजी

1	2	3
राजकोट	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पोलीटेक्निकोत्तर डिप्लोमा (पी.पी.डी.सी.ए.)	ए०वी० पारख टेक्निकल इंस्टीच्यूट
वी०वी० नगर	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा (डी०सी०ए०)	सरदार पटेल विश्वविद्यालय
वी०वी० नगर	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात् (एम०सी०ए०)	सरदार पटेल विश्वविद्यालय
वी०वी० नगर	कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी०जी०डी०सी०ए०)	सरदार पटेल विश्वविद्यालय

मनाली-लेह राजमार्ग को पक्का बनाना

3306. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनाली-लेह राजमार्ग को पक्का बनाने और वर्ष के अधिकतर भाग के लिए इसको सार्वजनिक यातायात के लिए खुला रखा जाना सुनिश्चित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और सड़क को पक्का बनाने का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जाएगा ?

रक्षा मंत्री० (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। यह सड़क मौसम की हालत के अनुसार 4-5 महीनों के लिए सार्वजनिक यातायात के लिए खोली जाती है।

(ख) और (ग). अब तक ऊपरी सतह बनाने का (सर्फेसिंग) लगभग 63% कार्य पूरा हो गया है और शेष कार्य को अक्तूबर, 1991 तक पूरा करने की योजना है।

अंटार्कटिक दल द्वारा एकत्र किये गये आंकड़े

3307. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंटार्कटिक स्थित दल से इस बीच कोई "फीडबैक" आंकड़े प्राप्त किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका कैसे विश्लेषण किया जा रहा है; और

(घ) पिछले दलों द्वारा एकत्रित सामग्री का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) सातवें भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल से प्राप्त संक्षिप्त रिपोर्टें बताती हैं कि इस वर्ष अंटार्कटिका में हावी अत्यन्त खराब मौसम की दशाओं के बावजूद भी यह अभियान सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने में समर्थ रहा है। इनमें रहने के आवास एवं कार्य करने के स्थान की मरम्मत और रख-रखाव तथा भूविज्ञान, भूभौतिकी, भूचुम्बकत्व, मौसम विज्ञान, ऊपरी वायुमण्डल, समुद्र विज्ञान तथा जैविकी की विधाओं में अनुसंधान कार्य जारी रखना शामिल हैं। बर्फ रहित क्षेत्र में द्वितीय भारतीय केन्द्र की नींव रखने के आयोजित कार्य को भी पूर्ण किया गया।

(ख) और (ग). सभी अभियानों के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों को देश की विभिन्न संस्थाओं द्वारा विश्लेषित एवं इस्तेमाल किया जाता है तथा अनुसंधान परिणामों को प्रकाशित किया जाता है। पहले के चार अभियानों की वैज्ञानिक रिपोर्टें पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं और उनमें 90 मूल पेपर दिऐ गए हैं : इनके अतिरिक्त, पर्याप्त मात्रा में मूल विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है। अंटार्कटिका में पूरे वर्ष भर ठहरने वाले शीतकालीन दलों की रिपोर्टों को अलग से प्रकाशित किया जाता है। पांचवें और छठे अभियानों से सम्बन्धित रिपोर्टों का अब विश्लेषण किया जा रहा है।

(घ) पहले के अभियानों के दौरान एकत्र की गई सूचना और आंकड़ों का इस्तेमाल इस बर्फीले महाद्वीप में अवसंरचना, रहने और कार्य करने की सुविधाओं के विकास पर किया जा रहा है। अब तक अज्ञात एवं रहस्यमय अंटार्कटिक परिघटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।

परिवार न्यायालयों में मामले

3308. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 तक देश में परिवार न्यायालयों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामले दर्ज हुए;

(ख) की गई कार्यवाही के अनुसार मामलों की श्रेणीवार स्थिति क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1987 के अनुसार विनिर्णयाधीन अथवा निर्णित मामलों की स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3309. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के बारे में 11 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न सं० 706 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोच्च न्यायालय में 10 और उच्च न्यायालयों में 43 रिक्त पदों (1 अक्तूबर, 1987 के अनुसार) में से आज तक कितने रिक्त पद भर लिए गए हैं;

(ख) बकाया कार्य एकत्र होने को ध्यान में रखते हुए शेष रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) सर्वोच्च न्यायालय और 18 में से प्रत्येक उच्च न्यायालय में जिनमें (एक) तीन वर्ष (दो) दो वर्ष और (तीन) एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् भी कितने पदों को रिक्त होने पर भी नहीं भरा गया और उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) तारीख 1.10.1987 के पश्चात् उच्च न्यायालयों में पांच नई नियुक्तियां और उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है ।

(ख) और (ग). ऐसे रिक्त पद जो रिक्ति के पश्चात् एक, दो और तीन वर्षों से नहीं भरे गए हैं, दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

न्यायाधीशों के चयन में सम्बद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों से विचार-विमर्श अन्तर्वलित हैं और वह एक निरन्तर प्रक्रिया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायाधीशों के रिक्त पद शीघ्रता से भरे जाएं, सभी सम्भव प्रयास करती है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरे जाने के लिए कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

विवरण

क—उच्च न्यायालय

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	तारीख 10.3.88 को रिक्त पदों की संख्या	ऐसे पदों की संख्या जो एक वर्ष के अधिक समय से रिक्त हैं	ऐसे पदों की संख्या जो दो वर्ष के अधिक समय से रिक्त हैं	ऐसे पदों की संख्या जो तीन वर्ष के अधिक समय से रिक्त हैं
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	8	—	—	5*
2.	आंध्र प्रदेश	6	—	—	2*
3.	मुम्बई	2	—	—	—
4.	कलकत्ता	1	—	—	—
5.	दिल्ली	5	—	—	—
6.	गुवाहाटी	2	1	—	—

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	4	1	1*	2*
8.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	3	1	—	—
10.	कर्नाटक	3	—	—	—
11.	केरल	1	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	4	1	—	—
13.	मद्रास	7	4	—	—
14.	उड़ीसा	[illegible]	2	—	—
15.	पटना	8	—	—	—
16.	पंजाब और हरियाणा	5	2	—	—
17.	राजस्थान	1	—	—	—
18.	सिक्किम	1	—	1	—
	उच्च न्यायालय योग	64	12	2	9
ख—उच्चतम न्यायालय		9	8	—	—

*ये रिक्त पद अपर न्यायाधीशों के हैं, यद्यपि इन उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की कुछ नियुक्तियां कर दी गई हैं तथापि क्योंकि स्थायी रिक्त पद पहले भरे जाते हैं अतः ये अभी भी रिक्त हैं।

"एस०ई०एम०एफ०ई०एक्स" योजना को कार्यान्वित करना

3310. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्व-रोजगार उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 1987 के "एस०ई०एम०एफ०ई०एक्स०" नाम की एक योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का वास्तविक ब्यौरा क्या है और इस योजना से लाभान्वित हुए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या सहित राज्य-वार उन जिलों के नाम क्या हैं जहां यह योजना कार्यान्वित की गई है और वर्ष 1987-88 के दौरान इस प्रयोजन के लिए किए गए आवंटनों में से कुल कितने धन का उपयोए किया गया है;

(ग) क्या इस योजना का अन्य जिलों/राज्यों में भी विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो विस्तार के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना [सेमफेक्स] का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस योजना को जिला सैनिक बोर्डों और राज्य सैनिक बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। चूंकि इस योजना की प्रगति की समीक्षा, राज्य सैनिक बोर्डों और भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्यवार की जा रही है, इसलिए इस योजना की प्रगति का ब्यौरा केवल राज्य स्तर तक ही उपलब्ध है। भारत के औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 5 फरवरी, 1988 तक राज्य-वार प्रगति संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ). यह योजना सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है और सभी जिलों के लिए उपलब्ध है। सभी राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए सभी सम्बन्धितों को अनुदेश जारी करें। इस योजना के प्रचार के लिए सभी राज्यो की राजधानियों में "सेमफेक्स" योजना पर सेमीनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण I

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना-I

केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना-1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता से बनाई थी और इसे भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सेना कार्मिकों और दिवंगत भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों को स्वरोजगार धंधों को, अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहायता करने के लिए 1.4.1987 से आरम्भ किया गया था। भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना-I के ब्यौरे और मुख्य विशेषताएं आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

मुख्य विशेषताएं

(क) चयन प्रशिक्षण, परामर्श सेवा, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और ऋण की मंजूरी, इस योजना का एक पूरा कार्यक्रम है।

(ख) पुनर्वास महानिदेशालय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ मिलकर केन्द्रीय कल्याण निधि से हर वर्ष एक करोड़ रुपये का निवेश करेगा और भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और विकलांग सेना कार्मिकों के स्वरोजगार कार्यों के लिए पूंजी सहायता प्रदान करने हेतु एक चल निधि बनाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी इतनी ही रकम का अंशदान करेगा। बिना किसी सुरक्षा या ऋणाधार की आसान शर्तों पर 1,80,000 रुपये की अधिकतम राशि पूंजीगत ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ग) प्रोत्साहक का अंशदान केवल 10 प्रतिशत होगा जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सामान्य योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के प्रोत्साहक का न्यूनतम अंशदान 12.5 प्रतिशत से 22.5 प्रतिशत है।

(घ) परियोजना लागत के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय और राज्य सहायता को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। ऐसी सहायता और उपलब्ध अन्य रियायतों को भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा चल पूंजी के लिए सुरक्षित पूंजी के रूप में जारी रखा जाएगा।

(ङ) परियोजना की परिसम्पत्तियों के अलावा ऋणाधार या सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।

(च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मियादी ऋणों के लिए फिर से धन की व्यवस्था करेगा।

(छ) इस योजना के अंतर्गत सहायता लेने के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक जिला सैनिक बोर्डों को प्रस्ताव करेंगे और निर्धारित प्रपत्र (चार प्रतियों में) में सूचना भेजेंगे। योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों की पात्रता के बारे में अपने आपको संतुष्ट करने के बाद जिला सैनिक बोर्ड आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित आवेदन-पत्र की तीन प्रतियां राज्य सैनिक बोर्डों को भेजेंगे। राज्य सैनिक बोर्ड उसकी दो प्रतियां राज्य वित्त निगम के सम्बन्धित मुख्यालयों को भेजेगा। राज्य सैनिक बोर्डों से आवेदन प्राप्त होने पर राज्य वित्त निगम उद्यमियों से सम्पर्क स्थापित करेंगे और सहायता की मंजूरी के लिए उपयुक्त प्रपत्र में आवश्यक आवेदन-पत्र प्राप्त करेंगे। संवीक्षा के बाद राज्य वित्त निगम राज्य सैनिक बोर्ड से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर जांच समिति को प्रस्ताव भेजेगा। ऋणों को मंजूर करने के लिए राज्य स्तर पर केवल एक समिति होगी जो छानबीन समिति के नाम से जानी जाएगी और इसमें (i) सम्बन्धित राज्य वित्त निगम का प्रबन्ध निदेशक (संयोजक), (ii) सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रतिनिधि और (iv) भाग लेने वाले बैंक का प्रतिनिधि, यदि कोई हो, शामिल होंगे। जांच समिति की बैठक के लिए कोई कोरम नहीं होगा, समिति एक महीने में कम से कम एक बार मिल सकती है। जांच समिति द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद राज्य वित्त निगम बिना विलम्ब किए ऋण और मूल पूंजी सहायता की मंजूरी देगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार योजना की अन्य मुख्य बातें

परियोजनाओं की पात्रता : (1) के वी आइ सी के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी परियोजनाएं, कृषि पर आधारित उद्योग, परिवहन और अन्य पात्र उद्योगों सहित लघु पैमाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नई औद्योगिक परियोजनाएं जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुन: वित्त व्यवस्था योजना के अंतर्गत सहायता पाने की पात्र हैं, इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित होंगी।

(2) परियोजना की लागत 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(3) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मौजूदा मिश्रित ऋण योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये तक के ऋण शामिल होंगे। राज्य वित्त निगम/बैंक शत-प्रतिशत रकम के लिए वित्त की व्यवस्था करेगा और उसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रोत्साहक का अंशदान अपेक्षित नहीं है। इस ऋण पर प्रतिवर्ष रियायती ब्याज 10 प्रतिशत होगा, यदि यह अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है और अन्य क्षेत्रों में स्थित होने पर ब्याज की दर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत होगी।

निधि का स्रोत

परियोजना लागत (मिश्रित ऋण योजना को छोड़कर) में भूमि भवन, संयंत्र और मशीनरी की लागत अन्य निर्धारित परिसम्पत्ति और कुछ चालू पूंजी शामिल है और इसका वित्त पोषण प्रोत्साहक के अंशदान, आसान शर्तों पर मूल पूंजी सहायता और मियादी ऋण से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहक का अंशदान परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत आसान शर्तों पर मूल पूंजी सहायता 15 प्रतिशत तक होगी जिसमें पुनर्वास महानिदेशालय और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का हिस्सा बराबर-बराबर होगा और मियादी ऋण 75 प्रतिशत होगा। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत 12 लाख रुपये रखी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि परियोजना/लागत 1 लाख रुपये है तथा उसके संघटक इस प्रकार होंगे :—

(क) प्रोत्साहक का अंशदान (कुल परियोजना लागत का 10%	10,000 रुपये
(ख) आसान शर्तों पर मूल पूंजी सहायता (कुल परियोजना लागत के 10% तक)	15,000 रुपये (पुनर्वास महानिदेशालय और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दोनों में से प्रत्येक से 7,500 रुपये)
(ग) मियादी ऋण (कुल परियोजना लागत का 75%)	75,000 रुपये
	1,00,000 रुपये

ब्याज

(क) आसान शर्तों पर मूल पूंजी सहायता

सेवा प्रभार के रूप में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत का मामूली ब्याज हर वर्ष दिया जाएगा। आसान शर्तों पर मूल पूंजी सहायता के दौरान उसकी समीक्षा की जाएगी। यदि यूनिट की वित्तीय स्थिति और उसका मुनाफा अच्छा हो, तो ब्याज की ऊंची दर ली जाएगी लेकिन यह दर सामान्य मियादी ऋण की दर से अधिक नहीं होगी।

(ख) मियादी ऋण

मियादी ऋण 9 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में होने पर इस ऋण पर रियायती दर से ली जाने वाली ब्याज की दर प्रतिवर्ष 12.5 प्रतिशत होगी और अन्य क्षेत्रों में होने पर ब्याज की दर प्रतिवर्ष 13.5 प्रतिशत होगी। वाहनों की खरीद के लिए, लिए जाने वाले ऋण के मामले में प्रतिवर्ष 12.5 प्रतिशत की समान दर से ब्याज लिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा वाहनों की खरीद में मामले में प्रति उद्यमी/यूनिट 2 वाहन तक ही सीमित होगी।

भुगतान की अवधि

आसान शर्तों पर मूल पूंजी सहायता की अदायगी 10 वर्ष में की जाएगी जिसमें 5 वर्ष की प्रारम्भिक ऋण स्थगन की अवधि भी शामिल है। मियादी ऋण की अदायगी 10 वर्ष में की जाएगी जिसमें 1 से 2 वर्ष की सामान्य माफ-अवधि भी शामिल है। परिवहन ऋण का भुगतान 5 वर्ष में किया जाएगा।

प्रतिभूति

जैसाकि योजना में विहित है कि ऋणाधार (कोलेट्रल) समेत प्रतिभूति देने की जरूरत नहीं है। मियादी ऋण के मामले में राज्य वित्त निगम को अपने द्वारा दी गई सहायता में सूचित परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रभार के रूप में सामान्य प्रतिभूति लेनी चाहिए और ऋणाधार प्रतिभूति या तीसरी पार्टी की गारंटी के लिए आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है।

सहायता देने की प्रक्रिया

राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक विकास निगम (इनमें राज्य वित्त निगमों के कार्य भी सम्मिलित हैं) आसान शर्तों पर दी जाने वाली मूल पूंजी सहायता और परियोजना के लिए सामान्य मियादी ऋण की मंजूरी, वितरण और वसूली के लिए अपने-अपने राज्य/क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एजेंटों के रूप में कार्य करेंगे। ऋण की मंजूरी परियोजनाओं की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के बाद की जाएगी।

प्रशिक्षण

(i) इस योजना के अंतर्गत उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायता प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त नही है। प्रशिक्षण की व्यवस्था उन्हीं मामलों में की जाएगी जहां छान-बीन समिति आवश्यक समझेगी। सहायता की मंजूरी/संवितरण इस कारण से रोक नहीं दिया जाएगा कि सम्बन्धित भूतपूर्व सैनिक ने प्रशिक्षण नहीं लिया है।

(ii) प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया गया है। प्रायोजित अभ्यर्थियों को बुलाने और प्रशिक्षण अवधि के लिए वजीफे की अदायगी, जहां लागू हो, पर होने वाला प्रशासनिक व्यय राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) पुनर्वास महानिदेशालय ने अपनी आय का भाग स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया है। उसी तरह से राज्य/संघीय क्षेत्रों से अपनी आय के हिस्से को स्वरोजगार सहायता के लिए अपनी कल्याण निधियों से आबंटित करने के लिए कहा गया है।

(iv) प्राध्यापकों के पारिश्रमिक सहित, यदि कोई हो, प्रशिक्षण, कागज/सामग्री व्यय जैसा सभी प्रशिक्षण व्यय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पूरा किया जाएगा। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, तकनीकी परामर्शी संगठन/लघु उद्योग सेवा संस्थान/अन्य एजेन्सी से ली जाने वाली परामर्शी सेवाएं आदि के लिए किया जाने वाला व्यय भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वहन किया जाएगा लेकिन वह प्रति व्यक्ति 2500 रुपये से अधिक व्यय नहीं करेगा।

पाठ्यक्रम अवधि

पाठ्यक्रम-अवधि तकनीकी परामर्शी संगठन द्वारा निर्धारित की जाएगी।

विवरण II

"सेमफैक्स योजना" के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्रम सं०	राज्य सैनिक बोर्ड का नाम	रजिस्टर्ड आवेदन-पत्रों की संख्या	राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा राज्य वित्त निगमों को भेजे गए आवेदन-पत्रों की संख्या	मंजूर किए गए ऋणों की संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रु० में)
(1)	(0)	(3)	(4)	(6)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	68	59	6	उपलब्ध नहीं है
2.	असम	56	56	6	3
3.	बिहार	261	261	58	75
4.	गुजरात	67	67	1	5
5.	हरियाणा	53	53	12	38
6.	हिमाचल प्रदेश	6	6	—	—
7.	जम्मू और कश्मीर	144	144	—	—
8.	कर्नाटक	210	196	8	25
9.	केरल	225	50	5	16
10.	मध्य प्रदेश	48	48	1	6
11.	महाराष्ट्र	30	30	19	45
12.	मणिपुर	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।			
13.	मेघालय	"शून्य"	"शून्य"		
14.	नागालैंड	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।			
15.	उड़ीसा	4	4	2	14
16.	पंजाब	152	152	11	22
17.	राजस्थान	555	555	—	—
18.	सिक्किम	शून्य	—	—	—
19.	त्रिपुरा	23	23	शून्य	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	तमिलनाडु	20	20	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	535	535	58	153
22.	पं० बंगाल	40	40	16	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।			
24.	अण्डमान एवं निकोबार		—वही—		
25.	चण्डीगढ़		—वही—		
26.	दिल्ली	248	218	31	88
27.	गोवा, दमन और दीव	2	2	—	—
28.	मिजोरम	62	62	62	54
29.	पांडिचेरी	2	2	1	3
		2811	2583	297	547

दिल्ली में न्यायिक जिले

3311. डा० बी०एल० शैलेश : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पांच न्यायिक जिले बनाए जाने का सात वर्ष पूर्व प्रस्तुत प्रस्ताव सरकार द्वारा न्यायालयों के लिए कुछ स्थानों का चयन करने और जिलावार लम्बित पड़े मामलों की सूची तैयार किए जाने के बावजूद अनिर्णित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का राजधानी में वादियों और सामान्य जनता के हित में बिना और किसी विलम्ब के इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं। दिल्ली में स्थित निचले न्यायालयों के विभाजन के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

3312. श्री शान्ता राम नायक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) इन्हें कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). गोवा से निर्धारित समय में प्राप्त कोई भी आवेदन निपटाए जाने हेतु लम्बित नहीं है। 1972 की पेंशन योजना तथा उदार पेंशन योजना, 1980 के तहत गोवा से कुल 3257 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से उपयुक्त पाए 708 मामलों में पेंशन स्वीकृत कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं पर किए गए अत्याचार

3313. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार किये जाने के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) वर्ष 1984, 1985 और 1986 की तुलना में वर्ष 1987 में इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं पर किए गए बलात्कार और अत्याचार से सम्बन्धित आंकड़े अखिल भारत आधार पर संकलित नहीं किए जाते हैं। संविधान की सात्तवीं अनुसूची की सूची-II-राज्य-सूची में इन्दराज संख्या 1 (लोक व्यवस्था) और 2 (पुलिस) के अनुसार, इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना राज्य सरकारों की परिधि में है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के दौरान महिलाओं को कानूनन कुछ संरक्षण प्राप्त हैं। राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जब कभी पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रति तथाकथित अपराध करने की कोई घटना ध्यान में आती है तो तत्काल जांच की जानी चाहिए जो कम से कम समय में पूरी की जानी चाहिए ताकि त्वरित अनुवर्ती कारंवाई की जा सके।

"टाउट्स रोल इन पासपोर्ट आफिसिज फ्लेड" शीर्षक से समाचार

3314. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टाउट्स रोल इन पासपोर्ट आफिसिज फ्लेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आम जनता के पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों और उन पुलिस अधिकारियों, जिन्हें पासपोर्ट आवेदकों की जांच सौंपी जाती है, द्वारा परेशान किए जाने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावति है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (i) जहां तक दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को शास्त्री भवन से जनपथ स्थित इंडियन आयल भवन में ले जाने के प्रस्ताव से सम्बन्धित समाचार का सम्बन्ध है, यह बात पक्की है कि शास्त्री भवन में, जहां भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को स्थान देना पड़ा है, पासपोर्ट कार्यालय के लिए स्थान की कमी के कारण सरकार ने पासपोर्ट कार्यालय को इंडियन आयल भवन में ले जाने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके स्थानांतरण की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ii) जहां तक 14-16 जनवरी, 1988 तक नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन की सिफारिशों और इस सम्मेलन में मेरी टिप्पणियों का सम्बन्ध है आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(iii) जहां तक उस समाचार का सवाल है जिसमें बताया जाता है कि दलालों द्वारा पासपोर्ट आवेदकों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे कदम उठाए गये हैं कि पासपोर्ट कार्यालयों में प्रवेश केवल पासपोर्ट आवेदक और मान्यता प्राप्त यात्रा एजेंट पा सकें।

(ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पासपोर्ट आवेदकों को पासपोर्ट अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों द्वारा, जिन्हें पासपोर्ट आवेदक के बारे में जांच-पड़ताल का काम सौंपा गया है, आमतौर पर परेशान किया जाता है। लेकिन परेशान किए जाने की कथित अलग-अलग रिपोर्टों की जांच की जाती है और उन पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

समुद्री डाकुओं द्वारा हुगली में जहाजों पर आक्रमण

3315. श्री टी० बाल गौड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली में जहाजों पर समुद्री डाकुओं द्वारा आक्रमण किया जा रहा है;

(ख) क्या ये डाकू मछुआरों के वेष में आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). अपराध को दर्ज करना, जाँच पड़ताल करना और रोकना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। फिर भी पश्चिमी बंगाल सरकार से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-बर्मा सहयोग

3316. श्री एस०एम० गुरड्डी :

श्री बी०एस० बसवराजू :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बर्मा व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में हाल ही में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां, प्रधानमंत्री की बर्मा की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया।

(ख) और (ग). फरवरी, 1988 में बर्मा के व्यापार मंत्री की भारत-यात्रा के दौरान उनके और भारत के वित्त एवं वाणिज्य मंत्री के बीच सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हुए थे। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष व्यापार को बढ़ाने और आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाएंगे।

प्रधान मंत्री का विदेश दौरा

3317. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा वर्षवार किन-किन देशों का दौरा किया गया; और

(ख) प्रत्येक दौरे पर वर्षवार तथा देशवार कुल कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने नीचे लिखे देशों की यात्रा की :—

1985 : सोवियत संघ, मिश्र, फ्रांस, अल्जीरिया, संयुक्त राज्य अमरीका, स्विटजरलैण्ड, भूटान, यू०के०, बाहमास, क्यूबा, नीदरलैण्ड, ओमान, वियतनाम, जापान और बंगलादेश।

1986 : मालदीव, स्वीडन, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, तंजानिया, मारीशस, यू०के०, मेक्सिको, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और थाईलैण्ड।

1987 : सोवियत संघ, श्रीलंका, जापान (मार्गस्थ), कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैण्ड (मार्गस्थ), नेपाल और बर्मा।

1988 : पाकिस्तान (श्री खान अब्दुल गफ्फार खान के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए) और स्वीडन।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

आलू और प्याज का किरणन

3318. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आलू और प्याज का वाणिज्यिक किरणन प्रारम्भ कर रही है जैसा कि 1 फरवरी, 1988 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यूनाइटेड किंगडम और पश्चिम जर्मनी में किरणन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और यह कहीं भी विशेषकर नागासाकी, हिरोशिमा, चेरनोबिल, दुर्घटना के पश्चात से और सारे

विश्व में परमाणु विद्युत केन्द्रों के आस पास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए लोकप्रिय नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में भारत आए कनाडा के सोसाले बर्टेल द्वारा प्रकाशित आंकड़ों की ओर गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर०नारायणन) : (क) सरकार ने प्याज और आलू के किरणन के लिए अपनी अनुमति सिद्धांत रूप में दे दी है। व्यावसायिक स्तर पर प्याज का किरणन निकट भविष्य में सम्भव हो जाएगा।

(ख) इंग्लैण्ड या पश्चिमी जर्मनी में किरणन पर प्रतिबन्ध नहीं है। इस समय 29 देशों ने 40 से अधिक खाद्य-पदार्थों को विकिरण की सहायता से संसाधित करने की अनुमति दी हुई है। किरणन से भोजन विकिरण-सक्रिय नहीं हो जाता। इस कारण, इस प्रकार की किरणन की तुलना चेरनोबिल में हुई न्यूक्लियर दुर्घटनाओं जैसी दुर्घटनाओं अथवा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमों से हुए महाविनाश के कारण हुई रेडियोसक्रिय धूलि की वर्षा से नहीं की जा सकती।

(ग) जी, हां। सरकार को उस लेख की जानकारी है जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ कंसर्न आफ पब्लिक हैल्थ, टोरनटो, कनाडा की अनुसंधान निदेशक डा० रोसाली बर्टेल द्वारा हाल ही में "परमाणु अस्त्रों से रहित विश्व की कामना करने वाले वैज्ञानिकों तथा नागरिकों" की भारत में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में प्रस्तुत किया गया था। उस लेख में उन्होंने न्यूक्लियर उद्योगों के सम्बन्ध में, जिनमें परमाणु हथियार बनाने वाले उद्योग भी शामिल हैं, अपनी राय जाहिर की थी। खाद्य-पदार्थों के किरणन के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बारे में कोई भी टिप्पणी उस लेख में शामिल नहीं है।

"ट्राइबल नेशनल वालिंटियर्स" की गतिविधियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिए बांगलादेश के साथ समझौता

3319. श्री बाजुबन रियान : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ट्राइबल नेशनल वालिंटियर्स" की गतिविधियों को रोकने के लिए बांगलादेश के साथ मिलकर कार्यवाही करने हेतु उसके साथ समझौता करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के लिए योजना परिव्यय

3320. श्री के० एस० राव :

श्री बी० तुलसीराम :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि योजना आयोग द्वारा 1988-89 हेतु राज्य के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय पर्याप्त नहीं है; और

(ख) राज्य सरकार ने कितने योजना परिव्यय का सुझाव दिया था और योजना आयोग द्वारा कितना योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एगती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए आंन्ध्र प्रदेश की वार्षिक योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 1558.40 करोड़ रु० की तुलना में, 1250 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई ।

विकलांगों के लिए पुनर्वास परिषद

3321. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों के लिए पुनर्वास परिषद् की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्वास परिषद् के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा में पुनर्वास परिषद् ने वर्ष 1986-87 और 1987-88 में क्या कार्य प्रारम्भ किए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पुनर्वास परिषद् किसी भी राज्य में पुनर्वास कार्य नहीं करती क्योंकि इसका सम्बन्ध अखिल भारतीय आधार पर विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में व्यावसायियों के लिए पाठ्यक्रमों के विनियमन और मानकीकरण से है ।

विवरण

पुनर्वास का सम्बन्ध, प्रशिक्षण नीतियों और पुनर्वास कार्मिकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानकीकरण से है ।

इसके निम्नलिखित कार्य हैं :—

(1) व्यक्ति विशेष की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना

(2) इन मानकों को देश भर में सरकारी संस्थानों में नियमित करना

(3) योग्यताओं को मान्यता देना

(4) भारतीय योग्यताओं को विदेशों में मान्यता देने के लिए विदेशी योग्यताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता देना

(5) योग्यताओं की मान्यता को वापिस लेना

(6) भारत और विदेश की संस्थाओं से शिक्षा और प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना एकत्र करना

(7) प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर निगराना

(8) दोषी संस्थाओं की मान्यता वापस लेना

(9) भारतीय पुनर्वास रजिस्टर का रख रखाव

केरल को केन्द्रीय सहायता

3322. श्री के० मोहनदास : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए धनराशि का आवंटन किए जाने के संबंध में कोई सामान्य अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार की शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पर जोर देने वाले राज्यों को सहायता देने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

सूखा प्रभावित राज्यों के लिए धनराशि का आवंटन

3323. श्री के० मोहनदास : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता राशि, प्रत्येक राज्य के वार्षिक योजना आवंटन में समायोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समायोजन से इन राज्यों में विकास योजनाओं पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती) (क) : जी, हां । सूखा राहत के लिए दी गई अग्रिम योजना सहायता को, 1988-89 के लिए संबंधित राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों को निर्धारित करते समय यथोचित रूप से समायोजित कर लिया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रत्येक राज्य की योजना के यथानुमोदित आकार को पूर्ण रूप से वित्त-पोषित किया जाता है । अतः इन समायोजनों से राज्यों की विकास योजनाओं के प्रभावित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विवरण

1988-89 में राहत-सहायता का समायोजन

(करोड़ रु०)

	राज्य	
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	1.04
4.	बिहार	2.94
5.	गोआ	—
6.	गुजरात	13.44
7.	हरियाणा	8.82
8.	हिमाचल प्रदेश	5.80
9.	जम्मू और कश्मीर	0.42
10.	कर्नाटक	24.13
11.	केरल	3.66
12.	मध्य प्रदेश	29.45
13.	महाराष्ट्र	45.42
14.	मणिपुर	0.15
15.	मेघालय	0.03
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैण्ड	—
18.	उड़ीसा	8.22

1	2	3
19.	पंजाब	*
20.	राजस्थान	13.56
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	16.51
23.	त्रिपुरा	0.38
24.	उत्तर प्रदेश	12.42
25.	पश्चिम बंगाल	8.35
	कुल जोड़	234.87

*वार्षिक योजना, 1988-89 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने वाले संयंत्र

3324. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 200 करोड़ रुपये की भारी लागत से स्थापित किए गये रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने वाले कुछ संयंत्र बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयंत्रों को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय वायुसेना के लिए मिग-29 विमानों की प्राप्ति

3325. प्रो० के० वी० थामस : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना द्वारा कितने मिग-29 इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान प्राप्त किए गए हैं;

(ख) इन विमानों की लागत कितनी है; और

(ग) भारतीय वायुसेना को भविष्य में कितने और मिग-29 विमानों की जरूरत होगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कुछ मिग-29 अर्जित किए हैं। विमानों की संख्या और लागत तथा वायुसेना के लिए इस विमान की भावी आवश्यकता के बारे में बताना लोकहित में नहीं होगा।

ग्रामीण शहरी प्रति व्यक्ति आय का अनुपात

3326. डा० श्रीमती फूलरेणु गुहा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं ग्रामीण शहरी आय में असमानता दूर करने के लिए नियोजित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71, 1980-81, 1986-87 और 1987-88 में ग्रामीण शहरी प्रति व्यक्ति आय का अनुपात क्या था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास स्कीमें गरीबी उन्मूलन करने, उत्पादकता में वृद्धि करने, जीवन स्तर में सुधार करने तथा ग्रामीण और शहरी आय के बीच के अन्तर को कम करने के लिए बनाई गई हैं।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वर्ष 1970-71 के बारे में संकलित अनुमानों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अनुपात 1 : 2.4 था। बाद के वर्षों के लिये कोई तदनुरूप अनुपात उपलब्ध नहीं हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

3327. डा० फूलरेणु गुहा :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री अमरसिंह राठवा :

श्री एस० जी० घोलप :

श्री कृष्ण सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख). वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 के दौरान सूचित किए गए महिलाओं के प्रति अपराधों का राज्य-वार तथा संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण I, II और III में संलग्न है।

विवरण I

वर्ष 1985 और 1986 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतें, जंजीर छीनने तथा महिलाओं और लड़कियों के अपहरण का राज्य-वार जिसके वर्ष 1985 की तुलना में 1986 के प्रतिशत का अन्तर दिया गया है

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दहेज के कारण हुई मौतें			जंजीर छीनना			लड़कियों तथा महिलाओं का अपहरण		
		1985	1986	वर्ष 1985-1986 के प्रतिशत का अन्तर	1985	1986	वर्ष 1985-1986 के प्रतिशत का अन्तर	1985	1986	वर्ष 1985-1986 के प्रतिशत का अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य									
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	79	+507.7	648	708	+9.3	240	295	+22.9
2.	असम	1	9	+800.00	68	2	—97.0	280	244	—12.9
3.	बिहार	16	62	+287.5	4	शून्य	—100.0	182	470	+158.2
4.	गुजरात	10	9	—10.0	157	151	—3.8	370	554	+49.7
5.	हरियाणा	99	47	—52.5	32	50	+56.3	226	170	—24.8
6.	हिमाचल प्रदेश	3	3	0.0	1	उ०न०	—	60	79	+31.7
7.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	—	2	शून्य	—100.00	285	508	+78.3

8.	कर्नाटक	35	54	+54.3	158	138	—12.7	141	105	—25.5
9.	केरल	5	4	—20.0	87	152	+74.7	61	117	+91.8
10.	मध्य प्रदेश	153	200	+30.7	उ०न०	उ०न०	—	953	936	—1.8
11.	महाराष्ट्र	136	107	—21.3	1,042	1,288	+23.6	1,081	744	—31.2
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	शून्य	138	—
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	—	1	1	0.0	15	21	+40.0
14.	नागालैंड	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	3	1	—66.7
15.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	—	50	13	—74.0	134	158	+17.9
16.	पंजाब	32	40	+25.0	8	6	—25.0	108	89	—17.6
17.	राजस्थान	29	84	+189.7	22	16	—27.3	1,469	1,287	—12.4
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	—	शून्य	2	—	1	4	+300.0
19.	तमिलनाडु	12	38	+216.7	426	556	+30.5	311	365	+17.4
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	13	49	+276.9
21.	उत्तर प्रदेश	323	461	+42.7	318	356	+11.0	1,340	1,630	+21.6
22.	पश्चिम बंगाल	88	58	—34.1	91	60	—34.1	379	362	—4.5
	जोड़ (राज्य)	955	1,255		3,115	3,499		7,652	8,326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	संघ शासित क्षेत्र									
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	2	3	+50.0
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	6	1	—83.3
25.	चंडीगढ़	2	शून्य	100.0	4	3	—25.0	29	18	—37.9
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—
27.	दिल्ली	43	64	48.8	99	65	—34.3	734	543	—26.0
28.	गोवा, दमन और दीव	शून्य	शून्य	—	14	6	—57.1	8	10	+25.0
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	2	2	0.0
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	—	1	6	+500.0	7	3	—57.1
	जोड़ (सं० शा० क्षेत्र)	35+10	64		118	80		788	580	
	कुल जोड़	990 10	1,319		3,233	3,579		8,440	8,906	

विवरण II

वर्ष 1985 और 1986 के दौरान बलात्कार, छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार के संबंध में सूचित संख्या तथा वर्ष 1985 की तुलना में वर्ष 1986 के प्रतिशत के अन्तर सहित राज्य-वार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार			छेड़छाड़			अभद्र-व्यवहार		
		1985	1986	वर्ष 1985-1986 का प्रतिशत अन्तर	1985	1986	वर्ष 1985-1986 का प्रतिशत अन्तर	1985	1986	वर्ष 1985-1986 का प्रतिशत अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	236	301	+27.5	761	989	+30.0	570	576	+1.1
2.	असम	295	354	+20.0	153	139	—9.2	शून्य	3	—
3.	बिहार	443	563	+27.1	200‡	411	+105.5	उ०न०	उ०न०	उ०न०
4.	गुजरात	134	144	+7.5	754	637	—15.5	302	235	—22.2
5.	हरियाणा	114	144	+26.3	278	265	—4.7	127	155	+22.0
6.	हिमाचल प्रदेश	33	52	+57.6	124	117	—5.6	1	शून्य	—100.0
7.	जम्मू और कश्मीर	200	187	—6.5	662	899	+35.8	261	274	+5.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	कर्नाटक	98	137	+39.8	355	557	+56.9	43	40	—7.0
9.	केरल	120	133	+10.8	386	494	+28.0	2	2	0.0
10.	मध्य प्रदेश	1428	1526	+6.9	4443	4698	+5.7	511	477	—6.7
11.	महाराष्ट्र	675	800	+18.5	2607	2724	+4.5	229	264	+15.3
12.	मणिपुर	5	10	+100.0	शून्य	27	—	शून्य	शून्य	—
13.	मेघालय	17	19	+17.8	7	10	+42.9	शून्य	शून्य	—
14.	नागालैण्ड	6	8	+33.3	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—
15.	उड़ीसा	166	164	—1.2	610	583	—4.4	55	49	—10.9
16.	पंजाब	82	49	—40.2	38	37	—2.6	7	6	—14.3
17.	राजस्थान	522	598	+14.6	794	939	+18.3	38	22	—42.1
18.	सिक्किम	6	5	—16.7	4	6	+50.0	शून्य	शून्य	—
19.	तमिलनाडु	204	231	+13.2	808	750	—7.2	389	774	+99.0
20.	त्रिपुरा	34	38	+11.8	52	26	—50.0	शून्य	शून्य	—
21.	उत्तर प्रदेश	888	1192	+34.2	1604	1591	—0.8	885	1446	+63.4

22.	पश्चिम बंगाल	483	503	+4.1	344	304	—11.6	51	123	+141.2
	जोड़ (राज्य)	6189	7158		14984	16203		3471	4446	
	संघ शासित क्षेत्र									
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	2	—33.3	23	22	—4.3	8	1	- 87.5
24.	अरुणाचल प्रदेश	5	9	+80.0	8	6	—25.0	शून्य	शून्य	—
25.	चण्डीगढ़	4	4	0.0	11	1	—90.9	शून्य	2	—
26.	दादरा और नगर हवेली	1	शून्य	—100.0	5	5	0.0	शून्य	शून्य	—
27.	दिल्ली	89	92	+3.4	94	112	+19.2	756	2021	+169.3
28.	गोवा, दमन और दीव	10	8	—20.0	5	8	+60.0	शून्य	3	—
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—	शून्य	शून्य	—
30.	मिजोरम	53	46	—13.2	28	29	+3.6	शून्य	शून्य	—
31.	पांडिचेरी	8	5	—37.5	6	7	+16.7	शून्य	शून्य	—
	जोड़ (सं० शा० क्षेत्र)	167+6	163+3		176+4	190		60+704	618+1409	
	कुल जोड़	6356	7321		15160	16393		3531	5064	
		6	3		4			704	1409	

नोट : 1. **ये आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं तथा अस्थाई समझे जाएं।**

2. ‡बिहार के संदर्भ में वर्ष 1985 के अगस्त और सितम्बर, 1985 के महीनों के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और 1985 के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

3. बिहार के संदर्भ में छेड़छाड़ के आंकड़ों में अभद्र व्यवहार के आंकड़े सम्मिलित हैं। अभद्र व्यवहार के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण III

वर्ष 1987 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के रूप में सूचित किए गए मामलों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बलात्कार	छेड़छाड़	जंजीर छीनना	महिलाओं तथा लड़कियों का अपहरण	अभद्र व्यवहार	दहेज के कारण हुई मौतें	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	249	उ०न०	526	112	759	166	जुलाई, 1987 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	9	शून्य	11	शून्य	शून्य	
3.	असम	310	87	2	174	2	3	अक्तूबर, 1987 तक
4.	बिहार	580	244**	2	271*	**	£40	
5.	गोवा	11	10	13	शून्य	शून्य	शून्य	

6.	गुजरात	159	663	105	542	112	23	
7.	हरियाणा	14	41	2	20	32	7	फरवरी, 1987 तक
8.	हिमाचल प्रदेश	34	122	शून्य	85	1	4	
9.	जम्मू और कश्मीर	165	817	शून्य	485	253	10	नवम्बर, 1987 तक
10.	कर्नाटक	164	807	144	100	45	83	
11.	केरल	188	488	223	120	शून्य	2	
12.	मध्य प्रदेश	‡718	2,013	उ०न०	2,363	220	85	मई, 1987 तक
13.	महाराष्ट्र	393	2,417	1,573	606	272	250	
14.	मणिपुर	9	21	शून्य	121	शून्य	शून्य	
15.	मेघालय	16	10	शून्य	22	शून्य	शून्य	नवम्बर, 1987 तक
16.	मिजोरम	62	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
17.	नागालैंड	11	शून्य	शून्य	2	उ०न०	शून्य	
18.	उड़ीसा	184	524	16	129	50	2	
19.	पंजाब	45	34	9	87	6	68	नवम्बर, 1987 तक
20.	राजस्थान	604	964	26	1,512	21	113	
21.	सिक्किम	8	12	शून्य	3	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तमिलनाडु	231	726	519	337	874	49	
23.	त्रिपुरा	43	26	शून्य	13	1	3	
24.	उत्तर प्रदेश	1,291	1,795	107	1,923	1,700	553	
25.	पश्चिम बंगाल	374	259	89	253	43	76	सितम्बर, 1987 तक
	संघ शासित क्षेत्र							
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	23	शून्य	7	6	शून्य	
27.	चंडीगढ़	4	5	1	27	14	शून्य	
28.	दादरा और नगर हवेली	2	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जंजीर छीनने तथा अपहरण के आंकड़े नवम्बर, 1987 तक
29.	दिल्ली	103	95	71	523	1,777	79	
30.	दमन और दीव	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
32.	पांडिचेरी	7	7	7	4	शून्य	शून्य	

नोट : 1. ये आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं तथा अस्थाई समझे जाएं ।

2. उ०न० का अर्थ उपलब्ध नहीं ।

3. *बिहार राज्य में लड़कियों तथा महिलाओं के अपहरण के आंकड़ों में अप्रैल, 1987 से जून, 1987 तक महीनों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

4. **बिहार के लिए छेड़छाड़ तथा अभद्र व्यवहार के आंकड़े संयुक्त हैं तथा इनमें अप्रैल, 1987 से जून, 1987 तक के महीनों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

5. £बिहार के संबंध में दहेज के कारण हुई मौतों के आंकड़े जनवरी, 1987 से मार्च, 1987 तक के हैं ।

6. ‡मध्य प्रदेश के आंकड़ों में छः जिलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

कर्नाटक राज्य में सिविल कर्मचारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति

3328. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में कितने सिविल कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या इन भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति नहीं की जाती है;

(ग) क्या राज्य के सिविल अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति करने की पद्धति समाप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विगत 3 वर्षों के दौरान, कर्नाटक के राज्य सिविल सेवा तथा गैर-राज्य सिविल सेवा के कुल 10 (दस) अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए हैं, इसी अवधि के दौरान, कर्नाटक के इतने ही राज्य पुलिस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए गए हैं।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के पश्चात्, राज्य सरकार के अधिकारियों को केन्द्र में भी प्रतिनियुक्ति पर इस शर्त पर लिया जाता है कि उनके लिए प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव किया जाए और उन्हें भारत सरकार में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाए।

(ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि राज्य सरकार के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की प्रथा को समाप्त किया जाए।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामले

3329. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए कर्नाटक सरकार से अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) कितने आवेदनों को स्वीकृति दी जानी है; और

(घ) शेष आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ). कर्नाटक से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन, 1980 के अधीन कुल 18,547 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 31.1.1988 तक 9,836 मामलों में पेंशन स्वीकृत कर दी गई है,

इनमें विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन भी शामिल हैं जिनमें विलम्ब क्षमा करने के बाद पेंशन स्वीकृत कर दी गई। 31.1.88 तक आर्य समाज आन्दोलन 1938-39 से संबंधित 67 मामले लम्बित हैं। ऐसे मामलों की संवीक्षा करने के लिए आर्य समाज आन्दोलन से संबंधित प्रख्यात गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई है।

सिक्किम में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले विकलांग व्यक्ति

3330. **श्रीमति डी० के० भंडारी** : क्या **कल्याण** मंत्री सिक्किम में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों के बारे में क्रमश: 1 अप्रैल, 1986 और 26 अगस्त 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5250 और 4935 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग व्यक्तियों के बारे में अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई विकलांग व्यक्ति नही है जो सिक्किम स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में काम कर रहा है।

एशिया इलेक्ट्रानिक्स यूनियन के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

3331. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एशिया इलेक्ट्रानिक्स यूनियन को इलेक्ट्रानिकी में उसके जनशक्ति विकास कार्यक्रम में सहायता देने के लिए उसके सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं;

(ग) भारत द्वारा की गई पेशकश का अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एशिया इलेक्ट्रानिक्स यूनियन द्वारा भारत में एक गोष्टी आयोजित की गई थी और यदि हां, तो उसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) विद्यमान संस्थानों में से ऐसे केन्द्रों का पता लगाया जाएगा, जो सदस्य देशों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर निर्भर करता है।

(ग) भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने की दृष्टि से विशिष्ट रूप से निम्नलिखित सुविधाएं देने की पेशकश की है :

1. शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं, शोल्डर कर्मशालाओं, वीडियो दूर अध्यापन कार्यक्रमों तथा इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्रों के जरिए जन-शक्ति प्रशिक्षण।

2. औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने तथा सम्बद्ध परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करना ।

3. आंकड़ा बैंक बनाना ।

4. स्वतंत्र रूप से परीक्षण तथा निरीक्षण (जिसमें अंशांकन विशेषज्ञता तथा सेवाएं शामिल हैं) ।

(घ) जी, हां । दिनांक 12-13 फरवरी, 1988 को "इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूर संचार उद्यो तथा प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय सहयोग" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया । सेमिनार द्वा की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

विषय : **दसवीं एशिया इलेक्ट्रानिक यूनियन की आम सभा तथा क्षेत्रीय सहयोग पर सेमिनार**

दिनांक 11 फरवरी, 1988 को एशिया इलेक्ट्रॉनिकी यूनियन (ए०ई०यू०) की दसवीं आ सभा आयोजित की गई जिसमें 9 सदस्य देशों के 23 विदेशी प्रतिनिधि मंडलों तथा भारत के 4 प्रतितिधि मण्डलों ने आम सभा में भाग लिया ।

विभिन्न सदस्य देशों दारा अपने-अपने देश की रिर्पोटों का प्रस्तुतीकरण इस दृष्टि से ला दायक रहा कि लोगों ने एक दूसरे के अनुभव से लाभ उठाया । इससे यह भी पता चला वि विभिन्न देश इलेक्ट्रानिकी तथा दूर संचार के प्रयोग का प्रचार और प्रसार करने का कितना प्रया कर रहे हैं और इन उत्पादों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराने का सुनिश्चय करने की कोशि कर रहे हैं ।

श्री के० पी० पी० नम्बियार, सचिव इलेक्ट्रानिकी विभाग को ए० ई० यू० का अध्यक्ष चु गया । डा० आर० पी० वधवा (भारत) तथा श्री टी० हुसैन (बंगलादेश) को दो उपाध्यक्षों के रू में चुना गया, श्री ई० जी० क्योगीक (जापान) को उप महासचिव के रूप में चुना गया । श् नम्बियार ने इस बात पर जोर दिया कि वे प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विशेष ग्रुप तथा न कार्यक्रमों के जरिए ए ई यू को पुन: शक्ति प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ।

आम सभा का दिनांक 12-13 फरवरी, 1988 को "इलेक्ट्रानिकी तथा दूर संचार-उद्योग त प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय सहयोग" विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया । माननीय केन्द्र वित्त तथा वाणिज्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने सेमिनार का उद्घाटन किया तथा यूनियन नव नियुक्त अध्यक्ष श्री नम्बियार ने सत्र की अध्यक्षता की । मोटे तौर पर चार क्षेत्रों अर्थात उ भोक्ता इलेक्ट्रानिकी, संघटक-पुर्जे, दूर संचार तथा कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को सेमिनार में शामिल किया गया । इन चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं के अन्त जापान, बंगलादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों से 9 लेख प्राप्त हुए तथा भारत से 5 प्रलेख प्राप्त हु सेमिनार पूर्णकालिक अधिवेशन के साथ समाप्त हुआ; सेमिनार द्वारा की गई कुछ सिफारिशें त उनका सारांश नीचे दिए अनुसार है :

1. व्यापार के विकास में वृद्धि तथा उसमें तेजी लाने के लिए एक दूसरे के साधन स्त्रो से लाभ उठाने की दृष्टि से समान मानदंड तैयार करना ।

2. नई प्रौद्योगिकियों तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकियों में योजना बनाने, दूर संचार नेटवर्कों में प्रचालन की दृष्टि से अनुरक्षण करने के लिए विशेषज्ञों का पूल बनाना।

3. संघटक-पुर्जों की कमी दूर करने के लिए एकतंत्र का विकास करना।

4. प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए विशेषकर दूर से पता लगाने से संबंधित क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए अंतरिक्ष का प्रयोग एक माध्यम के रूप में करना।

5. उप अनुबंधन तथा अनुपूरक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विशेष ग्रुप का गठन करना।

6. निपुणता के उच्चतर क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की दृष्टि से सूचना-विज्ञान संस्थान की स्थापना करना।

7. एक ऐसी निर्देशिका तैयार करने में एशिया इलेक्ट्रॉनिक यूनियन और यूनीडो (संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन) के बीच सहयोग जिसमें यह सूचना दी गई हो कि प्रत्येक देश के प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के स्रोत क्या हैं और उनकी क्षमता क्या है।

8. एक कार्य दल का गठन जो क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का पूर्वानुमान लगाने और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगा जहां उत्पादन में अन्तराल है।

9. ए ई यू मुख्यालय में आंकड़ा बैंक स्थापित करना जिसके अन्तर्गत जनांकिकीय तथा बाजार से संबंधित सूचना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थिति, अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यकलाप, भावी प्रौद्योगिकीय परियोजनाएं तथा सामग्रियों की उपलब्धता, आदि जैसे क्षेत्रों में शामिल होंगे।

10. प्रत्येक सदस्य देश के संबंध में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें उनकी स्थिति मजबूत हो और सम्पूर्ण क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से उस स्थिति का अधिकतम सम्भव सीमा तक लाभ उठाना।

इस प्रकार के कार्यक्रमों से कम लागत पर अधिक उत्पादन करने के लिए संयुक्त उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और अथवा यहां तक कि सदस्य देशों अथवा गैर सदस्य देशों में भी अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने की दृष्टि से विशिष्ट रूप से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं :

(क) शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षण तथा अंशाँकन प्रयोगशालाओं, शोल्डर कर्मशालाओं, वीडियो दूर अध्यापन कार्यक्रमों तथा इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्रों के जरिए जनशक्ति प्रशिक्षण।

(ख) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने तथा सम्बद्ध परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

(ग) आंकड़ा बैंक बनाना।

(घ) स्वतंत्र रूप से परीक्षण तथा निरीक्षण (जिसमें अंशांकन विशेषज्ञता तथा सेवाएं शामिल हैं)।

यह आशा की जाती है कि इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कारंवाई के रूप में क्षेत्रीय देशों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक तथा दूर संचार के उत्पादों को विनिर्माण संबंधी सुविधाओं के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के उद्देश्य से आंतरिक पूंजीनिवेश किए जाएंगे। इसके फलस्वरूप, व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एशिया इलेक्ट्रॉनिक यूनियन के तत्वावधान में विभिन्न सदस्य देशों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सेमिनारों/सम्मेलनों के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी इनमें कितनी दिलचस्पी है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

अगली आम सभा लगभग वर्ष 1989 के अंत तक बंगलादेश में आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट सचिव की नियुक्ति

3332. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैबिनेट सचिव को नियुक्त करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई संहिताबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिव का पद सीनियर स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आता है जिसके अनुसार अलग-अलग अधिकारियों की सेवाएं उनके सम्बन्धित संवर्ग प्राधिकारियों से उधार ली जाती हैं। यह नियुक्ति ऐसे अधिकारियों में से उनके अनुभव और नियुक्ति के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, की जाती है जो भारत सरकार के सचिवों के रूप में अथवा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के रूप में कार्य करते हैं।

राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श

3333. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श किए जाने की कोई परम्परा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में छह राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों से सलाह ली गई थी ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्।

सी०आई०ए० एजेंट

[हिन्दी]

3335. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सिक्रेट वार्स आफ दि सी०आई०ए० 1981-87" शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें इसके लेखक अमरीकी पत्रकार, मि०

बाब वुडवार्ड, ने कहा है कि सी०आई०ए० के एजेंट भारत में सक्रिय हैं तथा उन्होंने सोवियत संघ के साथ किए गए रक्षा सौदों के बारे में जानकारी एकत्र की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). सरकार "सीक्रेट वार्स आफ सी०आई०ए० 1981-87" शीर्षक पुस्तक में लगाए गए आरोप से अवगत है। इसको प्रमाणिक करने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह कहा जा सकता है कि आन्तरिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जासूसी तथा तोड़-फोड़ से सम्बन्धित गतिविधियों का पता लगाने, खोजबीन करने तथा उनको निष्प्रभावी करने के लिए निरन्तर सतर्कता बरती जाती है।

श्रीलंका में शांति सेना पर खर्च को गई धनराशि का कुछ अंश श्रीलंका द्वारा वहन करने के बारे में समझौता

[अनुवाद]

3336. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति सेना पर किये गये व्यय का भुगतान करने के लिए श्रीलंका के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अनुसंधान में भारत-फ्रांस सहयोग

3337. श्री एस०एम० गुरड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में रक्षा अनुसंधान में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे और फ्रांस से सहयोग करने के बाद हमारे रक्षा अनुसंधान में किस सीमा तक सुधार होगा; और

(ग) रक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने में कुल कितना व्यय होगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). रक्षा अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र में भारत और फ्रांस के मध्य सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण हमारी आवश्यकता और दोनों देशों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। ऐसे कुछ क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और उन पर कार्य चल रहा है। आगे और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) 1987-88 के दौरान रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का वार्षिक बजट 536.00 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) होने का अनुमान है। लेखा वर्ष की समाप्ति पर लेखों को अन्तिम रूप से बन्द करने के बाद ही वास्तविक व्यय का पता चलेगा।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा आन्दोलन से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सहायता

3338. श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के हिंसाकारियों पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अतिरिक्त अर्द्ध सैनिक बलों के लिए अनुरोध किये। विभिन्न राज्य सरकारों से बलों के लिए प्राप्त हुई मांगों और उपलब्ध रिजर्व बलों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती करके अधिकतम सम्भव सहायता प्रदान की। पश्चिम बंगाल को समय-समय पर उपलब्ध कराये गये अर्द्ध सैनिक बलों की संख्या प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

पाकिस्तान में अमरीकी नौसेना को सुविधाएं

[हिन्दी]

3340. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1988 के "दि ट्रिब्यून" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान अमरीकी नौसेना को फारस की खाड़ी में उसकी सैनिक कार्यवाही के लिए कुछ सुविधाएं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका की सरकार के अनुसार, उसके समुद्री निरीक्षण विमानों सहित उसके सैनिक विमान पाकिस्तान की सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान

से होकर गुजरते हैं। पाकिस्तान ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस प्रकार की सुविधाएं देना एक आम दस्तूर है।

(ग) हमारे पड़ोस में विदेशी अड्डे बनाने अथवा इस प्रकार की सुविधाएं देने से समस्त क्षेत्र की सुरक्षा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी चिन्ता से पाकिस्तान और अमरीका को अवगत करा दिया है।

पुलिस के मुख्य अधिकारियों के लिये कार्यशालाएं

[अनुवाद]

3341. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलैक्टरों और जिलाधीशों के भोपाल और हैदराबाद में आयोजित कार्यशालाओं के सफल प्रयोग को ध्यान में रखते हुए पुलिस के मुख्य अधिकारियों के लिए भी ऐसी ही कार्यशालायें आयोजित करने का विचार है क्योंकि जिले में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व मुख्यतः इन अधिकारियों पर है और आम जनता से सीधा सम्पर्क भी इन्हीं का होता है; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी कबीले

3342. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कौन-कौन से आदिवासी कबीले हैं;

(ख) क्या उनमें से कुछ कबीले धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री : (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) भारत के संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऐसे कोई आदिवासी कबीले नहीं हैं। फिर भी, देश के विभिन्न भागों में 73 आदिवासी समूहों को आदिम-जनजाति के रूप में अभिज्ञात किया गया है, जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग). सरकार के पास उपलब्ध सूचना से इस बात का पता नहीं चलता कि कुछ आदिवासी समुदाय धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं।

(घ) सातवीं योजना के दौरान आदिम जनजाति जैसे अलाभान्वित आदिवासी समूहों के लिए बनाई गई माइक्रो-परियोजनाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण अंग है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सहायता से ऐसे समूहों के लिए स्वास्थ्य अध्ययन शुरू किए गए हैं। ये अध्ययन *आदिवासी क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाने वाले सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं।*

विवरण

स्वीकृत आदिम जनजातीय समूहों की सूची

1. आंध्र प्रदेश	1. बोडो गाडाबा 2. बोन्डो पोरोजा 3. चेन्चू 4. डोंगरिया खोंडा 5. गुतोब गाडाबा 6. खोंड पोरोजा 7. कोला 8. कोन्डा रेड्डी 9. कोन्डा सवारस 10. कुटिया खोन्ड 11. परेन्गी पोरोजा 12. थोर्टा
2. बिहार	13. असुरस 14. बिरहोर 15. बिरजा 16. हिल खारिया 17. कोखास 18. मल पहाड़िया 19. सेहरियास 20. सावरिया पहाड़िया 21. सावार
3. गुजरात	22. कठोडी 23. कोतवालिया 24. पधार 25. सिद्दी 26. कोलघा
4. कर्नाटक	27. जेनु कुरूबा 28. कोरागा
5. केरल	29. चोलानाएकायन (कट्टू नायकन्स का एक वर्ग) 30. कादर 31. कट्टूनायकंस 32. कुरूम्बस
6. मध्य प्रदेश	33. अभुझरियस 34. बैगस 35. भारियास 36. हिल कोरबास 37. कमरस 38. सहरियास
7. महाराष्ट्र	39. कटकारिया (कठोडिया) 40. कोलम 41. मारिया गोन्ड
8. मणिपुर	42. मरम नागास
9. उड़ीसा	43. बिरहोर 44. बोन्डो 45. दीदायी 46. डोंगरिया खोंड 47. जुअन्गस 48. खारियास 49. कुटिया खोंड 50. लांजिया सौरस 51. लोढ़ास 52. मनकीडियास 53. पावडी भुअन्स 54. सौरा
10. राजस्थान	55. सेहाराईया
11. तमिलनाडु	56. कट्टूनायकन्स 57. कोटास 58. कुरूम्बास 59. इल्लास 60. प्रनियन्स 61. टोडास
12. त्रिपुरा	62. रीगंस
13. उत्तर प्रदेश	63. बुक्सास 64. राज़ीस

14. पश्चिम बंगाल	65. बिरहोर 66. लोढ़ार 67. टोटोस
15. अंडमान और निकोबार द्वीप	68. ग्रेट अंडाकानीज 69. जारावास 70. ओगेस 71. सेंटेनेलेसि 72. शोम्पेन्स 73. *कोरागा

*केरल में कोरागा को जनवरी, 1987 के दौरान अभिज्ञात किया गया।

असंगतियां दूर करने के लिये समिति की नियुक्ति

3343. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के (i) आश्रितों की आय की अधिकतम सीमा में संशोधन करने और (ii) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय से उत्पन्न हुई असंगतियों को दूर करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : (क) (i) चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यात्रा भत्ता के प्रयोजन से आश्रितों की आय सीमा को नवम्बर, 1986 में 250/-रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 500/-रुपये प्रतिमास कर दिया गया था।

(ii) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. विसंगति की परिभाषा

विसंगति समितियों (राष्ट्रीय तथा विभागीय दोनों) में जिन विसंगतियों पर विचार विमर्श किया जा सकता है, उनका संबंध संशोधित वेतनमान में वेतन के नियतन, वेतनवृद्धि की तारीख, विकल्प का प्रयोग, जो कर्मचारी नियत तारीख 1.1.86 के बाद की तारीख से संशोधित वेतनमानों का विकल्प देते हैं, उनके वेतन नियतन, प्रगतिरोध वेतन-वृद्धि, वरिष्ठ/कनिष्ठ होने की समस्याएं, पुन: नियतन के बाद विद्यमान परिलब्धियों में कमी के मामलों आदि से उत्पन्न विसंगतियों से हैं।

वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा स्वीकार किए गये वेतनमानों में अन्तर कार्य और अन्तर्विभागीय तुलनाओं पर आधारित विसंगतियों के आधार पर आशोधन के अनुरोधों को सामान्यत: विसंगति समितियों के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा जाएगा। तथापि, इस स्वरूप के आपवादिक मामलों को विसंगति समितियों के सम्मुख लाया जा सकता है। विसंगति समिति ऐसे मामलों की जांच करेगी और उन्हें निपटान के लिए वित्त मंत्रालय को भेजेगी।

2. गठन

विसंगति समितियों के दो स्तर होंगे, राष्ट्रीय तथा विभागीय, जिसमें क्रमश: राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(3) राष्ट्रीय विसंगति समिति दो अथवा दो से अधिक विभागों के लिए एक जैसी विसंगतियों तथा एक ही प्रकार के कर्मचारियों के वर्गों के संबंध में कार्रवाई करेगी। विभागीय विसंगति समिति संबंधित विभाग के बारे में विसंगतियों पर कार्रवाई करेगी। ये विसंगति समितियां संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन कार्य करेगी।

(4) विसंगति समितियां अपनी स्थापना की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपना विचार विमर्श पूरा करेगी।

(5) वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिशों को बिना आशोधनों के स्वीकार कर लेने के कारण उत्पन्न विसंगतियों से संबंधित निर्णयों अथवा ऐसे आशोधनों के संबंध में जिनके कारण, विसंगति समितियों में विचार विमर्श के फलस्वरूप वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार होता हो, पांच वर्षों तक कोई विवाचन नहीं होगा।

अधिकारियों द्वारा जनता के साथ कार्यव्यवहार में उदासीनता बरतना

3344. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी अधिकारियों द्वारा जनता के साथ कार्यव्यवहार में उदासीनता बरतने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). सरकार को अपने अधिकारियों की ओर से जनता के साथ कार्यव्यवहार में और अधिक संवेदनशील (रिस्पोंसिव) रवैया अपनाए जाने की आवश्यकता के बारे में जानकारी है। बीस सूत्री कार्यक्रम, 1986 का बीसवां सूत्र विशेष रूप से इसी विषय पर ध्यान केन्द्रित करता है। बीसवें सूत्र के अनुपालन में की गई कार्रवाई की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। जनता से प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए सिफारिश किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछेक निम्नलिखित हैं :

(i) जनता से प्राप्त प्रत्येक पत्र का जवाब सामान्यत: 15 दिन के भीतर दे दिया जाना चाहिए।

(ii) जहां अन्तिम रूप से उत्तर दिए जाने में देरी लगना संभावित हो, अथवा सूचना किसी अन्य मंत्रालय अथवा अन्य कार्यालय से प्राप्त की जानी हो वहां उस संभव तारीख का, जिस तारीख तक अन्तिम रूप से उत्तर दिया जा सकता हो, उल्लेख करते हुए अन्तिम उत्तर भेज दिया जाए।

(iii) जहां किसी व्यक्ति के अनुरोध को किसी कारणवश स्वीकार न किया जा सकता हो वहां ऐसे अनुरोध को स्वीकार न किए जाने के कारण बताए जाने चाहिए।

(iv) जहां तक संभव हो, जनता के अनुरोधों को जनता के ही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए न कि केवल उस दृष्टिकोण से जो कि प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक हो।

अधिकारियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करते समय जनता के साथ कार्य-व्यवहार में उनके द्वारा बरती गई संवेदनशीलता और शिष्टाचार को भी ध्यान में रखा जाता है।

परियोजना कार्यान्वयन के संबंध में सलाहकार परिषद की रिपोर्ट

3345. श्री शरद दिघे : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजना-कार्यान्वयन के संबंध में श्री रतन टाटा की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद का गठन परियोजना कार्यान्वयन प्रणाली तथा संगठनात्मक विकास में सुधार लाने के बारे में कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सलाह देने के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और जन हित में, इस स्तर पर विषय वस्तु को बताया नहीं जा सकता।

कार्य सुधार दलों का बनाया जाना

3346. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में कार्य-प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए विभागों/उपक्रमों में कार्य सुधार दल बनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्य सुधार दलों को आरम्भ किये जाने के पश्चात् कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक उद्यम विभाग सहित कुछ चुने हुए मंत्रालयों/विभागों को (जापान में विकसित क्वालिटी सर्किलों की अवधारणा के लिए गए) कार्य सुधार दलों (विट्स) की स्थापना करने को कहा है। विट्स की इस पद्धति की आजमाइश सिंगापुर और फीलीपिन्स द्वारा अपने कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी की गई है, जिन मंत्रालयों को पत्र भेजे गए हैं उनमें से अधिकांश ने कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संगठन की उत्पादकता और समग्र निष्पादन में सुधार लाने के लिए विट्स की स्थापना की दिशा में पहले ही कारंवाई आरंभ कर दी है। इन से अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि अवधारणा को निम्न प्रकार के अनेक संगठनों में लागू किया जा चुका है, जैसे कि :

—दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के पोस्टल सर्किल

—श्रम मंत्रालय का उत्प्रवास प्रभाग

—रेल मंत्रालय के अधीन वाराणसी स्थित डीजल इंजन वर्क्स तथा चितरंजन इंजन वर्क्स

—दिल्ली विकास प्राधिकरण—सरकारी क्षेत्र के बैंक आदि।

प्रारम्भिक परिणाम उत्साहवर्धक पाए जाते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की संख्या

3347. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर पर राज्य-वार संवर्ग पदों की संख्या क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार बाह्य-संवर्ग प्रतिनियुक्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्, : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	संवर्ग का नाम	कुल अधिकृत संख्या	संवर्ग पदों की संख्या		
			पुलिस महा-निदेशक	पुलिस महा-निरीक्षक	पुलिस उप महा-निरीक्षक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	179	1	3	20
2.	असम-मेघालय	121	1	3	12
3.	बिहार	219	1	5	25
4.	गुजरात	136	1	2	15
5.	हरियाणा	93	1	1	8
6.	हिमाचल प्रदेश	58	1	—	5
7.	जम्मू और कश्मीर	80	1	4	8
8.	कर्नाटक	130	1	4	19

1	2	3	4	5	6
9.	केरल	111	1	3	11
10.	मध्य प्रदेश	303	1	4	27
11.	महाराष्ट्र	207	1	4	20
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	95	—	2	6
13.	नागालैंड	42	—	1	4
14.	उड़ीसा	123	1	2	14
15.	पंजाब	119	1	1	9
16.	राजस्थान	136	1	2	18
17.	सिक्किम	22	—	1	2
18.	तमिलनाडु	159	1	3	19
19.	संघ शासित क्षेत्र	129	—	2	12
20.	उत्तर प्रदेश	350	1	4	29
21.	पश्चिम बंगाल	264	1	7	22

पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता

[हिन्दी]

3348. श्री राजकुमार राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त 1 जनवरी, 1988 से देय हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) 31.12.1987 को समाप्त होने वाले माह के लिए, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीनों की औसत में 608 के सूचकांक औसत से ऊपर वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को 1.1.1988 से अनुज्ञेय महंगाई राहत की संशोधित दरें, रु० 1750/-तक की मूल पेंशन का 18 प्रतिशत रु० 1750/- से अधिक परन्तु रु० 3000/- तक की मूल पेंशन का 13 प्रतिशत और रु० 3000/- से अधिक की मूल पेंशन का 11 प्रतिशत प्रतिमाह होंगी। उक्त मामला विचाराधीन है और इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

मिलिटरी डेरी फार्म

[अनुवाद]

3349. श्री महेन्द्र सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिलिटरी डेरी फार्मों की संख्या कितनी है, ये कहां-कहां पर स्थापित किए गए हैं, इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) ऐसे कितने डेरी फार्म लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा कितने डेरी फार्म घाटे में चल रहे हैं और गत तीन वर्षों में उन्हें कितनी राशि का घाटा हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में मिलिटरी डेरी फार्मों को बन्द करने का विचार है जहां पर दुग्ध उत्पादन और वितरण का कार्य सरकारी डेरी फार्मों, कृषक सहकारी दुग्ध उत्पादक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ और हानि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण I

क्रम सं०	फार्म का नाम	स्थान	स्थान के आधार पर दूध की लिटरों में वार्षिक उत्पादन क्षमता	दूध का लिटरों में वार्षिक उत्पादन	लगाई गई राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बंगलौर	बंगलौर	1752000	1821863	5304010
2.	अहमदनगर	अहमदनगर	876000	362998	1651464
3.	बेलगाम	बेलगाम	1022000	523497	1446118
4.	देवलाली	देवलाली	1752000	484953	2227182
5.	पिंपरी	पिंपरी (पुणे)	3825200	2494751	10666020
6.	सिकन्दराबाद	सिकन्दराबाद	2920000	1735450	4910842
7.	मीसामाड़ी	मीसामाड़ी	250000	184376	206000
8.	अम्बाला	अम्बाला	3504000	2777061	9310025
9.	फिरोजपुर	फिरोजपुर	1314000	809635	4356034
10.	जालन्धर	जालन्धर	35।4000	1915845	4796011
11.	डगसाई	डगसाई	3 27040	369957	1675246

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	बिरसारंगवाल	बिरसारंगवाल	1606000	1000550	2882339
13.	आगरा	आगरा	2336000	535932	1901728
14.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	876000	448525	2016723
15.	बरेली	बरेली	1241000	551795	2171150
16.	देहरादून	देहरादून	934400	1145120	384698
17.	झांसी	झांसी	1389920	797267	2821285
18.	कानपुर	कानपुर	584000	271994	1101717
19.	लखनऊ	लखनऊ	2920000	951789	5094388
20.	मेरठ	मेरठ	7080000	1599014	8112729
21.	नामकुम	नामकुम	963600	599778	3064968
22.	ग्वालियर	ग्वालियर	—	शून्य	615014
23.	जबलपुर	जबलपुर	2920000	1319785	3605775
24.	महू	महू	730000	274707	1074255
25.	डलहौजी	डलहौजी	150000	171436	408025

विवरण II

लाभ (+)/हानि (—) (रुपयों में)

क्रम सं०	फार्म का नाम	1984-85	1985-86	1986-87
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बंगलौर	+ 903784	— 90282	—1103181
2.	अहमदनगर	+1042096	+1880487	+1367393
3.	बेलगाम	+1158058	+1122008	+ 122179
4.	देवलाली	+1195848	+ 103682	— 29666
5.	पिंपरी	+ 46564	+ 81427	—1744613
6.	सिकन्दराबाद	+2966097	+1394570	+ 492670
7.	मीसामाड़ी	+ 664702	+ 352120	+ 110498
8.	अम्बाला	+2056013	+1688670	+1284782
9.	फिरोजपुर	+ 950858	+ 188447	+ 31894
10.	जालन्धर	+1745374	+1648423	+ 122940
11.	डगसाई	+ 114746	+ 133497	+ 78725

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	बिरसारंगवाल	+ 8847	+ 28176	+ 16791
13.	आगरा	+ 456859	+ 315957	— 448484
14.	इलाहाबाद	+ 144471	+ 159305	— 850359
15.	बरेली	+ 814951	+ 482231	+ 92507
16.	देहरादून	+ 745667	+1194516	+ 419410
17.	झांसी	+1035290	+ 200838	+ 246201
18.	कानपुर	+ 428470	+ 218427	— 367835
19.	लखनऊ	+ 290770	+ 287896	+ 42963
20.	मेरठ	+ 750836	+1033770	+ 629562
21.	नामकुम	+1348189	+1379085	— 174139
22.	ग्वालियर	+ 215735	+ 234400	+ 164203
23.	जबलपुर	+1855665	+3267568	+1464444
24.	महू	+ 327637	+ 217361	+ 330128
25.	डलहौजी	+ 42373	+ 29932	+ 4938

उत्तर कोरिया के प्रधान मंत्री की यात्रा

3350. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री फरवरी, 1988 में चार दिन के लिए भारत यात्रा पर आए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किये गये विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) उत्तर कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य की प्रशासनिक परिषद के प्रीमियर श्री ली गुन मो ने 18 से 21 फरवरी, 1988 तक भारत की यात्रा की।

(ख) उनकी इस यात्रा से भारत और कोरिया लोकतान्त्रिक जन गणराज्य के बीच आपसी हित के मामलों के बारे में उपयोगी और रचनात्मक विचार-विनिमय का अवसर मिला। यह फैसला किया गया कि आपसी सम्बन्धों में आर्थिक पहलू को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया जाए।

आयुध कारखानों में और अधिक श्रमिकों की भर्ती

3351. **श्री अजय मुशरान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जबलपुर/कटनी स्थित आयुध कारखानों में निकट भविष्य में नई उत्पादन क्षमता स्थापित किए जाने को ध्यान में रखते हुए अधिक श्रमिकों की भर्ती करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी में कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जब कभी उपर्युक्त फैक्टरियों में नई वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया जाता है, आवश्यक जनशक्ति की पुनर्नियुक्ति तथा/अथवा भर्ती के बारे में विचार किया जाता है।

(ख) इस स्थिति में यह प्रश्न नहीं उठता।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

3352. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1988 को पेंशन की मंजूरी के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों के विचाराधीन आवेदन-पत्रों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों को कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) 31.1.1988 तक 1231 मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना है। उनमें से 442 मामले ऐसे हैं जिनको उनकी कुछ विशेष बातों के कारण पिछले वित्त वर्ष के दौरान चलाए गए विशेष अभियान में निपटाया नहीं जा सका,

784 मामलों की संवीक्षा आर्य समाज आन्दोलन के मामलों के बारे में गैर-सरकारी समिति द्वारा की जानी है तथा 5 मामले सिन्ध से सम्बन्धित मामलों की समिति से सम्बन्धित हैं। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विशेष लक्षणों वाले मामलों को सम्बन्धित राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम रूप दिया जाएगा। शेष मामलों को सम्बन्धित गैर-सरकारी समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर संवीक्षा करने के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

(क) विशेष लक्षण वाले मामले

राज्य का नाम	लम्बित मामले
1	2
आंध्र प्रदेश	45
बिहार	276
केरल	10
मध्य प्रदेश	46
महाराष्ट्र	28
पश्चिम बंगाल	37
	442

(ख) आर्य समाज समिति से सम्बन्धित मामले

आन्ध्र प्रदेश	96
बिहार	193
दिल्ली	33
गुजरात	1
हरियाणा	104
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	67

1	2
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	25
पंजाब	189
राजस्थान	26
उत्तर प्रदेश	35
पश्चिम बंगाल	1
	784
(ग) सिन्ध समिति से सम्बन्धित मामले	5
कुल	1231

धर्म को राजनीति से अलग रखना

3353. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धर्म को राजनीति से अलग रखने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). धर्म को राजनीति से अलग करने के सम्बन्ध में उपयुक्त विधायन का प्रश्न संवेदनशील मामला है। सरकार इस मामले पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार कर रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए राज्य सिविल सेवाओं को महत्व

3354. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए राज्य सिविल सेवाओं के व्यक्तियों को अधिक महत्व देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

नियतकालिक कार्यशालाएं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

3355. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन को दुरुस्त बनाने के लिए, नियतकालिक कार्यशालाएं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशासनिक स्तर पर होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी हां, अखिल भारतीय तथा केन्द्राय समूह "क" सेवाओं के कतिपय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा, अल्पकालीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सर्वसाधारण की सेवा के लिए क्षमता का विकास किया जा सके और एक कार्य-संस्कृति उत्पन्न की जा सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसका यह मंत्रालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है, से सम्बन्धित इन कार्यक्रमों में, 27 विषयों में एक सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और एक अधिकारी के कैरियर में तीन स्तरों पर चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् 6-9 वर्षों की सेवा वालों के लिए कर्यक्रम कार्यान्वयन पर; 10—16 वर्षों की सेवा वालों के लिए प्रबन्ध अवधारणाओं तथा निर्णय निर्माण पर; तथा 17—20 वर्षों की सेवा वालों के लिए नीति नियोजन तथा विश्लेषण पर; शामिल हैं।

(ग) और (घ). की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) क्रियाविधियों का सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाना।

(ii) मंत्रलयों के कार्यात्मक क्षेत्रों के सम्बन्ध में, उनके द्वारा समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार किया जाना तथा उसमें जो उपलब्धियां हुई हैं, उनकी नियमित मानिटरिंग करना।

(iii) विभिन्न प्रवर्गों के मामलों पर निर्णय लेने के लिए, मंत्रालयों द्वारा स्तरों का निर्धारण करने तथा उन पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए तथा जिम्मेदारी लागू करने के उद्देश्य से, उन्हें प्रस्तुत करने का क्रम नियत करना।

(iv) वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों को तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन निचले स्तरों के कार्यालयों को शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(v) जनता से प्राप्त लाइसेंसों/अनुमोदन सम्बन्धी आवेदनों के निपटान के लिए समय सीमा का निर्धारण।

इस सम्बन्ध में समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है। जो सुधार किए गए हैं उनके कुछेक उदाहरण इस प्रकार हैं :—आयात/निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन, कम्पनी कार्य विभाग तथा औद्योगिक विभाग में आवेदनों के निपटान की गति को तेज कर दिया गया है, योज-

नाओं की वित्तीय अनापत्ति पर लगने वाले समय को घटा दिया गया है, रेलवे में दावों के निपटान से सम्बन्धित स्थिति में पर्याप्त सुधार कर दिया गया है; आयुध भण्डार वस्तुएं खरीदने तथा उनका निपटान करने सम्बन्धी क्रियाविधियों को सरल बना दिया गया है और मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले कार्य के समग्र निपटान को और आगे कारगर बना दिया गया है।

इंडियन सोसाइटी आफ एरोस्पेस मेडिसिन का वार्षिक सम्मेलन

3356. श्री के० राममूर्ति : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 और 9 जनवरी, 1987 को बंगलौर में हुए इंडियन सोसाइटी आफ एरोस्पेस सोसाइटी के 30वें वार्षिक सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष क्या थे; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडीसिन के बंगलौर में हुए 30वें वार्षिक सम्मेलन में निम्नलिखित सामयिक विषयों पर बातचीत हुई :—

(1) नकारक/सकारक ट्रीटमिल रेसपोंस के विशेष सन्दर्भ में इसकेमिक हृदय रोग के निदान और प्रबन्ध के क्षेत्र में हाल में अपनाए जा रहे रुख;

(2) विमान कर्मियों द्वारा स्वयं औषधि लेने से उत्पन्न खतरे ;

(3) अधिक ऊंचाई वाली संक्रियाओं में विमान कर्मियों से जुड़ी समस्याएं, विशेषरूप से कार्डियो रेसपिरेटरी और शरीर की अन्य प्रणालियों की समस्याएं।

(ख) सम्मेलन में की गई संचालन सिफारिशों को सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है।

भारतीय कम्प्यूटर सोसायटी द्वारा प्रस्तुत सॉफ्टवेयर निर्यात योजना

3357. श्री के० राममूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्प्यूटर सोसायटी द्वारा प्रस्तुत सॉफ्टवेयर निर्यात योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर क्या कार्रवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). इलेक्ट्रानिकी विभाग को भारतीय कम्प्यूटर संस्था (कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया) से सॉफ्टवेयर के निर्यात के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट योजना नहीं प्राप्त हुई है। किन्तु, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को उद्योग से समय-समय पर विभिन्न सुझाव मिल रहे हैं जिन पर विचार करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

मिश्रित पदार्थों तथा ढांचों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3358. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 जनवरी, 1987 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में मिश्रित पदार्थों तथा ढांचों के सम्बन्ध में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष अनुसंधान/प्रौद्योगिकी क्षेत्रों अर्थात् हल्के लड़ाकू विमान प्रक्षेपात्र प्रक्षेपण वाहन, तथा उपग्रह के सम्बन्ध में निकाले गए मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्त में "पेनल" विचार-विमर्श हुआ। "पेनल" विचार-विमर्श में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मिश्रित उत्पादन के विकास को प्रभावी बनाने के लिए देश में ही उन्नत "फाइबरों" का उत्पादन किया जाए। यह भी महसूस किया गया कि विभिन्न विभागों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डिजाइन आंकड़ों की हैंड बुक तैयार करने की जरूरत है। मिश्रित पदार्थों और उत्पादों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के लिए एक अल्पावधिक योजना बनाई जानी चाहिए।

(ख) सम्मेलन के संयोजक द्वारा सम्मेलन की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित विभागों को लिखा जाएगा।

"भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विकास, सम्भावनाएं तथा समस्याएं" सम्बन्धी विचार गोष्ठी

3359. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 और 19 दिसम्बर, 1987 को कर्नाटक में बंगलौर में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, विकास आयुक्त, लघु उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विकास, सम्भावनाएं तथा समस्याएं" सम्बन्धी दो-दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में अन्तिम रूप दिये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) बंगलौर में आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशों पर बंगलौर में कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक उद्योग-संघ द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा ये सिफारिशें अभी इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए शुल्क-ढांचा

3360. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक आयोग में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिए एक तीन स्तर वाले शुल्क के ढांचे और कम से कम तीन वर्षों के लिए एक वस्तुगत नीति का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक्स आयोग के सुझावों पर विचार किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान से उच्च प्रौद्योगिकी

3361. श्री जी० एस० बसवराजू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान से विशेषकर उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, पर्याप्त इक्विटी निवेश तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन नीति संबंधी उपायों की पुनरीक्षा कर रही है जिन्हें जापान ने भारत में निवेश करने के लिए प्रतिकूल बताया है; और

(ग) यदि हां, तो जापान ने क्या-क्या बातें बताई हैं और क्या सरकार इस संबंध में किन्हीं नीति संबंधी उपायों की पुनरीक्षा करने पर सहमत हो गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां। जापान एक ऐसा देश रहा है जिससे भारत ने विगत में प्रौद्यौगिकियों का आयात किया है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल हैं। प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के लिए इस प्रकार के सहयोग इक्विटी पूंजी निवेश, एकमुश्त भुगतानों अथवा रायल्टी के द्वारा हो सकते हैं। भारत में जापान द्वारा पूंजी निवेश विश्व में इसके निवेश का 0.1 प्रतिशत से कम है और इसलिए जापान द्वारा भारत में और पूंजी लगाने के अवसर हैं।

(ख) और (ग). भारत और जापान के बीच हाल ही में नवम्बर, 1987 में हुई सरकारी व्यापार वार्ता में जापानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में पूंजी-निवेश पर हमारी नीतियों और उपायों के सम्बन्ध में उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। उठाये गये मुद्दे हैं; विदेशी इक्विटी साझेदारी का भाग; इस प्रकार के पूंजी निवेश में क्षेत्रों का सीमांकन; अवसंरचना; रायल्टी और करों की दरें, निकासी और पूंजी जमा की कार्यविधियां।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित मामले

3362. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :

श्री शांताराम नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण नई दिल्ली के सामने लम्बित मामलों के बारे में 18 नवम्बर, 1987 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की न्यायपीठों, विशेष कर दिल्ली स्थित मुख्य न्यायपीठ की संख्या बढ़ाने के मामले में कोई प्रगति हुई है, जहां लम्बित पड़े मामलों की संख्या बहुत अधिक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) न्यायाधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के समक्ष इस समय कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(घ) न्यायाधिकरण की कितनी अतिरिक्त न्यायपीठें स्थापित करने का प्रस्ताव है और वे कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां । केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान न्यायपीठ में हाल ही में एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 31.1.88 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के समक्ष लम्बित मामलों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(घ) सरकार ने ऐसे सभी स्थानों पर, जहां उच्च न्यायालयों की सीटे हैं, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थायी अथवा सर्किट न्यायपीठों की स्थापना करने का निर्णय पहले ही ले लिया है ।

विवरण

क्रम सं०	न्यायपीठ का नाम	लम्बित मामले
1.	प्रधान न्याय पीठ	3380
2.	अहमदाबाद न्यायपीठ	1298
3.	इलाहाबाद न्यायपीठ	3812
4.	बंगलौर न्यायपीठ	394
5.	न्यू बौम्बे न्यायपीठ	1494
6.	कलकत्ता न्यायपीठ	2532
7.	चंडीगढ़ न्यायपीठ	848
8.	कटक न्यायपीठ	517
9.	गुवाहाटी न्यायपीठ	164
10.	हैदराबाद न्यायपीठ	1285
11.	जबलपुर न्यायपीठ	1246
12.	जोधपुर न्यायपीठ	2541
13.	मद्रास न्यायपीठ	1602
14.	पटना न्यायपीठ	352
	कुल	21465

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की "एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्टीग्रेटिड सर्किट" बनाने की योजना

3363. श्री वाई० एस० महाजन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अमरीका की आर सी ए के सहयोग में "एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्टीग्रेटिड सर्किट" बनाने की योजना सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण करने पर कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा रंगीन टेलीविजन के उपकरणों का उत्पादन

3364. श्री वाई० एस० महाजन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रंगीन टेलीविजन सेटों के लिए आवश्यक उपकरणों के उत्पादन की तकनीकी जानकारी तथा आधारभूत प्रबंध प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में रंगीन टेलीविजन सेटों के उपकरणों का उत्पादन करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास रंगीन टेलीविजन सेट के निर्माण हेतु हिस्से पुर्जों का बड़ी संख्या में उत्पादन करने के लिए तकनीकी जानकारी और मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का यह उद्देश्य है कि उसके पास उपलब्ध प्रबंधकीय, वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाए।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित डिजिटल रेडियो डिसप्ले उपकरण

3365. श्री वाई० एस० महाजन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सार्वजनिक दूर-संचार विस्तार कार्यक्रम के लिए उपयुक्त उच्च शक्ति का 120—चैनल का डिजिटल रेडियो रिले उपकरण विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में उपकरणों का निर्माण प्रारंभ करने से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दूरसंचार विभाग के लिए 120-चैनल यू एच एफ आकाशवाणी (रेडियो) प्रसारण उपकरण विकसित किया है। अक्तूबर, 1985 में उक्त विभाग को भेजे गए चार उपकरण सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 150 उपकरणों का उत्पादन होने पर लगभग 300 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

जबलपुर-मांडला मार्ग पर बस दुर्घटना में ग्रन्तग्रंस्त आयुध कारखाने के कर्मचारी

3366. श्री अजय मुशरान : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 फरवरी, 1988 को जबलपुर-मांडला मार्ग पर, बलई नदी में हुई बस दुर्घटना में आयुध कारखाना खमारिया, जी सी एफ, वी एफ जे और जी आई एफ के कितने कर्मचारी अन्तग्रंस्त हुए थे और उनमें से कितनों की मृत्यु हुई थी अथवा स्थायी रूप से अक्षम हो गए थे, अथवा गंभीर रूप से जख्मी हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). इस बस दुर्घटना में जो एक विवाह समारोह में बारातियों को ले जा रही थी, जबलपुर समूह के निर्माणियों के पांच कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। उनके नाम इस प्रकार हैं :

आयुध निर्माणी, खमारिया।	श्री रमा शंकर रजक, चार्जमैन ग्रेड-1 श्री संजय मुकर्जी, अवर श्रेणी लिपिक श्री भगवंत लाल, इलेक्ट्रीशियन
वाहन निर्माणी, जबलपुर।	श्री ए० के० नरूला, प्लानर
गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर।	श्री सी० ए० लोरेंस, अवर श्रेणी लिपिक

इन निर्माणियों का कोई कर्मचारी न तो स्थायी रूप से अक्षम हुआ और न गंभीर रूप से घायल हुआ। अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के लिए केवल स्वर्गीय श्री सी० ए० लोरेंस, अवर श्रेणी लिपिक की पत्नी से ही आवेदन-पत्र आया है और निर्माणी नियमों के अनुसार उस पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद में नियुक्तियां

3367. श्री राजकुमार राय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने रोजगार कार्यालय को पदों के बारे में सूचना दिए बिना सहायक कार्यक्रम अधिकारियों, सहायकों, कनिष्ठ आशुलिपिकों तथा लिपिकों की अस्थायी और स्थायी पदों पर नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पदों के सृजन की स्वीकृति देने और प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं, आयु तथा अनुभव निर्धारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी कौन हैं;

(घ) क्या भारत महोत्सव कक्ष के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उच्च वेतनमान दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने पिछले एक वर्ष में अस्थायी और स्थायी पदों पर सहायक कार्यक्रम अधिकारी, सहायक और लिपिक नियुक्त किए हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सेवा-नियमों में विज्ञापन के माध्यम से और परिषद के पास पंजीकृत व्यक्तियों में से भरती करने की अनुमति है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सेवा-नियमों में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि इस सम्बन्ध में रोजगार कार्यालय को सूचना दी जाए। स्थायी पदों के मामले में राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार-पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया था। उम्मीदवारों को भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा देनी पड़ी। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली उन्हें अन्तिम चयन के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था।

भारत महोत्सव के लिए अस्थायी अमले के संबंध में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों की आवश्यकता थी। चूंकि प्रारंभिक तैयारी का काम मुख्यालय में तात्कालिक आधार पर किया जाना था, इसलिए अल्प-सूचना पर दिल्ली में भरती करना आवश्यक पाया गया। परिणामत: पात्र उम्मीदवारों की सूची उन लोगों की सूची से तैयार की गई जिन्होंने पूर्ववर्ती भारत-महोत्सवों या परिषद के लिए इससे पहले काम किया था और जो प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय दिल्ली प्रशासन में पंजीकृत थे। क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए चयन के मामले में पदों का विज्ञापन स्थानीय समाचार-पत्रों में दिया गया था।

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक परिषद में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के स्तर तक पदों को संस्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

स्थायी पदों के संबंध में अपेक्षित विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

सहायक कार्यक्रम अधिकारी

अनिवार्य अर्हताएं : द्वितीय श्रेणी में कला स्नातक उपाधि।

वांछनीय : भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान और विदेशी पदाधिकारियों के दौरे, व्याख्यान, संगोष्ठियां आयोजित करने, जन सम्पर्क कार्य और कार्यालय प्रक्रियाओं का 3 वर्ष का अनुभव।

आयु : 25 वर्ष से कम नहीं।

वेतनमान : 1640-2900 रुपये तथा भत्ते।

सहायक

अर्हताएं : बी० ए० (आर्नस) उपाधि या बी० काम० (आर्नस) और स्थापना और लेखा कार्य में 5 वर्ष का अनुभव। टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट।

आयु : 30 वर्ष से कम।

वेतनमान : 1400-2600 रुपये तथा भत्ते।

कनिष्ठ आशुलिपिक (अंग्रेजी)

अनिवार्य अर्हताएं एवं अनुभव : 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आशुलिपिक/टंकण की गति 100/40 शब्द प्रति मिनट और लगभग 3 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय : स्नातक को तरजीह दी जाएगी।

आयु : 25 वर्ष से कम।

वेतनमान : 1200-2040 रुपये तथा भत्ते।

लिपिक : अर्हताएं एवं अनुभव

अर्हताएं एवं अनुभव : 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो परन्तु स्नातक को तरजीह दी जाएगी। टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट और कार्यालय सम्बन्धी कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

आयु : 25 वर्ष से कम

वेतनमान : 950-1200 तथा भत्ते।

अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में समतुल्य स्थायी पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं के साथ-साथ यात्रा एजेंसियों, होटल/पर्यटन उद्योगों के काम का अनुभव विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। और उन लोगों को विशेष तरजीह दी गई जिन्होंने पिछले भारत-महोत्सवों में पहले भी काम किया था।

(घ) और (ङ). जहां तक भारत-महोत्सव से सम्बद्ध अस्थायी मामले की परिलब्धियों का संबंध है, परिलब्धियां इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी कि ये नियुक्तियां पूर्णत: अस्थायी स्वरूप की थी और प्रारम्भ में केवल छह महीने की अवधि के लिए थी, इन्हें समयोपरि चिकित्सा आदि की सुविधाएं नहीं दी गई थीं जो अत्यधिक कार्यभार और लम्बे समय तक रात देर तक कार्य करने के लिए परिषद के नियमित कर्मचारियों को प्राप्त हैं। महोत्सव के अस्थायी कर्मचारियों को संविदागत आधार पर समेकित परिलब्धियों पर नियुक्त किया गया था न कि किसी वर्ग/वेतनमान के आधार पर। परिणामत: ऐसी नियुक्तियों को नियमित कर्मचारियों के समतुल्य नही समझा जा सकता।

महाराष्ट्र में टेलीविजन निर्माण उद्योग में टेलीविजन सेटों के निर्माण में कमी आना

3368. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में टेलिविजन निर्माण करने वाले उद्योग में टेलिविजन सेटों के निर्माण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योग को सहायता देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

पेंशन नियमों को उदार बनाना

3369. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित पेंशन नियमों को कुछ उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर उदार बनाया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशन सम्बन्धी परिलाभों के साथ कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो सकता है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए युक्तिसंगत पेंशन ढांचा जनवरी, 1986 से लागू किया गया था।

कोई भी सरकारी कर्मचारी सामान्यत: बीस वर्षों की अहर्क सेवा पूरी करने के पश्चात्, पेंशन सम्बन्धी प्रसुविधाओं सहित, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले सकता है।

उड़ीसा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

3370. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये राज्य स्तर पर कदम उठा रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजन से विभिन्न राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उड़ीसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् ने अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(घ) इस प्रयोजन हेतु केन्द्र द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास परिषद् को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा राज्य परिषद्/विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राज्य की विभिन्न संस्थाओं में अनुसंधान स्कीमों को सहायता प्रदान करता रहा है। सातवीं योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत 18 स्कीमें अभिनिर्धारित की गयी हैं।

(घ) और (ङ). पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए "वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान" योजना बजट शीर्ष के अन्तर्गत की गयी वित्तीय व्यवस्था निम्नलिखित है :

1. 1985-86—40.00 लाख रुपये
2. 1986-87—65.00 लाख रुपये
3. 1987-88—72.00 लाख रुपये

इसके अलावा, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिवालय स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए क्रमश: 7.00 लाख रुपये; 11.00 लाख रुपये तथा 6.05 लाख रुपये की उत्प्रेरक वित्तीय सहायता दी है।

कानूनी सहायता अधिनियम के अन्तर्गत नियमों का बनाया जाना

3371. श्री हरुभाई मेहता : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित कानूनी सहायता अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का केन्द्रीय स्तर पर और राज्यों में नियम बनाने और कानूनी सहायता प्राधिकरणों की स्थापना करने का विचार कब तक है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख). राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के साथ परामर्श करके विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे ही नियमों आदि को अन्तिम रूप दे दिया जाता है, वैसे ही केन्द्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित कर दिया जाएगा।

विभिन्न राज्यों से परामर्श करके, राज्य प्राधिकरणों के गठन से सम्बन्धित नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और जैसे ही यह कार्य पूरा हो जाएगा, वैसे ही राज्यों में यह अधिनियम प्रवृत्त कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में पुलिस कार्मिकों का शामिल होना

3372. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के कितने मामले हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन मामलों में पुलिस के कितने कार्मिक शामिल थे; और

(ग) सरकार ने लोगों को ऐसे अपराध करने से रोकने हेतु उन पर समान रूप से नियन्त्रण लगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) उपलब्ध सूचना दो संलग्न विवरणों में दी गई है । विवरण-I अनुसूचित जातियों और विवरण-II अनुसूचित जनजातियों के लिए) ।

(ख) सूचना सुलभ उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को रोकने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों को सचेत किया गया है और राज्य सरकारों को तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन गृह सचिव द्वारा विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ।

हाल में, कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है कि यदि बलात्कार के शिकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के महिलाओं द्वारा शिकायत नहीं भी की जाती और यदि सरकारी कर्मचारी को ऐसे अपराधों के बारे में पता चलता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (आ०प्र०स०) में निहित यथास्थित के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र दर्ज करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और यदि अपराधियों की पहचान हो जाए या नामों का उल्लेख किया गया हो तो, अपराधियों को 24 घंटों में गिरफ्तार किया जाना चाहिए ।

विवरण I

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार दिसम्बर, 1987 से फरवरी 1988 तक अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	बलात्कार के मामलों की संख्या	अवधि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	दिसम्बर, 87
2.	गोवा	शून्य	जनवरी, 88
3.	गुजरात	शून्य	दिसम्बर, 87
4.	हरियाणा	4	जनवरी, 88
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	जनवरी, 88
6.	जम्मू और कश्मीर	1	जनवरी, 88

1	2	3	4
7.	कर्नाटक	शून्य	दिसम्बर, 87
8.	मध्य प्रदेश	10	दिसम्बर, 87
9.	महाराष्ट्र	शून्य	दिसम्बर, 87
10.	उड़ीसा	शून्य	दिसम्बर, 87
11.	पंजाब	शून्य	दिसम्बर, 87
12.	राजस्थान	7	जनवरी, 88
13.	तमिलनाडु	3	जनवरी, 88
14.	उत्तर प्रदेश	14	दिसम्बर 87
15.	पांडिचेरी	शून्य	जनवरी, 88
16.	चण्डीगढ़	शून्य	जनवरी, 88
17.	दमन और दीव	शून्य	जनवरी, 88
18.	सिक्किम	शून्य	दिसम्बर, 87

नोट : अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

विवरण II

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार दिसम्बर, 1987 से फरवरी 1988 तक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	बलात्कार के मामलों की संख्या	अवधि
1	2	3	4
1.	गुजरात	1	दिसम्बर, 87
2.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	दिसम्बर, 87
3.	कर्नाटक	शून्य	दिसम्बर, 87
4.	महाराष्ट्र	शून्य	दिसम्बर, 87

1	2	3	4
5.	मणिपुर	शून्य	जनवरी, 88
6.	उड़ीसा	1	दिसम्बर, 87
7.	राजस्थान	5	जनवरी, 88
8.	सिक्किम	शून्य	जनवरी, 88
9.	त्रिपुरा	शून्य	दिसम्बर, 87
10.	उत्तर प्रदेश	शून्य	दिसम्बर, 87
11.	अ० और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	जनवरी, 88
12.	दादर और नगर हवेली	शून्य	दिसम्बर, 87
13.	गोवा	शून्य	जनवरी, 88
14.	दमन और दीव	शून्य	जनवरी, 88
15.	लक्षद्वीप	शून्य	जनवरी, 88

नोट : अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अकाल की पूर्व सूचना देने के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा विकसित प्रणाली का अध्ययन

3373. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा अकाल की पूर्व सूचना देने के सम्बन्ध में विकसित प्रणाली जो कि भूख का मुकाबला करने के लिए अमरीका और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक मूल्यवान नया साधन सिद्ध हुआ है, के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या यह प्रणाली इस बात की एक वर्ष पूर्व सूचना देने में सक्षम है कि अमुक भौगोलिक क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा होने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने देश के कुछ राज्यों में लगातार पड़ रहे सूखे को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रणाली का उपयोग करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

इलेक्ट्रॉनिक एककों की स्थापना के लिए जारी किए गए लाइसेंस

3374. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिक एककों की स्थापना के लिए जारी किए गए लाइसेंसों और आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में, जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं, कितने इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या काफी संख्या में आवेदन पत्र अभी भी लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार उनकी संख्या क्या है और उन्हें मंजूरी देने और आवश्यक लाइसेंस जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). देश में इलेक्ट्रॉनिकी एककों की स्थापना के लिए गत तीन वर्षों के दौरान 356 लाइसेंस तथा 867 आशय-पत्र जारी किए गए । राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं ।

(ग) जिन एककों को लाइसेंस जारी कर दिया गया है तथा जिन्होंने उत्पादन शुरू करने की सूचना दी है उनकी राज्यवार संख्या भी संलग्न विवरण I में दी गई है ।

(घ) जी, नहीं । आशय-पत्रों मंजूर करने के लिए प्राप्त 56 आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं ।

(ङ) विचाराधीन आवेदन-पत्रों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण II में दी गई है । इन आवेदन-पत्रों पर विभिन्न चरणों पर कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों की राज्य-वार संख्या और उन लाइसेंस शुदा एककों की संख्या जिन्होंने उत्पादन शुरू करने की सूचना दी है

क्रम सं०	राज्य का नाम	औद्योगिक लाइसेंस (आई०एल०)	आशय-पत्र	लाइसेंस शुदा वे एकक जिन्होंने* उत्पादन की सूचना दी है ।
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31	70	29
2.	असम	2	5	2
3.	बिहार	1	8	11

1	2	3	4	5
4.	चण्डीगढ़	3	3	2
5.	दिल्ली	17	46	31
6.	गोवा, दमन तथा दीव	2	18	7
7.	गुजरात	31	56	25
8.	हरियाणा	20	42	21
9.	हिमाचल प्रदेश	4	30	4
10.	जम्मू तथा कश्मीर	4	16	3
11.	कर्नाटक	52	110	47
12.	केरल	10	16	21
13.	मध्य प्रदेश	10	32	13
14.	महाराष्ट्र	49	99	79
15.	मेघालय	1	1	—
16.	उड़ीसा	4	14	5
17.	पाण्डीचेरी	2	4	—
18.	पंजाब	19	31	20
19.	राजस्थान	13	42	12
20.	तमिलनाडु	30	73	42
21.	उत्तर प्रदेश	42	123	49
22.	पश्चिम बंगाल	9	28	35

*संख्या में वे सभी एकक शामिल हैं जिन्हें अब तक लाइसेंस दिया जा चुका है।

विवरण II

आशय-पत्र जारी करने के लिए प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या (राज्यवार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या
1	2	
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	दिल्ली	2

1	2	3
3.	कर्नाटक	9
4.	महाराष्ट्र	7
5.	उत्तर प्रदेश	11
6.	तमिलनाडु	2
7.	पश्चिम बंगाल	2
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	राजस्थान	6
10.	केरल	1
11.	पंजाब	2
12.	गोवा	1
13.	हरियाणा	1
14.	गुजरात	2
15.	मध्य प्रदेश	1
	कुल	56

भारत-पाकिस्तान सीमा पर गिरफ्तार किये गये तस्कर

3375. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा के खेमकरण क्षेत्र में कुछ तस्करों का पता लगाया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनसे जब्त किये गये तस्करी के सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारत-पाक सीमा के खेमकरण क्षेत्र में पिछले छह महीनों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा किसी तस्कर का न तो पता लगा अथवा न ही गिरफ्तार किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल सतर्क है। सरकार ने भारत-पाक सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनों की स्वीकृति भी दी है।

कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्र

3376. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 के दौरान कुछ कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्र स्थापित्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इन कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० नारायणन) : (क) से (ग). सरकार वर्ष 1987-88 के दौरान पुणे, महाराष्ट्र में एक उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक्ट) की स्थापना कर रही है। उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक्ट) समय-बद्ध प्रौद्योगिकी अभियान (मिशन) की एक ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत संसाधन की समानान्तर वास्तुकला के आधार पर उन्नत कम्प्यूटरों का विकास किया जाएगा।

सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त परिव्यय

3377. श्री सैयद मसुदल हुसैन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बाढ़ और सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न सिंचाई योजनाओं हेतु अतिरिक्त परिव्यय मंजूर कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के लिए अतिरिक्त परिव्यय के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, हां।

(ख) सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई स्कीमों के लिए अनुमोदित 236 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	अतिरिक्त स्वीकृत परिव्यय की राशि (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.00
2.	गुजरात	30.00

1	2	3
3.	हरियाणा	2.00
4.	हिमाचल प्रदेश	1.00
5.	जम्मू और कश्मीर	6.40
6.	कर्नाटक	25.00
7.	केरल	5.50
8.	मध्य प्रदेश	27.00
9.	महाराष्ट्र	26.00
10.	नागालैण्ड	0.50
11.	उड़ीसा	22.00
12.	राजस्थान	37 50
13.	तमिलनाडु	3.00
14.	उत्तर प्रदेश	28.00
	जोड़	236.00

आन्ध्र प्रदेश में पिक्चर ट्यूब यूनिट

3378. श्री सी० सम्बु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब यूनिट की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड ने हालैण्ड के मैसर्स फिलिप्स के साथ विदेशी-सहयोग करने के संबंध में एक परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसकी उत्पादन-क्षमता प्रति वर्ष 10 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूब होगी।

श्रीलंका की संसद में भारतीय शांति सेना की आलोचना

3379. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका की संसद में भारतीय शांति सेना की आलोचना में कही गयी बातों की जानकारी है कि भारतीय सेना द्वारा सिविल जनता पर ज्यादतियां की गई हैं;

(ख) क्या श्रीलंका की संसद में यह आशंका अभिव्यक्त की है कि भारतीय शांति सेना श्रीलंका के उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में स्थायी रूप से ठहरेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय शांति सेना श्रीलंका में वहां की सरकार के अनुरोध पर गई है ताकि भारत-श्रीलंका समझौते को क्रियान्वित किया जा सके और श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रान्तों में रह रहे सभी समुदायों की सुरक्षा का सुनिश्चय किया जा सके। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के प्रवास की अवधि के सवाल का फैसला इसी संदर्भ में किया जाएगा। भारतीय शांति सेना के श्रीलंका में स्थायी रूप से ठहरने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

मानसिक रूप से अल्प विकसित व्यक्ति

3380. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानसिक रूप से अल्प विकसित व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मानसिक रूप से अल्प विकसित व्यक्तियों की आयु-वार और राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में मानसिक रूप से अल्प विकसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) यद्यपि, मानसिक विकलांगों के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किये गए, फिर भी ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए जिसका मानसिक विकास विलम्ब से हुआ है, उनकी व्यवहारिक पद्धति की सूचना के माध्यम से एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के विलम्ब से मानसिक विकास की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में 1.05% और शहरी क्षेत्रों में 1.23% थी। अन्य आयु वर्ग के बारे में सूचना और राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी निवारण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3381. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जो वर्ष 1987-88 में गरीबी निवारण कार्यक्रम का उचित रूप से पूर्णतया कार्यान्वयन नहीं कर सके हैं;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान किए गए आवंटन का और वास्तव में व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तो सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख). वर्ष 1987-88 अभी पूरा होना है, इसलिए उन राज्यों के नाम बताना संभव नही होगा जो इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। तथापि, बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन तथा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिसम्बर, 1987 तक उनका प्रयोग (अनन्तिम) संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

(ग) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए, इनका गहन प्रबोधन, मूल्यांकन और जब कभी आवश्यक हो, मार्ग-निर्देशों का संशोधन करना कुछ ऐसे उपाय हैं जो निरन्तर किए जाते रहते हैं।

विवरण I

क्रम सं०	राज्य	आवंटन	(लाख रु० में) उपयोग*
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4347.72	3801.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	384.00	76.54
3.	असम	1365.16	819.48
4.	बिहार	8410.68	6366.40
5.	गोआ	80.00	53.09
6.	गुजरात	2123.03	1659.91
7.	हरियाणा	673.45	592.28
8.	हिमाचल प्रदेश	385.76	448.83
9.	जम्मू और कश्मीर	606.14	374.47
10.	कर्नाटक	2593.47	1346.99
11.	केरल	1635.49	1171.56

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	5851.95	3688.08
13.	महाराष्ट्र	4424.25	2794.09
14.	मणिपुर	129.14	115.09
15.	मेघालय	192.96	56.63
16.	मिजोरम	160.00	193.88
17.	नागालैंड	168.00	165.77
18.	उड़ीसा	3244.50	2054.28
19.	पंजाब	728.95	722.35
20.	राजस्थान	2879.05	1914.54
21.	सिक्किम	32.00	25.79
22.	तमिलनाडु	4234.50	2839.60
23.	त्रिपुरा	153.12	346.30
24.	उत्तर प्रदेश	11651.58	7788.16
25.	पश्चिम बंगाल	4725.10	2648.45

(लाख रु०)

क्रम सं०	संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	उपयोग*
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40.00	16.96
2.	चंडीगढ़	0.75	—
3.	दादरा व नगर हवेली	8.00	7.02
4.	दिल्ली	40.00	24.91
5.	दमन और दीव	16.00	5.88
6.	लक्षद्वीप	21.25	12.03
7.	पांडिचेरी	32.00	25.82

*दिसम्बर, 1987 (अनन्तिम) तक।

विवरण II

(लाख रु० में)

राज्य	**आवंटन	*उपयोग
आन्ध्र प्रदेश	4119.70	3609.45
अरुणाचल प्रदेश	36.06	8.96
असम	1371.82	688.71
बिहार	4523.67	5377.51
गोआ	76.90	46.86
गुजरात	2263.72	1931.04
हरियाणा	637.84	372.56
हिमाचल प्रदेश	410.38	190.77
जम्मू और कश्मीर	506.18	498.33
कर्नाटक	3153.00	1206.24
केरल	2274.00	1294.53
मध्य प्रदेश	5620.73	3881.89
महाराष्ट्र	4421.20	1915.02
मणिपुर	74.50	53.09
मेघालय	104.46	45.30
मिजोरम	34.06	9.47
नागालैण्ड	82.54	68.00
उड़ीसा	3013.13	2046.07
पंजाब	691.00	243.20
राजस्थान	2664.95	1735.62
सिक्किम	53.69	30.09
तमिलनाडू	5387.27	2779.10
त्रिपुरा	223.68	207.87
उत्तर प्रदेश	12225.36	5848.87
पश्चिम बंगाल	5242.08	2449.21

संघ राज्य क्षेत्र	**आवंटन	(लाख रु०) *उपयोग
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.46	35.30
चंडीगढ़	20.06	2.69
दादरा व नगर हवेली	33.69	11.06
दिल्ली	32.09	7.50
दमन और द्वीव	—	—
लक्षद्वीप	20.00	80.70
पांडिचेरी	66.46	44.28

*दिसम्बर, 1987 (अनन्तिम) तक।

**खाद्यान्नों और परिवहन के लिए दी गई आर्थिक सहायता को छोड़कर।

विवरण III

राज्य	**आवंटन	(लाख रु० में) उपयोग*
1	2	4
आन्ध्र प्रदेश	6232.32	3868.17
अरुणाचल प्रदेश	54.06	12.20
असम	1305.82	733.93
बिहार	8966.39	5694.18
गोवा	91.90	48.67
गुजरात	2198.92	1231.18
हरियाणा	608.80	462.75
हिमाचल प्रदेश	403.38	223.65
जम्मू और कश्मीर	489.18	141.12
कर्नाटक	3012.00	1677.13
केरल	2452.80	1149.97

1	2	3
मध्य प्रदेश	5410.86	2655.79
महाराष्ट्र	4160.20	1547.76
मणिपुर	74.50	56.23
मेघालय	97.46	29.05
मिजोरम	54.06	23.38
नागालैण्ड	80.54	52.00
उड़ीसा	2874.13	2113.41
पंजाब	649.00	586.05
राजस्थान	2558.95	1454.85
सिक्किम	52.69	41.25
तमिलनाडु	5133.27	3308.79
त्रिपुरा	217.69	147.50
उत्तर प्रदेश	11634.20	8807.70
पश्चिम बंगाल	4938.28	2592.51
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.46	19.71
चंडीगढ़	18.06	—
दादरा और नगर हवेली	33.69	8.66
दिल्ली	42.09	13.74
दमन और दीव	—	—
लक्षद्वीप	17.96	9.68
पांडिचेरी	66.46	43.80

*दिसम्बर, 1987 तक (अनन्तिम)।

**खाद्यान्नों और परिवहन के लिए दी गई आर्थिक सहायता को छोड़कर।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल की सुविधाएं

3382. श्री चिन्तामणि जेना : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु उड़ीसा को धन-राशि प्रदान की है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लड़कों के लिए भी होस्टलों का निर्माण करने संबंधी योंजनाओं को शामिल करने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1987-88 के दौरान अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, एम रामपुर कालिज, जिला कालाहंदी, जवाहर उचा विद्यापीठ, केकसरों, जिला कालाहंदी, इन्द्रावती कालिज, जयापथ जिला कालाहंदी, और दरींगवादी कन्या आश्रम जिला फुलवानी में प्रत्येक में 30 प्रवासी की क्षमता वाले 4 होस्टल भवनों के निर्माण हेतु उड़ीसा सरकार को 12.44 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है । 1986-87 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत होस्टलों को पूरा करने के लिए, 1987-88 के दौरान 26.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टलों का विस्तार करने की योजना के प्रस्ताव को 1988-89 से सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है और ब्यौरे राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों की सलाह से तैयार किये जा रहे हैं ।

पंजाब में अपराध

3383. श्री कमल चौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1987 को समाप्त होने वाले गत दो वर्षों के दौरान पंजाब में बैंक डकैतियों/लूटपाट और कत्ल के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) इस बारे में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने मामलों को हल किया गया; और

(ग) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आदिवासियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय

3384. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासियों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास से सम्बन्धित कार्यनीति का लक्ष्य एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सम्बद्ध कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनजातीय लोगों की आय में बढ़ोतरी करने वाली स्कीमों की व्यवस्था करना है ताकि उनका जीवन-स्तर ऊपर उठ सके और उनके लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित हो सके ताकि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। इस योजना के दौरान उन क्षेत्रकों जैसे कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करने पर बल दिया गया है, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के परिवार काम करते हैं और इसके लिए उन्नत बीजों, उर्वरकों, सिंचाई, संस्थागत ऋणों, कच्चे माल, प्रशिक्षण आदि जैसी निविष्टियों की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके कृषि और वन उत्पादों की बिक्री में सहायता प्रदान की जाती है, ताकि जनजातीय लोग अपने माल का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। इन उपायों से उन जनजातीय लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने में सहायता मिलती है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं।

आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें

[हिन्दी]

3385. **श्री मनकू राम सोढ़ी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत हायर सैकन्डरी स्कूलों, हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों के होस्टलों में आदिवासी छात्र और छात्राओं के लिए मंजूर/आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या स्कूलों में कुल भर्ती में वृद्धि के कारण होस्टलों में सीटों में वृद्धि करने के बारे में एक नीति निर्धारित की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख). आदिवासी लड़कियों के होस्टल के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बनाए गए होस्टल केवल आदिवासी लड़कियों के प्रयोग के लिए ही उपलब्ध होते हैं। आदिवासी लड़कियों के लिए निर्मित किए गए होस्टलों में अभी तक स्थानों की कुल संख्या 33604 है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें निर्माण लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर सकती हैं और यह राशि संसाधनों के उपलब्ध होने पर ही दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा निर्मित आवासीय स्कूलों में

जिन्हें सामान्यत: आश्रम स्कूलों के नाम से जाना जाता है, आदिवासी लड़कों तथा लड़कियों को होस्टल आवास प्रदान किया जाता है। अभी तक आश्रम स्कूलों की कुल संख्या 2864 है।

नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ित

[अनुवाद]

3386. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ितों के लगभग 800 परिवारों का पुनर्वास उचित प्रकार से नहीं किया गया है जैसा कि 16 फरवरी, 1988 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन के अनुसार, मृत्यु, जख्मी होने और रिहायशी इकाईयों को हुई क्षति के लगभग सभी मामलों में अनुग्रह पूर्ण राहत की अदायगी और टेनामेन्टों के आबंटन के लगभग सभी मामलों को जहां दावे विधिवत रूप से प्राप्त हो गए थे और सत्यापित हो गए थे निपटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त दंगा पीड़ित विधवाओं को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से तदर्थ राहत स्वीकृत की जा रही है, जिन्हें कोई रोजगार नहीं दिया गया था/जो कोई कार्य करने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार दंगा पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों को भी 400 रुपए प्रतिमाह की दर से तदर्थ राहत स्वीकृत की जा रही है, जिन्होंने अपनी आजीविका चली गयी है या आजीविका कमाने वाले भावी सदस्य की मृत्यु हो गई है। लगभग 400 विधवाओं को आयु और शिक्षा अहर्ताओं में छूट देकर दिल्ली में विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी संगठनों में नौकरियां दी गयी हैं। विधवाओं और उनकी लड़कियों के विवाह के लिए दिल्ली प्रशासन क्रमश: 5,000 रुपये और 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारत सरकार ने दंगों के दौरान जिनकी बीमा रहित व्यापारिक सम्पत्ति को नुकसान हुआ है उन्हें अनुमानित क्षति का 50 प्रतिशत की दर से अनुग्रह पूर्वक राशि देने का निर्णय भी किया है, जिसकी अधिकतम राशि 50,000 रुपये होगी। 1900 से अधिक विधवाओं/दंगा पीड़ितों को टेनामेन्ट उपलब्ध कराए गए हैं।

कुछ परिवारों ने तिलक विहार क्षेत्र में झुग्गियां बनाली हैं और अपने आपको नवम्बर, 1984 में हुए दंगों से पीड़ित होने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन इन परिवारों को जगह और नौकरियां देने के लिए इन्हें कुछ अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने पर विचार कर रहा है।

'माडिफाइड एरिया डिवेलपमेंट अप्रोच'

3387. श्री मुकुल वासनिक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने "माडिफाइड एरिया डिवेलपमेंट अप्रोच" (एम०ए०डी०ए०) के अन्तर्गत बुलडाना जिले के जलगांव (जमोड) और संग्रामपुर तालुकों के 54 गांवों का पता लगाया है जिन्हें मिलाकर एक इलाका बनाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान "माडिफाइड एरिया डिवेलपमेंट अप्रोच" इलाके (पाकेट) पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति

3388. श्री राधाकांत डिगाल : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग छात्रों को सामान्य, व्यवसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 और 1987-88 में उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) भारत सरकार, विकलांग छात्रों को नवीं कक्षा से आगे सामान्य शिक्षा के लिए और व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है।

(ख) 1986-87 के दौरान सभी राज्यों में 22117 छात्रों को लाभ पहुंचाया गया है जिनमें उड़ीसा के 567 छात्र शामिल हैं। 1987-88 में इस योजना से 25,000 छात्रों को लाभ होने की सम्भावना है।

महिलाओं के प्रति अपराध

3389. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 और वर्ष 1987 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के राज्यवार कितने मामलों की सूचना मिली थी;

(ख) वर्ष के दौरान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1986 और भारतीय दण्ड संहिता के अनेक प्रावधानों के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ग) वर्ष 1986 के दौरान दर्ज किए गए अथवा विचाराधीन अथवा निर्णय लिए गए मामलों की स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष, 1986 और 1987 के दौरान महिलाओं के प्रति सूचित किये गये अपराधों के राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है (विवरण I और II)

(ख) राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दर्ज किए गए मामलों और अपराधों के आंकड़े केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संकलित नहीं किये जाते हैं। वर्ष, 1986 और 1987 के दौरान अनैतिक व्यापार (निषेध) अधिनियम, 1986 के अधीन दर्ज किए गए मामलों का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार उपलब्ध आंकड़ों का विवरण संलग्न है (विवरण III)

(ग) यह सूचना केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

विवरण I

वर्ष 1986 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	दहेज के कारण हुई मौतें	अभद्र-व्यवहार	जंजीर छीनना	महिलाओं से छेड़छाड़	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	301	79	989	708	576	295
2.	असम	354	9	139	2	3	244
3.	बिहार	563	62	411	शून्य	उ०न०	470
4.	गुजरात	144	9	637	151	235	554
5.	हरियाणा	144	47	265	50	155	170
6.	हिमाचल प्रदेश	52	3	117	उ०न०	शून्य	79
7.	जम्मू-कश्मीर	187	शून्य	899	शून्य	274	508
8.	कर्नाटक	137	54	557	138	40	105

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	133	4	494	152	2	117
10.	मध्य प्रदेश	1526	200	4698	उ०न०	477	936
11.	महाराष्ट्र	800	107	2724	1288	264	744
12.	मणिपुर	10	शून्य	127	शून्य	शून्य	138
13.	मेघालय	19	शून्य	10	1	शून्य	21
14.	नागालैंड	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
15.	उड़ीसा	164	शून्य	583	13	49	158
16.	पंजाब	49	40	37	6	6	89
17.	राजस्थान	598	84	939	16	22	1287
18.	सिक्किम	5	शून्य	6	2	शून्य	4
19.	तमिलनाडु	231	38	750	556	774	365
20.	त्रिपुरा	38	शून्य	26	शून्य	शून्य	49
21.	उत्तर प्रदेश	1192	461	1591	356	1446	1630
22.	पश्चिम बंगाल	503	58	304	60	123	362
जोड़ (राज्य)		7158	1255	16203	3499	4446	8326

	संघ शासित क्षेत्र						
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2	शून्य	22	शून्य	1	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	9	शून्य	6	शून्य	शून्य	1
25.	चण्डीगढ़	4	शून्य	1	3	2	18
26.	दादर और नगर हवेली	शून्य	शून्य	5	शून्य	शून्य	शून्य
27.	दिल्ली	92	64	112	65	2021	543
28.	गोवा, दमन और दीव	8	शून्य	8	6	3	10
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	मिजोरम	46	शून्य	29	शून्य	शून्य	2
31.	पांडिचेरी	5	शून्य	7	6	शून्य	3
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	163+3	64	190	80	618+1409	580
	कुल जोड़	7321+3	1319	16393	3579	5064+1409	8906

टिप्पणी : बिहार में अभद्र व्यवहार के आंकड़ों में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले भी शामिल हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण II

वर्ष 1987 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अभद्र-व्यवहार	चेन छीनना	महिलाओं और लड़कियों का अपहरण	महिलाओं के साथ छेड़छाड़	दहेज के कारण हुई मौतें	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	249	उ०न०	526	112	759	166	जुलाई, 1987 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	9	शून्य	11	शून्य	शून्य	
3.	असम	310	87	2	174	2	3	अक्तूबर, 1987 तक
4.	बिहार	580	244**	2	271*	**	40***	
5.	गोवा	11	10	13	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गुजरात	159	663	105	542	112	23	
7.	हरियाणा	14	41	2	20	32	7	फरवरी, 1987 तक
8.	हिमाचल प्रदेश	34	122	शून्य	85	1	4	
9.	जम्मू और कश्मीर	165	817	शून्य	485	253	10	नवम्बर, 1987 तक

10.	कर्नाटक	164	807	144	100	45	83	
11.	केरल	188	488	223	120	शून्य	2	
12.	मध्य प्रदेश‡	718	2013	उ०न०	2363	220	85	मई, 1987 तक
13.	महाराष्ट्र	393	2417	1573	606	272	250	
14.	मणिपुर	9	21	शून्य	121	शून्य	शून्य	
15.	मेघालय	16	10	शून्य	22	शून्य	शून्य	नवम्बर, 1987 तक
16.	मिजोरम	62	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
17.	नागालैंड	11	शून्य	शून्य	2	उ०न०	शून्य	
18.	उड़ीसा	184	524	16	129	50	2	
19.	पंजाब	45	34	9	87	6	68	नवम्बर, 1987 तक
20.	राजस्थान	604	964	26	1512	21	113	
21.	सिक्किम	8	12	शून्य	3	शून्य	शून्य	
22.	तमिलनाडु	231	726	519	337	874	49	
23.	त्रिपुरा	43	26	शून्य	13	1	3	
24.	उत्तर प्रदेश	1291	1795	107	1923	1700	553	
25.	पश्चिम बंगाल	374	259	89	253	43	76	सितम्बर, 1987 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	संघ शासित क्षेत्र							
26.	अ० और नि० द्वीपसमूह	6	23	शून्य	7	6	शून्य	
27.	चण्डीगढ़	4	5	1	27	14	शून्य	
28.	दा० और न० हवेली	2	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
29.	दिल्ली	103	95	71	523	1777	79	(नवम्बर, 1987 तक जंजीर छीनने और अपहरण के आंकड़े)
30.	दमन और दीव	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
32.	पांडिचेरी	7	7	7	4	शून्य	शून्य	

टिप्पणी : (1) आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और उन्हें अस्थाई समझा जाये।

(2) उ०न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

(3) *बिहार में अप्रैल, 1987 से जून, 1987 तक के महीनों को छोड़कर अपहृत महिलाओं और लड़कियों के आंकड़े।

(4) **बिहार में अप्रैल, 1987 से जून, 1987 तक के महीनों को छोड़कर अभद्र व्यवहार और महिलाओं से छेड़छाड़ के आंकड़े।

(5) ***बिहार में दहेज के कारण हुई मौतों के जनवरी, 1987 से मार्च, 1987 तक के महीने के मामलों के आंकड़े।

(6) ‡मध्य प्रदेश के 6 जिलों को छोड़कर आंकड़े।

विवरण III

वर्ष 1986 और 1987 के दौरान अनैतिक व्यापार (निवेध) अधिनियम के अधीन दर्ज किए गए मामले

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1986 और 1987 के दौरान दर्ज किये अनैतिक व्यापार के मामले		टिप्पणी
		1986	1987	
1	2	3	4	5
	राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	4780	1517	जुलाई, 1987 तक
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	
3.	असम	3	11	अक्तूबर, 1987 तक
4.	बिहार	19	2	
5.	गोवा	67	68	
6.	गुजरात	7	4	
7.	हरियाणा	1	शून्य	फरवरी, 1987 तक
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	
9.	जम्मू और कश्मीर	1	शून्य	नवम्बर, 1987 तक
10.	कर्नाटक	1871	1502	
11.	केरल	47	153	
12.	मध्य प्रदेश	1	1	मई, 1987 तक
13.	महाराष्ट्र	987	1020	
14.	मणिपुर	8	8	
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	नवम्बर, 1987 तक
16.	मिजोरम	शून्य	उ०न०	
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	4	5	
19.	पंजाब	शून्य	3	नवम्बर, 1987 तक
20.	राजस्थान	28	111	
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	
22	तमिलनाडु	8972	8906	
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	
24.	उत्तर प्रदेश	570	442	
25.	पश्चिम बंगाल	85	55	सितम्बर, 1987 तक
	कुल (राज्य)	17451		
	संघ शासित क्षेत्र			
26.	अ० व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	
27.	चण्डीगढ़	1	शून्य	
28.	दा० और न० हवेली	शून्य	शून्य	
29.	दिल्ली	41	22	नवम्बर, 1987 तक
30.	दमन और दीव	उ०न०	उ०न०	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	अगस्त, 1987 तक
32.	पांडिचेरी	1	2	
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	43		
	कुल जोड़	17494		

नोट : (1) आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अस्थाई समझा जाए।

(2) उ०न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

वक्फ अधिनियम में संशोधन

3390. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित वक्फ अधिनियम लागू है;

(ख) क्या वक्फ अधिनियम में पुनः संशोधन करने का विचार है जैसा कि मुस्लिम समुदाय द्वारा मांग की गयी है;

(ग) क्या आवश्यक संशोधनों को अंतिम रूप दे दिया है यदि हां तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) संशोधित अधिनियम के अविवादास्पद प्रावधानों को अभी तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार से अविवादास्पद प्रावधानों को शीघ्र लागू करने के लिए मांग की गई है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (ङ). वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अंतःस्थापन के जरिए, नई धाराओं 66-छ तथा 66-ज में निहित दो उपबन्धों को, अब उन सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया है, जहां वक्फ अधिनियम, 1954 लागू है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के विरुद्ध मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखकर संशोधन अधिनियम के शेष उपबन्ध लागू करने से रोक लिए गए हैं, जबकि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 में प्रस्तावित संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। इस संबंध में किसी विधेयक के पुरःस्थापन की कोई तारीख नहीं बताई जा सकती।

अल्पसंख्यकों के लिए भाषा आयुक्त का रिक्त पद

3391. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के लिए भाषा आयुक्त का पद कई वर्षों से रिक्त पड़ा है जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य की उपेक्षा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह पद किस तारीख से रिक्त पड़ा है;

(ग) इस पद को न भरे जाने और कार्य को चालू रखने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पद को किस तारीख तक भरे जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) से (घ). भाषाजात अल्संख्यक आयुक्त का पद 17 मई, 1977 से खाली है और इसे भरने के लिए आदेश जारी किये गए हैं। रिक्ति की अवधि के दौरान भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यालय का दिन प्रतिदिन कार्य उपायुक्त द्वारा किया जा रहा है।

जापान से इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों का आयात

3392. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों के आयात के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन लाइनों का आयात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग पर कोई दबाव डाला गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) द्वारा विकसित स्वदेशी उपस्कर पर आधारित ग्रामीण एक्सचेंजों का विनिर्माण करने के लिए, भारत सरकार ने केन्द्रीय तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें मेसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० (आई टी आई) शामिल है की 15 कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड (आई टी आई) ने भी स्वयं अपना एकीकृत स्थानीय व ट्रंक एक्सचेंज (आई एल टी) का विकास किया है और साथ ही एक अन्य अंकीय ग्रामीण एक्सचेंज का भी विकास किया है जिनका इस समय भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० में उत्पादन किया जा रहा है। टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) की प्रौद्योगिकी के आधार पर भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड तथा अन्य कम्पनियों से होने वाले उत्पादन के वर्ष 1988 में उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

नकली टेलीविजन सेट

3393. **श्री शरद दिघे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में नकली टेलीविजन सेटों की भरमार हो गई है जिसके कारण करों की भारी चोरी और असली उद्योग को भारी नुकसान सहित उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन नकली एककों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) नकली दूरदर्शन सेटों की बाजार में भरमार नही हो रही है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाओं की मांग

3394. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए और छात्रावास सुविधाओं और छात्रवृत्तियों की घनराशि बढ़ाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमति सुमती उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार केवल महिला होस्टलों (भवन-निर्माण) की योजना कार्यान्वित कर रही है। केवल आन्ध्र प्रदेश राज्य ने अधिक होस्टल-भवनों की मांग की है। उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र होस्टलों के लिए भी केन्द्र प्रायोजित योजना का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव सिद्धान्ततः मान लिया गया है।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियों की दरें, निर्वाह मूल्य में वृद्धि को देखते हुए बढ़ाने की मांगें की गई हैं। एक उच्च स्तरीय समिति ने इस मुद्दे की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है। भारत सरकार, अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां दे रही है। छठी कक्षा से आठवीं की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां, गतवर्ष 145/-रुपये मासिक प्रति छात्र से बढ़ाकर 200/- रुपये तथा नौवीं-दसवीं के छात्रों के लिए 250/-रुपये मासिक की गई है।

केरल की प्रति व्यक्ति आय

3395. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की प्रति व्यक्ति आय में गत तीन वर्षों के दौरान किसी प्रकार की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यह राष्ट्रीय औसत से किस प्रकार से तुलनीय है;

(घ) क्या सरकार का विचार जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से कम है, उनमें अधिक केन्द्रीय पूंजी निवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). जी नहीं। लेकिन, राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन में उन राज्यों को अधिभार (वेटेज) दिया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक रूप से कम विकसित राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। केन्द्रीय सहायता की कुल वितरण योग्य राशि में से विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए एक मुश्त राशि अलग रखी जाती है। तब शेष राशि को बाकी राज्यों के बीच, एक फार्मूले के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से कम विकसित राज्यों के पक्ष में है, आवंटित कर दी जाती है। केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए इस फार्मूले में, जिसे आमतौर पर, संशोधित गाडगिल फार्मूले के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित (वेटेज) भार हैं :

	मद	नियत भार (प्रतिशतता)
(i)	जनसंख्या	60
(ii)	प्रति व्यक्ति कर-प्रयास	10
(iii)	राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को जाने वाली प्रति व्यक्ति सहायता।	20
(iv)	विशेष समस्याएं	10

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों में गरीबी के आपात पर सम्यक ध्यान दिया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को वर्ष 1987-88 के दौरान दो-तिहाई आवंटन गरीबी के आपात के आधार पर किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों को केन्द्रीय निवेश सब्सिडी से भी, जो कि नियत पूंजी निवेश के 10 से 25 प्रतिशत तक होती है, लाभ मिलता है।

विवरण

(रुपये)

	वर्तमान मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	
	केरल	राष्ट्रीय औसत
1984-85	2104	2355
1985-86	2140	2596
1986-87	2371	—

पंजाब के लिए क्षेत्र-वार योजना आवंटन

3396. श्री कमल चौधरी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को वर्ष 1988-89 के लिए योजना आवंटन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब सरकार द्वारा 1988-89 की वार्षिक योजना के लिए कितनी धनराशि के आवंटन की मांग की गई है; और

(ग) पंजाब राज्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि जुटानी होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) वर्ष 1988-89 के लिये पंजाब की वार्षिक योजना का आकार अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। योजना आकार को अंतिम रूप दे दिये जाने के पश्चात् क्षेत्र-वार आवंटन किया जायेगा।

(ख) पंजाब सरकार ने वर्ष 1988-89 के लिये 850.88 करोड़ रुपये की योजना राशि की मांग की है।

(ग) वर्ष 1988-89 के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने का लक्ष्य राज्य के योजना आकार को अंतिम रूप देते समय ही जाना जा सकेगा।

बेरोजगार और अल्परोजगार व्यक्तियों के बारे में अध्ययन

[हिन्दी]

3397. श्री राज कुमार राय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगार अथवा अल्परोजगार प्राप्त शिक्षित अथवा कुशल/अर्ध कुशल व्यक्तियों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के प्रयत्क्ष और अप्रत्यक्ष अवसर प्रदान करके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन, अभी हाल में योजना आयोग ने भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा तैयार की है। इस समीक्षा में सातवीं योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

सादे टेलीविजन सेटों के लिए पिक्चर ट्यूबों की कमी

[अनुवाद]

3398. श्री आर०एम० भोये : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सादे टेलीविजन सेटों के लिए पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम हो रहा है और बाजार में इसकी अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या चीन और भारत में निकट भविष्य में सादे टी०वी० सेटों के लिए पिक्चर ट्यूबों की मांग में वृद्धि की सम्भावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो चीन और भारत में इस समय हो रहे उत्पादन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत को सादे टेलीविजन सेटो के लिए पिक्चर ट्यूबों के निर्माण में किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) सरकार का इस उद्योग की ओर अधिक प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) छत गिरने के कारण, एक नई इकाई में उत्पादन में बाधा उत्पादन होने से, 51 से०मी० के आकार की श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों की अस्थाई रूप से कमी हुई है। जून तथा अक्टूबर, 1988 के बीच नई इकाइयों में होने वाले उत्पादन के फलस्वरूप, यह अन्तराल पूर्ण रूपुण दूर हो जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1987 के दौरान भारत में श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन लगभग 32 लाख था। चीन में श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन के सम्बन्ध में अभिप्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण में कोई बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस समय, सरकार की इस उद्योग को विशिष्ट रूप से कोई और प्रोन्साहन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

विदेशों में देश की छवि प्रदर्शित करने में भारतीय मिशनों की उपलब्धि

3399. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में भारत की छवि प्रदर्शित करने में भारतीय मिशनों की भूमिका क्या है तथा इस क्षेत्र में उनकी उपलब्धि का ब्यौरा क्या है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कौन सी कमियां पाई गई हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : विदेश स्थित हमारे मिशनों से बराबर यह अपेक्षा की जाती है कि वे हमारी विदेश नीति के पहलुओं को प्रतिलक्षित करें तथा हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की निहित शक्ति तथा उनके लचीलेपन, देश की आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षमता और हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत सहित हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न रूपों के बारे में और अधिक जानकारी दें। मिशनों को उनकी इस भूमिका को निभाने में सहायता करने के लिए भारत की घटनाओं के बारे में मुद्रित तथा श्रव्य-दृश्य दोनों प्रकार की सूचना बराबर भेजी जाती हैं। देश की छवि को उभारने में विदेश स्थित भारतीय मिशनों के काम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां भी सुधार करना आवश्यक होता है, वहां उनमें सुधार किया जाता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

3400. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने अभी तक वर्ष 1985-86 और 1986-87 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) क्या आयोग को अपेक्षित आंकड़े एवं जानकारी संग्रह करने में विभिन्न सरकारी विभागों का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है; और

(ग) आयोग द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) आयोग की वर्ष 1985-86 की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है तथा मुद्रित प्रतियां संसद में रखने के लिए आयोग से प्रतीक्षित है। जैसा कि आयोग ने बताया है कि वर्ष 1986-87 की रिपोर्ट लगभग तैयार है।

(ख) ऐसा कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं लाया गया है। यद्यपि पत्र व्यवहार में विलम्ब के कुछ मामले हो सकते हैं, फिर भी पूर्ण सहयोग की कमी का कोई मामला नहीं बताया गया है।

(ग) विगत में विलम्ब का कारण यह है कि मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने में काफी समय लगा था। आयोग को सलाह दी गई है कि वह विलम्ब को दूर करने के लिए अनुवाद तथा मुद्रण कार्य साथ-साथ करवाएं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में कुपोषण

3401. श्री के० कुन्जुम्बु : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में कुपोषण की अधिकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है;

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ). सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

"बंगलिंग आफ ट्राइबल स्कीम्स एलेज्ड" शीर्षक से समाचार

3402. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" से "बंगलिंग आफ ट्राइबल स्कीम्स एलेज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पांचवीं योजना के प्रारम्भ से अनुसूचित जनजाति विकास के लिए आदिवासी उपयोजना नीति एक प्रमुख अंग रहा है। इस नीति के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र विकास और आदिवासी लोगों के विकास दोनों पर महत्व दिया गया है। छठी योजना में, 28.23 लाख आदिवासी परिवारों के लक्ष्य की तुलना में, 39.67 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की गई थी। सातवीं योजना के लिए 40 लाख आदिवासी परिवारों का लक्ष्य रखा गया है और जनवरी, 1988 के अन्त तक, 27 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

अन्य प्रयोजनों के लिए आदिवासी विकास हेतु धनराशि के अपवर्तन के लिए बजट से व्यवस्था की गई है। आदिवासी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए, परियोजना स्तर पर राज्य में अलग से एक मशीनरी है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये पहले से बकाया पद

3403. श्री मुकुल वासनिक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं, विशेषकर श्रेणी-I और श्रेणी-II स्तर के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त रिक्त पद बकाया पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1986 के दौरान केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तथा इन रिक्तियों पर वास्तव में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आयु, यात्रा भत्ता, चयन का न्यूनतम स्तर, निर्धारित अनुभव की अवधि में छूट, शुल्क से पूरी छूट और इस प्रकार के समुदायों के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार आदि विभिन्न रियायतें दी गई हैं। आशा है इस प्रकार के उपायों से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में आगे और सुधार होगा।

विवरण*

समूह	अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	नियुक्त किए गए अनु॰ जा॰ के व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता	आरक्षित रिक्तियों की संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता
क	742	452	60.9	363	151	41.6
ख	842	713	84.7	325	177	54.5
ग	22,409	24,179	107.9	10,711	9,113	85.1
घ (सफाई वालों को छोड़कर)	7,881	9,545	121.1	4,282	3,630	84.8
योग :	31,874	34,889	109.5	15,681	13,071	83.4

*दूर संचार विभाग को छोड़कर।

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के विकास पर गोष्ठी

[हिन्दी]

3404. श्री हरीश रावत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के विकास पर हाल ही में कोई गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में उत्तर प्रदेश की भोटिया, ब्यास और बोक्सा जनजातियों के कल्याण के लिए क्या सुझाव दिए गए थे; और

(ग) इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जापान से इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का अन्तरण

[अनुवाद]

3405. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के अन्तरण के बारे में चुप्पी साधे हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल टोकियो गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या जापानी प्रतिनिधि मंडल ने भारत की प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की आवश्यकता के प्रति सहानुभूति दिखाई थी; और

(घ) यदि हां, तो जापान द्वारा भारत को उच्च इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के अन्तरण में सहायता न किए जाने के क्या मुख्य कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। जापानी फर्मों ने आंकड़ा अभिग्रहण प्रणालियों, अंकीय वितरित नियंत्रण प्रणालियों तथा डाट मैट्रिक्स मुद्रक, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एम० आई० सी० आर० एनकोडर, विचेस्टर डिस्क ड्राइव जैसे कम्प्यूटरों के उपांत उपस्करों (पेरीपरल) का विनिर्माण करने की तकनीकी-जानकारी उपलब्ध कराई है। जापान केने वीडियो कैसेट रिकार्डर/वीडियो कैसेट प्लेयर के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी के अन्तरण की भी पेशकश की है। किन्तु जापान की सरकार ने अपनी प्रक्रिया को कठोर बना दिया है जिसके फलस्वरूप भारत और जापान की पार्टियों के बीच प्रौद्योगिकी के अन्तरण में देरी हुई है।

(ख) से (घ). इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए विशिष्ट रूप से कोई शिष्टमण्डल जापान नहीं गया था।

स्वयंसेवी संगठनों के लिए योजनाएं

3406. श्री के० एस० राव : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत ऐच्छिक संगठनों की विभिन्न योजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में उन विभिन्न ऐच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए अनुदानों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन आधारों पर अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) कल्याण मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जिनके अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है ।

(ख) और (ग). सूचना जो अनेक फाइलों से एकत्र की जानी है, का संकलन किया जा रहा है और शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम
1.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना ।
2.	आदिवासियों के लाभ के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान की योजना ।
3.	किशोर सामाजिक कुसमंजस निवारण तथा नियंत्रण के लिए योजना ।
4.	देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना ।
5.	मद्यनिषेध के लिए शिक्षा कार्य, मद्यसेवियों, औषध व्यसनियों तथा सामाजिक बुराई से पीड़ितों के लिए परामर्श तथा पुनर्वास कार्य हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता ।
6.	समाज कल्याण स्वयंसेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता की योजना ।
7.	समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को सामान्य सहायक-अनुदान की योजना ।
8.	विकलांगों के लिए संगठनों को सहायता की योजना ।
9.	विकलांगों के लिए सहायक यंत्र-उपकरण खरीदने/लगाने हेतु सहायता की योजना ।

अल्पसंख्यकों को संरक्षण

3407. श्री राधाकांत डिगाल : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समूचे देश में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों को उचित संरक्षण प्रदान करने के संबंध में मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें अल्पसंख्यक समूहों के जीवन और सम्पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों का समावेश किया गया है, के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर अनुदेश जारी किये हैं ।

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

3408. श्री शांताराम नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष कुल कितने टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया जाता है;

(ख) सरकार की कुल वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) सरकार का टेलीफोन उपकरणों के निर्माण में किस वर्ष तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का विचार है;

(घ) भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार के कुल कितने टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया जाता है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस समय, भारत में एक वर्ष में विनिर्मित किए जाने वाले टेलीफोन उपकरणों की कुल संख्या लगभग 9 लाख है।

(ख) इस समय सरकार की कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग 8.5 लाख टेलीफोन है।

(ग) टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली गई है।

(घ) और (ङ). देश में मुख्यत: दो किस्म के टेलीफोन उपकरणों का विनिर्माण किया जा रहा है। ये किस्में हैं : रोटरी डायल तथा पुश बटन। चालू वर्ष में रोटरी डायल किस्म के टेलीफोनों का

उत्पादन लगभग 7.5 लाख है तथा पुश लटन इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनों का उत्पादन लगभग 1.5 लाख है।

रक्षा संबंधी आवश्यकताओं में आत्म-निर्भरता

3409. श्री जगदीश अवस्थी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की आवश्यकता होती है;

(ख) रक्षा सम्बन्धी किए गए कुल व्यय में से कितने रुपये तक हम स्वदेशी निर्माण से जरूरतों की पूर्ति करते हैं;

(ग) पिछले वर्ष कुल कितने मूल्य का रक्षा सम्बन्धी उत्पादन हुआ; और

(घ) सरकार द्वारा देश की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1985-86 से रक्षा व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

(1)	1985-86 (वास्तविक)	—8,513 करोड़ रुपये
(2)	1986-87 (वास्तविक)	—10,4/7 करोड़ रुपये
(3)	1987-88 (संशोधित अनुमान)	—12,000 करोड़ रुपये

(ख) विदेशों से डिजाइन और तकनालाजी का आयात प्रारंभ में प्राय: आवश्यक हो सकता है लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा यह रहा है कि देशीकरण के माध्यम से आयातित अंशों को कम किया जाए। प्रमुख उपस्करों की मदों में देशीकरण के अंशों को बढ़ाने में काफी प्रगति हुई है। संयंत्र और मशीनरी तथा उत्पादन तकनालाजी के आधुनिकीकरण तथा उन्हें अद्यतन बनाने के लिए इनकी पुनरीक्षा करने के उचित उपाय निरंतर किए जाते हैं।

(ग) 1986-87 के दौरान आयुध निर्माणियों में कुल उत्पादन 1,598 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1986-87 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1,954 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ।

(घ) आधुनिक शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भरता एक बहुत ही कठिन शर्त है क्योंकि नवीनतम तकनालाजी पर आधारित शस्त्र प्रणालियों का उत्पादन प्रतिबंधात्मक है जबकि इनके पुराने पड़ने की दर काफी तेज है। फिर भी, हमने देशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता और विभिन्न शस्त्र प्रणालियों का लाइसेंस के अंतर्गत निर्माण के लक्ष्य को बड़ी हद तक प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास के माध्यम से आधुनिक शस्त्र प्रणालियों अर्थात् मुख्य युद्धक टैंक (एम बी टी), लाइट कम्बेट विमान (एल सी ए), नीचे स्तर वाले रेडार आदि का देश में ही उत्पादन करने में भी काफी प्रगति हुई है।

हिमाचल प्रदेश से स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी मामले

3410. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

श्री के० डी० सुलतानपुरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले लगभग तीन वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश से स्वतन्त्रता सेनानियो के पेंशन हेतु आवेदन पत्र बड़ी संख्या में प्राप्त हुये थे;

(ख) क्या इन आवेदन पत्रों की जांच के लिये कोई समिति गठित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं और इन मामलों में कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्लामी एकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कश्मीर के बारे में टिप्पणी

3411. श्री शरद दिघे :

श्री महेन्द्र सिंह :

श्री सुरेश कुरुप :

श्री कृष्ण सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरवरी, 1988 में इस्लामाबाद में हुए इस्लामी एकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) कश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की स्थिति बदली नहीं है ।

इस्लामाबाद में हुआ इस्लामी एकता सम्बन्धी सम्मेलन

3412. प्रो० के० वी० थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीयों के नाम क्या हैं, जिन्होंने फरवरी, 1988 में इस्लामाबाद में हुए इस्लामी एकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) क्या सम्मेलन में भारत के हितों के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित हुआ;

(ग) क्या सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीयों ने उन प्रस्तावों का विरोध किया था; और

(घ) सम्मेलन में भारत से सम्बन्धित पारित किए गए मामलों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ). चूंकि भारत का इस सम्मेलन में कोई सरकारी प्रतिनिधित्व नहीं था अत: सरकार के लिए यह कहना संभव नहीं है कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीयों ने, जिन्होंने कि सम्मेलन में अपनी वैयक्तिव हैसियत से भाग लिया हो, स्वीकार किए गए प्रस्तावों का विरोध किया था या नहीं। सम्मेलन ने दो प्रस्ताव पारित किए, एक कश्मीर के बारे में और दूसरा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में, जिनमें कि भारत की आलोचना की गई थी। सरकार इन प्रस्तावों को चिंता की निगाह से देखती है और उसने अपनी इस चिंता से पाकिस्तान की सरकार को अवगत करा दिया है।

राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए धनराशि का आवंटन

3413. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान के गंभीर रूप से एवं लगातार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि के लिए कोई राज्यवार आवंटन नहीं किए गए हैं। तथापि, राजस्थान में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के लिए किए गए आवंटन निम्न प्रकार हैं :

कार्यक्रम	(लाख रु०)		
	1985-86	1986-87	1987-88
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1587.63	2523.54	2879.05
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1280.00	2337.35	2664.95
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1395.80	2523.00	2558.95

(ख) और (ग). इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को आवंटन एक निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किए जाते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान 50 प्रतिशत आवंटन गरीबी के आपात के आधार पर तथा 50 प्रतिशत आवंटन

प्रति ब्लाक एक-समान आवंटन के आधार पर किए गए थे। 1987-88 के लिए दो तिहाई आवंटन गरीबी के आपात के आधार पर और एक-तिहाई प्रति ब्लाक एक-समान आवंटन के आधार पर किए गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत आवंटन गरीबी के आपात के आधार पर तथा 50 प्रतिशत कृषि श्रमिकों, सीमान्तिक किसानों तथा सीमान्तिक कामगारों (1986-87 में सीमान्तिक कामगारों को शामिल किया गया) की संख्या के आधार पर किए जाते हैं।

प्रमुख उद्योगों में क्षमता और उत्पादन लक्ष्यों को कम करना

3414. श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का 11 प्रमुख उद्योगों के सम्बन्ध में क्षमता और उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों को काफी नीचे लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) उन प्रमुख उद्योगों के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग). प्रश्न सम्भवत: उद्योगों के बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के सम्बन्ध में है। वास्तविक उत्पादन तथा अर्थ-व्यवस्था के अन्य निर्देशकों को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि चालू योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानित उत्पादन कुछ मामलों में या तो लक्ष्य से अधिक होगा या कम। जिन क्षेत्रों में कमी हो सकती है, वे ये हैं : कुछ रासायनिक मदें, इस्पात की गढ़ी वस्तुएं, खनन मशीनरी, ट्रैक्टर तथा घरेलू रेफ्रिजरेटर।

भुवनेश्वर और संयुक्त राज्य अमरीका में डल्लास को उपग्रह के माध्यम से जोड़ना

3415. श्री सोमनाथ रथ :

श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकीकरण आयोग ने घोषणा की थी कि भुवनेश्वर (उड़ीसा) एक साफ्टवेयर शहर होगा;

(ख) क्या इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने घोषणा की थी कि भुवनेश्वर और संयुक्त राज्य अमरीका में डल्लास को उपग्रह के माध्यम से जोड़ा जाएगा; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी और क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). भुवनेश्वर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना शामिल है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित आरम्भिक कदम उठाए गए हैं :—

(i) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा मेनफ्रेम कम्प्यूटर प्रतिष्ठापित किया है।

(ii) चार भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक संस्थान के भुवनेश्वर में स्थापित करने की योजना में प्रगति हुई है जिसमें उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान है। इस संस्थान के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है।

(iii) उड़ीसा कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र, जो उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम है, के निदेशक महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका के छः शहरों में सॉफ्टवेयर निर्यात अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के नेतृत्व में गए शिष्टमण्डल के साथ शामिल हुए थे।

अधिकारी ने डलास शहर के स्थानीय प्राधिकारियों, उद्योगपतियों तथा बैंकरों के साथ चर्चा की। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ब्यौरे तैयार हो जाने के बाद लागत सम्बन्धी विवरण आदि का पता चल पाएगा।

रेल कर्मचारियों की विधवाओं को अनुग्रह राशि का भुगतान

3416. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की इस सिफारिश पर कोई निर्णय किया है कि अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले मृत रेल कर्मचारियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों तथा 1 जनवरी, 1964 से पूर्व सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों की विधवाओं और बच्चों को 150 रुपये प्रति मास की दर से अनुग्रह राशि मंजूर की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग). यह मामला अभी-भी सरकार के विचाराधीन है।

असम आन्दोलन के दौरान मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की अदायगी

3417. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम आन्दोलन में मारे गए लोगों के आश्रितों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की अदायगी करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केवल 20,000 रुपये की अदायगी करने पर सहमत हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या असम सरकार ने मामले की पुनरीक्षा करने और 20,000 रुपये के अनुदान को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) असम सरकार ने असम आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को 30,000 रुपये की अनुग्रह राशि की अदायगी करने के लिए प्रारम्भ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे बाद में 50,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया।

(ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सावधानी से विचार किया गया और सिद्धान्तरूप से यह मान लिया गया कि असम आन्दोलन के दौरान मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित को बिना किसी भेदभाव के 20,000 रुपये की अनुग्रह राशि की अदायगी की जाए।

(ग) और (घ). अदायगी की राशि को 50,000 रुपये तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के दूसरे अनुरोध पर पुन: विचार किया गया लेकिन इसे मानना सम्भव नहीं पाया गया। राज्य सरकार को इस निर्णय से उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारा मूला) : महोदय, इजराइली लुटेरों, जोकि निर्लज्ज साम्राज्यवादियों के ऐजेन्ट हैं, के हाथों निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या को देखते हुए यह बिल्कुल गलत बात है कि भारत डेविस कप के लिए तेल-अबीव में विश्व वर्ग मंच में भाग लेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह फैसला भारत सरकार और भारत के लोगों की स्वीकृत नीति के विरुद्ध है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने फैसले में संशोधन करे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष जी, कल आपने हम लोगों को लिख कर देने के लिए कहा था, अब हम लोगों ने लिखकर दे दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सारों को मैं एक साथ कैसे सुन सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया है। वे केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री प्रियरंजनदास मुंशी, जो कि इस

सभा के सदस्य हैं, की रक्षा करने में असफल रहे हैं। महोदय, वह तो श्री मुंशी के सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते प्रतिरोध किया नहीं तो कोई भी नही जानता है कि क्या हो गया होता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, कृपया इस मामले पर गौर करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, कल जब महिलायें कनाट प्लेस में धरना दे रहीं थीं, तो उन पर पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी के लिए कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उनकी पुलिस स्टेशन के अन्दर पिटाई की गई थी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें यह फोटो देखनी चाहिए। क्या आपने समाचार पत्रों में यह तस्वीर देखी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं विस्तृत जानकारी के लिए कहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय गृह मंत्री यहां हैं। उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस विषय पर जानकारी मंगाने के लिए कह चुका हूं। आप कृपया बैठ जाइये। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

12.03 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सीमा-शुल्क अधिनियम 1952, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें और वित्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचना

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1952 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं संख्या सा०का०नि० 112(अ) से 196 (अ) तक, जो 1 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो 29 फरवरी, 1988 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा-शुल्क में परिवर्तन

[श्री ए० के० पांजा]

करने तथा छूट देने के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5707/88]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं संख्या सा०का०नि० 197(अ) से 319(अ) तक, जो 1 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 29 फरवरी, 1988 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष-करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में परिवर्तन करने तथा छूट देने के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5708/88]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 109(अ), जो 1 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (9वां संशोधन) नियम, 1987 विखंडित किए गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5709/88]

(4) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 327(अ), जो 7 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 3 से 8 मार्च, 1988 तक भारत के दौरे पर आए क्यूबा गणराज्य की राज्य परिषद् तथा मंत्री-परिषद् के उपराष्ट्रपति महामहिम डा० कार्लोज रैफाएल रोड्रिग्ज और उनके साथ आई श्रीमती मिर्या रोड्रिग्ज तथा शिष्टमंडल के अन्य नौ सदस्यों को, उनके दौरे की समाप्ति पर भारत के बाहर किसी स्थान की उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में, विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5710/88]

रिपेट्रियेट्स को-आपरेटिव फाइनैन्स एण्ड डिवेलपमेंट बैंक लिमिटेड मद्रास का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रिपेट्रियेट्स को-आपरेटिव फाइनैन्स एण्ड डिवेलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) रिपेट्रियेट्स को-आपरेटिव फाइनैन्स एण्ड डिवेलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5711/88]

पासपोर्ट अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1987, जो 15 अक्तूबर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 857(अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 5712/88]

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे तथा समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 5713/88]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1988, जो 6 जनवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 9 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5714/88]

[श्री पी० चिदम्बरम्]

(2) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 1988, जो 4 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि 79 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5715/88]

12.04 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

49वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, पुलिस महिला प्रदर्शनकारियों को कैसे पीट सकती है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं जानकारी देने के लिए कह सकता हूं। मैं इस संबंध में जानकारी मांगूगा और फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप गृहमंत्री को वक्तव्य देने के लिए क्यों नहीं कहते हैं ? वह यहां वक्तव्य क्यों नहीं दे सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री मक्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय दिल्ली में वकील हड़ताल पर हैं और आज उनकी हड़ताल का 59वां दिन है, जिसके कारण अदालतों में काम स्थगित किया हुआ है और वादी-प्रतिवादियों को नुकसान हो रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर पहले ही दिन चर्चा करा दी थी, अब दोबारा नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

मैंने इसे पहले दिन ही करवा लिया था। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इंद्रजीत गुप्त : इनके घरों में बहन-बेटियां नहीं हैं ? महिलाओं को सताया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पुलिन कर्मियों के मन में महिलाओं के लिए कोई इज्जत नहीं है। **(व्यवधान)**

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं नहीं समझ पा रहा हूं··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं बुलवाओ, और जब मैं बुलवाता हूं, तो आप सुनते नहीं हैं।

[अनुवाद]

आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो आप कर रहे हैं वह भी उससे कम नहीं है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं कुछ भी नहीं समझ सका हूं। क्या आप मेरे लिए प्रश्न बना सकते हैं ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं, कोई बोलने दे तो ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप फोटो देखिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यहाँ क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं—आपकी बोलने की शक्ति ? कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या मैं प्रश्न तैयार कर सकता हूं ? क्या महिला प्रदर्शनकारियों··· **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : चटर्जी महोदय आप मेरी अनुमति के बगैर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके सदस्य इतने उपद्रवी और अनुशासनहीन हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। (**व्यवधान**)

गृह मंत्री जी, वे उस बात के बारे में पूछ रहे हैं जो कल कुछ प्रदर्शन और पुलिस के संबंध में हुई...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या महिला प्रदर्शनकारियों को पुलिस कर्मियों द्वारा थाने के अन्दर और गली में पीटा गया था ? (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : अब मुझे बोलने दीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरा प्रश्न है—

[हिन्दी]

इनके घरों में बहन-बेटियां नहीं हैं ? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : जो आपने कहा है मैं उसे समझ चुका हूं। मैं जानकारी एकत्र करूंगा और इस सभा में जानकारी सहित आऊंगा।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : आप और क्या जानकारी चाहते हैं ? फोटो यहां है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब यहां देखिये। वह जानकारी एकत्र कर रहे हैं और जानकारी आपके सामने आ जायेगी। आप और क्या चाहते हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले। श्री धर्मपाल सिंह मलिक।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य आप एक वक्तव्य चाहते हैं। और वह इससे सहमत हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : हम इसे आज ही चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यहां तानाशाह नहीं हैं और मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप जिद्द करते हैं तो मैं आपका नाम लूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री मलिक जो कुछ श्री धर्मपाल सिंह मलिक कहते हैं, केवल वही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(**व्यवधान**)

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : महोदय, सोनीपत शहर एक बड़ा औद्योगिक शहर है...**(व्यवधान)**

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, वकीलों की हड़ताल के बारे में...

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर पहले दिन ही चर्चा करा दी थी। मैंने इसे ध्यानाकर्षण के जरिये करा लिया था।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : मैं महत्व का एक भिन्न मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह लिखकर दीजिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैंने लिखकर दे दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री वी०एस० विजयराघवन (पालघाट) : **मलायला मनोरमा** के प्रबन्ध सम्पादक पर हमला किया गया...**(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर (चिरचिंकिल) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री सूचना एकत्र करेंगे तो क्या वह यह सूचना भी एकत्र करेंगे कि कल केरल में **मलायला मनोरमा** के सम्पादक को मारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया और दूरदर्शन निदेशक पर भी हमला किया गया। **(व्यवधान)**

प्रो० पी०जे० कुरियन (इडुक्की) : **मलायला मनोरमा** के सम्पादक पर हमला किया गया।

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी उल्लेख किया मैं देश भर से, सभी राज्यों जैसे केरल, पश्चिम बंगाल आदि से जानकारी एकत्र कर रहा हूं—मैं यह सूचना ले आऊंगा। **(व्यवधान)**

श्री वी०एस० विजयराघवन : 100 वर्ष पुराने समाचार पत्र **मलायला मनोरमा** के प्रबन्ध सम्पादक पर हड़तालियों ने हमला किया। दूरदर्शन निदेशक और समाचार सम्पादक पर भी हमला किया गया। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : तमिलनाडु में 25,000 लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया? आप तमिलनाडु से भी जानकारी एकत्र कीजिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : महोदय, मैं केरल से अपने साथियों का समर्थन करता हूं। केरल की राज्य सरकार ने वास्तव में दूरदर्शन निदेशक, त्रिवेन्द्रम समेत केन्द्रीय सरकार कार्यालयों पर हमला करने में साजिश की है। **(व्यवधान)**

समाज-विरोधी तत्वों ने दूरदर्शन के वाहनों और भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के वाहनों समेत केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को बरबाद करने में भी भाग लिया है। **(व्यवधान)** प्रचार

[श्री एस० कृष्ण कुमार]

माध्यमों में कार्य करने वाले विख्यात व्यक्तियों पर भी हमला किया गया और उन्हें घायल कर दिया जिनमें **मलायला मनोरमा** का प्रबन्ध सम्पादक भी शामिल है। सदन द्वारा इसकी कड़ी निन्दा की जानी चाहिए।

12.11 म० प०

वर्ष 1988-89 के लिए पंजाब का बजट प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : चूंकि पंजाब राज्य की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के काम में कुछ विलम्ब हुआ, राज्य बजट आज संसद में प्रस्तुत होने के लिए तैयार नहीं हो सका। बजट प्रस्तुत करने की नई तिथि सदस्यों को यथा-समय अधिसूचित की जाएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं, जो विवादास्पद नहीं है। नियम 193 के अन्तर्गत मैंने यह बात आप की नोटिस में लाई है कि महाराष्ट्र के विधायकों ने केन्द्र से बातचीत की कि एक अन्तर्राज्य परिषद् स्थापित की जाए ताकि कर्नाटक-महाराष्ट्र विवाद मैत्रीपूर्ण सुलझाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है, मैं चाहता हूं कि अंतर्राज्य परिषद् स्थापित होनी चाहिए। मांग बस यही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना ही आप बोलते जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं कि इसकी ओर ध्यान दें और गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कार्य मंत्रणा समिति में भाग लेने के लिए कहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : समस्त महाराष्ट्र विधान सभा इस सम्बन्ध में चिंतित है। यही तो मैं कह रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मुझे एक अलग मुद्दा उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये। मैंने अगला विषय ले लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं होगा। आप तो नियम जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दी जाती है। आप नियम जानते हैं और आप उस नियम के अन्तर्गत आते है अन्यथा नहीं। अब, श्री धर्मपाल सिंह मलिक।

(व्यवधान)**

12.14 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा में सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन के निकट रेल लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण करना

[अनुवाद]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सोनीपत एक बड़ा औद्योगिक शहर है जहां की जनसंख्या 80 हजार से अधिक है। यह रेल लाइन के द्वारा दो भागों में बंटा हुआ है जो नगर के बीचों बीच गुजरती है। स्थानीय वाहनों को रेल लाइन पार करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि इस लाइन पर रेल गाड़ियों की अधिक भीड़ के कारण सोनीपत जंक्शन के उत्तरी भाग की ओर रेल फाटक प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक समय के लिए बन्द रहता है। दिल्ली से आने वाले और पंजाब जाने वाले तथा पंजाब से आने वाले और दिल्ली जाने वाले हजारों अन्य वाहन भी इसी फाटक से गुजरते हैं और सभी को बहुत कठिनाई होती है। इस फाटक पर रोज दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ऊपरी पुल की यह मांग जनता की चिरकालिक मांग है। अतः सरकार से निवेदन किया जाता है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए सोनीपत की नगर सीमाओं के अन्दर रेल लाइन पर ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए।

(दो) गर्भवती महिलाओं के लिए औषधियां और पोषक आहार की व्यवस्था करके बाल मृत्यु-दर कम करने हेतु समेकित बाल विकास योजनाओं का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन करना

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : एक अध्ययन से मालूम हुआ है कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश में समाज के असुरक्षित वर्गों में, कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में, उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों और बम्बई

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा० कृपासिन्धु भोई]

की गन्दी बस्तियों में 29 से 58 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पूर्व न केवल विवाह कर लेती हैं किन्तु गर्भवती भी हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप मृत्यु-दर बढ़ गई है जो मध्य प्रदेश में 119 प्रति हजार से लेकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 105 प्रति हजार है। उड़ीसा के जन-जातीय जिलों में और कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में 18 वर्ष से पूर्व गर्भावस्था 58 प्रतिशत है जबकि मध्य प्रदेश में यह 50 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 26 से 38 प्रतिशत, कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों और बम्बई की गंदी बस्तियों में लगभग 48 प्रतिशत, और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में 29 से 33 प्रतिशत है। इसी प्रकार 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं से उत्पन्न बच्चों की मृत्यु दर 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं से पैदा हुए बच्चों से अधिक है। गरीबी के कारण महिलाएं छोटी आयु में विवाह करती हैं और छोटी आयु में ही गर्भवती हो जाती हैं। वह गर्भावस्था की अवधि भी पूरी नही कर पाती हैं और बच्चों को पौषक आहार भी नही दे सकती हैं। इसी प्रकार वह प्रसव-पूर्व तथा प्रसव उपरान्त देखभाल का खर्च भी वहन नहीं कर सकती हैं जिसकी उन्हें और उनके बच्चों को आवश्यकता होती है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि समेकित बाल विकास योजना से सम्बन्धित कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करें। उच्च मृत्यु दर कम करने के लिए गर्भवती माताओं को औषधियां और पोषक आहार दिया जाना चाहिए।

(तीन) मध्य प्रदेश की बीना नदी परियोजना को मंजूरी देना

[हिन्दी]

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का सागर जिला सिंचाई की दृष्टि से अत्यन्त सी पिछड़ा जिला है जहां सिंचाई का क्षेत्र अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत ही कम है। सिंचाई का प्रतिशत अत्यन्त ही कम होने से यहां के किसानों को केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सागर जिले में सिंचाई हेतु बीना नदी परियोजना लम्बे समय से केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष विचाराधीन है। उस पर अन्तिम निर्णय लिये जाने में विलम्ब किया जा रहा है। इस योजना को शीघ्र ही स्वीकृत किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। इस योजना पर अब लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(चार) उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात का औद्योगिक विकास

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में अन्य जिलों के साथ कानपुर देहात को भी कुछ वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग-शून्य जिला घोषित किया गया था जिसका उद्देश्य त्वरित औद्योगीकरण करके क्षेत्र का विकास व स्थानीय बेरोजगार लोगों को काम देना था। परन्तु खेद है कि कानपुर देहात का जिस तीव्र गति से विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है क्योंकि छोटे व बड़े उद्योगपतियों को आर्थिक अनुदान व बैंकों से ऋण साख सीमा स्वीकृत करने के अतिरिक्त बिजली, पानी, कोयला, कच्चा माल व यातायात की सुविधायें शासन की ओर से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

12.18 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरी ओर जो उद्योग वर्तमान समय में चल रहे हैं उनमें भी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। खाली पड़ी ऊसर बंजर भूमि न लेकर उद्योग लगाने के लिए कृषकों की ऊपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और बदले में उन्हें जीविकोपार्जन का कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे कि उपरोक्त तीनों वर्गों के लोगों में असन्तोष व्याप्त है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बेरोजगार लोगों, कृषकों व लघु उद्योगपतियों की उक्त कठिनाइयों व उनमें व्याप्त असन्तोष दूर करने के लिए त्वरित कारगर कदम उठाए जिससे कि कानपुर देहात का औद्योगिक विकास शीघ्र हो सके और स्थानीय लोगों को जीविकोपार्जन की सुविधा प्राप्त हो सके।

(पाँच) बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण सम्बन्धी नीति की समीक्षा किये जाने का सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाना

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : छोटे और सीमांत किसानों को भूमि के विकास और सिंचाई सुविधाएं उत्पन्न करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनेक मामलों में बैंक ऐसे किसानों को ऋण नहीं देते हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है। सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में खेती एक अलाभकारी व्यवसाय बन गया है। अत: ऋण देने और कृषि सम्बन्धी ऋण प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में, छोटे और सीमांत किसानों को अल्प मध्यम तथा दीर्घ अवधि के लिए 3 प्रतिशत के नाममात्र ब्याज पर ऋण मिलने चाहिएं। इन किसानों के लिए अल्प अवधि के लिए ऋण की परिभाषा में 1 से 3 वर्ष, मध्यम अवधि ऋण को 7 से 10 वर्ष जिसमें 4 प्रतिशत ब्याज दर हो और दीर्घ अवधि का ऋण जिसकी ब्याज दर 20 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत हो, परिवर्तन किया जाए। कृषि उत्पादन के हित में जो मझोले किसान भूमि की सिंचाई, कूपों, नल कूपों अथवा अन्य किसी तरीके द्वारा करना चाहते हैं उनके लिए ब्याज दर 6 प्रतिशत से, अधिक नहीं होनी चाहिए और ऋण को वापस करने की अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर कृषि एक पूंजी प्रदान उद्योग है।

बैंकों के संचालकों को ऋण के लिए पात्र किसानों की जरूरतों को समझना चाहिए जो कि हमारे समाज का आधार हैं।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि बैंक, ऋण नीति पर पुन: समीक्षा करें।

(छ) बोइंग 737 विमान को उड़ान के लिये जबलपुर हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का विस्तार करना

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, इण्डियन एअरलाइन्स 1989 के मध्य तक एयरबस 320 अर्जित कर लेगी और उन्हें उन मार्गों पर चलाएगी जहां अधिक यातायात है और वहां इस

[श्री अजय मुशरान]

समय बी-737 चल रही हैं। ऐसी स्थिति में एयरबस 320 उन मार्गों पर चलाए जाने से बी-737 वहां से फालतू होने पर उन्हें उन मार्गों पर चलाया जाएगा जहां इस समय "एवरो" विमान चल रहे हैं। फिर "एवरो" विमानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। इस योजना को ध्यान में रखते हुए, जिन विमान अड्डों का उपयोग अब एयरो विमानों के लिए किया जा रहा है अब उनका "बी-737" विमानों के लिए उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा केवल एक ही विमान अड्डा जबलपुर में है। यदि जबलपुर में हवाई पट्टी का विस्तार करने का काम अब आरम्भ होता है, तभी बोइंग विमान को जबलपुर तक चलाने का काम 1989 के मध्य तक आरम्भ करना संभव होगा। इस हवाई पट्टी को लगभग 1500 फीट तक बढ़ाना संभव है। मुझे मालूम हुआ है कि जबलपुर विमान अड्डे में 1,500 फीट के विस्तार के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जबलपुर तक "एवरो' उडान को बन्द करने और जबलपुर तक बी-737 उडान आरम्भ करने से स्वत: ही भोपाल, इन्दौर और रायपुर जैसे अन्य हवाई अड्डों पर यात्रियों को ले जाने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय जबलपुर आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए जबलपुर के लिए बी-737 विमान चलाए जाने की आवश्यकता है। अत: इस मामले की ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

(सात) चाय बागान श्रमिकों के आवास के लिए उन्हें गृह निर्माण अनुदान राशि का मंजूर किया जाना

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, जलपाई गुड़ी जिले के दार्जिलिंग और दोआर क्षेत्र में लगातार अशान्ति के पश्चात्, चाय बागान श्रमिकों के लगभग 800 मकान जल कर खाक हो गए हैं और श्रमिक बेघर हो गए हैं। बागान श्रमिक अधिनियम में श्रमिकों के लिए पक्के मकानों के आबंटन की व्यवस्था है और केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई बागान श्रमिक आवास योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार श्रमिकों के लिए मकानों के निर्माण के लिए नियोजकों को अनुदान और आर्थिक सहायता मंजूर करने के लिए बाध्य है। शहरी विकास मंत्री ने पिछले वर्ष इस मामले की छानबीन करने का आश्वासन दिया था।

मैं इसलिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे तथा चाय बागान श्रमिकों को जल्द से जल्द पुर्नवास करने के उद्देश्य से उन्हें गृह निर्माण अनुदान राशि मंजूर करने के लिए उचित कार्यवाही करे।

(आठ) तमिलनाडु के हथकरघा उद्योग के संकट निवारण के लिए चीन और अन्य स्थानों से 1000 टन मलबरी रेशम का आयात करना

श्री पी० कुलनवेईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, तमिलनाडु में एक लाख मलबरी रेशम हथकरघे हैं जिनसे लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और सहायक रोजगार और आजीविका मिलती है। तमिलनाडु में हथकरघों के लिए मलबरी रेशम की वार्षिक आवश्यकता लगभग 2500 टन है। सितम्बर, 1987 से कर्नाटक में मलबरी रेशम के मूल्यों में अचानक 75 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रेशम के मूल्यों में अचानक हुई वृद्धि से तमिलनाडु में रेशम हथकरघा बुनकरों के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। यदि कुछ समय तक और यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो इस

हथकरघा उद्योग पर आश्रित लोगों की रोटी तथा आय छिन जाएगी। मलबरी रेशम की कम सप्लाई तथा मूल्य में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) चीन से आयातित कच्चे रेशम का उपलब्ध न होना।

(2) 1987-88 के दौरान कर्नाटक में सूखे की परिस्थितियों के कारण मलबरी रेशम उत्पादन में कमी;

(3) विद्युत करघों तथा रेशम कपड़ा निर्यात उद्योग से कच्चे रेशम की बढ़ी हुई मांग; और

(4) रेशम कपड़ा निर्यात उद्योग द्वारा डुपियन रेशम (बेकार कॉटन और मोटा रेशम धागा) इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में कर्नाटक में चर्खा कच्चे रेशम के उत्पादकों ने डुपियन रेशम का उत्पादन आरम्भ कर दिया है जिसका मूल्य 150 रुपए प्रति किलो से बढ़ कर 550 रुपए प्रति किलो हो गया है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु में विशेष रूप से हथकरघा के इस्तेमाल के लिए चीन तथा अन्य देशों से 1000 टन मलबरी रेशम का आयात करने के लिए उपयुक्त और तुरन्त कदम उठाए ताकि मलबरी रेशम हथकरघा उद्योग में व्याप्त वर्तमान संकट पर काबू पाया जा सके।

12.25 म० प०

सामान्य बजट, 1988-89—सामान्य चर्चा—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला विषय लेते हैं 1988-89 के आम बजट पर आगे बहस। श्री राम नगीना मिश्र आरम्भ करेंगे। अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयत्न करें, आप पहले ही 6 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, कल मैं यहां अपने विचार इस बजट पर प्रकट कर रहा था। ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी को जितनी भी बधाई दी जाये वह कम है। कल मैंने अपने भाषण में यहां पर उद्धत किया था कि यह पहला बजट है जिसको कहा जा सकता है कि इसमें समाजवाद की झलक है और यह शहर से गांवों की ओर है।

अब मैं कुछ बातों की ओर माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं यहां पर पहले भी कह चुका हूं कि हमारी सरकार समाजवादी सरकार है और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे वित्त मन्त्री समाजवादी हैं और उन्होंने यहां पर समाजवादी बजट पेश किया है।

[श्री राम नगीना मिश्र]

इससे पहले मैं इस बात की ओर इशारा कर चुका हूं कि जिस तरह से गांवों की जमीन और सम्पत्ति की हदबन्दी हुई है उसी तरह से शहरों में भी होना चाहिए।

इसके बाद मैं यह निवेदन करूंगा कि समाज के कमजोर वर्ग, खास तौर से हरिजन बंधुओं को इस गरज से रिजर्वेशन दिया गया था कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। लेकिन इनकी जो मौजूदा हालत है उसमें वर्तमान नियमों के अन्तर्गत गरीबों को अधिक फायदा नहीं पहुंच रहा है। कारण यह है कि हरिजन बंधुओं के लिए जो रिजर्वेशन होता है उसमें कोई एम० पी० हो गया, कोई एम० एल० ए० हो गया, कोई थानेदार हो गया, कोई कलक्टर या तहसीलदार हो गया और इस प्रकार रिजर्वेशन से जिनको सुविधा मिल गई उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई लेकिन आगे भी रिजर्वेशन उन्हीं परिवार-जनों को मिलता रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिन हरिजन बंधुओं की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है उनको आगे रिजर्वेशन से वंचित कर दिया जाये और जो दूसरे गरीब हरिजन परिवारों के लोग बचे हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाये।

दूसरी बात यह है कि गरीब किसानों, खासकर हरिजन बंधुओं को जो अनुदान दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इस बात को सारे लोग जानते हैं कि जो अनुदान की रकम होती है उसको सरकारी अधिकारी बांट लेते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अच्छा तो यह होगा कि उनको अनुदान न देकर दस साल के लिए बिना सूद उनको रुपया दे दिया जाये तो वह रुपया भी सही सलामत उनके पास पहुंच जायेगा और वे उसका उपयोग भी सही प्रकार से कर लेंगे।

अब मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर ले जाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश एक गन्ना-बहुल प्रदेश है। वहां पर 104 चीनी मिलें हैं लेकिन आज भी गन्ने की हालत यह है कि गन्ना खेतों में खड़ा है और उम्मीद नहीं है कि उस गन्ने को शुगर फैक्टरीज क्रश कर पायेंगी। वहां पर पहले क्रशर और कोल्हू थे लेकिन उनकी हालत बड़ी खराब हो गई है। मौजूदा जो स्थिति है उसमें 40 से 35 प्रतिशत तक गन्ना मिलों को जाता था और बाकी गन्ना क्रशर्स वगैरह में जाता था लेकिन क्रशर्स की हालत बहुत खराब है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज को देखते हुए अधिक से अधिक शुगर फैक्टरीज खोलने के लाइसेन्स उत्तर प्रदेश सरकार को दिए जायें तथा कोल्हू व क्रशर्स को भी प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि भविष्य में भी गन्ना क्रश होता रहे और मौजूदा गन्ना भी क्रश हो जाये। साथ ही गन्ने का पेमेन्ट भी शुगर फैक्टरीज के द्वारा होता रहे।

अब मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र सलेमपुर और देवरिया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा जनपद ऐसा है कि उसके उत्तर में नारायणी, बीच में छोटी नारायणी दक्षिण में घाघरा और राप्ती हैं जिनके कारण हर साल देवरिया जनपद तबाह रहता है। आज तक कोई भी ऐसी योजना नहीं बन सकी है जिससे कि देवरिया को बाढ़ से बचाया जा सके। वहां पर हर साल तबाही होती है। पिपरासी बांध हर साल लाखों एकड़ जमीन बर्बाद करता है। आजतक बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में वहां बांध नही बन सका है। ठीक उसी प्रकार से घाघरा के मिनारे भी कटाव हो रहा है। तमाम गांव कटते जा रहे हैं। यूं तो सरकार ने पत्थर गिरवाकर

ठोकर बनवाई है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। छोटी नारायणी के किनारे भी कटाव हो रहा है। तो मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि नदियों के किनारे जो गांव कट रहे हैं उनके लिए विशेष सहायता देकर वहां पर पत्थर गिरवा कर और ठोकर बनवाकर उनको बचाया जाए।

मान्यवर, देवरिया जिले में 14 शूगर फैक्टरियां हैं और सलेमपुर तहसील में कोई बड़ी फैक्टरी नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सलेमपुर में कागज की फैक्टरी लगाई जाए क्योंकि वहां पर कच्चा माल, बगास, कुआल और बांस काफी माला में सुलभ हैं। जिन चीजों की इस के लिए जरूरत होती है, वे सारी चीजें वहां पर सुलभ हैं।देवरिया में इतनी प्राकृतिक सहूलियतें हैं कि और कहीं पर नहीं हैं। सलेमपुर में कागज की फैक्टरी लगाई जाए ताकि वहां के एम०ए० और बी०ए० पास लड़कों को रोजी रोटी मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे यहां जो 1500 और 2000 की आबादी वाले गांव हैं, वे मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। उन को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो पिछड़े हुए जिले हैं, उन के लिए काफी रकम निर्धारित करें और जो बड़े बड़े गाँव हैं, उन को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। सलेमपुर तहसील में सिंचाई के साधन नहीं हैं। अन्य जगहों पर नहरें हैं लेकिन वहां पर नहीं हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सलेमपुर तहसील में अधिक से अधिक ट्यूबवैल लगाए जाएं ताकि वहां पर सिंचाई की सुविधा हो सके और लोग अपनी खेती कर सकें और पैदावार बढ़ा सकें। मैं सलेमपुर तहसील की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, इस के पूर्व हमारे मंत्री जी ने पिछले सत्र में प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक पारित किया था और उन में जो खामियां थी, उन को देखते हुए यह कहा था कि प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक को जनहित में ठीक करने के लिए अलग से संशोधन दोबारा लाएंगें। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर यह संशोधन जल्द आएगा, तो इस से लोगों को फायदा होगा और अगर नहीं आएगा, तो हमारी जो पुरानी सामाजिक मान्य व्यवस्थाएँ हैं, वे भंग हो जाएंगीं और छोटे करदाताओं को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी।

अन्त में मैं वित्त मंत्री जी को कोटिश: धन्यवाद देता हूं कि वे एक समाजवादी बजट ले कर आए हैं और इस देश के 80 फीसदी गांवों में बसने वाले किसानों को विशेष राहत दी है और ऐसा बजट पेश करने से हमारे विरोधी दलों के नेताओं के दिलो में डर आ गया है और वे कहते हैं कि ऐसा बजट पेश हुआ है, जोकि चुनावी बजट है। उन को डर है कि इस बजट से 80 फीसदी किसान संतुष्ट हो जाएंगें और यही कारण था कि वे कल सुनना नही चाहते थे। मैं मंत्री जी को पुन: कोटिश: धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा पहला समाजवादी बजट पेश किया है, जिससे गांवों के लोगों का भला होगा।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह एक चतुराई से तैयार किया गया बजट है और एक शानदार लोक सम्पर्क का कार्य है। इसने लगभग प्रत्येक के दिमाग में एक छलावा पैदा कर दिया है। इसमें हर एक को कुछ न कुछ दिया गया है। वेतन भोगी वर्ग, औद्योगिक श्रमिक वर्ग, किसान—बड़े और छोटे बच्चे और यहां तक कि बीमारों को

[श्री एच० एम० पटेल]

भी नहीं छोड़ा गया। इसलिए, उन्होंने ऐसा करके एक छलाव पैदा किया है। यह ऐसा है जैसे इस शताब्दी के भयंकरतम सूखे का अर्थव्यवस्था पर कोई असर ही न पड़ा हो। उन्होंने देश की किसी बड़ी आर्थिक समस्या को हाथ तक नहीं लगाया। उदाहरण के लिए मुद्रा स्फीति को ही लें। यह सुझाव दिया गया है, हालांकि उन्होंने नहीं कहा किन्तु वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस बजट का मुद्रा स्फीति पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले के भारी घाटे की वित्त व्यवस्था वाले दो बजटों तथा इस वर्ष के बजट से भी वर्ष के दौरान घाटे की वित्त व्यवस्था में बजट घाटा काफी बढ़ेगा, तो भी वह कहते हैं कि इसका मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वास्तव में, मूल्यों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। उन पर पहले ही असर पड़ा है। केवल थोक मूल्य सूचकांक पर ही ध्यान देकर यह भावना पैदा की गई है कि उपभोक्ता मूल्य थोड़े से ही प्रभावित हुए हैं। दुर्भाग्य से ऐसी बात नहीं है। यह सच है कि मूल्यों में वास्तव में जितनी वृद्धि हुई है उससे कहीं अधिक हुई होती। फिर भी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है और इससे आम आदमी को काफी कठिनाई होगी।

और भी बहुत सी बड़ी समस्याएं हैं जिनका जिक्र तक नहीं किया गया है—बेरोजगारी की समस्या। पहले मैं रियायतों के बारे में बात करूंगा जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है। रियायतों की यह लम्बी सूची 700 करोड़ रुपए से थोड़ा उपर बैठती है जबकि करों का जो बोझ डाला गया है वह 1265 करोड़ रुपए से थोड़ा उपर है। इस प्रकार निवल अतिरिक्त बोझ 500 करोड़ रुपए से 600 करोड़ रुपए के बीच है। किन्तु बजट से थोड़ा समय पहले ही प्रशासित मूल्यों द्वारा तथा डाक टेरिफ तथा रेल भाड़े और किराए तथा विभिन्न प्रभारों में की गई वृद्धि का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : आपने भी अपने समय में ऐसा किया था।

श्री एच० एम० पटेल : हम इस बजट की बात कर रहे हैं। मैं आपको अन्य चीजों के बारे में भी बताऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं किया गया था।

श्री राम प्यारे पनिका : आपने कोयले के मूल्य में 55 प्रतिशत वृद्धि की थी जबकि हमारी सरकार ने केवल 16 प्रतिशत ही वृद्धि की **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : जो भी हो, मेरे सामने बैठे मित्रों को थोड़े समय के जनता काल से कुछ एलर्जी हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि श्री भगत ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि उस अवधि के दौरान अधिकतम मूल्य बढ़े किन्तु उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह 1979-80 में हुआ। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि 1977-78 और 1978-79 में वास्तव में कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई। इसके पश्चात 1979-80 में जनता सरकार नहीं थी। यह वह सरकार थी जो आपकी सहायता से सत्ता में आयी। इसके अलावा 1979-80 में इसलिए भी काफी मूल्य बढ़े क्योंकि उस वर्ष सूखा पड़ा था। इस वास्तविकता का जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा पेट्रोल के मामले में हमें दूसरी बार धक्का लगा। यह सभी बातें बताई जानी चाहिए थी। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे विचार से यह सब बातें इस बजट से तात्लुक नहीं रखती। जैसा कि मैं बता रहा था इस बजट द्वारा आम आदमी पर, कर दाताओं पर तथा उपभोक्ताओं पर लगभग 3000 करोड़

रुपए का बोझ डाला गया है। हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसलिए, अब यह दिखाने के लिए कि इस सरकार को लोगों का ख्याल है आप उनका ध्यान दी गई रियायतों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। कुछ सुविचारित, स्वागत योग्य नई योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं। उनका थोड़ा और खुलासा किया जाना चाहिए था।

उदाहरण के लिए कुटीर ज्योति बड़ी अच्छी योजना प्रतीत होती है। किन्तु इसे चालू करने के लिए किन बातों की आवश्यकता होगी। यह कहां दी जाएगी ? इसके लिए आपके पास विद्युत होनी चाहिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रामीण इलाकों में शत प्रतिशत बिजली पहुंच चुकी है। इन राज्यों में कुटीर ज्योति की आवश्यकता नहीं है। इसकी जरूरत उन राज्यों में है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सीमा तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यदि ऐसा है तो इसके लिए बिजली कहां से आएगी। यह एक अच्छी बात है कि आप प्रत्येक कुटीर में, प्रत्येक घर में एक बल्ब उपलब्ध कराएंगे। यह एक अच्छा विचार है। किन्तु यह अल्प अवधि के भीतर व्यवहारिक नहीं है।

आप जलधारा को लें, इसकी भी वही स्थिति है। यह एक बहुत अच्छी योजना है और किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। किन्तु किन किसानों के लिए ? इस देश में बहुसंख्या लघु किसानों की है जिन्हें 3 या 4 वर्ष के सूखे के पश्चात सहायता की जरूरत है। उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं होने वाला। किन्तु इसके साथ-साथ मैं यह बात भी स्वीकार करता हूं कि यह ऐसी योजनाएं हैं, यह जब भी लागू होंगी इनसे लाभ होगा बशर्ते इन्हें कार्यान्वित करने वाला तंत्र कुशल हो।

इस देश में इस समय बहुत से औद्योगिक रूप से रुग्न एकक हैं। इनकी संख्या 100,000 से भी अधिक है। औद्योगिक रूप से रुग्न यूनिटों की सहायता करने की सरकार की योजना है। तब ऐसे यूनिटों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। यह एक ऐसी बात है जिसकी उन्हें छानबीन करनी चाहिए थी। यदि उन्होंने इसकी छानबीन की होती तो उन्हें पता चलता कि जो तंत्र उन्होंने स्थापित किया है, वह कागजों में भले ही कितना लुभावना हो—वास्तव में इतनी कुशलता से काम नहीं कर रहा जितनी कुशलता से करना चाहिए। जब भी कोई औद्योगिक एकक रुग्ण पड़ता है तो पहली आवश्यकता इस बात की है कि उसे जल्द से जल्द वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जो उसे देने का वायदा किया गया है। ऐसा नहीं होता जिसके परिणामस्वरूप जो एकक रुग्णता की प्रारम्भिक अवस्था में होते हैं वास्तव में रुग्ण हो जाते हैं। फिर भी यदि सहायता समय पर नहीं दी जाती तो ये उद्योग बंद हो जाते हैं। आप देखेंगे कि वास्तव में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि का एक मुख्य कारण यह भी है। मुझे आशा थी कि वित्त मंत्री इस ओर कुछ ध्यान देंगे संभवत: उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है। लेकिन अपने बजट में उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है।

उन्होंने सरकारी व्यय में अत्यधिक वृद्धि का कोई जिक्र क्यों नहीं किया है ? यह एक प्रमुख समस्या है। विशेष रूप से गैर-योजना, गैर-विकास व्यय में वृद्धि हो रही है। वे 'हां' कहेंगे, क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ रही हैं। ब्याज प्रभार क्यों बढ़ रहे हैं ? क्योंकि राजस्व घाटा अधिक है। राजस्व घाटा राजस्व आय से बहुत अधिक है और 900 करोड़ रुपये से अधिक है। आपको ऋण लेना पड़ता है। राज-सहायता दी जाती है। क्या आप इस राज सहायता को कम कर सकते हैं ? जिन कार्यों के लिए राज सहायता दी जाती है उन्हें कम करना कठिन है। रक्षा व्यय में भी ऐसा ही

[श्री एच० एम० पटेल]

है। ये ऐसे व्यय हैं जिन पर कुल बजट राजस्व व्यय का बड़ा भाग खर्च होता है। इन बातों की ओर भी कुछ ध्यान देना होगा। इस बात का कोई जिक्र नही किया गया है कि इस अन्तर को पूरा कैसे किया जाएगा। क्या आप ऋण लेना जारी रखेंगे ? ऋण का अर्थ है बढ़ता हुआ ब्याज प्रभार और बढ़ता हुआ ब्याज प्रभार का बोझ बहुत पड़ रहा है। मेरे विचार से यह केन्द्र सरकार के गैर-विकास व्यय का 30 प्रतिशत तक है। यह आंतरिक ऋण तथा विदेशों से लिए गए ऋण दोनों का 75 से 76 प्रतिशत है। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है जिसका सामना देश को करना पड़ रहा है और कम से कम इस सभा को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि हमारी सरकार इस समस्या का समाधान किस तरह से करना चाहती है।

मैं कुछ अन्य मामलों का भी जिक्र करूँगा। सरकार के लिये यह दावा करना जरूरी क्यों है कि कृषि पर परिव्यय में 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है। बजट में ऐसे आंकड़े नहीं दिए गए हैं जिससे इस मुद्दे को स्पष्ट किया गया हो। वास्तव में कृषि के लिए किया गया योजना आबंटन पिछले वर्ष से कम ही है। यदि आप सिंचाई को भी इसमें शामिल कर लें तब भी इसमें 40 प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस मुद्दे को उस समय स्पष्ट करेंगे जबकि वह वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं कृषि, सहकारिता और जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दिए गए बजट सारांश के पृष्ठ 14 और 15 में पहले ही इस बारे में स्पष्ट कर चुका हूं। यदि आप उन आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा

श्री एच० एम० पटेल : मैंने इन्हें देखा है। यह स्पष्ट नहीं है। यदि ऐसा है, तो मैं इसे विस्तार में पढ़ूंगा और मुझे उसे स्वीकार करने में खुशी होगी। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि इस मामले में मेरी बात सही साबित की जानी चाहिए। कुछ अन्य बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण यदि मंत्री महोदय करें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनका कहना है कि मानो सरकार विश्वास भंग कर रही है। उदाहरण के लिए सरकार ने जनता से बांड और ऋणपत्रों के लिए अंशदान मांगा था, जिसमें उन्होंने सम्पत्ति कर में पूरी छूट देने का वायदा किया था। अब यह प्रस्ताव रखा गया है इसकी सीमा 5 लाख रखी जाए। वास्तव में कुछ प्रस्तावों में, जो अभी भी हैं, सम्पत्ति कर में यह विशेष छूट है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस आधार पर अंशदान मांगा गया था उसमें संशोधन नहीं किए जाने चाहिए थे। इसी तरह कुछ और परिवर्तन किए गए थे। लोगों से दीर्घावधि वित्तीय नीति का वायदा किया गया था। आपने कहा था कि आप दीर्घावधि वित्तीय नीति की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा किस तरह करेंगे ? जब आपने सम्पदा शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया था, आपने लोगों को बताया था कि इसे पुनः शुरू नहीं किया जाएगा किन्तु आपने अब इसे दूसरे रूप में पेश किया है। लेकिन वास्तव में इसमें न्यूनाधिक रूप से कर की वही वसूली है जिसकी अपेक्षा आपने सरकार से की थी जो कि 10 करोड़ के करीब है। आप इसे विरासत में मिली सम्पत्ति कर का हस्तांतरण मानते हैं। तीन वर्षों में ही सरकार ने अपनी नीति और अपना रवैया बदल दिया है। क्या यह आपकी दीर्घावधि वित्तीय नीति के वायदे के अनुरूप है ?

जहाँ तक उत्पाद-शुल्क का सम्बन्ध है, आपने वायदा किया था कि आप दरों में विविधता को खत्म करने और एक समान-दर बनाने की ओर अग्रसर हैं। पुनः ऐसा लगता है कि आपने इसे

प्रभावी बनाने का विचार त्याग दिया है क्योंकि निश्चित रूप से आपने दीर्घावधि वित्तीय नीति के प्रस्तावों में अपने वायदे को पूरा नहीं किया है।

इसी तरह सूखे से निपटने के लिए कुछ ही माह पूर्व अधिभार लगाया गया था। आपने तब वायदा किया था कि यह केवल सूखे की अवधि तक के लिए लगाया गया है और आपने इस अवधि को बढ़ा दिया है और अब भी अधिभार जारी है। आपने इसका कारण यह बताया है कि आप अपनी सरकार अस्थिर करना नहीं चाहते। कर ढांचे, आदि में स्थिरता बनानी होगी। लेकिन इस सम्बन्ध में तथा अन्य कुछ मामलों में जो कुछ भी किया गया है वह उसके अनुरूप नहीं लगता। सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिएं जिससे उसे अपने ही शब्दों से मुकरना पड़े। मेरे विचार से वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। वायदों को तोड़ना है।

मेरे विचार से सरकार को स्पष्टवादी होना चाहिए। सरकार से और स्पष्टवादिता की अपेक्षा की जाती है। इन सभी मामलों में उसे पूरे सदन को विश्वास में लेना चाहिए था।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का सम्बन्ध है, आर्थिक सर्वेक्षण में 12 प्रतिशत लाभ होने की बात कही गई है और तथ्य यह है कि यदि तेल क्षेत्र को निकाल दिया जाए तो सरकारी क्षेत्र के शेष उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ या तो नाममात्र होगा या फिर होगा ही नहीं।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : बिलकुल तो नहीं, किन्तु यह बहुत कम होगा।

श्री एच० एम० पटेल : फिर भी, आप 12 प्रतिशत क्यों बताते हैं ?

अन्य कई बातों के सम्बन्ध में भी वित्त मंत्री की अच्छी मंशा कुछ भी हो, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह किसी एक निगरानी संगठन की स्थापना करने पर विचार करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा, जैसा कि मैंने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का एक उदाहरण दिया है।

यदि आपका यह विचार है कि कृषि क्षेत्र को उन विभिन्न योजनाओं से वास्तव में लाभ मिलना चाहिए जिनको आप इस बजट में लाये हैं और उसका लाभ किसानों, लघु किसानों और सीमांत किसानों को मिले तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप एक विशेष संगठन बनाएं जो यह देखे कि वास्तव में ऐसा होता है। अब तक आपको यह पता होना चाहिए था कि आपकी बहुत सी गरीबी-हटाओ योजनाओं से जिनके माध्यम से काफी बड़ी धनराशि का वितरण किया जा रहा है, वास्तव में उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जिन्हें मिलना चाहिए था। अतः मुझे आशा है कि सरकार हमें बताएगी कि वह इसके लिए क्या करना चाहती है कि विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की सहायता के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह किया जाएगा। सरकार इस बारे में स्पष्ट रूप से बताएगी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए उसका क्या कदम उठाने का विचार है और उद्योग, पूंजी बाजार को पुनः शुरू करने, और भुगतान की स्थिति को संतुलित बनाने के लिए वह क्या करना चाहती है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस बार उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया

[श्री राम प्यारे पनिका]

है, उसमें समाज के हर कमजोर वर्ग का ख्याल रखा गया है, किसानों की दुख तकलीफों को समझ-कर और गाँवों के दूरदराज इलाकों में रहने वाले ट्राइबल, आदिवासी और रूरल आर्टिसन आदि सभी की समस्याओं को हल करने और उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। शायद ही कोई ऐसा वर्ग हो, जिसकी तकलीफों को समझते हुए, उसे राहत प्रदान किए जाने की व्यवस्था इस बजट में न की गयी हो। हमारे वित्त मंत्री जी ने सभी की कठिनाइयों पर पैनी दृष्टि रखकर वर्तमान बजट प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, पिछले सालों की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

अब मैं अपोजीशन में बैठे हुए साथियों के बारे में क्या कहूं, बल्कि हिन्दुस्तान के अवाम, इस देश की जनता को धन्यवाद देता हूं जो कल 15 मार्च को इनके कुचक्र में नहीं फंसी, वरना इन्होंने तो देश को पतन के रास्ते पर ले जाने का निश्चय कर लिया था, उत्पादन ठप्प करने की योजना बनायी थी परन्तु देश की जनता ने इनको दुत्कार दिया। इनकी कोई योजना सफल न हो सकी। अब ऐसा लगता है कि ये कई वर्षों तक बन्द कराने का साहस न कर पायें। बन्द का परिणाम हम सब के सामने है। हमारे यहां एक कहावत है कि "खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे" वह कल पूरी तरह चरितार्थ हो गयी जब तमाम अपोजीशन के लोगों ने सदन में आकर चेयर को अपमानित करने का प्रयास किया। चेयर को अपमानित करने का मतलब है, सदन को अपमानित करना और सदन को अपमानित करने का मतलब होता है इस देश की महान जनता को अपमानित करना। इन्होंने इस सदन की महान परम्पराओं की परवाह नहीं की। सिर्फ गलत नीतियों और गलत कार्य-क्रमों का सहारा लेकर आगे बढ़ना ही इनका उद्देश्य प्रतीत होता है। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने बजट साहित्य को पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। मैंने यहां सी०पी०एम० के श्री सोमनाथ चटर्जी को सुना और विरोधी दल के नेता श्री सी० माधव रेड्डी को भी सुना। अभी-अभी भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री पटेल साहब का भाषण भी सुना। इन तीनों को सुनते के बाद हमें जैसी निराशा हुई है, वैसी शायद कभी नहीं हो सकती थी। आपने उस दिन पौने दो घंटे बजट भाषण पढ़ा, जैसे एक के बाद एक 185 आपने पढ़ा, तो इन विरोधियों की शक्लें नीचे गिरती जाती थीं, ये निराश और हताश होकर चले गये। जब अखबार वालों ने इनसे प्रतिक्रिया जानी तो इन्होंने केवल यह कह दिया कि चुनावी बजट है। इस बजट में इनको कोई डायरेक्शन, दिशा और कार्यक्रम दिखाई नहीं देता है।

1.00 म०प०

मैं 5 बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पटेल साहब चले गए हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 1977 से 1979 के बीच की बात। देश याद करेगा कि उस समय कुछ हिस्सों में ही सूखा था और इस साल शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा है लेकिन इनका इन्फ्लेशन 21.8 परसैंट चला गया था। इनकी इकनामी की व्यवस्था आप देखें। यही नहीं, प्रोडक्शन का जहां तक प्रश्न है, दोनों को तुलनात्मक मैं बताना चाहता हूं, उस समय एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन 17 प्रतिशत नीचे चला गया था और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1.7 परसैंट। इस कठिनाई के बावजूद हमारी सकल राष्ट्रीय इनकम 1.2 बढ़ी है जब कि उस समय 4.7 परसैंट नीचे चली गई थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन—1.4 चला गया था। लेकिन उसकी तुलना में इस बार शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा है, सूखा ही नहीं बल्कि

पूर्वांचल क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ की विभीषिका हुई है लेकिन इस सब के बावजूद 35 मीट्रोलाजीकल सब-डिवीजन हमारा प्रभावित हुआ है। आप हमारा रिजल्ट देखें, कृषि उत्पादन में हम 7 और 8 मिलियन टन से कम जरूर होंगे लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 16 परसैंट पिछले महीनों में बढ़ा है और आज औसत 10.2 हो रहा है। यही नहीं, कोर सैक्टर की इंडस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप कोयले के उत्पादन को बन्द कर रहे हैं, बिजली और थर्मल पावर स्टेशन को बन्द कर रहे हैं और सारी अर्थ-व्यवस्था को आप चरमराना चाहते हैं, लेकिन जो जर्जरित अर्थ-व्यवस्था हमने पटेल साहब से ली थी आज आप देखें कि कोल सैटर में उत्पादन 10.2 परसैंट और बिजली के उत्पादन को थोड़े ही दिनों में हमने 50 हजार मेगावाट कर दिया है। आपने जो छोड़ा था वह 21 परसैंट था और हमने प्रयास कर के उसे 55 परसैंट पर ला दिया है। क्या यह गौरव की बात नहीं है? यह दिशा आपको दिखाई नहीं देती है?

यही नहीं, इस्पात का उत्पादन हमने 84 मिलियन टन कर दिया। चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, बिजली हो, कोयला हो और जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारी कोर इंडस्ट्री का है, सब को हमने बढ़ाया है। नतीजा यह हुआ है कि आज एक संरचना देश में बन चुकी है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस विभीषिका के बाद भी।

माननीय मंत्री जी ने जिन कठिन परिस्थितियों में अपना बजट प्रस्तुत किया है, उसके बारे में हम ने ही नहीं कहा है बल्कि सारे अखबारों ने अपनी प्रतिक्रिया बताई है और चैम्बर आफ कामर्स के प्रेजीडेंट ने भी कहा है कि यह ग्रोथ औरिएन्टेड बजट है। आपने जिस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था इसमें की है, चाहे किसान को सुविधा देने की बात हो, इन्ट्रेस्ट में आपने उनको ढाई परसैंट की छूट दी है, 10 परसैंट पर उनको पैसा मिलने जा रहा है।

इसके साथ जलधारा जैसी स्कीमें लाकर एक क्रांतिकारी कदम आपने उठाया है। इन सब के कारण निश्चिततौर पर जो हमारा लक्ष्य है 175 का है वह तो नहीं लेकिन जो इस साल 160 का है वह पूरा करेंगे। हम बड़े-बड़े डैम और बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से हटकर हिन्दुस्तान की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए माइक्रोलैवल योजना पर हम पहुंचे हैं। यह आपकी देन है आपने रोटी, कपड़ा और मकान व रोजगार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। देश का जन-जन भी उसकी प्रशंसा करता है। यहां तक कि देश के अर्थशास्त्री भी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मालूम नहीं, क्यों हमारे विरोधी भाइयों को कुछ दिखायी नहीं देता है। सी०पी०एम० के एक नेता ने यह कहा कि इसमें कोई नई दिशा नहीं है और न ही कोई नई बात है। मैं पुनः अपने वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी को इतना सुन्दर बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं।

हमारे विरोधी भाई इनफ्लेशन की भी बहुत बातें करते हैं। अगर वह हमारी राष्ट्रीय आय को देखें तो उन्हें सब मालूम हो जायेगा। हम अपनी बहुत सी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश को प्रगति के मार्ग पर ले गये हैं। अगर हमारे विरोधी भाई इनफ्लेशन की धनराशि को देखें तो उन्हें सब मालूम हो जायेगा। हमने तो इसको काफी हद तक कंट्रोल किया है। डैफीसिट फाइनांसिंग की भी ये बातें करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देकर उन्हें बताना चाहता हूं। 1984-85 में कुल 8.14 परसेंट डैफीसिट था, 1985-86 में 9.70 परसेंट, 1986-87 में 9.79 परसेंट डैफीसिट था और इस वर्ष अभूतपूर्व बाढ़, सूखा और अन्य कठिनाइयों के बावजूद भी

[श्री राम प्यारे पनिका]

10.17 परसेंट डैफिसिट रहा। हमने दूसरे संसाधनों के माध्यम से इस कमी की पूर्ति की है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यह घाटा बहुत मामूली है। दुनिया के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, वह 10 परसेंट को ज्यादा नहीं मानते हैं। हमारे विरोधी भाई जनता के दिमाग में गलतफहमी डाल कर उन्हें भयभीत कर रहे हैं। वह जनता को यह भी कह रहे हैं हमारी सरकार महंगाई बढ़ाना चाहती है। मैं अपने प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जनता के साथ जो वायदे किये थे, उनको उन्होंने पूरा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कदम हमारे वित्त मंत्री जी ने उठाये हैं और आगे उठाना चाहते हैं उससे इनफ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ जो हमारे सामने महंगाई की समस्या है वह भी और अधिक नहीं बढ़ पायेगी। मैं तो यही कहूंगा कि जो बजट पेश किया गया है वह बहुत सोच-समझ कर पेश किया गया है।

हमारे सी० पी० एम० के नेता बोल रहे थे कि पिछले 40 वर्षों से जब से कांग्रेस सरकार ने बजट बनाना शुरू किया है, घाटे का ही बजट बनाया है। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उनका काम केवल विरोध करना ही है। हमारे सी० पी० एम० के भाई जब भी कोई भाषण देते हैं तो वही पुराना रटा-रटाया भाषण कर देते हैं। अभी पिछले शुक्रवार को सोमनाथ जी किसी संविधान संशोधन बिल पर भाषण कर रहे थे तो उन्होंने वही अपना पुराना रटा-रटाया भाषण दे दिया। वह किसी भी चीज पर सोच-विचार नहीं करते हैं। हमने तो नई-नई योजनायें इस बजट में बनायी हैं। यह तो एक ग्रोथ ओरियंटिड बजट है और गरीबों का बजट है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिये जो फाइनेंशल कारपोरेशन की बात कही गई है वह एक बहुत अच्छी चीज है। इससे ग्रामीण इलाकों का बहुत विकास होगा।

अभी हमारे पटेल जी भाषण कर रहे थे और उन्होंने कुटीर ज्योति के बारे में जिक्र किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये वह सब गलत थे। मेरे ख्याल में उनको इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। हमने ट्राइबल इलाकों तक बिजली पहुंचा दी है। अब तो गरीबों के घर में भी बिजली पहुंच गई है। आप आज भी गरीबों की झोंपड़ियों में यह देख सकते हैं। वहां पर आपको बिजली का बल्ब टिमटिमाता हुआ मिल जायेगा। हम तो उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमने किसानों की तरफ भी काफी ध्यान दिया है। हमारे माननीय मंत्री जी ने किसानों को प्रोत्साहित करने का काफी प्रयास किया है। यही कारण है आज हमारे किसान काफी उत्साही हो गये हैं। उत्साह जग गया, क्या इसमें शक है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप पंद्रह मिनट बोल चुके है। दूसरे सदस्य इंतजार कर रहे हैं। आप दूसरों को भी समय दीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अभी तो मैंने भूमिका शुरू की है, मैं अब आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यदि किसानों को हमने उत्साहित कर लिया, जैसा कि हमने किया है, यही नहीं हमने श्रमिकों को उत्साहित किया है जो आज इण्डस्ट्रियल उत्पादन में लगे हैं, वह हम सभी साथियों ने बार बार कह दिया, मैं आपके सुझाव से सहमत हूं, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता, क्या इससे कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा क्या जलधारा कार्यक्रम से, गरीब लोग पम्प सैट नहीं लगा पाते, माननीय मन्त्री जी ने सोचा कि जो लोग गरीब हैं, जो पम्प सैट नहीं खरीद पा रहे उनको जलधारा स्कीम से नाममात्र किराये पर पानी दिया जाय अब इसमें विरोधियों को कौन सी कठिनाई है। मैं जानता हूं कि साधारण जनमानस आज कांग्रेस सरकार द्वारा उपस्थित बजट के कारण राजीव जी के नेतृत्व में विश्वास करता है परिणामस्वरूप चूंकि उनका बन्द सफल नहीं हुआ इसलिए वह इस तरह की बात करते हैं।

मैं आपको बताऊं, कल क्या कहा था, करप्शन हटाने के लिए, कहा था अनएम्पलायमैण्ट दूर करने के लिए और कहा था प्राइसेज ऊंचा करने के लिए। ये लोग करप्शन की किसकी बात करते हैं, क्या उन मुख्य मंत्रियों की बात करते हैं जिनपर हाईकोर्ट्स ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया **के करप्शन की बात, ** के करप्शन की बात और ** के करप्शन की बात, जो भाईभतीजावाद और करप्शन के लिए हाईकोर्ट के शिकंजे में आ गये और छूट नहीं सकते और आज अपने आपको बचाने के लिए, डिफेंस में अपने को रखने के लिए यह तमाम लोग एक ही बात करते हैं। आज विरोधी जिस तरह से हताश होकर गलत संगठन करने जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप देखें, कहां जनता पार्टी, कहां लोकदल (अ) हैं जो जातीयता, साम्प्रदायिकता का गलत संगठन कर रहे हैं। इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि इस सरकार को, जो द्रुत गति से देश को विकास की ओर बढ़ा रही है, डीस्टेबलाइज करने के लिए विरोधियों का यह संगठन 1977 के पहले जनता को भ्रमित करके देश को गर्त में पहुंचाने के बाद आज गलत संगठन कर रहा है। यही नहीं लोकदल (ब) को देखिये जनसंघ से सम्बन्ध जोड़ रहा है जो साम्प्रदायिक दल है, जातीयता, साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयता यह सारे तत्व राष्ट्रीय एकीकरण के रास्ते में बाधक हैं इनको आज विरोधी पक्ष हिन्दुस्तान में उठाना चाहता है। इनको किसानों से मतलब नहीं, इनको वर्कर्स से मतलब नहीं, यह कहते हैं कि पब्लिक सैक्टर में इनको विश्वास नहीं, पब्लिक सैक्टर को हानि पहुंचाने के लिए इन्होंने इस सैक्टर में 3 रोज की हड़ताल की, 6 रोज की की। इनको पता था कि इस समय हमने थर्मल पावर स्टेशन को इतनी तेजी से चलाया है कि किसी के पास दो रोज का कोयला है और किसी के पास 3 रोज का कोयला है, इसलिए इण्डस्ट्रीज में हड़ताल करके इन्होंने थर्मल पावर स्टेशन को बन्द करने की साजिश की थी और ये कृषि औद्योगिक उत्पादन को धक्का देना चाहते थे। यह देश के किसानों के, मजदूरों के और गरीबों के हितैषी नहीं हैं केवल एक कुर्सी का चक्कर है और हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने आज कृषि के क्षेत्र में अभी हैदराबाद में जो विचारधारा किसानों को दी है···आज किसान आशा लगाए हुए हैं लेकिन ये लोग करप्शन और मंहगाई की बात करते हैं। अगर आपको करप्शन देखना हो तो आप वेस्ट बंगाल में देखिए। हम अपनी बात नहीं करते हैं, हाईकोर्ट अपनी मोहर लगा रही है। मान्यवर, एक देहाती कहावत है वह मैं कहना चाहता हूं। देहात में एक तो सूप होता है और एक छलनी होती है। सूप में एक ही छेद होता है तो अगर सूप कोई बात करे तो समझ में आती है परन्तु छलनी भी बात करती है जिसमें हजारों छेद होते हैं। जिनपर करप्शन के हजारों हजार एलिगेशंस हैं, उनका भाई-भतीजावाद अगर देखना हो **अपने लड़के को, अपने

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम प्यारे पनिका]

भतीजों को, अपने दामाद को किस तरह से लाभ पहुंचाने का काम करते हैं उसको देखिए। आज ** को देखिए कि अपने दामाद को क्या बनाना चाहते है। (**व्यवधान**) मान्यवर, ये लोग राष्ट्र की समृद्धि नहीं चाहते हैं। आज देश के सामने राष्ट्रीय संकट है, देश की एकता और अखण्डता कठिनाई में है। राष्ट्रीय मुद्दों पर सबको एक साथ होना चाहिए था। अभूतपूर्व सूखे की विपत्त से हमारी सरकार ने मेहनत करके जनता को उबारा है। इनको भी इसमें सहयोग देना चाहिए था। लेकिन कोई सहयोग देने के बजाए छोटे 2 मुद्दों को लेकर, संवेदनशील मामलों को लेकर, जातीयता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता और भाषावाद को उभारकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने इस बजट के माध्यम से सकल्प लिए हैं, मुझे विश्वास है कि आपका इतने दिनों का अनुभव और गरीबों के प्रति आपकी सहानुभूति की भावना को लेकर निश्चिततौर से आप उनको प्राप्त करने में सफल होंगे।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1988-89 के बजट का स्वागत करता हूं, खासतौर से इसलिए कि इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने गांवों की बहबूदी की तरफ विशेष ध्यान दिया है। करीब करीब हर आदमी यह महसूस करता है कि गांवों के विकास के ऊपर ही हमारे देश का विकास निर्भर करता है। अगर गांवों में खेती अच्छी होती हैं, प्रोडक्शन अच्छी होती है तो इण्डस्ट्रीज भी ठीक तरह से चलेंगी और सभी तरह से हमारा देश सम्पन्न होगा। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होने मूल समस्या को समझा है और उसके हिसाब से गांवों को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आज का जो बजट है वह कुछ विशेष परिस्थितियों में बनाया हुआ है। पिछले तीन-चार सालों से देश के अनेक हिस्सों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। खास तौर से जहां से मैं आया हूं, राजस्थान से, वहां पर भयंकर अकाल की स्थिति चली आ रही है। चार साल से बराबर अकाल है। सभी लोग यह महसूस करते थे कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतने बड़े डाउट को फेस करने के लिए भारत सरकार के लिए आवश्यक होगा कि किसी तरह के कोई कर अवश्य लगाएंगे जिससे मौजूदा कैलेमिटी पर टाइड-ओवर करने की कोशिश की जाए लेकिन ऐसी विशेष परिस्थितियों के बावजूद आपने गांवों के डेवलपमेन्ट का बजट यहां पर पेश किया जोकि वास्तव में स्वागत-योग्य है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं।

अब मैं यहां पर कुछ गांवों की कुछ समस्याओं का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आप इस बात को महसूस करें कि गांवों की मूल समस्याओं को साल्व करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, मूल समस्या पापुलेशन की है। जिस तेजी से गांवों में पापुलेशन बढ़ रही है इस देश की, उसको रोका जाए उसमें सर्टेन सेक्टर्स जो हैं अर्बन एरियाज के एजूकेटेड क्लास में, उनमें तो पापुलेशन करीब-करीब कन्ट्रोल हो गई है लेकिन बैकवर्ड एरियाज में, रूरल एरियाज में आपके प्रयासों के बावजूद भी पापुलेशन की रेट आफ ग्रोथ वही जारी है। आप के प्रयास के बावजूद अभी वह कन्ट्रोल नहीं हो पाया है। इसलिए आप को इस बात पर जो आगे जा कर सारे हिन्दुस्तान की एकोनोमी को डेमेज करने वाली परिस्थिति है, उस पर विशेषतौर

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से ध्यान देना चाहिए। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि आप प्रलोभन देते हैं, पैसा भी देते हैं और दूसरे इन्सेंटिव भी देते हैं लेकिन धीरे धीरे जो आप का फैमीली प्लानिंग प्रोग्राम है, वह गवर्नमेंट ओरियेन्टेड हो गया है। लोग फैमीली प्लानिंग पैसे के लोभ में करा लेते हैं, भूमि प्राप्त करने के लोभ में करा लेते हैं और गवर्नमेंट मशीनरी के माध्यम से यह हो रहा है और गांव का आदमी इस प्रोग्राम से करीब करीब इनडिफ्रेन्ट हो गया है। इसलिए यह प्रोग्राम कैच अप नहीं कर रहा है। यह एक मूल समस्या है, जिस पर आप को ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सारी की सारी पापुलेशन, करीब करीब 75 पर सेंट आफ़ दि रूरल पापुलेशन जो है, वह एग्रीकल्चर पर डिपेन्डेंट है और अभी तक उस पापुलेशन को किसी तरह से डाइवरसीफाई करने के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुआ है। यहां तक कि जो एलाइड विषयं हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विषय हैं जैसे पाल्टरी है, बी-कीपिंग है या फीशरी है और डेयरी है या इस तरह की और चीजें हो सकती हैं, वे उस तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं जिस प्रोपोर्शन में उन को विकसित होना चाहिए। वे एक बहुत बड़ी परसेन्टेज एग्रीकल्चर की अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ जो डवलप्ड कन्ट्रीज हैं जैसे इंगलैंड है और अमेरिका है और दूसरे कन्ट्रीज हैं, उनमें एग्रीकल्चर के एलाइड विषयों में जैसे पाल्टरी डेयरी और दूसरे विषय हैं, उनमें करीब करीब डबल पापुलेशन एम्पलायड होती है लेकिन हिन्दुस्तान में सारे का सारा बोझ एग्रीकल्चर पर ही है। उस की वजह से अकाल में बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप ने कुछ प्रयास किया है कुटीर उद्योगों को डेवलप करने के लिए लेकिन जिस तरह का प्रयास होना चाहिए, वह नहीं किया गया है।

मैं राजस्थान के उस हिस्से से आया हूं, जिस में थोड़ा बहुत नहर का इन्तजाम हो चुका है, चम्बल की नहरें वहां पर बहती हैं लेकिन वहां पर बहुत बड़ी तादाद में सीपेज की प्राब्लम बन गई है। मैं समझता हूं कि इस एरिया में अगर फीशरी को सीरियसली लिया जाए और डवेलप किया जाए, तो वहां पर फीशरी डवेलप हो सकती है। अभी उस की शुरूआत नहीं हुई है। डाइवर्सीफिकेशन आफ़ रूरल पापुलेशन, चाहे कुटीर उद्योग हों और चाहे एलाइड सबजेक्ट्स हों, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

तीसरी जो बहुत बड़ी प्राब्लम है वह एन्वाइरनमेंट की है। मैं गांव से आया हूं। गांव में जिस तरह से जंगल कटते हैं, उन से एन्वाइरेन्मेंट बिगड़ गया है, पानी का साइकिल बिगड़ गया है, रेन्स का साइकिल बिगड़ गया है और आज जो लोग गांवों में रहते हैं, उनके दिमाग में यह बात घर कर गई है, राइटली ओर रोंगली, कि यह जो साइकिल चेन्ज हुआ है, परमानेन्ट तो नहीं है? अगले साल भी टाइमली रैन होगी या नहीं और अगले साल भी बरसात न हुई, तो ऐसे वक्त क्या परिस्थिति होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर सोर्सेज आफ इरीगेशन एवेलएबिल हैं, जहां पर पानी उपलब्ध है, वहां पर उस का ज्यादा से ज्यादा यूटीलाइजेशन किया जाना चाहिए। मेरा क्षेत्र ऐसा है, जिस के बारे में इस पार्लियामेंट में आज से पहले भी कई बार दूसरी डिमान्ड्स पर, मैंने निवेदन किया है। झालावाड़, राजस्थान की जो पार्लियामेंटरी कांस्टीटुयेन्सी है, उस का करीब करीब 80 पर सेन्ट एरिया इरीगेटेड हो सकने के लिए सक्षम है लेकिन 80 पर सेन्ट के मुकाबले केवल 14 पर सेन्ट एरिया को ही हम इरीगेट कर चुके हैं। इसलिए जो कुछ डेवलपमेंट अभी हो रहा है, वह डेवलपमेंट यूनीफार्म डेवलपमेंट नहीं है। जहां पर कोई सक्षम लीडर बैठा हुआ है, वह अपने ऐरिया में डेवलपमेंट करा लेता है और ऐसी चीजें अपने यहां बना लेता है, जिन

[श्री जुझार सिंह]

की आवश्यकता नहीं होती है । इस के मुकाबले में जो दूसरे एरियाज हैं जहां पर फैसीलिटीज एवेलएबिल हैं, इर्रीगेशन फैसीलिटीज एवेलएबिल हैं, उन एरियाज को कन्टीनुयसली और रेगूलरली निगलेक्ट किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की विशेष परिस्थिति में जबकि हमारे यहां सीजन्स का साइकिल चेन्ज हो गया है, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, उन को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप यूटिलाइज करें ताकि ये जो क्षेत्र हैं ये कुछ विकास कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और है कि गांवों के विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, उसका प्रॉपर युटिलाइजेशन नहीं होता है, वह चीज है कम्युनिकेशन । उपाध्यक्ष महोदय कम्युनिकेशन की कमी की वजह से हमारे एरिया में जो प्रोडक्शन होता है, उसको भी हम मंडियों में नहीं ला पाते हैं । मेरे क्षेत्र में कूछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर नदियां बहुत हैं । तीन-तीन, चार-चार माइल पर, बरसात के टाइम पर अब्स्ट्रक्शन हो जाता है और हमारी मूवेबिलिटी बिलकुल समाप्त हो जाती है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर सड़कों का विकास किया जाए ताकि कास्तकार की जो कुछ भी पैदावार होती है, उसको मंडियों तक लाया जा सके । उसी तरह से इन दिनों में नए बीज भी डिवेलप किए हैं और मैं यह मानता हूं और मंत्री महोदय भी इस बात से सहमत हैं कि जो फारेस्ट कट चुका है, उसको वापस लाने में, तो बरसों लग जाएंगे लेकिन कुओं में पानी कम हो गया है, उसको री-चार्ज किया जा सकता है, सॉयल इरोजन को समाप्त कर के और जो कुछ पानी बरसता है, उसको किसी प्रकार से रोककर जिससे कि वह जमीन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे वाटर लैवल कम हो गया है, इस पानी के प्रवेश करने से वह री-चार्ज हो जाएगा, तो इससे हमारे कुओं में पानी ज्यादा आ सकता है । यह काम तो जल्दी हो सकता है । री-फारेस्टेशन में तो बहुत समय लग जाएगा । री-फारेस्टेशन भी होना चाहिए परन्तु इसके साथ-साथ आप छोटे-छोटे चैकडैम्स बना कर के, बरसात के पानी को जमीन में पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि कुओं का पानी चार्ज हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को समाप्त करने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं । अभी जो सबसे ज्यादा नुकसान गांवों में हुआ है वह जंगल की कटाई से हुआ है । जंगल की कटाई में 85 प्रतिशत कटाई फ्युल परपज के लिए होती है । इसलिए इस परपज के लिए जो लकड़ी काम आ सके और जो जल्दी पैदा हो सके, इसके लिए फास्ट ग्रोइंग वैरायटीज हों, उनको ग्रो करना चाहिए और जो इमारती लकड़ी है, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत आवश्यक है और वह कीमती भी है, उसको जलाऊ लकड़ी के रूप में प्रयोग होने से बचाएं । इसलिए फास्ट ग्रोइंग वैरायटीज को ग्रो कर जनता की फ्युइल सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मुझे बहुत कहना था किन्तु समय के अभाव के कारण मैं इतना ही कहकर, अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1988-89 के बजट का समर्थन करता हूं । हमारे वित्त मंत्री ने स्वयं को एक अर्थशास्त्री और भारत के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में चित्रित किया है । वास्तव में यह बजट किसानों का बजट है । कुछ समाचार

पत्रों और अर्थशास्त्रियों तथा अन्य लोगों ने कहा है कि यह एक राजनैतिक बजट है। मैं तो समझता हूं कि यह किसानों का बजट है।

यह हमारे वित्त मंत्री का एक कुशल संतुलित बजट है। वास्तव में इसे भारत की स्वतन्त्रता के 40 वर्षों बाद किसी सरकार द्वारा बहुत चतुराई से पेश किए गए एक बजट के रूप याद किया जाता रहेगा। यह बजट आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करता है न कि राजनैतिक उद्देश्य की। बजट में वास्तव में सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ रियायतें दी गई हैं। यह रियायतें न केवल किसानों को बल्कि दलित लोगों को भी दी गई हैं। अब किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिल रहा है। इसके अतिरिक्त पम्प सेटों पर उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है। उर्वरक के मूल्य भी 7½ प्रतिशत कम हो गये हैं इससे वास्तव में गरीब किसानों को सहायता मिलेगी जो कृषि पर निर्भर कर रहे हैं। इसके अलावा बेघर लोगों को ब्याज की निम्न दर पर अपने घर देने का भी वायदा किया गया है। यह एक और वरदान है जो समाज के गरीब और दलित वर्ग को दिया गया है। ग्रामीण मध्य वर्गीय लोगों को सस्ता साबुन सस्ते बिजली के बल्ब कुछ मामलों में उनके बच्चों के लिए सस्ते खिलौने, सस्ते कपड़े, सस्ते कांच के समान, सभी बिजली से चलने वाले यन्त्र और स्टील के बर्तन आदि दिये गए हैं। इससे गरीब लोगों को वास्तव में और स्वत: ही सहायता मिलेगी।

महोदय, सिंथेटिक कपड़े पर उत्पाद व सीमा शुल्क में कमी करने से श्रमिक वर्ग के लोगों और शहरी निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। यह बहुत अच्छा प्रयास है जो वित्त मंत्री जी द्वारा लोगों की सहायता करने के लिए किया गया है। एक बड़ा व महत्वपूर्ण प्रयास वित्तमंत्री श्री तिवारी द्वारा यह किया गया है कि दवाइयों की कीमतें कम की गयी हैं और आधुनिक चिकित्सा उपकरण और आवश्यक दवाइयों पर छूट दी है। इससे गरीब वर्गों के लोगों को भी सहायता मिलती है।

आर्थिक दृष्टि से देखते हुए, यह स्पष्ट है कि कई छूटों की घोषणा की गई है। वास्तव में उन्होंने बजट बनाते समय दिमाग का उपयोग किया है बजट गरीब जनता और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए। अत: मैं वित्त मंत्री जी को प्रशंसा करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत लोकप्रिय और इसके साथ-साथ कुशलता से बजट का संतुलन किया है।

वास्तव में, उर्वरक के मूल्य बहुत अधिक थे और हमारे कमजोर कृषि समुदाय वर्ग के लोग पिछले चार-पांच वर्षों से उर्वरक का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। यही कठिनाई थी। कई बार वर्षा नहीं हुई। पिछले 4-5 वर्षों से लगातार, वर्षा नहीं हो रही थी, और समूचे देश में सूखा पड़ा। माननीय वित्त मंत्री इन सब बातों को जानते हैं और किसानों और गरीब किसानों की सहायता के लिए, उन्होंने उर्वरक की कीमतों में साढ़े सात प्रतिशत कमी की है। यह किसानों के लिए एक वरदान है। यह एक सहायता देने की प्रवृत्ति है जो वित्तमंत्री जी ने किसानों के प्रति दिखाई है।

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उन पर पुनर्विचार किया जाएगा और उन्हें और अच्छा बनाया जायेगा यह एक और आश्वासन है जो वित्त मंत्री जी ने कृषकों और गरीब वर्ग के लोगों को दिया है।

जहां तक रक्षा खर्च का सम्बन्ध है, यह पहले से ही बढ़ गया था। पिछले वर्ष, यह 63 प्रतिशत या इसके लगभग बढ़ गया था। पिछले वर्ष, रक्षा खर्च 12500 करोड़ रुपये रखा गया था।

[श्री पी० कुलनदईवेलू]

अब, यह 500 करोड़ रुपये कम हो गया है और इसे 12000 करोड़ रुपये रखा गया है। श्रीलंका द्वीप में भारतीय शान्ति सेना के रहने के बावजूद यह कम हो गया है।

कुछ विरोधी पार्टियों द्वारा यह भी आलोचना की गई थी कि इस पर भारत सरकार द्वारा रोज लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। विरोधी दलों द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध यह आरोप था। वास्तव में, ऐसा नहीं है। भारतीय शान्ति सेना को श्रीलंका में शान्ति लाने के लिए, लोगों के मूल्यवान जीवन को बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए और तमिलों को श्रीलंका में संरक्षण देने के लिए रखा गया है। हमें इन बातों को इस दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए अभी भी श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना रुकी हुई है।

महोदय वित्त मंत्री के वर्ष 1988-89 के बजट में वास्तव में राहतों, बढ़े हुए खर्चों, और राजस्व बढ़ाने के उपायों को कौशल के साथ संतुलित रखा गया है। जिसका भार विशेष रूप से आम व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करता हूं कि आपने किसानों के लिए बजट दिया है, एक कौशलपूर्ण बजट है और एक संतुलित बजट है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तथापि, हमें तमिलनाडु के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनको केन्द्र द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

आप मद्रास शहर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले चार वर्षों से तेलगू-गंगा परियोजना लम्बित पड़ी है। हमारी स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने इस तेलगु-गंगा परियोजना की आधार-शिला रखी थी! लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। अब हम जल समस्या का भी सामना कर रहे हैं न केवल मद्रास शहर में बल्कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी। वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं हैं। यही मुख्य बात है। केन्द्र को तेलगु-गंगा-परियोजना को शीघ्र पूरा करना चाहिए जिससे कि कम से कम मद्रास के लोगों को कृष्णा नदी से जल मिल जाये दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है... ...(व्यवधान)

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : श्रीमती गांधी ने तेलगु-गंगा परियोजना की आधार-शिला नहीं रखी थी। उन्होंने मद्रास को पीने का पानी दिलाने की परियोजना की नींव रखी थी।

श्री पी० कुलनदईवेलू : नहीं, नहीं, यह तेलगु-गंगा परियोजना थी। उस समय मुख्यमंत्री श्री हेगड़े भी उपस्थित थे। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी उपस्थित थे। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री पटेल भी थे। मैं भली प्रकार जानता हूं। उस समय मैं एक मंत्री था।

दूसरी बात यह है कि आपने सर्वोच्च असैनिक उपाधि हमारे परमप्रिय मुख्य मंत्री स्वर्गीय डा० एम०जी० रामचन्द्रन को दी है। हम केन्द्र के बहुत आभारी है कि उसने स्वर्गीय डा० एम०जी० रामचन्द्रन को सर्वोच्च असैनिक उपाधि से विभूषित किया है। तथापि, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मद्रास के हवाई अड्डे का नाम डा० एम०जी० रामचन्द्रन के नाम पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि जब आपने हमारे मुख्यमंत्री को सर्वोच्च असैनिक उपाधि दी है तो आपको मद्रास हवाई अड्डे का नाम भी डा० एम०जी० रामचन्द्रन के नाम पर रखना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कावेरी विवाद के बारे में है। जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है। जब हमारे मुख्यमंत्री जिन्दा थे, तब वह केन्द्र सरकार से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जल विवादों को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण बनाने के लिए जोर डाल रहे थे। अब हम उनसे भीख मांगने जाते हैं। हर समय हम वस्तु विनिमय प्रणाली से जल प्राप्त करने के लिए कर्नाटक जाते हैं। वह इसे मुफ्त में नहीं दे रहा है। केवल वस्तु विनिमय प्रणाली से हम जल प्राप्त कर पाते हैं। हाल ही में उन्होंने 4 टी०एम०सी० जल छोड़ा है। लेकिन हमें तंजावूर जिले में फसलों के लिए 10 टी०एम०सी० जल की आवश्यकता है जो तमिलनाडु का एक अन्न भण्डार है। आपको कर्नाटक सरकार से तंजावूर जिले में फसलों के लिए शीघ्र 6 टी०एम०सी० जल देने का अनुरोध करना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना सेतु-समुद्रम परियोजना है। सेतु-समुद्रम परियोजना केन्द्र के पास पिछले 20 सालों से लम्बित पड़ी है। उसे स्वीकृति नहीं दी गई है। केन्द्र सरकार सेतु-समुद्रम परियोजना को स्वीकृति क्यों नहीं दे रही है? युद्ध के समय इस परियोजना से न केवल तमिलनाडु को बल्कि पूरे राष्ट्र को सहायता मिलेगी। अतः इस सेतु-समुद्रम परियोजना को स्वीकृति दी जाये।

दूसरी बात पूर्वी तट मार्ग के बारे में है। जब मैं राजमार्ग मंत्री था तब मैं इस परियोजना को 150 करोड़ रुपये की लागत से पूरा करने पर जोर दे रहा था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह परियोजना मद्रास से कुमारी अंतरीप तक लगभग 850 कि०मी० दूरी तक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इसे स्वीकृति दी जानी चाहिए।

हमारे वित्त मंत्री की बजट के लिए प्रशंसा की जाये। उन्हें किसानों को बजट, कौशलपूर्ण और संतुलित बजट बनाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात यह है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इस बार जो बजट पेश किया है, उसमें खासतौर से किसानों और गांवों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर आवश्यक राहतें दी हैं। चालीस वर्षों में शायद पहली बार इतने विस्तार से किसानों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले गरीबों के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए हम मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हैं। जहां तक हो सका है, उनको सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। वैसे तो पता नही कितनी समस्याएं होंगी लेकिन दो प्रमुख समस्याएं हमारे देश के सामने हैं। एक तो बढ़ते हुए मूल्यों और दूसरा गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी। ये दोनों समस्याएं साधारणतौर पर भाषण दे देने या एडहाक कदम उठाने से हल नहीं होंगी। इसके लिए विस्तार से सोचने की जरूरत है कि ये कैसे हल होंगी। आज दुनिया में और हिन्दुस्तान में भी "एज आफ स्पेशलाइजेशन" अर्थात् विशेषज्ञों का युग का समय है। जब तक हर चीज में विशेषज्ञ न हों तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ती है, चाहे सब्जी उत्पादन हो, ईटें बनाने का काम हो, पोल्यूशन रोकना हो आदि। हर काम में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। पहले जो आवश्यकताएं थीं वह चालीस साल बाद भिन्न हो गई हैं। इसलिए इस बात पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि आवश्यकता के अनुकूल हम अपने यहां विश्वविद्यालय खोलें और चाहे अनुसंधान केन्द्र खोलें। आज जो कालेजों से पढ़े हुए लड़के निकलते हैं, उनको नौकरी नहीं

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

मिलती है। उनको एकेडेमिक पढ़ाई पुस्तकों की पढ़ाई मिलती है जबकि व्यावहारिक पढ़ाई होनी चाहिए। इसीलिए पढ़ने के बाद यहां तक कि बी०ए०, एम०ए० पास लड़के भी ड्राईवरी, कंडक्टरी या चपरासी के लिए दरख्वास्त देते हैं। पढ़ाई में बहुत समय लगता है, इसलिए हायर सेकेंडरी तक तो ठीक है, उसके बाद विशेषज्ञों को तैयार करने की जरूरत है। उसके लिए चाहे इंस्टीच्यूट खोलें। लेकिन आजकल कुछ ऐसी हवा बन गई है कि हर कोई हायर सेकेंडरी के बाद डिग्री के लिये कालेज में जाना चाहता है।

देश में किसान जो पैदा करते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर खोली जानी चाहिए। उनको डिग्री दीजिए। इस तरह से सात-आठ या अधिक विषयों पर यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए। दूसरा नम्बर फारेस्टरी का है। बहुत से लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन किस किस्म का पेड़ लगना चाहिए, वह उनको मालूम नहीं होता है। इन सब चीजों के अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटी आफ फारेस्टरी होनी चाहिए। उसी तरह से यूनिवर्सिटी आफ वैटरीनरी की भी जरूरत है। जब कहीं जगह नहीं मिलती है तो लोग ढोर डॉक्टर बनते हैं। पशुधन की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। किसानों की जमीन की जुताई पशुधन की मदद से होती है और भी कई काम हैं जो पशुधन की मदद से होते हैं। पशुओं की सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जैसी कि इंसानों के लिए होती है। इसलिए यूनिवर्सिटी आफ वैटरीनरी खोली जानी चाहिए। जिसमें कि अच्छे डाक्टर पैदा हों और उसी तरह से कई और भी चीजें हैं। जैसे मकान बनाने का है। आज आप देखें जर्मनी के विश्वविद्यालयों में 20 प्रतिशत विद्यार्थी आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में मकान बनाने की समस्या बड़ी भयंकर है। आंकड़ों के मुताबिक चार करोड़ मकान की कमी गिनाई जाती है, लेकिन कमी निसन्देह इससे ज्यादा है। इसलिए हमको भी मकान बनाने की विद्या प्राप्त करने के लिये यूनिवर्सिटी आफ आर्किटेक्चर खोलनी चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि यह सब्जेक्ट के रूप में कई जगह पढ़ाया जाता है। आज ईंटे बनाने का काम भी विशेषज्ञों के हाथों में होना चाहिये। जितने भी ईंटों के भट्टे हैं वहां पर काम करने वालों की हालत आप देखिये। मैं जानता हूं उनकी हालत बंधुआ मजदूरों जैसी है। मैं जानता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश से बहुत दूर-दूर तक यह काम करने के लिए लोग जाते हैं। इसलिए आर्किटेक्ट की भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छी किस्म की ईंटें बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसी तरह से यह भी जरूरत है कि मकान सस्ते और मजबूत बनें। जरूरी यह है कि हर जिले में सस्ते और मजबूत मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये। जिसमें यह भी आये कि मकान कैसे बनाये जायें, सस्ते और मज़बूत मकान कैसे बनाये जायें। जहां बहुत गर्मी पड़ती है वहां ऐसे मकान बनें कि गर्मी न लगे और जहां ठण्ड पड़ती है वहां ऐसे बनें कि ठण्ड न लगे। आजकल बहुत से पढ़े-लिखे लड़के बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ़ रहे हैं, लेकिन वह मिलता नहीं है। आज उद्योग खोलने के लिए भी दिक्कत है। वहां वह मैनेजर बन जाते हैं, लेकिन उनको मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं यूनिवर्सिटी आफ मैनेजमेंट हो। अभी सिर्फ दो-चार ही हैं जैसे बम्बई, बड़ौदा में हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमारे देश में 500 के करीब जिले हैं, हर जिले में इसकी आवश्यकता है। इंस्टीट्यूशन आफ मैनेजमेंट हो, यूनिवर्सिटी आफ मैनेजमेंट हो। जिसमें ट्रेनिंग दी जाये। जिसमें यह बताया जाये कि छोटे उद्योग को कैसे खोला जाये, कारखानों में कैसा मैनेजमेंट हो। चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हों,

चाहे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हों इनके लिए भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आज आप ऐसे विश्वविद्यालय खोलते हैं जहां डिग्री का ही महत्व है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आर्ट्स पढ़ाई जाती है। लड़के जब यहां से निकलते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती। आज आवश्यकता यह है कि पढ़ने के बाद काम मिले, उनको किसी छोटे धंधों में लगाया जाये, व्यवस्था करने का प्रशिक्षण दिया जाये।

हमारे यहां जितनी भी फसलें होती हैं, सिंचाई पर निर्भर हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे यहां सिंचाई हो, बिना सिंचाई के फसल नहीं होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें देश में जितनी जमीन है उसमें पचास प्रतिशत से अधिक में सिंचाई नहीं हो सकती, न ही आगे हो सकती है। हरियाणा या पंजाब में हो जाये ज्यादा हो जाये। इसलिए सिर्फ हमें सिंचाई बारिश पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाये। इसके लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज खोली जायें जिनमें रेन फंड आप को पैदा करने की ट्रेनिंग दी जाये। आजकल सिर्फ डिग्री देने से कुछ नहीं होता, आर्ट्स में, कामर्स में डिग्री ले ली, बी०ए० हो गये लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। अगर आप किसी विशेष काम के लिए यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार को कृषि पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने काफी अच्छे काम इस क्षेत्र के लिए किये भी हैं। खासतौर से अनाज और चावल अधिक पैदा करने के लिए 176 जिलों को चुना है जिनमें अधिक धान की पैदावार की जा सके। वैसे तो हमारी सरकार ने योजना बनायी है और लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के बाद हमें 175 मिलियन टन अर्थात् साढ़े 17 करोड़ टन खाद्यान्न का अधिक उत्पादन करना है, परन्तु कह देने से ही उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता इसके लिए जरूरी है कि देश भर में कृषि सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाए। वैसे तो हमारे वित्त मंत्री जी बहुत सूझ-बूझ से काम लेने वाले हैं, परन्तु उनसे अनुरोध है, सुझाव है कि आप जल्दी से जल्दी एक एग्रीकल्चर कमीशन एप्वाइंट कीजिए। वैसे तो 1928-29 में भी एक रॉयल एग्रीकल्चर कमीशन इस देश में एप्वाइंट किया गया था परन्तु अब उसकी सिफारिशें आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं, आजकल के हालात में उनका कोई उपयोग शेष नहीं रह गया है। इसीलिए बहुत दफा मांग उठती है कि देश में एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का गठन किया जाए, परन्तु मैं चाहता हूं कि आप एग्रीकल्चर कमीशन ही बना दीजिए ताकि उसके जरिए हमें मालूम हो सके कि कृषि और गांवों का किस तरह और कैसे विकास करना है, खेती की पैदावार बढ़ानी है। यह बहुत जरूरी है।

यहां पर कृषि विभाग की ओर से कह दिया जाता है कि हमने कई जगह कृषि विज्ञान केन्द्र खोले हैं, जबकि उनका इरादा हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का था। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार अब तक जहां ये केन्द्र स्थापित हुए हैं न तो वहां कृषि विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और न कोई वैज्ञानिक है। यह सब कुछ नाम के लिए हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप हर जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलें और वहां साइंटिस्ट आदि कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराइये ताकि हमारे किसान सीख सकें कि सचमुच में खेती की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है, विकास कैसे हो सकता है।

एक मेरा निवेदन है कि आप सदन में बजट पेश किए जाने की तिथि को अवश्य बदलिये। इसकी बहुत सालों से मांग की जा रही है, पता नहीं आपने अभी तक क्यों नहीं बदला। आप यहां

[श्री चन्द्रूलाल चन्द्राकर]

28 या 29 फरवरी को बजट पेश कर देते हैं जो इस देश की परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल है बल्कि नुकसानदायक भी है। सम्भव है, अंग्रेजों के जमाने में इसकी उपयोगिता रही हो क्योंकि वे इंगलैंड की पद्धति के अनुसार कार्य करते थे, इंगलैंड का फायदा सोचकर सारे काम करते थे, परन्तु वह पद्धति हमारे हितों के बिल्कुल विपरीत है, नुकसानदेह है। इसलिए मेहरबानी करके आप इस तिथि को अवश्य बदलिये। वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में परामर्श देने के लिए एल०के० झा कमेटी का गठन किया था और उन्होंने भी सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष दिया था कि इस देश का बजट 1 जनवरी या 1 जुलाई में से किसी एक दिन पेश किया जाना चाहिए, परन्तु मेरी मांग है कि आप बजट को सितम्बर या अक्तूबर में ही प्रस्तुत करें। उसका कारण यह है कि आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि पूरे देश में कितनी वर्षा हुई, कितना उत्पादन हुआ, आगामी फसल की क्या सम्भावनाएं हैं, नदियों और नालों में कितना पानी रहेगा, कितनी सिंचाई की जरूरत होगी, पीने का पानी मिल सकेगा या नहीं, कितने राहत के काम खोलने पड़ेंगे और उनके लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। उसके अनुरूप आप बजट में समुचित प्रावधान कर सकते हैं। ऐसे बजट का क्या लाभ, जिससे कुछ स्पष्ट ही न होता हो, जिसमें आप को कोई जानकारी न मिलती हो। मैं जानता हूं कि आपके अधिकारी वर्ग इस कार्य में अडंगे जरूर लगायेंगे परन्तु एक बार दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है। यदि आप व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो भी यह आवश्यक है कि आप सितम्बर या अक्तूबर में बजट पेश करें। हर तरह से यह हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों अभी बजट पास करने के बाद यहां से पैसा राज्यों में जाना है, 15-20 अप्रैल तक पहुंचेगा, उसके बाद 15-20 जून से बारिश आरम्भ हो जाती है और उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, हर जिले में वैसे ही पड़ा रह जाता है। आप सारे लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं।

यहां पर मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि आजकल हमारे यहां जलस्तर काफी नीचे जा रहा है और यह बात सही है। चाहे आप पीने के पानी का स्तर देख लीजिए, कुओं का जलस्तर देख लीजिए, ट्यूबवैलों के पानी का स्तर देख लीजिए सभी जगह एक जैसी स्थिति है। उसका मुख्य कारण है कि हमारी नदियों में रेत, कीचड़, पत्थर आदि सिल्ट बहुत ज्यादा जमा हो गये है, उनमें रेत, कचड़ा, पत्थर, रोड़े आदि बहुत भर गए हैं जिसके कारण थोड़ी सी भी बारिश हो जाने पर बाढ़ आ जाती है और सारा पानी बहकर समुद्र में चला जाता है और हमारे किसी उपयोग में नहीं आता। मेरा निवेदन है कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए ड्रैजर कार्पोरेशन बनाए। निस्संदेह इसमें काफी पैसा लगेगा और यह बहुत कठिन काम है लेकिन एक बार यदि इसका गठन हो गया तो हम हर साल कभी 3 हजार करोड़, कभी 6 हजार करोड़ रुपया जिस तरह राहत सहायता के रूप में देते हैं, वह बच सकेगा। जहां केन्द्रीय ड्रैजर कार्पोरेशन देश की मुख्य नदियों, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के लिए बने, वहीं छोटी नदियों के रेत हटाने के लिए अपना अलग ड्रैजर कार्पोरेशन बनाया जाए ताकि वह उस राज्य की छोटी नदियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्य करें। जब तक नदियों से रेत और कचड़े को बाहर नहीं निकालेंगे, हर साल बाढ़ और सूखे की विभीषका आती रहेगी। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि देश में अविलम्ब ड्रैजर कार्पोरेशन गठित किया जाए। आप उसके लिए कुछ पैसा निर्धारित कर दें ताकि ड्रैजर कार्पोरेशन उसी के अनुसार आगे कार्य करें तो आपका हर ट्यूबवैल, हर पम्प काम करता रहेगा और पेयजल और सिंचाई के जल की कमी नहीं पड़ेगी।

हमारे वित्त मंत्री जी एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वे स्वयं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में हाउसिंग प्रौब्लम बहुत विकट है। जहां हमारे देश में मकान बनाने बहुत जरूरी हैं, वहां क्या हो रहा है कि जितनी एग्रीकल्चरल लैंड अच्छी किस्म की है, उपजाऊ है, वहां कॉलोनियां बनायी जा रही हैं। तो एक तरफ तो एग्रीकल्चर लैण्ड कम हो रही है और बहुत तेजी से कम हो रही हैऔर दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो जमीन ऊसर हो, जिस जमीन में खेती न हो सकती हो, जिस जमीन में अन्न का उत्पादन न हो सके, उस जगह में शहर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन दी जाए। जिस गति से आबादी बढ़ रही है, उस गति से देखा जाए, तो शीघ्र पैदावार करने के लिए जो जमीन बची है, वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो-एक सैटेलाइट शहर ऐसे बनें जिनमें 200, 400 और 600 एकड़ की जमीन हो जिसमें सड़क बनें, बिजली दे दें, अन्य सभी सुविधाएं दे दें। इन सुविधाओं के साथ-साथ आज के नवयुवकों को काम धन्धा सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें, जिनमें वे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें और ट्रेनिंग प्राप्त कर के वे अपना काम शुरू कर सकें इसके लिए उन्हें अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिएं जिससे वे वहीं अपने कारखाने खोल सकें और शहरों की तरफ न भागें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पर्यावरण भाग का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे देश में इस बारे में स्थिति बिलकुल खराब अभी तो नहीं है, लेकिन जिस गति से आबादी बढ़ रही है, उससे लगता है जल्दी ही विदेशों में जो स्थिति है, वह आ जाएगी। विदेशों में तीनों जगहें प्रदूषित हो चुकी हैं। नदियों का पानी, जमीन और वायु भी प्रदूषित हो चुकी है। हिन्दुस्तान ऐसी हालत में न पहुंचे, इसके लिए अभी से ही व्यवस्था कीजिए। जो पर्यावरण विभाग बना है, उसको कितनी ही चिट्ठियां लिखो, कोई असर नहीं होता है। विदेशों में यह हालत है कि जितनी भी नदियां हैं, उनके पास जब जानवर चलते हैं, वहां यह स्थिति है कि उस पानी में इतना एसिड हो गया है, कि उनके पैर भी गल जाते हैं। ऐसी स्थिति यहां पैदा न हो, इससे देश को बचाने के लिए पर्यावरण सुधारने के क्षेत्र में तेजी से कार्य करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, आखिरी बात कहना चाहता हूं और खासतौर से वित्त मंत्री जी से कि हर जगह बिजली की कमी है, ऊर्जा की कमी है और इसकी मांग ज्यादा है। हमारे देश में इतना पशुधन है कि उसके गोबर से तमाम कार्य किया जा सकता है। इसलिए गोबर गैस-पर आधारित संयंत्र इत्यादि लगाने के लिए गांव में लोगों को प्रोत्साहन और राहत दी जानी चाहिए। कुछ आर्थिक सुविधा दी जानी चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोबर से इतना बढ़िया किस्म का खाद तैयार होता है, जो आपके यूरिया से भी कई गुना अच्छा होता है और जिससे बहुत अच्छी उपज पैदा होती है। जंगलों की लकड़ी जलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में काटी जाती है। अगर आप गोबर गैस के प्रयोग के लिए कुछ राहत ग्रामीण जनता को देंगे, तो इस क्षेत्र में भी कटाई कम होगी और आपके पेड़ कम कटेंगे। क्या करें गरीब बेचारे लकड़ी काटकर चूल्हा जलाकर बड़ी मुश्किल से रोटी बनाकर अपना पेट भरते हैं। यदि गोबर गैस और गोबर पर आधारित कार्यक्रमों को आप गांवों में प्रोत्साहन देंगे, तो आपकी बिज़ली भी बचेगी और जंगल भी कम कटेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह कर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम०आर० सैकिया (नवगांव) : अध्यक्ष महोदय मैं सामान्य बजट पर कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। गत वर्ष वित्त मंत्री ने घाटे को सीमित रखने के लिए सभा में वायदा किया था परन्तु इसको पैट्रोल, खाद्य तेलों, चीनी, इस्पात इत्यादि के प्रशासनिक मूल्यों में बेहिसाब वृद्धि करके पूरा किया गया।

1.59 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इसके परिणाम स्वरूप, पिछले तीन महीनों में हमने यह देखा है कि मूल्य सूचकांक में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष भी हमारे वित्त मंत्री ने 7484 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। इस घाटे, प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि से निश्चित तौर पर मुद्रास्फीतिकारी कारकों को प्रोत्साहन मिलेगा। अगले वर्ष मूल्य सूचकांक में 20 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। कमजोर वर्गों के लोगों को कुछ राहत पदान करने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में कुछ उपाय किये हैं परन्तु मूल्यों में वृद्धि होने से वह राहत नहीं मिल पायेगी। बजट में दी गई मामूली राहत मुद्रास्फीति अधिक होने की वजह से व्यर्थ हो जायेगी तो मामूली राहत कैसे मिली ?

2.00 म० प०

दूसरे, इस बजट की सबसे गलत बात यह है कि इसमें अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया है। गैर-विकासात्मक योजनाओं विशेषकर रक्षा पर, ब्याज भुगतान आर्थिक सहायता और वेतन पर होने वाले व्यय में वृद्धि की वजह से घाटे का बजट है। लगभग 85 प्रतिशत व्यय गैर-विकासात्मक योजनाओं, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता इत्यादि के सम्बन्ध में है। प्रशासन व्यय को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में व्यय करना पड़ेगा। गैर-विकासात्मक व्यय और प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि की वजह से घाटे की अर्थ व्यवस्था का बोझ है और इससे निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि इतनी ऊंची मुद्रास्फीति की दर के साथ अर्थव्यवस्था क्या घाटे की अर्थव्यवस्था को सहन कर सकेगी। इसके अतिरिक्त घाटे की अर्थव्यवस्था तथा कई बार कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में हो गयी रियायतों के कारण देश में उनकी मांग बहुत बढ़ जायेगी। इसके परिणामस्वरूप चीजों के मूल्य भी बढ़ेंगे और यही होने जा रहा है। इस मूल्य वृद्धि से नई मजदूरी मांग बढ़ेगी और उससे औद्योगिक उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी। ये सभी चीजें मिलकर हमारे विकास कार्यक्रमों के खर्च अनुमानों को अव्यवस्थित कर देंगी। इसलिए माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कुछ ठोस और निश्चित कदम उठायें।

इस सम्बन्ध में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्व को बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय किये जाने चाहिएं। ऋण राशि से वेतन और भत्तों पर बढ़े हुए व्यय को कम करते हुए, सरकार की तरफ से भी हमारे बजट पर भार कम करने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं।

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि ऋणों की वसूली के लिए ठोस कदम उठाये जाने चाहिएं। इसके साथ-साथ, कृषि ऋणों की किस्म और प्रणाली

में परिवर्तन करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं, अन्यथा कृषि ऋण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में बैंकों को बड़ी दिक्कत आ सकती है।

तीसरे, जहां तक भुगतान संतुलन का सम्बन्ध है, मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव एक बड़ी चिंता का विषय है। हम देश के अधिक भागों में अभूतपूर्व बाढ़ और सूखे की स्थिति देख रहे हैं। हमारे भुगतान सन्तुलन पर इनका बहुत अधिकांश असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है? विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, हमारे देश पर 33000 करोड़ रुपये विदेशी ऋण है, परन्तु भारत सरकार इसे 23000 करोड़ रुपये के आसपास बताती है। प्रत्येक भारतीय की औसत ऋण देयता 1500 करोड़ रुपये से अधिक है और यह वर्तमान में अधिकांश भारतीयों की वार्षिक आय से अधिक है। विदेशी मुद्रा से होने वाली कुल आमदनी का कम से कम 25 प्रतिशत ब्याज भुगतान में दे दिया जाता है। इस प्रकार, आज क्या स्थिति है? सारा देश विदेशी ऋण के फंदे में फंसने के कगार पर है। इसलिए, इस सम्बन्ध में, कुछ उचित कदम उठाये जाने चाहिएं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यद्यपि निर्यात और अतिरिक्त आयात में निरन्तर और तेजी से विकास के लिए वित्त मंत्री ने कुछ उपाय बताये हैं परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक औद्योगिक उत्पादों की किस्म और कुशलता में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक इनका अनुसरण करना किस हद तक सम्भव होगा। वर्तमान में हमारे उत्पाद सही प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। जब तक हमारे उत्पादों की किस्म में सुधार नहीं होगा तब तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना कैसे सम्भव होगा? इस लिए, इस दिशा में कुछ कदम उठाये जाने चाहिए। यदि हम वास्तव में निर्यात और अतिरिक्त आयात में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कदम उठाने चाहिएं। महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिएं पेट्रोलिय के मूल्य में वृद्धि करके ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए दूसरे उपाय अपनाकर जब तक आप पेट्रोल की खपत की दर में कमी नहीं करते हैं तब तक भुगतान सन्तुलन का भार अधिक रहेगा, क्योंकि हमें विदेशों से भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। इसलिए, इसकी खपत में कमी करनी होगी।

मेरा सुझाव है कि हमें अपने संसाधनों का दोहन करने के लिए कदम उठाने चाहिए और धन का आबंटन किया जाना चाहिए, ताकि भारत के भुगतान सन्तुलन पर जो भार है उसे कम किया जा सके।

हमारे वित्त मंत्री और विपक्ष के कई साथियों ने यह कहते हुए बजट की सराहना की है कि यह एक 'लोकप्रिय' बजट है, क्योंकि इसमें समाज के गरीब से गरीब लोगों को कुछ राहत दी गई है। किसी ने इसको एक 'समाजवादी बजट' और किसी ने एक 'कल्याणकारी बजट' कहा है। परन्तु हमारा अनुभव क्या रहा है? पिछले 40 वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष के बजट में समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए कुछ प्रावधान किये गये हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या ये राहतें लोगों तक पहुंच रही हैं? मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वित्तमंत्री ने ऐसे किसी भी प्रस्तावित उपाय का उल्लेख नहीं किया है जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि ये लाभ उन लोगों को मिलेंगे जिनके लिए ये वास्तव में हैं। इस प्रकार, यद्यपि वैसे तो यह जनता का बजट है परन्तु प्रश्न यह है कि ये लाभ किसकों मिलेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपयों से चलायी जा रही गरीबी उन्मूलन

[श्री एम० आर० सैकिया]

योजनाओं की क्या स्थिति है ? सही मायने में लाभ किसको मिला है ? इससे किसको लाभ हुआ है ? मैं कहता हूं कि इन योजनाओं से सही लोगों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ नहीं हुआ है। ये लाभ हमेशा बिचौलियों को ही मिलते हैं। इसलिए अपेक्षा की गयी थी कि वित्त मंत्री इस बजट में कुछ ऐसे उपाय लायेंगे, जिनसे यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे लाभ गरीब लोगों को मिलें। परन्तु बजट में ऐसा कोई उपाय नहीं लाया गया।

महोदय, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि साल भर मूल्यों में वृद्धि होती है तो वार्षिक बजट बनाने की कोई तुक नहीं है। यदि दिन प्रतिदिन मूल्यों में वृदि होती है, उपभोक्ताओं की कीमत पर मूल्यों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, तो एक वार्षिक बजट का क्या अर्थ रह जाता है। हम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर एक बजट बनाना चाहते हैं। परन्तु क्या बजट से लोगों के हित पूरे हुए हैं अथवा नहीं ? मैं समझता हूं कि इससे लोगों का हित बिलकुल भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जब तक मूल्य वृद्धि को रोक रखने के लिए कुछ ठोस उपाय नहीं किये जा सकते तब तक एक वार्षिक बजट बनाने का कोई अर्थ नहीं है परन्तु बजट में मूल्य वृद्धि, भुगतान संतुलन और घाटे की अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

2.10 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

50वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 50वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

2.10½ म० प०

सामान्य बजट, 1988-89—सामान्य चर्चा—[जारी]

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : मैं वर्ष 1988-89 के सामान्य बजट का समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त लोकप्रिय बजट है। यह ग्रामोन्मुखी बजट है।

मैं वित्त मंत्री का सामयिक बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं जिसमें उन्होंने देश के ग्रामीण किसानों के उत्थान के लिए गरीबी दूर करने की योजनाओं का पुनर्गठन किया है। इस बजट में ग्रामीण व्यक्तियों के उत्थान के लिए बनाई गई सरकार की राजनैतिक तथा अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी नीतियां बताई गई है। बजट में राज-सहायता तथा विकासोन्मुख प्रोत्साहन के समागम से भूख तथा बाढ़ से पीड़ित गांवों को मदद दीं गई है। इस बजट में कृषि के लिए योजना परिव्यय

मे काफी वृद्धि की गई है। खाद्यान्न तथा उर्वरक पर राज-सहायता में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कृषि के लिए दिये जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर घटा दी गई है। कृषि के लिये आवश्यक वस्तुएं जैसे कि विद्युत चालित मोटर, बागवानी सम्बन्धी मशीनें, मुर्गी पालन तथा मक्खी पालन सम्बन्धी उपकरणों को सस्ता कर दिया गया है। कीटनाशक औषधियों पर उत्पाद शुल्क 105 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत घटा दिया गया है। सरकार ने कोल्ड स्टोरेज कम्पोनेन्ट्स पर भी उत्पाद-शुल्क 40 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग उद्योग को भी राहत दिये जाने का आश्वासन दिया गया है। गांवों में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित उत्पादनों पर भी सरकार ने प्रोत्साहन दिया है।

पैकेज कार्यक्रम की घोषणा के लिये, विशेषतौर पर ग्रामीण व्यक्तियों के लिये, मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार उन्होंने ग्रामीण लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया है। खादी तथा ग्रामीण बोर्डों द्वारा जैम, जैली तथा अचार बनाये जाने पर उत्पाद शुल्क में छूट दिये जाने के संबंध में उठाये गये कदम की मैं सराहना करता हूं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पम्पसेटों का मालिकाना दिए जाने के लिए जलधारा योजना शुरू करने के लिए मैं वित्त मंत्री की सराहना करता हूं। ज्योति कुटीर योजना बिजली देने के लिए शुरू की गई है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपये का एक पृथक कोष भी बनाया है।

सरकार ने शहरों में रह रहे मध्यम वर्ग के लोगों को सन्तुष्ट करने के साथ-साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे दलित व्यक्तियों के लिए ढेर से उपहार भी देने का फैसला किया है।

करों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बचत करने के लिये ज्यादा प्रोत्साहन दिया जायेगा। बजट में एन०आर०ई०जी०आर०एल०ई०जी०पी० तथा आई०आर०डी०पी० कार्यक्रमों के लिए आबंटन में वृद्धि किये जाने की वजह से इनमें और अधिक सफलता प्राप्त किये जाने की आशा है।

ग्रामीण व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने सोच समझकर कदम उठाये हैं यद्यपि उन्होंने गरीबी हटाने सम्बन्धी कार्यक्रम परिव्यय में वृद्धि की है। उन्होंने हरिजनों तथा जनजातीय व्यक्तियों के लिए पृथक से 10 लाख कुएं बनाने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। यह हरिजन और आदिवासी व्यक्तियों के लिए है। आप को मालूम होगा कि कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम पहले से ही कार्यरत हैं। धन की कमी की वजह से वे सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगमों के कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दें। कारीगरों, स्कूल अध्यापकों तथा दुग्ध उत्पादकों के लिए ग्रुप बीमा योजना एक अच्छा कदम है।

कृषि क्षेत्र में लघु तथा सीमान्त किसानों को अधिक सहायता एवं फसल बीमा योजना को लागू किए जाने की आशा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित जल, तेल, बीज, प्रतिरक्षण,

[श्री लक्ष्मण मलिक]

साक्षरता तथा दूरसंचार सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन को पहले ही योजना में शामिल कर लिया है। यह सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है। आवास योजनाओं से विशेष रूप से इन्दिरा आवास योजना के बजट में होने से लोगों को आवास योजनाओं में लाभ मिलेगा।

मैं इस बजट को पिछले दस वर्षों में सबसे कम कर लगाने वाला बजट समझता हूं। इस बजट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आकांक्षाएं पूरी होंगी। उनका कहना था जब तक देश की ग्रामीण आबादी को ऊपर नहीं उठाया जाता देश प्रगति नहीं करेगा। वर्तमान बजट निश्चय ही अधिकांश देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस बजट के द्वारा, कीमतों में वृद्धि को कुछ हद तक उत्पाद शुल्क में राहत देकर तथा अन्य कुछ राहत देकर बराबर कर दिया गया है।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उद्योग के स्थान पर कृषि क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने तथा ग्रामीणवासियों की ओर ध्यान देने का निश्चय किया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस बात को देखे कि योजनाओं को ठीक से एवं समय पर लागू किया जाए तथा जो अधिकारी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं करते उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के धन के दुरुपयोग एवं अनियमित व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदनों एवं निष्कर्षों पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। कार्यालय प्रतिष्ठान में अनावश्यक व्यय को कम किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में विभागीय योजनाओं में समन्वय होना चाहिए। बजट के उद्देश्यों का दुरुपयोग करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तथा कोई भी व्यक्ति जो कि योजनाओं में लागू करने में बाधक है तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है उससे सख्ती से निपटना चाहिए। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इस बात को देखे कि मूल्यों में कोई वृद्धि न हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो।

मैं अपने राज्य उड़ीसा तथा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। पारादीप पोर्ट का सही तरीके से विकास नहीं हुआ है। पारादीप पोर्ट देश के दस बड़े बन्दरगाहों में से एक है। इसकी उपेक्षा की गई है इसका विकास एवं आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है। यह बहुत खेद की बात है कि पारादीप पोर्ट का विकास करने के लिए पर्याप्त कोष का प्रावधान नहीं है। चूंकि इस राज्य की अर्थ-व्यवस्था अधिकांशत: इसी पोर्ट पर निर्भर है सरकार को इस पोर्ट के विस्तार एवं विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। पारादीप में मछली पालन तथा तेल शोधन सुविधाएं एवं जहाज बनाने के यार्ड की स्थापना करनी चाहिए। इन परियोजनाओं तथा राज्य की चालू परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस बात को देखें कि सभी चालू परियोजनाएं समय पर पूरी की जायें।

पारादीप में एक समेकित इस्पात संयंत्र लगाने का प्रस्ताव था। इसके तुरन्त ही बाद इसे दैतारी में लगाने का निर्णय ले लिया गया। परन्तु उस स्थान पर इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। बेरोजगार युवकों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि इस्पात संयंत्र दैतारी में जल्दी स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1988-89 का जो बजट देश की सर्वोच्च विधायिका अर्थात् इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। इस बजट में मानवीय तथा नैतिक मूल्यों का समावेश जिस सुन्दर ढंग से किया गया है, वह सराहनीय है। यह बजट किसानों और गरीबों का बजट है। इसमें बड़े किसानों, लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर तथा भूमिहीन मजदूरों, गरीब बुनकरों, अल्पसंख्यकों तथा सदियों से सताए गए शोषितों, दलितों तथा पीड़ितों के लिए जो कुछ किया गया है, वह राष्ट्र पिता गांधी तथा गरीबों की मसीहा स्व० इन्दिरा जी तथा दीन दुखियों की वेदना और पीड़ा को हृदय में समेटे हुए और उन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के लिए कृत-संकल्प हमारे युवा तथा लोकप्रिय प्रधान मंत्री राजीव जी की परिकल्पनाओं को धरती पर उतारने का सफल प्रयत्न है। माननीय वित्त मंत्री जी इस सन्तुलित बजट के लिए बधाई के पात्र हैं। इस बजट में कराधान की मौजूदा दरों पर 41,985 करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है और व्यय के अनुमान को दृष्टिगत करते हुए 8,120 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है। नए करों को सीमित दायरे के अन्दर ही रखा गया है और इस सम्बन्ध में मुझे अनवर मिर्जापुरी का यह शेर प्रासंगित प्रतीत होता है :

"फूल कुछ इस तरह तोड़ ए बागवां
शाख हिलने न पाए न आवाज हो,
वरना गुशलन में रौनक न फिर आएगी,
दिल गर हर कली का दहल जाएगा।"

मान्यत: माननीय वित्त मंत्री जी ने फूल इस तरह तोड़े हैं कि शाख भी नहीं हिलने पाई है और न आवाज ही हुई है, जिसके फलस्वरूप गुलशन की हर कली का दिल आनन्दित हो रहा है। यह बजट हमारे माननीय प्रधान मंत्री के युवा तथा स्वस्थ चिन्तन का प्रतीक है और हमारे समाजवादी वित्त मंत्री जी की समाजवादी विचारधारा का परिचायक है।

मान्यवर, इस देश में 555 लाख खेतिहर मजदूर हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 182.5 लाख और अनुसूचित जनजाति के 71 7 लाख खेतिहर मजदूर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और असंगठित हैं। इस बजट में इन गरीबों की दयनीय दशा सुधारने का प्रशंसनीय प्रावधान किया गया है। मेरा सुझाव है कि इस वर्ग के परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को लगभग 500 रुपये प्रति माह बेकारी भत्ता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। देश के अन्य पात्र परिवारों को बेकारी भत्ता देने की प्रक्रिया का शुभारम्भ इस छोटी सी योजना के साथ कर देना चाहिए। जहां तक मुझे ज्ञात है, इंगलैंड तथा स्वीडन में इस प्रकार का बेकारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है। स्वीडन में तो यह भत्ता रोजगार में लगे व्यक्तियों के वेतन के काफी सन्निकट है। परीक्षण के तौर पर माननीय वित्त मंत्री मेरे उपरोक्त सुझाव पर विचार करने की कृपा करें। मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि देश में गरीब लोग यह विश्वास लिए जी रहे हैं :

रात भले लम्बी हो लेकिन निश्चित कभी सुबह आएगी
जड़ता सभी तिरोहित होंगी नई चेतना लहराएगी।।

[श्री गंगा राम]

मान्यवर, इस बजट भाषण के पृष्ठ 9 पर कुटीर ज्योति और जल-धारा का प्रावधान किया है। यह एक नई कल्पना है तथा नया चिन्तन है, नई मान्यता है और वह प्रशंसनीय है। कुछ लोगों ने बाहर कहा है कि कुटीर ज्योति की योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक झोंपड़ी में एक बल्ब लगाया जाना प्रस्तावित है। इस से जो उनकी फूस की झोंपड़ी बनी हुई है, उस में आग लग जाएगी। विशेषकर विरोधी दल के लोग बाहर यह कहते हैं कि एक बल्ब लगा कर उनकी झोंपड़ी को जलाने की व्यवस्था की गई है किन्तु खेद का विषय है कि जैसे ही कोई भी अच्छा कार्य हमारा दल करता है, हमारे वित्त मंत्री करते हैं, प्रधान मंत्री करते हैं, तो उस की आलोचना करना कुछ लोगों की आदत बन गई है लेकिन मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस कुटीर ज्योति और जल-धारा की योजनाओं से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों में एक नया उत्साह पैदा हुआ है। सात सौ रुपये की मासिक आय वाले छोटे और सीमांत कृषकों के लिए आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस पर सात प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा और उसकी वसूली 22 वर्ष में की जाएगी। इसके साथ-साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो कार्य देश में हो रहा है वह बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। उस योजना के अन्तर्गत भी अधिक धन का प्रावधान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि इस योजना की सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। इससे गरीब लोगों को अपने सिर के ऊपर छत मिल रही है। इस योजना के लिए और अधिक धन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इस बजट में गत वर्ष से कहीं अधिक रुपया समन्वित योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के लिए रखा गया है। 180 करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों और 185 करोड़ रुपया अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इसमें थोड़ी-सी बढ़त और करें। 200 करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों के लिए करने की कृपा करें। इसका विशेष कारण है कि देश में 15 करोड़ अनुसूचित जाति और साढ़े सात करोड़ अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। जब अनुसूचित जातियों की जनसंख्या दुगनी है तो थोड़ा-सा रुपया इस विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत बढ़ा देना चाहिए।

मैं यह भी कहूंगा कि शासन यहां में धन तो आवंटित कर देता है लेकिन उसका व्यय सही ढंग से नहीं होता है। गत वर्ष भी 125 करोड़ से अधिक रुपया दिया गया था लेकिन उसका 13 या 14 प्रतिशत रुपया खर्च हो पाया और बाकी रुपया सामान्य बजट में ट्रांस्फर कर दिया गया। इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब हम गरीबों के लिए कोई योजना बनाते हैं, तथा धन का प्रावधान करते हैं तो उसके खर्च करने का भी प्रबन्ध करें। उसकी मोनेटरिंग भी बहुत ही जरूरी है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने—जब वे उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में निगमों की एक संरचना करने की योजना बनायी थी जो कि उनके निजी दिमाग की निजी उपज थी—उसी तरह से 50 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय स्तर पर एक निगम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बनाया है। मैं समझता हूं कि 50 करोड़ रुपया कुछ कम पड़ेगा। 25 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी के लिए इस

राशि को बढ़ा कर 100 करोड़ कर दें। मैं समझता हूं कि इससे उनका और अच्छा विकास हो सकेगा।

मान्यवर, एक बात मैं जरूर इस सदन के समक्ष कहूंगा। देश की सरकार के काम तथा नीति हम सदन में बैठ कर निर्धारित करते हैं लेकिन उनकी क्रियान्वयन मैदान में बैठ कर हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी करते हैं। हालांकि कभी-कभी उन पर लांछन लगाया जाता है। इनके लिए इस बजट में कोई विशेष सुविधा नहीं दी गयी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को दस हजार से बारह हजार रुपये किया गया है। मैं आपको उदाहरण दे कर बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के हमारे एक सचिव को आठ हजार रुपये तंख्वाह मिलती है तो इसमें से इनकम टैक्स की कटौती हो कर जो तंख्वाह उसके पास बचेगी वह एक सेक्शन आफिसर की तंख्वाह के बराबर होगी। बहुत से देशों में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को आय कर से मुक्त किया हुआ है। मैं अनुरोध करूंगा कि यह जो 12 हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसको 15 हजार रुपये कर दें क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तंख्वाह में से बहुत सा रुपया इनकम टैक्स में चला जाता है। देश में ये सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही एकमात्र ऐसे आयकर दाता हैं जिनका इनकम टैक्स सोर्स पर काट लिया जाता है और जिनको कुछ छिपाना नहीं पड़ता है। बाकी करोड़पति और लखपति लोग तो अपनी आय का बहुत सा रुपया छिपा कर ब्लैक का काम करते हैं। इन पर विचार करने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां चम्बल घाटी में भारत सरकार ने ई ई सी के सहयोग से दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास योजना बनायी थी। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि उस पर बहुत मंथर गति से कार्य हो रहा है। कई पुल स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन अभी तक बने नहीं हैं। अगर इस बजट में इस योजना के लिए थोड़ा सा रुपया और बढ़ा कर दिया जाता तब तो और अच्छा होता। मैं आगरा के ग्रामीण क्षेत्र, जिसकी हालत बहुत खराब है, उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए कई बार भारत सरकार से और राज्य सरकार से आग्रह कर चुका हूं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जब विशेषकर पर्यावरण और ताजमहल की सुरक्षा के कारण आगरा में सभी उद्योग बन्द कर दिए गए हैं, तब इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके वहां के औद्योगिक विकास की दिशा में भारत सरकार विशेष ध्यान दे।

अन्त में इस अच्छे बजट के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः बधाई देते हुए रंग जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा :

सबको भोजन, वसन और आवास दो,
नैतिकता को तुम अपना विश्वास दो,
पंख उगे हैं अभी अमन के पंछी के,
उसके उड़ने को असीम आकाश दो।"

हमारा शासन, हमारा दल, हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इसी ध्येय को लेकर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस जनतांत्रिक बजट के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : माननीय सभापति महोदय, मैं 1988-89 के लिये प्रस्तुत किये गये बजट का स्वागत करती हूं। बजट का स्वागत करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

महोदय, 1988-89 का बजट किसान, निर्धन, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों तथा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के समर्थन में है। यह यथार्थवादी बजट है जिसमें वित्त मंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों की मदद करने में काफी दिलचस्पी दिखाई है। मैंने सोचा था कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण निश्चय ही कुछ संरचनात्मक सुझाव देंगे कि किस प्रकार से हम इन योजनाओं को लागू कर सकते हैं, कैसे हम देखें कि निर्धनतम व्यक्तियों को लाभ पहुंचे तथा किस हद तक इन कार्यक्रमों से जरूरतमन्द लोगों को लाभ पहुंच सकता है। लेकिन ऐसा करने की बजाय वे इसकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है। मैं नहीं समझती कि इस बजट में कुछ ऐसा है जिस का विरोध करने की जरूरत हो। अत: अभी भी वे समझ सकते हैं कि इस की आलोचना न करें। लेकिन, चूंकि, वे विपक्ष के सदस्य हैं इसलिये वे इसकी आलोचना करना चाहते हैं।

इस बजट में जो कई नई योजनाएं लाई गई हैं मैं उनका स्वागत करती हूं। उनके नाम हैं जलधारा, कुटीर ज्योति, किसान विकास पत्र इत्यादि। इस बजट में मुख्य रूप से प्रोत्साहन तथा रियायतें हैं जो कि किसानों को प्रदान की गई हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री को सम्पूर्ण कृषकों की ओर से तथा भारतीय कृषक समाज की प्रतिनिधि होने के नाते, किसानों को दी गयी सभी रियायतों के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। लेकिन किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये अभी काफी कुछ किया जाना है।

सम्पूर्ण किसान समुदाय देशव्यापी आन्दोलन कर रहा है। वे लोग लाभकारी मूल्यों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर ब्याज के सम्पूर्ण कर्ज को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। उनका कहना है कि रियायती दर पर उनके पम्प सेटों को बिना बाधा के विद्युत मिलनी चाहिये। यह ज्यादा अच्छी सलाह होगी यदि वह इन मुद्दों पर भी विचार करें। आजकल धारणा यह है कि उत्पादन लागत कम होनी चाहिये क्योंकि यदि हम किसान को लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं और जब उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो निश्चित रूप में उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता को वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलें इसे सुनिश्चित करने के लिये हमें देखना होगा कि कृषि की लागत जितनी हो सके कम की जाए। उत्पादन लागत अथवा कृषि लागत को कम करने के लिये हमें बहुत सी रियायतें देनी होंगी—उनके अलावा जो हम पहले ही दे चुके हैं—जैसे कि कृषि औजारों पर उत्पाद शुल्क को हटाना, ट्रैक्टर तथा टायरों पर उत्पाद शुल्क को समाप्त करना। बहुत से व्यक्तियों का कहना है कि ट्रैक्टर सिर्फ बड़े किसान ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसी बात नहीं है क्योंकि छोटे किसानों को भी अगली फसल के लिए भूमि को तैयार करने हेतु ट्रैक्टर की जरूरत है। यदि किसान एक वर्ष में दो फसलें या तीन फसलें पैदा करना चाहता है तो उसे फसलों के लिए भूमि तैयार करने की हालत में होना चाहिए। इसके लिए भूमि को तैयार करने हेतु एक छोटे किसान को भी ट्रैक्टर चाहिए। इस दशा में हमें टायरों, ट्रैक्टरों इत्यादि पर से उत्पाद शुल्क हटा देना चाहिए ताकि खेती की लागत कम हो सके।

महोदय, इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आपने अधिक धनराशि खर्च नहीं की है। कृषि अनुसंधान को हमने अधिक महत्व नहीं दिया है। महोदय, चूंकि हमने कृषि उत्पादन में अधिक

प्रगति नहीं की है, हम वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। पिछले तीन वर्षों के दौरान यद्यपि हमारा लक्ष्य उत्पादन में वृद्धि कर 1700 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त करना था हम 1500 लाख टन से अधिक पैदा नहीं कर सके। किसानों को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हमने उनकी कठिनाईयों पर ध्यान नहीं दिया है। उनको मिलावट वाला बीज, मिलावट की गई कीट-नाशक दवायें तथा मिलावटी उर्वरक दिये जाते हैं। हमने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा है। यह जानकर दुःख हुआ कि एन० एस० सी० द्वारा दिये गये खराब बीजों के कारण कई एकड़ धरती पर बीज उगे ही नहीं। किसान क्या कर सकते हैं ? वे अपनी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं ? जब हम खाद्यान उत्पादन लागत की तुलना विदेशों के साथ करते हैं तो चावल, गेहूं तथा गन्ने की उत्पादन लागत हमारे देश में अधिक है। हम पैदावार बढ़ाने में भी सक्षम नहीं रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि खेती की लागत कम हो और खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हो। यदि इन दो बातों पर ध्यान दिया जाता है और अनुसंधान कार्य किया जाता है तथा उसके बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है तो मेरे विचार में देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पैदा हो सकते हैं जो जनसाधारण को कम कीमतों पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

महोदय, उदाहरण के तौर पर देश में इस्पात के उत्पाद को लीजिए। विदेशों में इसकी उत्पादन लागत की तुलना में यहां इसकी उत्पादन लागत अधिक है। इस्पात के उत्पादन के लिए ऊर्जा की खपत तथा अन्य निवेशों की लागत अधिक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ? हमें उत्पादन लागत को कम करने के उपायों पर विचार करना होगा। यदि आप उत्पादन लागत को कम नहीं करते हैं तो विश्व बाजारों में अन्य देशों का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। जब तक उत्पादन लागत को कम नहीं किया जाता तब तक हम खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। इसलिए महोदय, कृषि क्षेत्र में आवश्यक अनुसंधान किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उचित सलाह दी जा सके और वे अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

महोदय, लघु उद्योगों के सम्बन्ध में मेरे विचार में बजट प्रस्तावों में वे इनके लिए एक अलग बैंक बना रहे हैं। आई० डी० बी० आई० के अधीन यह एक सहायक बैंक होगा। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लोगों द्वारा शुरू किये गये बहुत से लघु उद्योग अब रुग्ण हो गये हैं। सीमेंट के विषय में, 20 टी० पी० डी० अथवा 50 टी० पी० डी० अथवा 100 टी० पी० डी० क्षमता वाली बहुत सी लघु इकाइयां स्थापित की गई थीं। भारतीय सीमेंट निगम ने उन्हें जो प्रौद्योगिकी दी है वह लाभ लागत की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। निवेशों तथा अन्य कच्चे माल की लागत बहुत अधिक है। वे बड़ी इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। उनके लिए बड़ी इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको उत्पाद शुल्क देना पड़ता है तथा उन्हें अन्य प्रोत्साहन तथा रियायतें नहीं दी गई हैं। जब तक लघु इकाइयों जो दूर-दराज के क्षेत्रों में लगाई गई हैं को प्रोत्साहन तथा रियायतें नहीं दी जाती तब तक वे अपनी लघु इकाइयों को व्यवहारिक रूप से नहीं चला पायेंगे।

महोदय, मैं समझती हूं कि सरकार आदेश जारी करके लघु उद्योगों को दिये गये प्रोत्साहनों तथा रियायतों को वापस लेने वाली है। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इस सम्बन्ध में आदेश जारी न करे तथा प्रोत्साहनों और रियायतों को जारी रहने दे। इस दशा में, मेरे विचार में कई

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

और लघु इकाइयां रुग्ण होने के कगार पर हैं तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक बेरोजगारी पैदा होगी। मुझे आशा है कि मन्त्री इस पर ध्यान देंगे।

दूसरी बात यह है कि एक बांध बनाने के बाद अधिकाधिक समस्यायें आ रही हैं। जहां कहीं भी सिंचाई का आधिक्य है अधिकांश भूमि अधिक पानी के कारण या अवैध खेती के कारण क्षार-युक्त होती जा रही है। कई एकड़ भूमि क्षार-युक्त होती जा रही है जो कई साल तक क्षार-मुक्त नहीं हो सकती। यह बहुत बुरी बात है क्योंकि जब तक पानी के प्रयोग के लिए हमारे पास उचित प्रबन्ध नहीं होगा तब तक भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती रहेगी। भगवान ने हमारे देश को ऐसी उपजाऊ भूमि दी है। किसी भी तरह की फसल पैदा करने के लिए हमारी भूमि बहुत उपयुक्त है। परन्तु इसको उचित जल प्रबन्ध के बिना अधिक पानी देकर हम नष्ट कर रहे हैं तथा भूमि क्षारयुक्त होती जा रही है। इस बात की ओर ध्यान देना होगा।

महोदय, सूखे और बाढ़ को हमने प्राकृतिक आपदायें माना है। एक और आपदा है जो हाल ही में आई है। रामचूर में, मैं देखती आ रही हूं, मेरे विचार में दो महीने पहले एक मुख्य नहर में दरार पड़ गई थी। यह दरार काफी बड़ी हो गई थी तथा कई महीनों तक इसकी मरम्मत नहीं की जा सकी। उस क्षेत्र के सभी किसानों पर यानि 5 से 6 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उनको एक बूंद भी पानी नहीं मिल सका। हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? इसे भी एक तबाही मानना होगा और किसानों को बहुत असुविधा होगी क्योंकि वे बैंकों से लिए गये ऋणों का भुगतान नहीं कर सकेंगे। जब तक वे ऋण का भुगतान नहीं कर देते तब तक उन्हें दूसरी फसल के लिए ऋण नहीं मिलेगा। अत: इसे एक प्राकृतिक आपदा मानना चाहिए तथा दरार के कारण प्रभावित लोगों को आगे ऋण दिया जाना चाहिए। यदि मुख्य दरार की 5 या 10 दिन में मरम्मत कर दी जाती है तो मैं बात को समझ सकती हूं परन्तु यदि इसकी मरम्मत दो या तीन महीने में की जाती है तो मेरे विचार में यह किसानों के लिए एक सदमा है तथा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, इन दिनों में हमने इधर-उधर की योजनायें बनाई हैं परन्तु मेरे विचार में देश में सुलभ, प्राकृतिक संसाधनों के लिए कोई पर्याप्त व्यापक योजना नहीं बनाई गई है। प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? वे हैं पानी, भूमि तथा खनिज सम्पदा। क्या पहले हम पूरी तरह उनकी खोज कर सकते हैं? पूरी तरह हमने उनकी छानबीन नहीं की है क्योंकि अभी भी काफी भूमि बेकार पड़ी है, काफी भूमि बिना जुताई के पड़ी है, काफी मात्रा में पानी है जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। हमने सिंचाई के प्रवाह की अथवा लिफ्ट सिंचाई या भूमि जल अथवा खनिज सम्पदा, भूमि तथा पानी की पूर्ण तरह छानबीन नहीं की है इनकी पहले छान-बीन की जानी चाहिए तथा फिर हमें दूसरी ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हम ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रोजगार पैदा करेंगे। केवल यही नहीं। हमें गर्व है कि भगवान ने हमें इतनी सम्पदा दी है। हमें पानी को प्रयोग में लाने की कोशिश करनी चाहिए जो उपलब्ध है तथा खनिज सम्पदा का भी उपयोग करना चाहिए तथा जहां कहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे विचार में, वहां कम से कम हम कुछ पेड़-पौधे लगा सकते हैं जिससे हमारे खेतों में हरियाली हो सके। अगली योजना बनाते समय ऐसी बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। अन्यथा, मेरे विचार में प्राकृतिक क्षेत्र में हम न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्रम प्रबन्ध के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करती हूं क्यों कि श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने के लिए कहा गया है तथा उन्हें सभी सुविधायें दी गई हैं। इस तरह देश में भयंकर सूखे के बावजूद औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि हमारे देश में बेहतर श्रमिक सम्बन्ध हैं। वे बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। श्रमिक प्रभावित हैं तथा उन्होंने निर्णय किया है कि उन्हें अपने कारखानों के साथ-साथ तरक्की करनी है। जब कभी उनके कारखानों में तरक्की होगी वे भी तरक्की करेंगे। इस तरह के दृष्टिकोण से, मेरे विचार में, हमारे देश में श्रमिक बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं अच्छा सहयोग है तथा बोनस, भविष्यनिधि इत्यादि जैसे प्रोत्साहन दिये गए हैं। सरकार द्वारा इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है तथा हाल ही में उन्हें प्रबन्ध में भागीदार बनाया गया है। मुझे आशा है कि इससे हमारे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी।

महोदय, अन्तिम परन्तु बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम के सम्बन्ध में, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए काफी धनराशि दी गई है। मेरे विचार में हमें इसका स्वागत करना चाहिए। परन्तु इसे लागू करने में हम काफी भ्रष्टाचार देखते आ रहे हैं जो विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। किसी भी तरह हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी आशंकाओं से किस प्रकार बेहतर तरीके से बच सकते हैं। मेरे विचार में आगे जहां भी इन कार्यक्रमों को लागू किया जाये वहां उचित निगरानी की जानी चाहिए। जब हम इस गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि गरीब लोगों को इन कार्यक्रमों से किस तरह बेहतर लाभ होगा। अन्यथा फिलहाल जो कुछ भी हम खर्च करते हैं व्यर्थ जाता है। कुछ गम्भीर विचार करना होगा तथा जो कुछ हम करते आ रहे हैं उसकी अपेक्षा बेहतर इरादे से काम करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के बारे में हम काफी कुछ कह चुके हैं। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री ने ग्रामीण पर्यावरण के महत्व को महसूस किया है। गांव में घुसते ही हम देखते हैं कि वह जगह बहुत दूषित है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कारण स्पष्ट हैं। परन्तु स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद भी क्या हम गांवों में वही माहौल देखना चाहते हैं ? मेरे विचार में यह उचित नहीं है कि यदि कोई विदेशी गांव में आता है तथा ग्रामीण जीवन को देखता है तो जिस तरह गांव की औरतों का रहन-सहन है उसे देख कर हमें शर्म आयेगी। बजट में ही "सफाई" कहने की अपेक्षा हम सीधे कह सकते हैं कि हर गांव में हम कई शौचालय बनाने जा रहे हैं। मेरे विचार से इससे समस्या का समाधान हो जायेगा और सभी औरतें बजट का स्वागत करेंगी। बहस का जवाब देते समय मेरे विचार में माननीय मन्त्री बताएंगे कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम बहुत से शौचालय बनाने जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने इस प्रस्ताव की घोषणा करनी है।

इस देश में इस्पात की बहुत मांग है। सन् 2000 तक हमें काफी अधिक इस्पात की आवश्यकता होगी। विजयनगर संयंत्र को स्थापित करने से लिए आपको 8वीं योजना की समयाविधि पर गौर करना है। 7वीं योजना में हम इसे शामिल नहीं कर सके। चूंकि इस सम्बन्ध में काफी मांग की गई है और होसपेट क्षेत्र में काफी खनिज सम्पदा भी है तथा अच्छा लौह अयस्क भी मिलता है। अत: मेरा अनुरोध है कि 8वीं योजना को बनाते वक्त हमें होसपेट में विजयनगर संयंत्र स्थापित करने के लिए बिचार करने की कोशिश करनी चाहिए।

अन्तिम मुद्दा कर्नाटक में ताप विद्युत के सम्बन्ध में है, आप वहां उद्योगों के विकास के बारे में जानते हैं और समस्त देश में ऊर्जा प्रतिबन्ध के कारण उत्पादन थोड़ा नीचे आ गया है। आठवीं

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

योजना के दौरान ज्यादा से ज्यादा ताप विद्युत केन्द्र शुरू करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। अन्यथा ऊर्जा प्रतिबन्ध के कारण समस्त विकास गिर जायेगा। अत: मेरा अनुरोध है कि 1000 मेगावाट का एक सुपर तापीय संयंत्र होसपेट में, मेरे क्षेत्र में स्थापित किया जाये ताकि कर्नाटक, जोकि अधिकांशत: पन विद्युत पर निर्भर है—उस विद्युत संकट से उबर सके।

इन शब्दों के साथ, मैं समय देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : सभापति महोदय, इस सदन में जो वर्ष 1988-89 का सामान्य बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें सोसायटी के हर वर्ग को राहत दिए जाने, रिलीफ देने की बात कही गयी है। यदि सतही स्तर से देखा जाए तो यह बजट वैलकम के योग्य है परन्तु जब हम इसे गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें 4784 करोड़ रुपये का डैफिसिट है जिससे हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और गरीब आदमियों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस डैफिसिट को कम करना चाहिए था। इसके साथ ही सरकारी विभागों में जिस तरह से दिनों-दिन फिजूलखर्ची बढ़ती चली जा रही है उस पर भी अंकुश लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है। उसकी वजह से हमारा नॉन-प्लान एक्सपैंडीचर बढ़ रहा है। मैं विस्तार में न जाकर यही कहना चाहता हूं कि गत वर्ष आपने मिनिस्टर साहबान की कोठियों को डैकोरेट करने के लिए 89 लाख रु० व्यय किया, दूसरी ओर एक सर्कुलर निकाल कर एम० पीज० की कोठियों में सफेदी किए जाने तक की मनाही कर दी। उसका कारण यह दिया गया है कि सारा देश भीषण सूखे की विभीषिका से ग्रस्त है, इसलिए सफेदी की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरकारी प्रतिष्ठान एअर इण्डिया है, जहां 50 लाख रुपया खर्च करके कैलेण्डर और डायरियां छपवायी गयी हैं। अभी कुछ समय पूर्व इसी हाउस में स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के विषय में डिस्कशन हुआ···जिसकी कीमत तकरीबन 200 करोड़ रुपए होगी, उसको 30 करोड़ के अंदर बजाज साहब को गवर्नमेंट दे रही है। अगर यह फिजूलखर्ची कम करें, तो जो गरीब आदमी हैं, उनको कुछ राहत मिल सकती है। गरीब आदमी जिसको 4 रोटी की भूख है, उसको आपने एक रोटी दी है, उससे वह जिन्दा तो रह सकेगा, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होगी।

किसानों के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि प्री-पार्टीशन के वक्त जो पंजाब था वह रावलपिंडी से लेकर गुड़गावां तक था, उस समय जमीन, किसान के दो बैल, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स और उसके 12 महीने का अनाज, गवर्नमेंट के कर्जे में कभी नीलाम नहीं होता था। मुझे याद है पं० जवाहर लाल नेहरू 1937 के अन्दर जब इलैक्शन हुए थे, गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, उस वक्त रोहतक गए थे। वहां लाखों आदमी उनको सुनने को बैठे हुए थे। पं० श्रीराम शर्मा रोहतक, कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे, बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने पंडितजी को कहा कि सर छोटू राम की पॉलिसी को आप क्रिटीसाइज करें, वरना यहां कांग्रेस खत्म हो जाएगी क्योंकि इनकी पार्टी और इनकी पॉलिसी किसानों के लिए बहुत कर रही है। पंडितजी ने जो स्पीच दी उसमें सबसे पहले यह कहा कि पं० श्रीराम शर्मा ने कहा है कि सर छोटू राम की पॉलिसी को क्रिटीसाइज किया जाए, मैं सर छोटू राम की पॉलिसी से सहमत हूं। सिर्फ एक ही डिफरेंस है; मैं तो यह कहता हूं कि पहले हम आजादी लेंगे, बाद में किसानों और मजदूरों का फायदा करेंगे। सर छोटूराम कहते

हैं कि पहले हमें किसानों और मजदूरों का भला करना चाहिए, आजादी फिर लेते रहेंगे, ये गरीब लोग हैं। इस तरह से पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको एप्रूव किया। अगर वह कानून अब बन जाए, जो अंग्रेजों के समय में था, तो इस तरह से किसानों के मवेशी, जमीन और अनाज नीलाम न हों।

तीसरी बात यह है कि किसान अनाज पैदा करता है, अन्नदाता है, सारे हिन्दुस्तान को अनाज देता है, रोटी देता है। उसकी एक ही इंडस्ट्री है, खेती। उसकी इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए। ताकि इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी सहूलियतें हैं, उनको वे सहूलियतें मिल सकें। अगर किसान को सहूलियतें मिल जाएंगी और किसान अच्छी हालत में हो जाएगा, तो गांव की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। देश की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है, वह किसान के साथ बावस्ता है। गांव का हरिजन, आदिवासी, बैकवर्ड, दस्तकार, छोटा दुकानदार, सब किसान से ताल्लुक रखते हैं। अगर किसान की हालत अच्छी हो जाएगी तो सब लोगों की हालत अच्छी हो जाएगी। इसलिए अगर आप गांव के अंदर रहने वाले लोगों की हालत ठीक करना चाहते हैं तो कृषि को इंडस्ट्री डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा।

चौथी बात यह है कि हिन्दुस्तान के अंदर जितनी भी नदियां हैं, उन पर बांध बांधिए ताकि बिजली पैदा हो और नहरें निकाल सकें। अब पंजाब और हरियाणा औरों के मुकाबले में अच्छी हालत में हैं। ये इसलिए अच्छी हालत में हैं कि भाखड़ा डैम पं० जवाहर लाल नेहरू की मेहरबानी से बना। उससे बिजली पैदा हुई, पानी आया और पंजाब तथा हरियाणा की हालत अच्छी हुई। अब थीन डैम पंजाब के अंदर बन रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता बन रहा है। दस साल हो गए। अगर जल्दी बनवा दिया जाए, तो उससे कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान आदि सब को फायदा होगा और बिजली की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद आप लोगों को किसान और गांव के मजदूरों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वे खुद सैल्फसफिश्येंट हो जाएंगे।

मेरे कुछ भाई कहते हैं कि किसान मालदार हो गए हैं। कौन किसान मालदार हो गया है, मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। मैंने नौकरी के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा के एक-एक जिले को देखा है, दस-दस दफा गया हूं। मैंने वहां देखा कि किसी का लड़का कनाड़ा गया है, किसी का अमेरिका गया है और किसी का लड़का मिलिट्री में कर्नल बन गया है और किसी का जर्नल बन गया है। कोई किसान जमीन की वजह से मालदार नहीं हुआ है।

मेरे कई दोस्त कहते हैं कि बड़े किसान हैं और छोटे किसान हैं। अब तो 2 एकड़ से 18 एकड तक जमीन रह गई है। जिसके पास 18 एकड़ से बड़ी है, उसका सीलिंग एक्ट के अंदर झगड़ा चल रहा है, जब वह हार जाएगा, तो उसकी जमीन चली जाएगी।

पांचवीं बात नौकरियों के सम्बन्ध में है। आज के दिन 80 फीसदी आदमी गांव में रहते हैं और 20 परसेंट शहर में रहते हैं। नौकरियों के अंदर स्थिति यह है कि 20 परसेंट शहरी लोगों ने 80 परसेंट नौकरियां ली हुई हैं और 80 परसेंट गांव के लोगों के लिए सिर्फ 20 परसेंट नौकरियां बची हुई हैं। तो आप गांव वालों के लिए कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट कर के 80 फीसदी नौकरियां रिजर्व कीजिए। उसके अंदर हरिजन भी आ गए, आदिवासी भी आ गए, बैकवर्ड भी आ गए, सब आ जाएंगे। इससे उन लोगों की अच्छी हालत हो जाएगी। अब जो गांव के लोग आपको मालदार दिखाई देते हैं वे जमीन की वजह से मालदार नहीं हैं, बल्कि जिनके बाप कर्नल हैं, जर्नल हैं या

[श्री राम नारायण सिंह]

आई०ए०एस० हैं या आई०पी०एस० हैं, वे हैं। वरना गांव के लोगों को, जिनको तालीम अच्छी नहीं मिलती, वे नौकरियों में नहीं आ सकते हैं। यहां के एक फोर्थ क्लास सर्वेण्ट की हालत अच्छी है बनिस्बत किसान के जिसकी 15 या 18 एकड़ जमीन है, उसकी हालत बुरी है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन लोगों की, यदि आपने हालत सुधारनी है, तो इनकी सर्विस का भी रिजर्वेशन होना चाहिए।

छठी बात मैं रिम्युनरेटिव प्राइस के बारे में कहना चाहता हूं। गेहूं शुरू हुआ और अब 172 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। आप बाहर से मंगाते हैं, तो 250 रुपए प्रति क्विंटल से कम पर नहीं मिलता है। एक महीने 172 रुपए क्विंटल बिकता है और ग्यारह महीने 200, 225, 250 या 300 रुपए बिकता है। उसको सिर्फ 172 रुपया मिलता है और बाकी 11 महीने 300 रुपए पर बिकता है। यदि उसको 300 रुपए के दाम मिल जाएंगे और किसान की अच्छी हालत हो जाएगी, तो आप को क्या ऐतराज है। सिर्फ एक महीने 172 और बाकी समय इतना मेंहगा गेहूं बिकना, यह किसान के साथ अन्याय है। यह नहीं होना चाहिए।

सातवीं बात यह है कि आप लोग, हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के नजदीक 360 गांव हैं और मैं उस वक्त की बातें अर्ज कर रहा हूं जब दिल्ली की आबादी 5 लाख थी, 50 साल पहले। अब दिल्ली की आबादी 80 लाख के करीब हो गई है। जमीन की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट किसानों की जमीनों को एक्वायर करती है और 5, 10 या 12 रुपया प्रति गज की दर से उसको जमीन का दाम देती है, जब कि वही जमीन यदि प्राइवेट लोगों को दी जाए, तो एक हजार रुपए गज जाती है। अगर उसको भी उतने पैसे मिलें, और अगर कोई किसान लखपति हो जाए, कोई फैक्ट्री किसान भी लगा ले, तो क्या मुसीबत है? और लोग भी लगा रहे हैं, वह भी लगा ले, तो क्या हो जाएगा? इसके साथ-साथ यहां जमीन डी०डी०ए० अलॉट करती है। उसकी जमीन अगर कोई अलॉटी बेचता है, तो उसका आधा मुनाफा डी०डी०ए० लेती है, जब कि वह मुनाफा तो किसान को मिलना चाहिए जिसकी जमीन ली गई थी क्योंकि डी०डी०ए ने अपने डिवेलपमेंट चार्जेज तो शुरू में ही ले लिए थे। इस तरह से किसानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इस ज्यादती को आप दूर कर दें, तो सही मायने में आप किसानों की मदद करेंगे।

फिर आप देखें, देश में फ्लड आ रहे हैं, सूखा आता है, हेलस्टॉर्म आ गया, तो किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिलता है। क्योंकि फसल का मुआवजा तो अरबों-खरबों में होता है, लेकिन जमीन जोतने का, पानी का, उसकी मजदूरी का भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिलता है। इस तरह हर तरह से और हर जगह उसके साथ अन्याय और बेइंसाफी हो रही है।

अब मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि डेढ़ परसेंट सूद किसानों को कम कर दिया। डेढ़ परसेंट से क्या कमी होती है। किसान 12 परसेंट सूद देता है, तो उसको 6 या 3 परसेंट करें, तो उससे उनको कुछ राहत मिल जाती। जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज के लिए एक मैक्सीमम लिमिट होती है, उसी प्रकार से किसानों के लिए भी मैक्सीमम लिमिट होनी चाहिए। जैसे एक इंडस्ट्रीयलिस्ट बैंक से एक मैक्सीमम लिमिट बनवा लेता है सरकार की उसी नीति के तहत किसानों के लिए भी बैंक से एक मैक्सीमम लिमिट होनी चाहिए। जैसे मान लिया किसी किसान की 5 एकड़

जमीन है, तो वह 50 हजार रुपया जब उसको जरूरत हो, वह निकलवा सकता है। उसको पासबुक मिलनी चाहिए जिसमें इसका इंद्राज हो, ताकि जब उसको जरूरत पड़े, वह रुपया निकलवा सकें। नहीं, तो आज क्या होता है कि उसको बैंक से लोन लेते समय कर्मचारियों को 10 से 25 परसेंट तक रिश्वत देनी पड़ती है। कहीं तो दस से काम चल जाता है, लेकिन कहीं 25 परसेंट तक देनी पड़ती है। यदि आप उनकी मैक्सिमम लिमिट बांधकर उसको पासबुक दे देंगे, तो जब उसको जरूरत होगी, वह रुपया बैंक से निकलवा सकेगा और उसको इस प्रकार से रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी।

3.00 म० प०

आठवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं बैंड डैट, जो इरिकवरेबल मनी है, जिसको आप वसूल नही कर सकते, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का जो कर्जा आप माफ करते हैं, आपने 4720 करोड़ रुपया माफ किया है इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, और किसानों का, अगर कोई कहे, हमारे बुजुर्ग प्रो० रंगा साहब भी फरमा रहे थे, कि किसानों के जो कर्जे हैं, वह थोड़े से माफ होने चाहियें। हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री देवीलाल ने हरियाणा में जो कर्जे माफ किये उनका गलत प्रचार किया गया। जब बड़े-बड़े आदमियों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो क्या कारण है कि किसानों के कर्जे माफ नहीं हो सकते हैं ? हम यह नहीं कहते हैं कि आप किसानों का एक लाख माफ कर दो। हम तो यह कहते हैं कि जो किसान 10 हजार और 20 हजार के नीचे आ गये हैं उनके कर्जे थोड़े माफ कर दिये जायें। इसके साथ ही अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उसके कर्जे माफ होने चाहियें। आपको किसानों के दिमाग में यह बात लानी होगी कि यह गवर्नमेंट किसानों की है और वह किसानों की मदद करती है। आप कहते हैं कि खाद की बोरी की कीमत 9 रुपये कम कर दी गई है। इसकी कीमत कम करने से कोई फर्क किसान को नहीं पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से मैं कहता हूं कि किसानों के लिए यह बजट अच्छा नहीं है। वैसे तो इस हाउस के तमाम सदस्यों की हमदर्दी किसानों से है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबके कहने के बावजूद भी इनकी बेसिक समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। अगर आप यह दो चीजें कर दें तो किसान आपसे कोई सबसिडी नहीं मांगेगा। आप जितनी भी सबसिडी किसानों को देते हैं वह सारी की सारी मिडल मैन खा जाता है। इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर किसान 10 हजार रुपये कर्जा लेता है तो उसके बदले में उसकी जमीन गिरवी रख ली जाती हैं। एक फैक्ट्री वाला जिसकी 10 फैक्ट्रियां हैं, कर्जा लेने पर अगर उसकी एक फैक्ट्री गिरवी रख ली जाएगी तो उससे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान इसमें मारा जाता है। इसलिए किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी देखना चाहिए कि जो सबसिडी आप किसान को देते हैं क्या वह उन तक पहुंच रही है या नहीं ? हिन्दुस्तान में जितनी भी नदियां हैं अगर उनके ऊपर आप बांध बना दें तो किसानों को बिजली, पानी आसानी से मिल सकेगा और वह आपसे कुछ नहीं मांगेगा।

दूसरा मेरा कहना यह है कि शहरी सम्पत्ति जो कि बहुत बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर सीलिंग होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गरीब आदमी और गरीब होते चले जाएंगे और मालदार बड़े भारी मालदार होते जाएंगे।

अब मैं हरियाणा की 1-2 समस्याओं के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। एक एस०वाई०एल० कैनाल है जो कि पंजाब से पानी हरियाणा की तरफ लाती है। यह 45 करोड़ रुपये की स्कीम थी।

[श्री राम नारायण सिंह]

लेकिन यह अब 45 करोड़ से 366 करोड़ रुपये की हो गई है। जल संसाधन मंत्री ने मुझे लिखकर बताया है कि यह 31 मार्च तक पूरी हो जायेगी। इसी तरह से सरसा नदी पर एक्वाडॅक्ट एक साल में अगर बना दिया जाये तो 100 करोड़ रुपये का फायदा हरियाणा के किसानों को होगा। थीन डॅम भी बना दिया जाये तो काफी फायदा किसानों को होगा। हमारे यहां यमुना नगर में थर्मल प्लांट गवर्नमेंट एजेन्सी के द्वारा बनाया जा रहा है। उसको भी जल्दी बनाने की हिदायत अगर आप दे दें तो अच्छा होगा।

अब मैं कनसाइनमेंट टैक्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कई बार आपसे मिल चुके हैं और कई मीटिंगें भी की हैं। हमारे यहां सोनीपत, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव में जो फैक्ट्रियां हैं उन सबके हैड-आफिस दिल्ली में हैं। वहां से न तो कोई सेल्स-टैक्स मिलता है और न ही इनकम-टैक्स। इससे हरियाणा को 50 करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है। पिछले 8 साल से कनसाइनमेंट टैक्स का बिल पास कराने की कोशिश हो रही है। लेकिन वह अभी तक पास नहीं हो सका है। ऐसे अनेकों इशू हैं जो कि अभी तक हल नहीं हो सके हैं। इसके अलावा इसके द्वारा यू०पी०, केरल और आन्ध्र प्रदेश को भी नुक्सान हो रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का राज है, वह तो इस बारे में कोई औबजैक्शन नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूं इसलिए नहीं कि मुझे कोई प्रशंसा हासिल करनी है बल्कि इसलिए कि कुछ चीजें सीधे ही रिकार्ड में आ जायें।

महोदय, मैंने विपक्ष के सदस्यों को, जिन्होंने इसमें भाग लिया तथा साथ-साथ अपने पक्ष के सदस्यों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है। मैं चर्चा को प्रारम्भ करने वाले श्री माधव रेड्डी के द्वारा दिये गये भाषण में एक बहुत आधारभूत गलतफहमी को पाकर चकित हूं। मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा। जो मुख्य आलोचना उन्होंने की है और जिसका बाद में विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया था यह है कि बजट में कोई दिशा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह सच है।

श्री बी० के० गढ़वी : यह निर्णय आपको नहीं करना है। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या उनके सामने भारत की कोई तस्वीर है, मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें देश के स्वरूप की जानकारी है और मैं नहीं जानता, कि क्या उन्हें दिशा का कोई बोध है कि दिशा क्या होती है।

यदि आप समस्त देश पर गौर करें तो पायेंगे कि हम सभी, इस सत्ता पक्ष के सदस्य तथा साथ-साथ विपक्ष के सदस्य दावा कर सकते हैं कि यह देश किसानों का है—यह देश ग्रामीण जनता का है—और ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता दिये जाने की ज्यादा जरूरत है, अधिक आवश्यकता है। हम अभावग्रस्त, शोषित तथा निर्धन आदिवासियों आदि के बारे में बात करते हैं। यदि इस बजट

में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि आदिवासी जनजातियों की छोटी झोंपड़ियों में रोशनी हो जाये तो क्या यह एक दिशा नहीं है ? यदि बजट में यह प्रयत्न किया गया है कि वहां पम्पसेट हों, और हरिजन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध लोगों को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलें और यदि बजट में इस बात की कोशिश की गई है कि आवास निर्माण के लिए वर्तमान वित्तीय अभिकरणों के अलावा भूमि विकास बैंक को भी इसकी भूमिका अदा करने दी जाये जोकि सारे देश में फैला है तो क्या यह एक दिशा नहीं है ? यदि कीमतों के बढ़ने के बावजूद बजट में उर्वरकों की कीमतें घटाने का प्रयत्न किया गया है तो क्या यह दिशा नहीं है ? यदि बजट में यह दिशा है कि आवश्यक वस्तुयें जरूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए, पिछली प्रणाली को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए और काला-बाजारी को खतम कर दिया जाना चाहिए तो क्या यह एक दिशा नहीं है ?···**व्यवधान**··· मैं कोई प्रशंसा हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं; मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

यही कारण है कि मैं कहता हूं कि वे यह नहीं समझ पाते हैं कि इस बजट का उद्देश्य क्या है—क्योंकि उन्हें इस देश के लोगों के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है । वे नहीं जानते हैं कि लोगों की आवश्यकतायें क्या हैं और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर बल देने की आवश्यकता है जहां बजट पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इस बजट में ऐसे क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया गया है जहां बल देने की आवश्यकता है जहां लोगों की उन स्थितियों में सुधार करने पर ध्यान दिया गया है जो बहुत अधिक खराब हैं । और यह सब इस विचार से किया जा रहा है ।

आप व्यय पर गौर करें । हम सब अपने देश में विकास की यह गति चाहते हैं । हमें विकास की गति को बढ़ाना है इसके लिए क्या व्यय रखा गया है ? यह 28,715 करोड़ रुपये है । क्या इससे इस देश में विकास की गति में तेजी नहीं आयेगी ?··**(व्यवधान)**·· विकास के क्षेत्र में विशेषरूप से आधारभूत ऊर्जा निवेश के लिए आंकड़ों पर गौर करें । हमारा कोयला तथा लिगनाईट का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 11% बढ़ा है; हमारा विद्युत उत्पादन 7·6% बढ़ा है; हमारा विक्रय हेतु तैयार इस्पात का उत्पादन 5·9% और सीमेंट का उत्पादन 8·1% बढ़ा है । हमारी रेल-यातायात से कमाई 5·4% बढ़ी है और हमारे औद्योगिक उत्पादन में देश की अर्थव्यस्था पर गंभीर सूखे के दवाव के बावजूद 10 2% की बढ़ोतरी हुई है । कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है कि कृषि विकास और उत्पादन कुछ स्थिर हो गये हैं । इस बजट में कृषि उत्पादन और कृषि विकास में वृद्धि करने की व्यवस्थां है । अतः इस वर्ष इस क्षेत्र में 40 प्रतिशत और अधिक व्यय की व्यवस्था है । इसलिए यह कहना और वह भी उन लोगों द्वारा नही, जो अर्थ-शास्त्र नहीं समझते हों, बल्कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें अर्थशास्त्र में अच्छी माहरत और समझ हासिल है—श्री सी० माधव रेड्डी—कि यह बजट दिशाहीन है, पूरी तरह से निराधार है और इस प्रकार की आलोचना करने के लिए कोई आधार नहीं है ।

श्री माधव रेड्डी और अन्य माननीय सदस्यों ने नियंत्रित मूल्यों के बारे में भी उल्लेख किया है । मैं समझता हूं कि वे इस बात को नहीं समझते हैं कि क्या नियंत्रित मूल्य और इसमें वृद्धि एक राजस्व सम्बन्धी उपाय है या नहीं । वस्तुतः ऐसा नहीं है । कभी-कभी नियंत्रित मूल्यों में वस्तु विशेष के उत्पादन में घाटे को रोकने के लिए, वृद्धि की जाती है । **(व्यवधान)**

[श्री बी० के० गढ़वी]

जहां तक नियंत्रित मूल्यो का सम्बन्ध है मैं आपको एक उदाहरण देता हूं तथा वह पेट्रोल के बारे में है । क्या आप जानते हैं कि जब हमने पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की तो दूसरी और उन्हीं पेट्रोलियम उत्पादों पर हम क्या राज सहायता दे रहे हैं । आप राज सहायता के बारे में भी कह रहे थे कि इसे कम किया जाना चाहिए लेकिन मिट्टी के तेल पर दी गयी राज सहायता किसके लिए है ? एक लीटर मिट्टी के तेल पर 1·8 रुपये की राज सहायता है । रसोई गैस के एक सिलेंडर पर 43·89 रुपये की राजसहायता है । अकेली इन दो चीजों पर 1015 करोड़ रुपये की राजसहायता है । मिट्टी के तेल का प्रयोग कौन करता है ? आम आदमी इसका प्रयोग करता है । **(व्यवधान)**

यदि आप नहीं समझते तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता । मैं यहां स्कूल नहीं खोल सकता । मुझे यह सुनकर भी आश्चर्य है कि जब हम उत्पाद शुल्क में रियायतें देते हैं तो वे कहते हैं कि इन रियायतों को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उतना ही राज्यों का हिस्सा कम हो जायेगा । राज्यों को मिलने वाला राजस्व कम हो जायेगा । उत्पाद शुल्क में रियायतें इस उद्देश्य से नहीं दी गयीं हैं । यदि आप उन सब वस्तुओं को देखें जिन पर रियायतें दी गयीं हैं, तो आपको यह मालूम पड़ जायेगा कि उनका उपयोग मध्यम वर्ग और आम आदमी द्वारा किया जाता है ।

श्री माधव रेड्डी ने एक और त्रुटि की है । हमने मूल उत्पाद शुल्क पर 1.28 प्रतिशत का उपकर लगाया है, उसके सम्बन्ध में उनका कहना है कि यह राशि राज्यों को नहीं मिलेगी । मैं यह स्पष्ट करता हूं कि उत्पाद शुल्क लगाने से हमें लगभग 902 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । इस उत्पाद शुल्क में राज्यों को हिस्सा दिया जायेगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपकर की राशि में राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता ।

श्री बी० के० गढ़वी : उत्पाद शुल्क में हमने जो रियायतें दी हैं उससे जो हानि होगी उसमें भी राज्यों का हिस्सा होगा । उन्होंने दूसरी बात यह भी कही है कि राज्यों को लघु बचत प्रमाण-पत्र, इन्दिरा विकास पत्रों और किसान विकास पत्रों से उनका हिस्सा नहीं मिलेगा । मैं यह भी स्पष्ट कर देता हूं कि इन्दिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों और लघु बचत पत्रों से भी राज्यों को हिस्सा मिलेगा ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कितना हिस्सा मिलेगा ?

श्री बी० के० गढ़वी : वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार—वही 75 प्रतिशत । आप मुझसे पूछ रहे हैं, 'कितना' । आप उस सामान्य सी बात को नहीं समझते । जितना उन्हें लघु बचतों में मिलता रहा है उतना ही मिलता रहेगा । लेकिन वे यह नहीं समझते ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने उत्पाद शुल्क में 510 करोड़ रुपये की रियायत दी है । हम 749 करोड़ रुपये की राशि विशेष उत्पाद शुल्क से प्राप्त करेंगे । इस प्रकार इस मद से राज्यों को 122 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी । लेकिन बेहतर यही होगा कि आलोचना करने से पहले वे पूरी चीज का अध्ययन कर लेंते ।

दूसरे प्रश्नों का जवाब अन्तिम जवाब में दिया जायेगा । लेकिन घाटे के सम्बन्ध में, बढ़ते हुए व्यय के सम्बन्ध में—जिसे आप गैर-योजना का व्यय कहते हैं—और राजस्व आय तथा राजस्व

व्ययों के सम्बन्ध में मैं उतना ही चिंतित हूं जितना कि अन्य लोग। जहां तक राजस्व आय और राजस्व व्यय का सम्बन्ध है मेरे अनुमान से ये 1979-80 से शुरू हुए हैं। सरकार के राजस्व खाते में घाटा आ गया है। यह वास्तव में चिन्ता का विषय है। लेकिन राजस्व आय में सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। मैं यह नहीं कहता कि उनमें वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन व्यय में ज्यादा वृद्धि हुई है। यह स्वीकार करना पड़ेगा।

जो क्षेत्र हैं हम उनकी जांच करें। आप विकास करते हैं। योजना के अन्तर्गत आप परिसम्पत्ति बनाते हैं। क्या आप इसका रख-रखाव नहीं करेंगे ? आप गांव में स्कूल बनाते हैं। क्या आपको यह नहीं करना चाहिए ? आप हस्पताल बनाते हैं। क्या आपको यह नहीं चलाना चाहिए ? हवाई सुरक्षा—क्या आपको सीमाओं पर खतरा और अन्य किसी संभाव्य खतरे का सामना करने के लिए आपको रक्षा नहीं चाहिए ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि सम्पूर्ण गैर-विकासात्मक व्यय खराब हैं। सेवाओं तथा अनुरक्षण के क्षेत्र में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको यह तो करना ही होगा। राजस्व छूटों के क्षेत्र में भोजन, उरवर्क, मिट्टी का तेल और रसोई गैस पर दी गयीं राज सहायताओं के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या आप यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि उन्हें किसानों को न दिया जाय ? किसानों का क्या योगदान है ? सदी की सबसे भयंकर सूखे के बावजूद एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है। क्या आपको मालूम है कि दो वर्ष पहले सहारा के समीपवर्ती देशों में सूखा के कारण लाखों लोग भूख से मर गये थे ? इसके बावजूद लोग कहते हैं कि भारतीय कृषि तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वर्षा पर निर्भर है। निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था अधिकतर वर्षा पर निर्भर है लेकिन आपने इस बात पर ध्यान किया कि इस बार औद्योगिक विकास की दर 10 प्रतिशत से अधिक हुई है ? आप विगत वर्षों के आंकड़े देखें तो यह औद्योगिक विकास की ऋणात्मक थी। ऐसा क्यों है ? इसकी वजह यह है कि यह पहला वर्ष है जब हमने यह परिणाम निकाला है कि यह पुरानी कहावत झूठी सिद्ध हुई है कि भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है, जैसाकि आप अतीत में कहते रहे हैं। हमारे देश के 40 प्रतिशत उद्योग कृषि उत्पादन पर आधारित हैं तथा नये विकसित क्षेत्रों, आधुनिक क्षेत्रों में 60 प्रतिशत उद्योग कृषि उत्पादन पर आधारित नहीं हैं, आधुनिक क्षेत्रों के उद्योगों पर भयंकर सूखा और मौसम की प्रतिकूलता का कोई असर नहीं पड़ता इसलिए यह औद्योमिक विकास दर में वृद्धि प्राप्त हुई है। यह हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। यह किसी दल का मामला नहीं है यह हमारी अर्थव्यवस्था का लचीलापन है।

जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है, हम सब उस बारे में चिंतित हैं। यह बात नहीं है कि हम चिंतित नहीं हैं। आप हमें हमारे जैसा एक भी ऐसा विकासशील देश बतायें, जिसमें हमारे जैसा लोकतांत्रिक ढांचा हो, हमारे जैसी संघीय पद्धति हो, और वह अपने दायित्वों से निपटने के लिए बजट के घाटे को कम कर सके। ऐसा एक भी देश नहीं है। क्योंकि आप अधिक विकास करते हैं तो आपको अधिक व्यय करना पड़ेगा। यदि आप अपने संसाधनों में वृद्धि नहीं कर सकते तथा संसाधनों में वृद्धि की भी एक सीमा है, परन्तु उत्पाद शुल्क में जो रियायतें दी गयी हैं उनकी भी दुर्भाग्यवश कल और आज आलोचना की गई है। किसानों को दी गयी रियायतों की आलोचना की जा रही है। हम दायित्वों को कैसे पूरा करेंगे ? मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से सुझाव मांगता हूं कि किस प्रकार व्यय को नियंत्रित किया जाए तथा अर्थव्यवस्था को किस स्थिति में रखा जाए। यहां पर कुछ लोग 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ आदि का सुझाव देते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं

[श्री बी० के० गढ़वी]

पड़ता । क्षेत्र कौन से हैं तथा प्राथमिकताएं कौन सी हैं ? हम सब मिलकर प्राथमिकताओं के बारे में विचार करें और आप हमें बतायें कि कौन सी प्राथमिकता को पहले शुरू किया जाए । क्या हम सैनिक तैयारी को छोड़ सकते हैं ? क्या हम अपने देश में शिक्षा को छोड़ सकते हैं ? क्या हम औद्योगिक क्षेत्र और अपने किसानों के क्षेत्र में कमी कर सकते हैं ? क्या हम अपने देश में अनुसंधान, अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा अन्टार्कटिका के विकास में कमी कर सकते हैं ? क्या हम इनमें कमी कर सकते हैं ? निश्चित ही नहीं कर सकते । इसलिए सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में यह एक अच्छा बजट है । यदि आप इस देश में एक उद्योग का विकास करना चाहते हैं तो लोगों के पास क्रय शक्ति भी होनी चाहिए । अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र के हैं । वे किसान हो सकते हैं, खेतिहर मजदूर हो सकते हैं । यदि उनकी क्रय शक्ति नहीं होगी तो उद्योग के लिए पर्याप्त स्वदेशी बाजार नहीं हो सकता और उद्योगों में वृद्धि तथा विकास नहीं हो सकता । अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए विकास जरूरी है । आज जरूरत आलोचना की नहीं, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस सुझावों की है । इसका जबाब विकास का है । लेकिन दुर्भाग्यवश जब इसके लिए प्रयास किया जा रहा है तो आप विकास के मार्ग में बाधायें डाल रहे हैं । मुझे मालूम है कि आप आलोचना करने के लिए हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते । जनता ने हमें राष्ट्र को चलाने की लिए जिम्मेदारी सौंपी है । आप कुछ भी सहन कर सकते हैं लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते । आपने कल जो कुछ किया उसे हम सहन नहीं कर सकते ।

हमने जनता पार्टी के कुछ सदस्यों को यह कहते हुए देखा है कि हम 1979-80 की बात क्यों करते हैं 1977-78 और 1978-79 की क्यों नहीं करते । सभापति महोदय, अधिक समय लिये बिना मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1976-77 के बाद उत्तराधिकार के रूप में उन्हें क्या मिला । विदेशी मुद्रा कोष कितना था और खाद्यान्न का भंडार कितना था ? उस समय यह कांग्रेस सरकार ने जुटाया था लेकिन आपने खर्चीले पुत्र की तरह खर्च कर दिया । आपने चीनी का मूल्य 2 रुपये प्रति किलो कर दिया जिससे किसानों को गन्ना अपने खेतों में जलाना पड़ा । इन सब बातों का श्रेय आप मत लीजिए । संसाधन जुटाव के लिए आपने सोने की नीलामी की, हम वैसा नहीं करेंगे, जैसा आपने किया ।

महोदय व्यय के सीमित क्षेत्र के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने व्यय को सीमित करने का प्रयास किया है और निःसन्देह हमें यह विश्वास है कि जिस प्रकार हम पिछले वर्ष सफल सिद्ध हुए थे, घाटे को सीमित किया गया, मुद्रास्फीति को सीमित किया गया उसी प्रकार इस वर्ष भी हम घाटे को सीमित रखेंगे । इस बारे में किसी प्रकार का खतरा, किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ।

आशा है कि मैंने माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी, जो यहां उपस्थित हैं, द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण दे दिया है । उनके बहुत से मुद्दे तो बहुत ही भ्रांतिपूर्ण थे और मैं समझता हूं कि अब वे सही सन्दर्भ में देखे जाएंगे । सभापति महोदय इन शब्दों के साथ इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने 40वें स्वतन्त्रता वर्ष में 41वां बजट पेश किया है। इस बजट का केवल मैं ही स्वागत नहीं करती हूं बल्कि देश के सभी वर्गों ने इस बजट का स्वागत किया है।

बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रतिबिम्ब होता है। उससे उस देश की अर्थ-व्यवस्था की झलक दिखाई देती है। इस देश की जनता ने बड़े सुखद आश्चर्य से इस बजट को देखा है। इसमें इतनी अधिक रियायतें देते हुए भी एक संतुलित बजट पेश किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट एक विवेकपूर्ण ढंग से बनाया गया है। यह बजट किसानों का बजट है। यह ग्रामोन्मुखी बजट है। जो भी इसमें टैक्स लगाये गए है वे विलासिता की वस्तुओं पर लगाये गये हैं। जिनका असर कुबेरपतियों पर ही होगा। एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य किसान, एक सामान्य श्रमिक और शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइबस के व्यक्तियों को इससे लाभ होगा।

मान्यवर मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस बजट में जो रियायतें दी गयीं हैं वे गांवों तक जानी चाहिएं। यह न हो कि व्यापारी और काला बजारी करने वाले व्यक्ति इन सुविधाओं का लाभ गांवों तक पहुंचने न दें। इसका आपको बहुत विवेकपूर्ण ढंग से अवलोकन करने की जरूरत है।

इस बजट में गृहणियों को जो सुविधाएं आपने दी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूं। सुबह से लेकर संध्या तक जिन वस्तुओं को भी गृहणी छूती है, उन सबको आपने या तो उत्पादन कर से मुक्त कर दिया है या उन पर से उत्पादन कर कम कर दिया है। स्टेनलैस स्टील, कुकिंग में काम आने वाली चीजें, साबुन आदि के साथ-साथ सबसे बड़ा सुहागन का आशीर्वाद आपने लिया है। इससे आपके राजस्व में कोई बहुत अधिक फर्क तो नहीं पड़ेगा किन्तु सुहाग के प्रतीक पर उत्पादन शुल्क माफ करके उनका आर्शीर्वाद जरूर आपने लिया है। साथ ही बच्चों को भी खुश कर दिया है, उनके खिलौनों पर, पढ़ने लिखने के सामान पर उत्पादन कर माफ कर दिया है। इसी तरह से इस देश के बहुत से व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए दवाइयों पर से करों में छूट दी है, इन सब चीजों का मैं स्वागत करती हूं।

हमारे विरोधी दल के लोग सिर्फ विरोध के लिए इस बजट का विरोध कर रहे हैं, अन्दर से तो वे भी इसको पसन्द करते हैं। इनका खास आलोचना का विषय जो साढ़े 7 हजार करोड़ का घाटा दिखाया गया है, वह है और इनका कहना है कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। लेकिन यह इनका भ्रम है, मुद्रास्फीति इस बजट घाटे से नहीं बढ़ेगी, इसके लिए हमें अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे। वैसे भी विकासशील देश में घाटे की अर्थ-व्यवस्था चलती ही है और उसके लिए अतिरिक्त साधन जुटाने पड़ते हैं।

एक और आलोचना डाक दरों में वृद्धि के लिए की गई है और रेल भाड़े में वृद्धि की भी आलोचना की गई है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आज हम हर गांव के हर घर में डाक पहुंचाते हैं, इतनी अधिक सुविधा के लिए कोई बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं की गई है और जो की गई है वह आने वाले सुखद भविष्य के लिए की गई है। इतना सा त्याग आपको, हमको, सबको करना चाहिए।

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

सभापति महोदय, हमारे देश के 5 लाख 75 हजार गांवों में 80 प्रतिशत जनता रहती है, जिसका मुख्य धन्धा कृषि है। किसानों को जो छूट आपने दी है, उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं। आपने खाद पर, कीटनाशक दवाओं पर किसानों को छूट दी है और तीन नए प्रयोग आपने किए हैं। ग्रामीण आवास, दूसरा कुटीर ज्योति और तीसरा है जलधारा, इन तीनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूं। इस बारे में एक प्रश्न मेरे मन में आता है और वह यह है कि 40 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, इसलिए मेरे दिमाग में यह एक प्रश्न चिह्न लग गया है कि "कुटीर ज्योति" उन गांवों तक कैसे पहुंच सकेगी। मैं राजस्थान से आती हूं, वहां का बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है और वहां पर मुश्किल से 2-3 घण्टे बिजली मिलती है। अकाल से जूझते हुए जनता कुएँ में पानी होते हुए भी बिजली के अभाव में वह पानी नहीं निकाल पाती, ऐसी स्थिति में हमारी योजना कहीं कागज में न रह जाए, इसके लिए हमें पहले से ही कुछ योजना बना लेनी चाहिए। आज हमारे देश में परमाणु संयंत्रों के माध्यम से 3-4 प्रतिशत बिजली की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। यहां पर थोरियम, यूरेनियम आदि रा-मेटीरियल उपलब्ध हैं तो हम अतिरिक्त अटामिक प्लांट्स के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि एटोमिक प्लान्ट जैसा आपने कलपक्कम में स्वदेशी टैक्नीक से लगाया है, उसी तरह से प्रयोग देश के अन्य कोने में भी होने चाहिए। परमाणु संयंत्र लगाने में आठ-नौ साल लग जाते हैं। मेरा यह सुझाव है कि आपको अधिक थर्मल पावर प्लांट लगाने चाहिए और खासतौर से राजस्थान जैसे पिछड़े इलाके में ताकि कुटीर ज्योति जलधारा जैसी योजना को कार्यान्वित कर सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आपने चालीस प्रतिशत बिजली तथा सिंचाई के लिए वृद्धि की है। मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें सिंचाई में छोटी योजनाओं तथा एनीकट योजना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एन० आर०इ०पी० तथा आइ०आर०डी०पी० के तहत इन योजनाओं को लिया जाना चाहिए। मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र के हैं इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों को कुछ सुविधाएं दी हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी पर्वतीय क्षेत्रों के समान समझना चाहिए। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में जहां आप पैट्रोलियम की खोज कर रहे हैं, मैं समझती हूं, अगर वहां पैट्रोल निकला तो वह इलाका अरब कण्ट्री के समान विकसित हो सकता है इसलिए आपको अधिक से अधिक खोज करनी चाहिए। राजस्थान में सबसे अधिक समस्या पीने के पानी की है। आजादी के चालीस वर्षों बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले वर्ष कृपा करके पच्चीस करोड़ रुपए राजस्थान के पीने के पानी के लिए दिए थे। लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान हैं। जहां पानी नहीं है, वहां इससे कुछ नहीं होगा। आपको अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी तथा साथ ही हाई प्रैशर रिग्स राजस्थान को मुफ्त में देने होंगे। हाई प्रैशर रिग्स का होना जरूरी है क्योंकि उसके बिना पानी नहीं निकल सकेगा और लोग प्यासे रहेंगे। आज राजस्थान के 36252 गांव अकाल से पीड़ित हैं। तीन करोड़ सत्रह लाख वहां की जनसंख्या है तथा तीन करोड़ साठ लाख पशु अकाल से पीड़ित हैं। आपने कहा है कि 88-89 के लिए 137 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेंगे। मेरा निवेदन है कि 216 करोड़ की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अकाल से पीड़ित लोगों को बचाया जा सके। पिछले वर्ष आपने पांच लाख मीट्रिक टन गेहूं राजस्थान को फ्री आफ कास्ट दिया था जिससे चार साल से अकाल से पीड़ित लोगों को बचा सके हैं। इस समय आपने गेहूं नहीं दिया है। परिणाम यह है कि उन लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। विटामिन-ए की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी वहां हो गई है जिससे रात को दिखाई नहीं देता।

ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार नहीं मिला तो अधिक व्यक्ति अंधे होते चले जायेंगे। मेरा निवेदन है कि अनाज की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे पौष्टिक आहार लोगों को दे सकें। सूखा और बाढ़ एक तरह से परमानेंट फीचर हो गया है, ज्यों-ज्यों दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। मेरा निवेदन है कि हमें स्थाई रूप से सूखे से निपटना होगा। सूखे का मुख्य कारण ढूढ़ना होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि वनों की कटाई अंधाधुंध तरीके से हुई है। इस समय देश के पन्द्रह प्रतिशत भाग में वन हैं, परन्तु एक एस्ट्रोलोजर ने देखा है कि दस परसेंट जमीन पर ही वन हैं और राजस्थान में दो परसेंट जमीन पर वन हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमें उनकी सुरक्षा करनी होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। आज हमारे देश में 1554 बांध हैं। बड़े बांधों से फायदा तो हुआ है साथ ही साथ जंगल भी डूब गये हैं और बहुत सी जमीन बेकार हो गई, उत्पादन कम हो गया है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूं कि आपके पास जो छोटी योजनायें विचाराधीन पड़ी हुई हैं जैसे गम्भीरी कैनाल, बाड़ी योजना, देवास योजना उनके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। अकाल राहत के जो कार्य हो रहे हैं उनमें सिंचाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन्दिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान की एक मरु गंगा है, जो बन गई तो जैसे गंगा फलीभूत हुई है वह भी होगी। उसके लिए बहुत कम पैसा देते हैं, कई बरसों से उस पर काम चल रहा है, लेकिन यह योजना खत्म नहीं हो पा रही है। इसमें हमें राशि अधिक बढ़ानी चाहिए। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका मुख्य कारण है हमारे उद्योग धंधे बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। हमको विकेन्दीकृत उद्योग लगाने होंगे और खास तौर से जो जिले पिछड़े हुए हैं उनको उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करके वहां उद्योग लगाने होंगे।

3.41 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

राजस्थान की जमीन रत्न गर्भा है। जहां पर काफी मात्रा में मिनरल्स हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा इलाका चित्तौड़गढ़ लाइम स्टोन से भरा हुआ है। परन्तु सीमेन्ट उद्योग के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए वह नहीं हुआ है इसलिए इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राजस्थान में जिंक काफी मात्रा में उपलब्ध है। आगूचा नाम के स्थान पर और वहां आपने चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर योजना को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है। मेरा मंत्री जी से कहना है कि इस योजना को तुरन्त आगे बढ़ायें। राक फास्फेट देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है। उससे हम खाद का उत्पादन कर सकते हैं, परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। चित्तौड़गढ़ इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। वहां पर ब्राडगेज बढ़ रही है, वहां पर सरफेस वाटर है और वहां पर राक फासफेट से सम्बन्धित खाद का कारखाना लग सकता है। कर्ज की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था को विकृत कर रही है। हमारे राजस्व का 17 प्रतिशत ब्याज की अदायगी में खर्च हो रहा है। अगर हम यह कहें कि इस समय हमारे देश में एक लाख पांच हजार दो सौ सड़सठ करोड़ रुपये का कर्ज और उसमें 22 प्रतिशत विदेशी कर्ज है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 96 कर्जदार हैं उनमें भारत का स्थान चौथा है। ब्राजील, मैक्सिको, कोरिया के बाद हिन्दुस्थान है। यह कर्ज इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमारा नान प्लान का जो एक्सपेंडिचर है निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हम नान प्रोडक्टिव के राजस्व में 74 प्रतिशत खर्च करते हैं जैसे डिफेंस है, इसी प्रकार से इंटरेस्ट, फूड

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

तथा फर्टिलाइजर में सब्सिडी। ऐसी स्थिति यदि रही तो 1992-93 तक जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें ब्याज में देना पड़ेगा। जैसा कि प्लानिंग कमाशन ने कहा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने आधा खर्च सरकार ने अपने साधनों से किया था, परन्तु 7वीं पंचवर्षीय योजना में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर्ज से किया है...। यदि यही स्थिति रही तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत विकृत हो जाएगी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्ज कम से कम हो। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहूंगी कि निर्यात को बढ़ाया जाए। दूसरे हमारे देश में अधिकतर सरकारी उपक्रम और प्राइवेट फैक्टरियां घाटे में चल रहे हैं और उनका घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सभी प्राइवेट कारखाने रुग्ण हो चुके हैं। यदि घाटे के पीछे उनके मैनेजमैंट का खराब होना है तो मैं निवेदन करूंगी कि उन कारखानों के प्रबन्धक-मण्डल को तुरन्त बदल देना चाहिए ताकि हमारी घाटे की अर्थ-व्यवस्था ठीक की जा सके। मेरा विचार है कि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ने के पीछे मूल कारण काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था का होना है। काले धन को बाहर निकालने का आपने प्रयास अवश्य किया है, कई विकास पत्र जारी किए हैं, परन्तु हमें उसके मूल स्रोत, उसका प्रजनन कैसे होता है, उस ओर ध्यान देना होगा। जब तक काले धन की समानान्तर अर्थ व्यवस्था पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता। मैं यहां आंकड़ों के जाल में ज्यादा न जाकर यही निवेदन करना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले इस ओर ध्यान देकर इसे नियन्त्रित करना होगा। इसके साथ-साथ मुद्रास्फीति पर भी काबू करना होगा। यदि हमने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं किया तो सम्भव है ऐसी स्थिति भी आ जाए जैसे इजराइल और वैस्ट जर्मनी में आई थी। इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही आपको कार्यवाही करनी होगी। हमारे देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 15 प्रतिशत है परन्तु हमारी इन्कम विश्व की आमदनी का 1·5 प्रतिशत ही है। अतः हमें अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़े और पूरे विश्व के मानचित्र को ध्यान में रखते हुए ही योजनाएं बनानी होंगी, अर्थ-व्यवस्था को नियंत्रित करना होगा, आपने इस बजट के माध्यम से इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं, जो स्वागत योग्य हैं और उनसे आगे चलकर सारी व्यवस्था में सुधार आयेगा। इन शब्दों के साथ, मैं सदन में प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति जी, बहुत पुराने राजनैतिक अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है, जो आज भी लागू होता है, और जिसे महाकवि कालिदास ने अपनी रचना "रघुवंश" में आदर्श सूर्यवंश का राज्यवर्णन करते हुए लिखा है :

प्रजानाम् एव भूत्यत्यर्थम् ताम्यो बलिमगृहीत।
सहस्त्र गुण मुत्श्रष्टुम् आदत्सेहि रसम् रविः॥

इसका मतलब है कि प्रजा की तरक्की के लिए, भलाई के लिए और ऐश्वर्य के लिए शासन या राजा प्रजा से टैक्स लेता है। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करके उससे सहस्त्र गुना जल पृथ्वी पर धकेल देता है, उसी तरह राजा भी प्रजा से जितना टैक्स लेता है, उसका कई गुना जनता के कल्याण में लगा देता है। आज भी यह सिद्धान्त उतना ही महत्व रखता है। हमारा शासन, राजसत्ता या सरकार जनता से टैक्स के रूप में जो राजस्व लेती है, उसका कई गुना जनता के कल्याण कार्यों में लगा दिया जाता है। यहां पर गढ़वी साहब ने बिल्कुल सही चित्रण

किया है। आप देख लीजिए, सरकार की ओर से विभिन्न मतों में जो सबसिडी दी जा रही है, चाहे खाने की चीजों के लिए, खाद के मामले में, एल० पी० जी० के सम्बन्ध में, मिट्टी के तेल पर, वह कई हजार करोड़ रुपये के रूप में दी जाती है और यह राज्य कर्त्तव्य है, ड्यूटी है, उसे करना चाहिए।

यह बजट स्वागत के योग्य है। जब तत्कालीन वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वर्ष 1985-86 का बजट इस सदन में पेश किया था तो उस समय नानी पालकीवाला और फिक्की जैसे पूंजीपतियों की ओर से उसकी बड़ी तारीफ की गयी थी जबकि हमने उसकी इसी सभा में काफी शिकायत की थी। क्योंकि हम समझते थे कि जिस बजट की नानी पालकीवाला जैसे घोर दक्षिण-पंथी पूंजीवादी विचारधारा के लोग स्वागत करते हों वह बजट इस देश की गरीब जनता के हित में हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ आज वर्तमान बजट के सम्बन्ध में स्थिति यह है और मैंने इण्डियन पोस्ट नामक पत्रिका में 9 मार्च, 1988 के अंक में उन्हीं नानी पालकीवाला का बयान देखा था, उन्होंने इस बजट की आलोचना की है। उसे देखकर हमारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। क्योंकि जिस बजट की आलोचना पूंजीपति विचारधारा के लोग करें वह बजट वास्तव में आम जनता का बजट है। आज इस बजट का हर चौराहे, गांव-गांव और कस्बे-कस्बे में स्वागत हो रहा है, तारीफ हो रही है। हम अपने क्षेत्र में गए थे, किसान पहले ही हमसे कहते थे कि 8 रुपये 80 पैसे बोरा खाद का दाम घट गया है। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने पिछली 20 तारीख को लखनऊ में लगभग 15 लाख किसानों में घोषणा की थी कि हम भारत के छोटे, मझले और पिछड़े हुए क्षेत्र के किसानों की भलाई करेंगे और उसके बाद जब इस बजट में घोषणा हुई तो किसान प्रसन्न और गद्‌गद् हो गए। एक बोरे खाद पर 8.80 रुपये की छूट हो जाए यह मामूली बात नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको दस मिनट दे सकता हूं। आप अपने मुद्दे 10 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री उमाकान्त मिश्र : आप एक बहुत ही अच्छे सभापति हैं। कृपया मुझे 15 मिनट दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमन्, इस बजट की तारीफ चौराहे-चौराहे हो रही है। श्री राजीव गांधी और उनकी सरकार, मजदूरों और आम जनता की सरकार है, यह साबित हो गया। अब किसान किसी के उभाड़े नहीं उभड़ेंगे। तो यह किसान बजट है, आम जनता और गरीब जनता का बजट है, मैं इसकी तारीफ करता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

ग्रामीण जनता को अभी थोड़ी रियायतें दी गई हैं और बहुत दिनों के बाद इस बजट में ग्रामीण सेक्टर के लिये बहुत ज्यादा धन का प्रावधान किया गया है। 1952-53 के बाद धीरे-धीरे डायरेक्ट टैक्स बढ़ते गये लेकिन रूरल सेक्टर में बजट घटता गया। लेकिन पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बजट का अधिक से अधिक हिस्सा दिया जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है।

[श्री उमाकान्त मिश्र]

कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद का दाम घटा दिया गया है। यह स्वागत की बात है। जलधारा कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे छोटे किसानों के लिये सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं निवेदन करूंगा कि जलधारा कार्यक्रम के साथ-साथ कोई हलधारा या कोई हलधर कार्यक्रम आप चलायें जिससे छोटे किसान जो ट्रेक्टर नहीं खरीद सकते हैं वह किराये पर ट्रेक्टर ले लें तो उससे उनको बहुत फायदा होगा। मुझे आशा है कि अगले बजट में आप हलधारा या हलधर या धरती तोड़ या धरती पकड़ कोई कार्यक्रम चला देंगे जिससे छोटे किसानों को किराये पर ट्रेक्टर मिल जायेंगे।

कुटीर ज्योति कार्यक्रम बहुत उत्तम कार्यक्रम है। इससे पांच लाख परिवारों को रोशनी मिलेगी और गरीबों के घर में रोशनी जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अगले साल ग्रामीण ज्योति कार्यक्रम चलायें। इससे भारत के गांव-गाँव में घर-घर में बिजली और रोशनी पहुंचे। इससे बिजली की रोशनी तो मिलेगी ही साथ ही साथ छोटे-मोटे उद्योग लगा कर लोग अपनी बेरोजगारी दूर कर सकेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत 5 लाख कुओं के निर्माण की बात कही गई। बड़ी प्रसन्नता की बात है। बड़ा इसका स्वागत है। किन्तु मेरा निवेदन है कि जो देश में पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां धरती के नीचे चट्टानें पड़ती हैं वहां कुएं तब तक नहीं बन सकते जब तक आप पत्थर तोड़ मशीन की व्यवस्था नहीं करेंगे। 5 लाख कुएं आप पहाड़ी क्षेत्र में बनवा देंगे इसके लिये पत्थर तोड़ मशीन के बगैर कुएं सफल नहीं हो सकते हैं। जब यह मशीन वहां आयेगी तभी वहां कोई कार्यक्रम सफल हो सकता है और तभी इससे कोई फायदा हो सकता है।

आपने आवास के लिए 100 करोड़ रुपये की कर्जे की योजना बनायी है यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। इतना आप ध्यान रखें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बहुत गरीब लोग हैं उनके पास कर्जा लौटाने के साधन नहीं हैं। इसलिये आप इन्दिरा आवास योजना को विस्तृत रूप दें। इस इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब निर्धन हैं उनको घर बनाने की व्यवस्था आप अनुदान व सहायता से करें। छोटे ही सही, एक कमरा और एक बरामदा अगर उनके पास हो जाये तो अच्छा रहेगा। यह 6 हजार रुपये में नहीं हो सकता है। मेरा अनुरोध है कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 6000 के अनुदान की जो व्यवस्था है उसको आप 8-10 हजार कर दें तभी इस योजना से गरीबों को आवास मिल सकेगा। और वह इसमें अपना मकान बना सकेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमारे विपक्ष के लोगों ने कहा कि इस बजट से इनफ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। दुनिया का कोई गैर डेवलप्ड कंट्री ऐसा नहीं है—चाहे जापान हो, पश्चिमी जर्मनी हो, फ्रांस हो, मुद्रास्फीति को ठीक समय पर काबू कर पाया हो। हमारा देश एक विशाल और विकासशील अर्थव्यवस्था का देश है। हम तेजी से विकास कर रहे हैं। तो यहां मुद्रास्फीति और मूल्य बढ़ेंगे ही। हमें यह देखना है कि मुद्रास्फीति की दर कम से कम हो, महंगाई कम से कम हो, ज्यादा न बढ़ने पायें। महगाई और मुद्रास्फीति के बढ़ने के जो कारण हैं वह नान-प्लांड ऐक्सपेंडीचर है। उसके अलावा चोरबाजारी, घूसखोरी, कालाबाजारी, तस्करी और भ्रष्टाचार से

जो काला धन पैदा हो गया है उसे हमें कम करना है। इनके साथ-साथ जो काले धन की पैरेलर इकानमी बन गई है उस पर नियंत्रण करने के लिये कठोर कदम उठाना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि इस पर ठोस कदम उठाये जायेंगे।

रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है जैसा कि निर्मला जी ने कहा उसके मुताबिक कर्जे की और भुगतान की समस्या है। इसके लिये सरकार कदम उठा रही है। आयात कम किया जाये और निर्यात बढ़ाया जाये। नान-प्लान्ड ऐक्सपेंडीचर कम किया जाये, बचत की जाये, खर्चे कम किये जायें।

वित्त मंत्री जी ने कहा है। प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि ये कदम उठाये जाने चाहियें। मैं एक गम्भीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारों में आई० टी० आई० इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर, डाक्टर, बी० एड एंड बी० टीज ये तमाम जो प्रशिक्षण लेकर पढ़े लिखे जो बेकार हो गये हैं, हाई स्कूल, बी० ए० पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, इनको कम करने के लिये कोई योजना बनानी पड़ेगी। चन्द्राकर जी ने भी कहा है कि यह एक गम्भीर बात है। इनको काम पर लगाने के लिये कार्यक्रम बनाया जाये।

पिछड़े क्षेत्रों में खेती के विकास के साथ-साथ औद्योगीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिये, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिये जब तक कमाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड में बिहार या मध्य प्रदेश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं—जैसे जबलपुर, रीवा, सतना हैं जहां उद्योग नहीं हैं, वहां पर औद्योगीकरण किया जाये। शिवरामन कमेटी की रिपोर्ट है जो बड़े जिले हैं और विकास खंड व सबडिवीजन हैं उनको पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाये। हमारा मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला है। 300 किलोमीटर के दक्षिणी क्षेत्र में वहां बिजली तथा कोयला अकाल है। इसलिये वहां उद्योग लगते हैं। हमारे मिर्जापुर और उसके आसपास का क्षेत्र उजड़ रहा है। इसलिए मिर्जापुर जिले के आसपास बड़े उद्योग लगाये जायें। इसी तरह से भदोही में उद्योग लगाये जायें। इसी तरह से आसपास के जो पिछड़े इलाके हैं वहां बड़े उद्योग, मझोले उद्योग और छोटे उद्योग लगाये जायें। कृषि के विकास के साथ-साथ औद्योगिक विकास आवश्यक है। तभी मुद्रास्फीति दूर होगी और गरीबी दूर होगी व बेरोजगारी दूर होगी।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का हार्दिक स्वागत व समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

4.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय मैं 1988-89 के बजट का समर्थन करता हूं। इस बजट को सूखे और बाढ़ जैसी भयंकर प्राकृतिक विपदाओं की पृष्ठ भूमि में देखा जाना चाहिए, जिनका इस देश को पिछले साल के दौरान सामना करना पड़ा। देश एक अभूतपूर्व सूखे का सामना कर रहा था और इसके बावजूद सभी क्षेत्रों में विकास दर अपेक्षाकृत प्रशंसनीय रही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर इस विपदा का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा। बेहतर आर्थिक कार्य-निष्पादन और

[श्री ए० चार्ल्स]

प्रबन्ध व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सारे देश भर में वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों के ध्यानपूर्वक भंडारण से यह सफलता प्राप्त की गई।

महोदय, आजादी के बाद पिछले 40 वर्षों में किसी भी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजटों में यह बजट सबसे लोकप्रिय बजटों में से है, जिससे इस देश के सभी वर्गों के लोगों को फायदा हुआ है। समाज का हर भाग इससे लाभान्वित होगा लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुन: सुदृढ़ बनाना और कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करना इस बजट का मुख्य ध्येय रहेगा। ब्याज की कम दर पर ऋण लेने और थोड़े से मूल्यों पर किराये पर पम्पसैट उपलब्ध होने से अभूतपूर्व सूखे और बाढ़ से पीड़ित किसानों को काफी हद तक राहत मिलेगी। खाद के मूल्यों में $7\frac{1}{2}\%$ की कमी की गई है जिससे कृषि उत्पादन लागत में कमी आएगी और इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि भी होगी। कई लाख बेघर लोग अब नाममात्र की ब्याज-दर पर ऋण लेकर अपना घर बनाने की आकांक्षा रख सकते हैं। इस बजट में आवश्यक वस्तुओं के तेजी से बढ़ते मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सभी प्रयास किये गये हैं जिससे गरीब गृहणियों का बोझ नि:सन्देह हल्का होगा।

महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने एक स्पष्ट आश्वासन दिया है कि कपड़ों, जीवनरक्षक दवाओं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी से होने वाला लाभ वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और यह अविवादास्पद है कि घोषित रियायतें सही हैं और उत्पादन बढ़ाने और अनेक वर्षों के सूखे और बाढ़ से पीड़ित छोटे किसानों को मदद देने के लिए यह बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है। इसके विपरीत कुछ गैर कांग्रेस (ई) सरकारों ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है जैसे हरियाणा में तुच्छ राजनैतिक हितों के लिए बगैर कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए कई करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया गया।

महोदय, विपक्ष में कुछ मित्रों ने इस बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि यह जन विरोधी, कामगारों के वर्ग के खिलाफ है और यह केवल अमीर किसानों की ही मदद करेगा। मैं केवल उन सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे बजट प्रस्तावों को पढ़ें, उनका ध्यान से अध्ययन करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुन: स्थापित करने के लिए प्रस्तावित अनेक उपायों और सूखे से प्रभावित किसानों की मदद के लिए उपायो को समझें, विशेषकर सहकारी ऋण व्यवस्था, विद्युतीकरण कार्यक्रम और सिंगल पॉइंट लाइट प्रणाली, 'जलधारा' नामक कार्यक्रम, राष्ट्रीय आवास बैंक का गठन, मकानों के लिए वित्तीय सहायता, विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए उपाय आदि को भी वे समझें।

महोदय, जबकि सरकार हमारे ग्रामीण लोगों को प्राकृतिक विपदाओं से बचाने और उन्हें अच्छे भविष्य की आशा देने के लिए कठोर प्रयास कर रही है तो विपक्ष की भूमिका क्या रही है? क्या इस देश में विपक्ष रचनात्मक भूमिका अदा करने के लिए नहीं है? क्या उनके घोषणा पत्र में 'बन्द', आमजीवन को ठप्प करना और देश में संसदीय प्रणाली का विनाश करने के कार्यक्रम ही हैं? क्या वे जनता के प्रति उत्तदायी नहीं हैं। महोदय, इस सदन में पिछले एक वर्ष के दौरान जो कुछ होता रहा है वैसा विश्व में कहीं भी किसी भी संसदीय प्रणाली वाली सरकार में नहीं हुआ होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सदन में विपक्ष के पिछले वर्ष से आचरण की जांच करे ताकि आपको पता लगे कि इस सदन का कितना मूल्यवान समय नष्ट हुआ और जिसके फलस्वरूप देश का

कितना आर्थिक नुकसान हुआ। महोदय एक कहावत है कि "जब रोम जल रहा था तब नीरों चैन की बंसी बजा रहा था" यही सब हमारे देश के कुछ भागों में गैर कांग्रेस (इ) सरकारों के सहयोग से उन राज्यों में हो रहा है और मैं चाहता हूं कि संसदीय प्रजातन्त्र की तो बात ही छोड़िये इससे किसी को भी श्रेय नहीं मिलता। केरल में उन्होंने केन्द्र सरकार के संस्थानों और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है। वफादार कामगारों ने जब कार्यालय में जाना चाहा तो उन्हें रोका गया और उन्होंने बसों पर पथराव किया। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह बन्द के कारण देशभर में जान-माल के नुकसान का जायजा लेने की व्यवस्था करे। देश के प्रति उन्हें कोई चिन्ता नहीं है, गरीब लोगों के प्रति उन्हें कोई चिन्ता नहीं है और गरीब लोगों के जीवन और उनकी आकांक्षाओं के प्रति उन्हें कोई चिन्ता नहीं है।

महोदय इस सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस देश की समस्त आर्थिक स्थिति उज्ज्वल है, और हाल के बजट ने अनन्तकाल तक सारी समस्याओं को सुलझाया है। बहुत सारी समस्याएं हैं। किन्तु मैं इस सदन के आदरणीय सदस्यों को गांधी जी का कथन याद दिलाना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था कि "मैं प्रत्येक आंख से प्रत्येक अश्रु पोछना चाहता हूं।" हमारे आगे बहुत काम हैं और हमें बहुत दूर जाना है और ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के अश्रुओं को पोंछना है जो अपने आपको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है।

बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री का ध्यान ऐसे एक-दो पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिनको मेरे विचार में बजट के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। एक है हथकरघा क्षेत्र। बजट भाषण में कहा गया है कि हथकरघा क्षेत्र से लगभग 100 लाख से अधिक बुनकरों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र सूत तथा अन्य धागों के अधिक मूल्यों से प्रभावित हुआ है। जनता कपड़े पर राज सहायता 2 रु० प्रतिवर्ग मीटर से 2 रु० 75 पैसे प्रतिवर्ग मीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसका स्वागत है, किन्तु इस क्षेत्र में हो यह रहा है कि जो भी कोई राहत अथवा सहायता दी जाती है वह सही कर्मकार को नहीं मिलती है। इसको बिचौलिए खा जाते हैं। केरल में हजारों सोसायटियां हैं। उनकी सूचियों में कर्मकारों के रूप में जाली नाम हैं और जो कुछ भी छूट के रूप में कर्मकारों को दिया जाता है उसे बिचौलिया हजम कर जाते हैं। अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि करघों की सही जांच करें और वास्तविक कर्मकारों का पता लगाया जाए। जो भी सहायता दी जाती है उस पर निगरानी रखी जाए और वह सहायता सामान्य कर्मकार को मिलनी चाहिए।

एक और क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र है। परम्परागत मत्स्य क्षेत्र कृषि का एक सम्बद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र से लगभग 100 लाख लोग सम्बद्ध हैं। यह इस देश के सबसे कमजोर वर्गों में से एक है, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं और असाधारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है।

इस देश के परम्परागत मछुआरों को बहुत सी समस्याएं प्रभावित कर रही है। अतारांकित प्रश्न संख्या 2662 में मैंने पूछा था कि क्या सरकार को मालूम है कि परम्परागत मछुआरों को 10 हार्स-पावर से अधिक शक्ति वाले 'आउट बोर्ड मोटर' की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश वाणिज्य मंत्री ने उत्तर दिया है कि "सरकार को परम्परागत मछुआरों द्वारा 10 हार्स पावर से अधिक शक्ति के 'आउट बोर्ड मोटरों' के इस्तेमाल की कोई निश्चित जानकारी नहीं है।" सरकार इस बात से अवगत

[श्री ए० चार्ल्स]

होनी चाहिए कि मछुआरों द्वारा सारे देश में इस प्रकार के हजारो आउट बोर्ड मोटर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा : "10 हार्स पावर से अधिक शक्ति वाली मोटरों का उत्पादन देश के संघठित क्षेत्र में नहीं होता है।" इससे यह पता चलता है कि जो भी आवश्यकता है इसको 'आउट बोर्ड मोटरों' के आयात से पूरा किया जाए, किन्तु आयात लाइसेन्स बड़े निर्यातकों को ही दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप असली गरीब परम्परागत मछुआरे को मध्यस्थों को इन इंजनों के कुल मूल्य का दो-गुना अथवा कभी-कभी तीन-गुना देना पड़ता है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उत्तर देते हुए कहा जाता है कि "10 हार्स पावर से अधिक शक्ति वाली आउट बोर्ड मोटरों के निर्माण की कुछ योजनाएं कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं।" अत: मैं यह आग्रह करता हूं कि वास्तविक परम्परागत मछुआरों को ऐसे आउट बोर्ड मोटर आयात करने का अधिकार दिया जाए क्योंकि यही ऐसा एकमात्र रास्ता है जिससे वह वर्तमान संकट की स्थिति में से निकल सकते हैं।

मेरे कुछ सुझाव भी हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन पर अनुग्रहपूर्ण विचार किया जाए क्यों बजट मछुआरों की दुर्दशा के संबंध में पूरी तरह चुप है। मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं :—

(एक) परम्परागत मत्स्य क्षेत्र के लिए अपेक्षित डीजल से चलने वाले आउट बोर्ड मोटर/इन-बोर्ड मोटर (ओ०बी०एम०/आई०बी०एम०) के लिए आयात शुल्क में 100% छूट दी जानी चाहिए।

(दो) सभी प्रकार के ओ०बी०एम०/आई०बी० एम० पर इस समय दी जा रही 50 प्रतिशत राज सहायता के बजाय डीजल से चलने वाले आउट बोर्ड मोटर/इन बोर्ड मोटर की आयात कीमत पर 67 प्रतिशत राज सहायता मंजूर की जानी चाहिए।

(तीन) 10 हार्स पावर से अधिक शक्ति की आउट बोर्ड मोटर और इनबोर्ड मोटर को ओ०जी०एल० के अन्तर्गत आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 6 में शामिल करना और मत्स्य विकास के लिए परम्परागत मछुआरों में वितरण हेतु इनका राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से आयात।

(चार) मछली पकड़ने के जाल बनाने/मरम्मत करने के लिए नाइलन तन्तु लागे धागों पर उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।

यदि इन शर्तों को पूरा किया जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि गरीब परम्परागत मछुआरे जिन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह मछलियां पकड़ने में संघर्ष कर सकते हैं और उन्हें मछली पकड़ने के मामले में संघठित क्षेत्र से मिलने वाली चुनौती का वे सामना कर सकते हैं। आउट वार्ड इंजन के लिए मिट्टी के तेल की कमी जैसी भी कुछ समस्याएं हैं। मैं आशा करता हूं कि इन समस्याओं की ओर भी ध्यान दिया जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पुन: सुदृढ़ होगी और इस देश के लाखों दलितों का भविष्य सुधर जाएगा।

सभापति महोदय : श्री बी०बी० रमैया। आपके दल को दिया गया पूरा समय आपके मित्र ने ले लिया। किन्तु फिर भी मैं आपको 5 मिनट देता हूं। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री बी०बी० रमैया (ऐलुरू) : सभापति महोदय, बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

लगभग सभी सत्र बजट सत्र जैसे ही होते हैं क्योंकि प्रत्येक सत्र में वे 5,000 करोड़ रुपये तक की पूरक मांगें लेकर आते हैं। गत तीन वर्ष से प्रति वर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था बढ़ती ही चली जा रही है और यह 8000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है। दूसरी बात यह है कि, आपने बजट पूर्व ही इस्पात, कोयला, पेट्रोल, डाक तार के मूल्य और टेलीफोन शुल्क और रेल किराए बढ़ा दिए हैं।

मुख्य बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हम 80,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी लगा रहे हैं किन्तु इसके बदले में प्राप्ति अनुमानित स्तर तक नहीं होती है। इसी कारण दिन प्रतिदिन हमारी वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही है। बजट घाटे को ही देखिए जो 8120 करोड़ रुपये से अधिक है। ऋणों पर ब्याज 14,100 करोड़ रुपये है और वेतन प्रति वर्ष तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, और रक्षा बजट 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। हम बाजार से भी 7000 करोड़ रुपये के ऋण ले रहे हैं और बाहर से 3734 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। छोटी बचतें 1150 करोड़ रुपये, विशेष बचतें 4325 करोड़ रुपये और भविष्य-निधि 1,000 करोड़ रुपये की है। उससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी समस्त योजना बाहर की सहायता पर ही निर्भर करती है और वास्तविक राजस्व जो हमें 3660 करोड़ रुपयों के आयकर, 4099 करोड़ रुपये के निगम कर, 15626 रुपये के राजस्व और 18.172 रु० के उत्पाद शुल्क पर निर्भर नहीं है। इसमें से आप देखेंगे कि देश के राजस्व के लिए प्रत्यक्ष करों से इतना लाभ नहीं होता है जितना कि उत्पाद शुल्क से। इससे यह पता चलता है कि हमें औद्योगिक विकास और उत्पादकता को कितना महत्व देना है। यदि आप औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए और अधिक पूंजी निवेश करेंगे तो सम्भवत: उन सभी वस्तुओं में राजस्व में तेजी से वृद्धि होगी। उत्पाद-शुल्क, बिक्री कर और आय-कर में भी तब ही वृद्धि हो सकती है जब आप आरम्भ में उत्पादन बढ़ाएंगे और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बाजार में सामान की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। काला बाजारी उसी समय कम हो जाएगी जब बाजार में अधिक से अधिक सामान आएगा। अत: मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दें और देखें कि औद्योगीकरण में तेजी से वृद्धि हो। जब कोरिया और ताइवान जैसे देश अत्यन्त कम संसाधनों और जनशक्ति के बावजूद इतना सामान तैयार करते हैं और 45,000 करोड़ रुपये तक निर्यात करते हैं, तो इन सभी प्रयासों से बावजूद हमारा कुल निर्यात 15000 करोड़ से अधिक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान देंगे और देश के विकास अवसरों को अधिक प्रोत्साहन और अधिक ध्यान देंगे और हमारी प्रति व्यक्ति आय को सुधारने की ओर भी ध्यान देंगे।

जिस मुद्दे को पूरी तरह उपेक्षित किया गया है वह है जनसंख्या वृद्धि। परिवार नियोजन में सम्भवत: कुछ नहीं किया है। यही एक बात हमारे समस्त संसाधनों और उपलब्धताओं को घटा रही है। जिस किसी में हम सुधार कर रहे हैं, बढ़ती हुई आबादी से इसपर अधिक बोझ पड़ता है।

दूसरा मुद्दा यह है कि कृषि के क्षेत्र में आपने 1073 करोड़ रुपये और सिंचाई और बाढ़ के लिए केवल 217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस मुद्दे पर मैं बार-बार जोर देता हूं कि, जब तक आप सिंचाई और बाढ़ पर पूंजी निवेश को नहीं बढ़ाएंगे, आपके लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना कठिन होगा। हर बार सूखे और बाढ़ से समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

[श्री बी०बी० रमैया]

इस जल-विद्युत परियोजना से बाढ़ की हानियां कम हो सकती हैं और सूखे से राहत भी मिल सकती है। सूखे के बावजूद आज हम कृषि में इतना उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि हमने कुछ परियोजनाओं का निर्माण कर लिया है। मुझे आशा है कि देश की अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादकता की सुरक्षा और इनमें सुधार करने में हम इन बातों से लाभ उठा सकते हैं। उदाहरणत: हम देखते हैं कि गोदावरी का 80 प्रतिशत जल समुद्र में जाता है। यदि हम केवल पोलावरम जैसी कुछ परियोजनाओं को आरम्भ करेंगे तो उससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के कृषि उत्पादन में सुधार होगा।

दूसरा मुद्दा ऊर्जा है। इस वर्ष इसके लिए 9,916 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह एक मूल मद है। ऊर्जा और विद्युत उत्पादन के बिना उद्योग नहीं चल सकता है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इससे सम्बद्ध करने के लिए लम्बी अवधि की नीति होनी चाहिए, किन्तु अभी तक हम पर्याप्त मात्रा में गैरसरकारी क्षेत्र को इससे सम्बद्ध नहीं कर सके हैं जो कि औद्योगिक उत्पादन को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। मूलत: हम यह पाते हैं कि यह बजट पूंजी निवेश के लिए आकर्षक नहीं है। हम बजट पेश किए जाने के समय से देख सकते हैं कि स्टाक बाजार की स्थिति ठीक नहीं है। हम आज भी देख रहे हैं कि स्टाक बाजार में मन्दी चल रही है। लोगों का उद्योग में शेयरों में निवेश पर विश्वास नहीं रहा। इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। लोग अपने धन का निवेश सोना तथा अन्य वस्तुओं में करेंगे जो किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है और मुझे विश्वास है यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें देखना होगा। यह वास्तविक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है।

जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमने कीटनाशकों तथा उर्वरकों एवं बिजली की मोटरों पर कुछ रियायतें दी हैं। किन्तु इस सब के बावजूद हमें काफी कुछ करना है।

हम भारी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहे हैं। इस उद्योग को सरकारी समर्थन की काफी आवश्यकता है।

कृषि विकास के बावजूद हम आज भी चीनी का आयात कर रहे हैं। कपास के विकास की ओर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। जब तक आप कोई अवसर नहीं देते इसमें कोई सुधार नहीं होगा।

उदाहरण के लिए निर्यात के मोर्चे पर हम देखते हैं कि खाड़ी के देशों को कृषि उत्पादों की भारी मात्रा में जरूरत है। उन्हें फल, सब्जियों तथा फूलों की जरूरत है। यदि आप विश्व के विभिन्न भागों में परिवहन की कुछ सुविधाएं उत्पन्न करलें तो काफी निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

जब तक आप विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए सड़कों, भण्डारण सुविधाओं में सुधार नहीं करते, संचार व्यवस्था विकसित नहीं करते, तब तक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा और औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ नहीं चल पाएंगी। मुझे आशा है कि आप कुछ न कुछ करेंगे।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को पहले जो आर्थिक सहायता दी जाती थी, कुछ राज्यों में तो वह बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमें पिछड़े क्षेत्रों में यह उद्योग स्थापित करने के कुछ उपाय खोज

निकालने होंगे। आप इन्हें विकासोन्मुखी केन्द्र कह सकते हैं और कुछ सहायता देकर और अधिक उद्योग विकसित कर सकते हैं।

जहां तक कागज उद्योग का सम्बन्ध है, आपने बजट में घास, भूसे और अन्य चीजों जैसे गैर-परम्परागत कच्चे माल पर कुछ सहायता दी है किन्तु हम लगातार लुगदी और कागज का आयात कर रहे हैं जबकि हम गैर-परम्परागत कागज उद्योग को गैर परम्परागत कच्चा माल और कुछ संरक्षण देकर भारतीय माल का उत्पादन आरम्भ नहीं कर रहे हैं। अन्यथा वह बच नहीं पाएंगे। मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे जैसे कि हम खोई के लिए दे रहे हैं। आपने बड़े उद्योगों के लिए जो कुछ किया है छोटे उद्योगों के लिए भी करना चाहिए।

प्लास्टिक उद्योग के विकास के लिए भी आपको काफी सहायता देनी होगी।

उद्योगों के लिए पूंजीगत माल का आयात अब भी 85 प्रतिशत है। जब तक आप इसे कम नहीं करते, हमारी परियोजना पूंजी लागत कम नहीं होगी और इस देश के औद्योगिक उत्पाद स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह महगे होंगे। आप केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करें जिनकी स्थानीय निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। यही रवैया जनरेटरों के मामले में भी अपनाया जाना चाहिए क्योंकि हमें अधिक विद्युत उत्पादन की जरूरत है। हमारी क्षमता अधिक होनी चाहिए। आपको इन वस्तुओं पर आयात शुल्क में विशेष छूट देनी चाहिए ताकि हम इन चीजों का आयात कर सकें और अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकें।

ग्रामीण विद्युत्तीकरण के मामले में भी जब तक आप अधिक सहायता नहीं देते, तो आप जो हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम वह प्राप्त नहीं कर सकते।

एक अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक के बारे में है, जो आपने इस सदन में पुरस्थापित किया है।

यह इतनी जल्दी में पेश किया गया है कि हमें इसे पढ़ने और इस पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिला। इस बारे में और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, हालांकि बजट में आपने इसका उल्लेख किया है। इसकी मुख्य बात यह है कि अब आप एक समान लेखा वर्ष बनाने जा रहे हैं। इससे लोगों के लिए कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं। आपने इसे अचानक प्रस्तुत किया है। इससे कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। कई प्रकार के संगठन हैं। सहकारी समितियों का वर्ष अलग समय पर समाप्त होता है और बैंकों का अलग समय पर समाप्त होता है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बी०बी० रमैया : इसलिए इन बातों की छानबीन करनी होगी। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। कई ट्रस्ट भी हैं और भी बहुत कुछ है। आपको हमें, इन सब पर फिर से सदन में चर्चा करने के लिए समय देना होगा।

धन्यवाद।

श्री तरुण कान्ति घोष (बारसात) : महोदय, मैं, हमारे वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं। इस बजट में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैं समझता हूं कि यह ठीक बात है। इस समय मैं सदन को आपके माध्यम से यह बताना

[श्री तरुण कान्ति घोष]

चाहता हूं कि हमें हमारे पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे नेताओं का तथा हमारे किसानों और श्रमिकों का आभारी होना चाहिए कि इस वर्ष के सूखे के बावजूद उन्हीं के काम की वजह से स्थिति इतनी खराब नहीं हुई क्योंकि योजनाएं पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी थीं। किन्तु आज भी हम पाते हैं कि हमारी कृषि प्रकृति पर निर्भर है। न तो हम बाढ़ रोक सकते हैं और न ही सूखा रोक सकते हैं। मैं, विशेषरूप से एक ऐसे राज्य से ताल्लुक रखता हूं जहां प्रति वर्ष बाढ़ और सूखा आता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पूर्वी भारत, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में इन बातों की ओर थोड़ा ध्यान दें।

महोदय, जब हम इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं हम जानते हैं कि हम वित्तीय दबाव महसूस कर रहे हैं। एक ओर तो हमें अपने रक्षा पर व्यय करना पड़ता है दूसरी ओर हमें अपनी विकास परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, जिसकी हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरत है। इस समय मैं राजस्व राज्य मंत्री की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा—हालांकि वह यह बात जानते हैं कि 85 करोड़ लोगों में से केवल 22 लाख लोग ही करों का भुगतान करते हैं। ऐसा क्यों है ? आप उन सब लोगों की, जिन्हें कर अदा करना चाहिए, दायरे में लाने के लिए वास्तव में क्या कदम उठा रहे हैं। 85 करोड़ लोगों में से केवल 22 लाख लोग कर दे रहे हैं जो कराधान प्रयोजन के लिए एक बहुत छोटा सा भाग है।

दूसरी बात, जिसपर मैं बल देना चाहता हूं, वह यह है कि भारत तब तक तेजी से उन्नति नहीं कर सकता जब तक हम इस महंगी अर्थव्यवस्था को नहीं तोड़ देते जिससे हम पीड़ित हैं। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि आयातित चीनी हमारे देश में उत्पादित चीनी से सस्ती पड़ती है। क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि जापान कोयला और कच्चा लोहा भारत से जापान ले जाता है और वह तैयार माल जहाज द्वारा भारत भेजता है ?

इस पर खर्चा आता है तो भी वह अपना तैयार माल हमारे देश में निर्मित माल से सस्ता बेचते हैं। ऐसा क्यों है ? मैं माननीय मंत्री जी से कारण जानना चाहता हूं। हमारा कोयला इतना महंगा क्यों पड़ता है। हमारी कोयला खानों में लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि आस्ट्रेलिया में केवल 6000 आदमी इतना ही कोयला पैदा करते हैं जितना हमारे देश में 600000 आदमी पैदा करते हैं। ऐसा क्यों है। यदि हम चाहते हैं कि भारत का तेजी से विकास हो तो हमें इन मौलिक चीजों का हल खोजना होगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि सम्पूर्ण भारत का विकास हो। मुझे एक बात कहते हुए खेद होता है। मैं पूर्वी भारत से हूं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि यह मेरा गृह राज्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से तमाम पूर्वी भारत की विकास की गति शेष भारत से काफी नीची है। इसलिए, देश का विकास करते समय, हमें इसका विकास इस प्रकार करना चाहिए कि सभी राज्यों और भारत के सभी भागों का समान रूप से एक साथ विकास हो। हमारे देश में विशेष रूप से पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश में तथा राजस्थान में तथा कुछ अन्य भागों में बहुत से खण्डों में गरीबी है, बहुत से खण्ड अविकसित हैं। वास्तव में जब हम बजट की बात करते हैं, बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शहर में रहने वाले सबसे अमीर आदमी पर नहीं बल्कि गांव में रहने वाले सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टिकोण से हमें पता लगाना है कि क्या हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं या नहीं।

मैं, हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आर्थिक कदम उठाए हैं। मुझे इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है यदि विपक्ष और हम सभी देश के आर्थिक विकास के लिए एक जुट हो जाएं तो हमारी प्रगति की गति जो आज है उससे कहीं तीव्र हो जाएगी। आज भारत के समक्ष दो या तीन बड़ी महत्व-पूर्ण समस्याएं हैं। एक समस्या बेरोजगारी के बारे में है। मैं सौभाग्यवान हूं कि मैं श्री तुषीर कान्ति घोष के पुत्र के रूप में पैदा हुआ जो किसी समाचार पत्र के सम्पादक थे। जब मैं कालेज से निकला तो मेरे सामने काम तैयार था। मेरे पास हर रोज पचास, साठ, अस्सी या सौ लड़के प्रति-दिन आते हैं जो मेरे से किसी भी तरह से कम नहीं हैं। उनके पास भी वही दिमाग है वही शिक्षा है सभी कुछ है सिवाए इसके कि वह इतने भाग्यशाली नहीं हैं जो ऐसे परिवार में पैदा हुए हों जहां उनके लिए रोजगार तैयार हो। वह मेरे पास एक ही इच्छा लेकर आते हैं। वह अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहते है, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं। वह किसी से कोई सहायता नहीं मांगते, किसी से कोई दान नहीं मांगते। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्ष बाद भी, यह बेरोजगारी हमारे नौजवानों, जो हमारे देश का भविष्य हैं, की उमंगों पर तुषारापात कर रही है। मैं राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं, जो यहां बैठे हैं और जो नोट ले रहे हैं और उनके माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ ऐसे कारगर कदम उठाएं ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। इसे एक दिन में हल नहीं किया जा सकता। किन्तु हम यह बेरोजगारी की समस्या दूर करने में सही दिशा में जा सकते हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह जीवनयापन लागत में वृद्धि के बारे में है। भारत एक ऐसा देश है जहां मूल्यों में हमेशा वृद्धि होती है। यह कभी कम नहीं होते। विश्व के अन्य सभी देशों में मूल्य कभी बढ़ते हैं कभी नीचे आते हैं। लेकिन हमारे यहां प्रयास करने के बावजूद यह बढ़ ही रहे हैं। इसका समाज के कमजोर वर्गों, गांवों में रहने वाले गरीबों तथा हमारे देश के निर्धन किसानों पर असर पड़ता है। इसलिए हमें इस बारे में कुछ करना होगा। इस पर कैसे काबू पाया जाए ?

अन्य जिस मुद्दे पर मैं बल देना चाहता हूं वह यह है। जब सूखा पड़ा था, तब प्रधानमंत्री जी ने सूखा पीड़ितों को आवश्यक राहत देने के लिए अथक प्रयास किया। लेकिन मैं जानता हूं क्या होता है। एक बार समस्या खत्म हो जाने के बाद, हम उसे भुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसानों को जो नुकसान हुआ है, यदि हम उन्हें पुन: उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, हमें उन्हें लगातार सहायता देनी होगी ताकि वे आत्मनिर्भर होकर हमारे देश के लिए लाभकारी किसान बन सकें।

हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम पद-दलितों के साथ न्याय करने की बात करते हैं। प्रत्येक बजट से इसका अन्दाज लगाया जा सकता है कि हमने उस दिशा में कितनी प्रगति की है, हम जिस बात पर बल दे रहे हैं हम जो कदम उठा रहे हैं, क्या उससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाये हैं और क्या हम सचमुच उस ओर अग्रसर हैं या नहीं ? मैं यहां एक बात यह कहना चाहता हूं कि एक बार यदि हम जातिगत भेदभाव को भुला दें तो भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन सकता है। चाहे कोई पंजाबी हो या बंगाली, असमिया हो या दक्षिण भारतीय, हमें सच-मुच एक होना है और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे देश का आर्थिक विकास हो। मैं जानता

[श्री तरुण कान्ति घोष]

हूं कि मेरे पास समय कम है और आपने मुझे जो समय दिया है मैं उससे अधिक समय नहीं बोल सकता। मैं इस बजट को पूरा समर्थन देता हूं और मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि हमारे देश के समक्ष जो मूल समस्याएं हैं वह उन्हें याद रखें। अपना स्वार्थ दिखाते हुए मैं यह भी कहूंगा कि मेरे पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के प्रति उन्हें थोड़ी और उदारता दिखानी चाहिए।

मैं पुन: अपने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के०एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं कि एक कहावत है "जादू वो जो सिर चढ़कर बोले"। इस वर्ष जो बजट पेश किया गया है, निश्चित ही उसका जादू पूरे देश के अंदर है और उसी की घबराहट सामने वालों में हैं। मैं समझता हूं इस बजट को निश्चित ही इस दृष्टि से बनाया गया है क्योंकि हमारे सामने सूखे की पृष्ठभूमि थी। हमारे सामने यह प्रश्न था कि मूल्य न बढ़े, औद्योगिक और कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी हम सुदृढ़ कर सकें। लगातार तीन वर्षों तक सूखा और वह भी इस वर्ष जबकि देश के अधिकांश भाग में है तथा उसी के साथ जो बचा हुआ हिस्सा था, उसमें भयंकर बाढ़, इतनी खराबियां और परेशानियों के बाद भी सरकार ने जिस प्रकार से इसका मुकाबला किया है, उसकी कहीं पर भी पूरी हिस्टरी में मिसाल नहीं मिलेगी। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमारा विपक्ष उसमें भी कंजूसी करने की बात करता है। इससे उन्हीं की छवि बिगड़ती है। उन्होंने यह तय कर रखा है कि इस देश के अंदर गैरजिम्मेदारी का इतिहास बनायेंगे। जिस तरह अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती थी, विपक्ष को सिर्फ कुर्सी ही दिखाई देती है। इनकी अक्ल इस बात पर काम करती है कि कांग्रेस सरकार इस देश के लिए कितना भला करती है, कितना उत्पादन बढ़ाती है और वह कितना उसको बिगाड़ सकते हैं। इसका नमूना कल आपने देखा होगा। इन्होंने प्रयास किया भारत बंद करके, कितना प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और कितनी तोड़-फोड़ की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि अक्ल वह चीज है जो दुकान या बाजार में खरीदी नहीं जाती है। लेकिन श्री वी०पी० सिंह ने **इंडियन एक्सप्रेस** की ऐसी दुकान इनको दिलवा दी है जिसमें अक्ल मुफ्त में ढेर सारी इनको मिल रही है। उसी अक्ल के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। यह बात भूल जाते हैं कि मोटी अक्ल है और अमरीकी मोटी अक्ल को लेकर आयेंगे तो जाहिर है उसी प्रकार का काम होगा। लेकिन श्री तिवारी जी के तरकश में इतने तीर थे कि उन्होंने महाभारत के एकलव्य की याद दिला दी और पूरी तरह से मुंह बंद कर दिया। अब केवल घबराहट और खिसियानेपन के अलावा इस बजट में इनको कोई बुराई नजर नहीं आ सकती। यह बात सही है कि इस बजट के अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने किसानों, गरीबों और मजदूरों का ध्यान रखा है। लेकिन आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम कोई भी नीतियां बनाएं, कोई भी कार्यक्रम बनाएं, लेकिन उनका कार्यान्वयन केवल हमारे कर्मचारियों पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि कर्मचारियों की ओर केवल फिसलती हुई नजर डालकर हमारे वित्त मंत्री जी आगे निकल गए हैं। एक जमाना था जब यह बात होती थी कि फलां व्यक्ति इन्कम टैक्स देता है। तब यह बात हरेक के मन में उठती थी कि यह वह व्यक्ति

है जिसकी इतनी आमदनी है जो न केवल नेसेसिटीज, एमेनिटीज बल्कि लक्जरीज के बाद भी एन्जाय करके, उसके बाद जो बचत होती है, उस बचत में से इन्कम टैक्स देता होगा और फिर भी उसके पास बचत होती होगी। लेकिन जमाना कितना बदल गया है। आप चपरासी से भी इन्कम टैक्स लेते हैं। उसकी आवश्यकताएं पूरी हो या न हो, लेकिन उसको इन्कम टैक्स देना पड़ता है। इन्कम टैक्स की जितनी आमदनी है उसका 65 प्रतिशत कार्पोरेट टैक्स है, केवल 30-35 प्रतिशत टैक्स के लिए आप जितना खर्च करते हैं, जितना भ्रष्टाचार होता है उस पर हमारे वित्त मंत्रीजी ध्यान देकर देखें उसमें भी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा होता है। सबसे ईमानदारी का इनकम टैक्स कर्मचारी अदा करता है। उसकी फिक्स्ड पे होती है, आप काट लेते हैं। आपने जो छूट दी है उसका उसे कोई लाभ नहीं मिला है। मैं यह कहना चाहूंगा जितना हम खर्च करते हैं, जितना हमें मिलता है अगर आप इस पर विचार करें कम से कम पच्चास हजार तक इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, आपको कोई कष्ट इससे होने वाला नही है। जो फिक्स्ड पे वाले लोग हैं उनको भी इससे रिलीफ मिलेगा।

आज कर्मचारी कई जगह हड़ताल करते हैं, वर्क टू रूल होता है, उत्पादन का नुकसान होता है। इसको आज हल करें, चाहे पांच साल बाद करें, चाहे दस साल बाद करें आपको नेशनल वेग पालिसी बनानी होगी, अगर आपको अच्छे ढंग से प्रशासन को ऊपर से लेकर पंचायत तक चलाना है। मैं निवेदन करूंगा आप इस पर भी जरूर विचार करें। तिवारी जैसे हिम्मती वित्त मंत्री हों तो निश्चित ही इसको क्रियान्वित किया जा सकता है।

अब मैं वित्त मंत्राजी का ध्यान भोपाल गैस त्रासदी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जिसमें अब मरने वालों की संख्या तीन हजार तक पहुंच गई है। आज भी लोग बराबर मर रहे हैं। बीमारियों की काम्प्लैक्शन बराबर बढ़ती जा रही है चाहे पीलिया हो, चाहे दिल की बीमारी हो या लंग्ज का हो, आज तो कैंसर के केस भी होने लग गये हैं। उनके पुनर्वास और उनके रिलीफ पर तीन वर्षों में आपने 55-56 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इतनी बड़ी त्रासदी है, दु:ख होता है कि केवल 56 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। प्रशासन में, राजनीति में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको यूनियन कार्बाइड से हमदर्दी है। वे इस प्रकार केस बनाते हैं कि केस कमजोर रहे और यूनियन कार्बाइड को मुआवजा न देना पड़े या कम देना पड़े। इस पर जरूर ध्यान दिया जाये। पर्यावरण के सुधार के लिए 4-5 करोड़ रुपये का काम हुआ है। वहां पर दोनों तालाब सड़ रहे हैं। महामारी भी फैल सकती है। उन तालाबों का सुधार करने की योजनायें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से एक अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किया जा सकता है। कोर्ट में केस चल रहा है, मुआवजे का पता नही कब तक मिले। जिला कोर्ट ने अभी अन्तरिम राहत की शक्ल में 350 करोड़ रुपये देने का फैसला दिया था। लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जायेगा, फिर अमेरिकन कोर्ट में वह लटकाने की कोशिश करेंगे। इस तरह हो सकता है कि मुआवजा इस पीढ़ी को नहीं मिले। कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को जो 350 करोड़ रुपये पीड़ितों को अन्तरिम राहत के रूप में देने को कहा है तो भारत सरकार को चाहिए कि वह स्वयं यह पैसा दे और जब अन्तिम फैसला हो तो उस पैसे में से अपने इस पैसे को काट ले।

गरीबी दूर करने के लिए बहुत-सी योजनायें बनाई गई हैं लेकिन मैं एक विशेष बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में अभी भी डेली रेटेड मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है। हमने कोशिश की है कि उनको मिनीमम वेजेज जो तय है वह मिले। लेकिन आप देश

[श्री के० एन० प्रधान]

में देखें कि इनको 20-25 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता और जो फिक्स रेट है वह भी नहीं मिलता, बल्कि 10 रुपये से ज्यादा नही मिलते। इससे उनको महीने में 200 रुपये मुश्किल से पड़ते हैं इस तरह से हम उनको गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकते हैं। इस पर आपको विचार करना होगा जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको क्या दैनिक मजदूरी दी जाए कि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाये.....

इसी तरह से वर्तमान बजट में कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। जिस देश को आज सबसे ज्यादा एनर्जी के कन्जर्वेशन की जरूरत है, यहां पर हर कोई उसी की बात कहता है परन्तु जिस सिस्टेमैटिक ढंग से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की मानसिकता इस ओर बननी चाहिए थी उसका सर्वथा अभाव है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस महत्वपूर्ण विषय पर भी ध्यान दें और एनर्जी के कन्जर्वेशन हेतु अधिक से अधिक व्यवस्था करें।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है और इस सदन में भी उसकी काफी चर्चा की जाती है परन्तु हमें आज यह देखकर बेहद अफसोस होता है कि जब भी अखबारों में कोई एडवर्टाइजमैंट निकलता है कि फलां पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं परन्तु उनके नीचे एक लाईन और लिखी होती है कि 10 रुपये का, 20 रुपये का या 40 रुपये का पोस्टल आर्डर भी भेजें। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता दें या न दें परन्तु मेहरबानी करके बेरोजगारों का खून चूसना तो बन्द कीजिए। मुझे आशा है कि आप इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

हमारे मध्य प्रदेश में वन बहुत अधिक हैं। वैसे तो फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बना हुआ है परन्तु अब उसमें काफी काम्पलीकेशन्स पैदा हो गयी हैं। हमारे कई गांव राजस्व में ट्रांसफर कर दिए गए हैं जब कि वे पहले वन क्षेत्र में आते थे। जमीनों के झगड़े आज भी मौजूद हैं, आज भी हजारों एकड़ जमीन पर आदिवासी लोगों का कब्जा है। वे उस पर खेती करते हैं, भ्रष्टाचार होता है और रिश्वत देनी पड़ती है। उन्हें कोई हटा नहीं सकता, वन भी नहीं लगा सकता। राज्यों के कई झगड़े यहां अटके पड़े हैं। उनका निपटान नहीं हो पा रहा है। जहां जहां ऐसे झगड़े हों, आप क्यों नहीं यहां से एक ज्वाइंट टीम भेज कर उन झगड़ों का निपटारा कराते। जंगल की जमीनों के झगड़े सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी हैं। जितनी जमीन उनके बसाने लायक उचित हो उनकी मजबूरी हो, उसको निकाल कर फैसला कर दीजिए। इसकी वजह से आपके कई प्रोजैक्टस अटके रह जाते हैं, क्योंकि कौरैस्पोन्डेंस में ही काफी समय निकल जाता है। प्रोजैक्ट्स के रुक जाने से उनका कास्ट बराबर बढ़ता जाता है।

इस बजट में एक और कमी है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस देश में आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ाना पड़ेगा। हर गांव के लिए सड़कें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जितना प्रोडक्शन होता है, यदि सरकार किसानों को उचित दाम, अच्छा मूल्य दिलाना चाहती है तो उस पैदावार को मार्केट तक लाना होगा, जिस के लिए सड़कों की आवश्यकता होगी। यदि आप हर गांव में अस्पताल नहीं खोल सकते परन्तु अस्पताल की सुविधा आम जनता तक पहुंचाने के लिए सड़कों की आवश्यकता से तो इंकार नहीं किया जा सकता। यदि आप सस्ते भाव पर आवश्यकता की चीजें दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सड़कें आवश्यक हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री जी सड़कों की तरफ विशेष ध्यान दें।

अंत में, यहां पर विदेशी कर्जों के सम्बन्ध में बहुत चर्चा की गयी और कहा गया कि हम विदेशों से बहुत कर्ज लेते हैं। कर्जा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं, हमारे पास पूंजों की कमी है। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री मोरार जी देसाई ने देश में गोल्ड कन्ट्रोल लागू किया था परन्तु वह हाफ-हार्टिडली था, अधूरा था। आज विभिन्न स्थानों पर लूटपाट की वजह से ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि सोने के प्रति हमारे देश की महिलाओं में जितना मोह पहले था, अब उसमें भारी कमी आयी है। अब इमीटेशन वे ज्यादा पहनती है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुये सरकार बीसवीं शताब्दी तक सोने के इस्तेमाल, सोने की बिक्री और उसके रखने पर पाबन्दा क्यों नहीं लगा देती। हम जानते हैं कि हमारे पास इतना सोना है कि आप एक नहीं दस पंचवर्षीय योजनाएं सफलता से चला सकते हैं। आप इक्कीसवीं सदी में उसे वापस देना शुरू कर दीजिए तो मैं समझता हूं कि आपको काफी पूंजी मिल सकती है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)** : सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर आधारित है। यह इसकी विशेषता है।

सामान्यत: इस वर्ष के बजट को किसानों का बजट कहा गया है। यह सच है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बजट में इस सत्य को माना गया है कि किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है। हमारी 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। लेकिन कुल घरेलू उत्पादों में कृषि का योगदान केवल 29 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है। जो भी सरकार भारत का विकास करना चाहती है वह निश्चित रूप से अपना ध्यान कृषि पर देगी। माननीय वित्त मंत्री ने प्रशंसनीय ढंग से वह काम किया है। इसलिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

अब हम अपने किसानों की मुख्य समस्याओं तथा उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर नजर डालेंगे। किसानों विशेषकर लघु और सीमांत कृषकों को हमेशा ऋण लेने की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह महसूस करने के बाद सरकार ने ऋण पर ब्याज दर को 1·5% से 2% तक घटा दिया है। इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण की सीमा भी बढ़ा दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी कुल दी जाने वाली ऋण राशि में से 17 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए देंगे। 1988-89 में किसानों को ऋण के रूप में 3000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे।

किसानों की दूसरी समस्या उर्वरकों और कीटनाशकों को उचित मूल्यों पर प्राप्त करना है। सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि उर्वरकों और कीटनाशकों के मामले में 7·5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है। इसी तरह जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण घाटा होता है उन्हें राहत तथा सहायता देने के लिए स्थायी रूप से प्रबन्ध किए जाएंगे।

*मूलत: मलयालम में दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो एक सराहनीय कदम उठाया गया है वह है राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत राशि की स्थापना करना।

लघु किसानों को किराए पर पम्प सैट देने की परियोजना, 'जलधारा' एक स्वागत योग्य कदम है। इसी तरह, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, जिनमें हरिजन भी शामिल हैं, के घरों में बिजली सप्लाई करने के लिए कुटीर ज्योति नाम की योजना बनाई गई है। यह एक आकर्षक योजना है। बजट का अन्य आकर्षक पहलू यह है कि गांवों में रहने वाली निर्धन जनता की झोंपड़ियों का निःशुल्क बीमा करने का प्रावधान रखा गया है।

कृषि क्षेत्र को ये कुछ रियायतें देने के साथ-साथ वित्त मंत्री ने आम आदमी के उपयोग में आने वाली बहुत सी मदों पर उत्पाद शुल्क में राहत दी है। उदाहरण के लिए चाय, काफी, चीनी, खाद्य तेल, माचिस, सीमेंट, बर्तन आदि।

इस तरह एक तरफ तो मंत्री महोदय ने आम आदमी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए उत्पादन के क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश किया गया है। कृषि क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश में 40 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने प्रत्यक्ष करों में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया है। आय कर में छूट की सीमा पिछले दो वर्षों से बढ़ायी नहीं गई है। इस तथ्य की उपेक्षा करने का कोई फायदा नहीं है कि इसका निश्चित आय वाले वर्गों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों को उन्हें चौथे वेतन आयोग द्वारा दिए गए लाभ का अधिकांश भाग आय-कर के रूप में देना पड़ा। इसी तरह कर्मचारियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता, जो उनके जीवन निर्वाह खर्च में वृद्धि को निष्प्रभावी करने के लिए दिया गया है, वह भी कर-योग्य है। अतः कर्मचारियों को वास्तव में बिल्कुल राहत नहीं मिलती। मैंने सभा में कई बार यह मांग की है कि महंगाई भत्ते पर कर में छूट दी जानी चाहिए। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर पुनर्विचार करे।

अब मैं उन कुछ समस्याओं के बारे में कहूंगा जिसका मेरे राज्य को सामना करना पड़ रहा है। बजट योजना विकास का मुख्य साधन है। यह सच है कि देश के सभी भागों में समान विकास नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन एक गंभीर समस्या है। इसका मुख्य कारण केन्द्र द्वारा पर्याप्त पूंजी निवेश का न होना है। इससे केरल में बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य में करीब 27 लाख लोग बेरोजगार हैं। इसका कारण यह है कि वहां उद्योग नहीं लगाए गए हैं। केरल में 'एल० डी० एफ' सरकार ने प्रति वर्ष 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है। सत्ता में आने के बाद इस वायदे के अनुसार उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया है। इस तरह उन्होंने केरल के युवकों और युवतियों के साथ विश्वासघात किया है। शायद बहुत लोग इस बात को नहीं जानते। लेकिन वह अलग बात है। मुख्य बात यह है कि केरल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यदि आप वहां बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि वहां केन्द्रीय क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश किया

जाए। सरकार के समक्ष बहुत सी योजनाएं लंबित पड़ी हैं जैसे एफ० ए० सी० टी० का आधुनिकरण करना; आई० टी० आई०; पालघाट, कोचीन परिशोधनशाला, कोचीन शिपयार्ड आदि का विकास करना आदि। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस समस्या की ओर अधिक सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाना चाहिए।

अगला मुद्दा बिजली के बारे में है। केरल को इस मामले में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि 1988 के मध्य तक राज्य में उद्योगों में 40 प्रतिशत बिजली की कटौती की जाएगी। बिजली की कमी से केरल की अर्थ-व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। हम केवल पन-बिजली पर निर्भर हैं और मानसून न आने से बिजली की भारी कमी हो गई है। केन्द्र सरकार ने इसे महसूस करने के बाद केरल में एक तापीय विद्युत इकाई की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। तथापि समाचार-पत्रों का कहना है कि इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजना सूची में शामिल नहीं किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अविलम्ब केरल में यह संयंत्र लगाने के लिए कदम उठाए।

इसी भांति, कुरियरकुट्टीकरापरा परियोजना; जिसे मूक घाटी परियोजना के स्थान पर वैकल्पिक परियोजना माना गया था, के निर्माण का प्रस्ताव अभी भी लटका पड़ा है। इसे भी अविलम्ब कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

महोदय, केरल को पिछले तीन वर्षों से भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में पेय जल की बहुत कमी है। सर्वाधिक पीड़ित क्षेत्र पालघाट जिला है। इस जिले में तथा विशेष रूप से इस जिले के आदिवासी क्षेत्र में पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक प्रौद्योगिकी मिशन की स्वीकृति दी है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं इस मिशन के लिए पालघाट की जनता की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब केरल को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा तब केन्द्र ने वहां सहायता दी। लेकिन केरल में एल० डी० एफ० सरकार की जनता को राहत देने में रुचि कम थी और राजनैतिक लाभ उठाने में अधिक रुचि थी। उन्होंने केन्द्रीय अध्ययन दल को सूखे से सम्बन्धित सही तथ्यों के बारे में नहीं बताया। ऐसा केन्द्र सरकार पर आरोप लगाने के लिए किया गया था। पालघाट में दूषित पानी पीने के कारण कई लोग मर गए। केरल में वर्तमान सरकार प्रभावित जनता को चिकित्सा सहायता भी नहीं उपलब्ध करा सकी; लेकिन उन्होंने ऐसा दिखावा किया मानो केन्द्र सरकार से मिलने वाली सारी सहायता और राहत कार्यक्रम उनकी अपनी उपलब्धि है। महोदय, केरल में पिछली सरकार आदिवासियों को नि:शुल्क राशन देती थी। वर्तमान एल० डी० एफ० सरकार ने वह भी बन्द कर दिया है। यदि किसी उपलब्धि का श्रेय उसे दिया जा सकता तो वह राजनैतिक हत्याओं के सम्बन्ध में है। केरल में कानून और व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि जनता के प्रतिनिधियों पर भी हमला किया गया है। विधायकों पर भी हमला किया गया है। इस स्थिति में आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। आर० एस० एस० और सी० पी० एम० के बीच बहुत गंभीर झड़पें हुई हैं। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद 48 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। मेरे जिले में आर० एस० एस० और सी० पी० एम० के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। पिछले पंचायत चुनावों में, कांग्रेस के नेतृत्व में, संयुक्त मोर्चे की भारी जीत हुई है यद्यपि सी० पी० एम० ने बहुत हेराफेरी की थी। इससे पता चलता है सी० पी० एम० को

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। यह एक ऐसा दल है जिसने कल भारत बंद का आयोजन किया था। महोदय, उन्हें बन्द का आयोजन करने का क्या अधिकार है। जब देश को इस शताब्दी में सबसे भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है, बन्द का आयोजन करना एक राष्ट्र-विरोधी काम है। जब श्री राजीव गांधी उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को भूखों मरने से बचा रहे हैं विपक्षी दल इसमें बाधा डालने के लिए बन्द का आयोजन कर रहे हैं। यह जनता के विरुद्ध है और जनता ने उनके बन्द के आह्वान की अवहेलना की है। हमें एक ही दिन में 750 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

पश्चिम बंगाल और केरल में वहां की सरकारों ने बन्द का समर्थन किया। केरल में सी० पी० एम० ने बड़े पैमाने पर हिंसा की। दूरदर्शन के महानिदेशक और अन्य अधिकारियों पर हमला किया गया। केरल के 100 वर्ष पुराने मलयालम मनोरमा नामक समाचारपत्र के प्रबन्ध सम्पादक पर सड़क के बीच मार्क्सवादी गुंडों द्वारा हमला किया गया तथा उनके वाहन को भारी क्षति पहुंचाई।

दूरदर्शन के निदेशक को पुलिस संरक्षण दिया गया था परन्तु जब उन्हें काफी बड़ी संख्या में सी० पी० एम० कार्यकर्त्ताओं ने घेर लिया तो पुलिस को हटा लिया गया तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिये सी० आर० पी० को बुलाना पड़ा। 85 प्रतिशत श्रमिक काम पर आये। परन्तु फैक्ट्री इमारत के अन्दर बहुत से श्रमिकों को बन्द कर दिया गया था तथा पिछली रात मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मुझे टेलीफोन आये कि मेरे यूनियन के काफी श्रमिकों को फैक्ट्री इमारत के अन्दर बंद कर दिया गया है। महोदय, बन्द पूरी तरह असफल रहा। जब बाहर बन्द असफल रहा तो विरोधी दल के लोग यहां आये और सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। मलयालम में एक कहावत है जिसका अर्थ है "बाहर से मार खाने के बाद घर अपनी मां पर गुस्सा उतारते हैं।" विरोधी दल के सदस्यों का भी यही हाल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस देश के लोग उन लोगों के साथ सही तरीके से निपटेंगे।

अन्त में, मैं यह अवश्य ही कहूंगा कि यह बजट प्रगति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। श्री राजीव गांधी की प्रगतिशील नीतियों को लागू करने का यह एक प्रभावी तरीका है। मैं एक बार फिर से इस बजट का समर्थन करता हूं।

4.55 म० प०

सदस्य की गिरफ्तारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि जहानाबाद के जिला पुलिस अधीक्षक का *15 मार्च, 1988 का निम्नलिखित टेलीप्रिंटर संदेश आज प्राप्त हुआ है :*

"आज 15-3-1988 को भारत बन्द के दौरान श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, संसद सदस्य को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन जहानाबाद शहर में गिरफ्तार किया *गया है।"*

4.55½ म० प०

सामान्य बजट, 1988-89—सामान्य चर्चा—[जारी]

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये बजट से सम्पूर्ण देश में इसके समर्थन में प्रतिक्रिया हुई है। वर्तमान शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने को दृष्टिगत रखते हुये यह एक स्वतंत्र एवं सही बजट प्रस्तुत किया गया है।

पिछले तीन वर्षों से देश के विभिन्न भागों में खराब मौसम तथा इस वर्ष के भयंकर सूखे के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था काफी ठीक रही है। इससे पता चलता है कि हमने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में लचीलापन तथा स्वतंत्रता हासिल की है। इसके लिये पिछले आठ वर्षों की कल्पनाशील अर्थ-व्यवस्था, योजना तथा प्रबन्ध को श्रेय जाता है। बुनियादी ढांचे तथा औद्योगिक क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ है। पिछले दो वर्षों में निर्यात स्थिति में भी काफी सुधार आया है तथा व्यापार घाटे में भी कमी आई है। विद्युत उत्पादन में भी काफी प्रगति हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को भी सीमित रखा गया है। अगर 1988-89 में अच्छी वर्षा होती है तो कृषि उत्पादन तथा सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में काफी प्रगति होगी।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्होंने कृषि तथा सिंचाई के लिये केन्द्रीय योजना परिव्यय में 40 प्रतिशत वृद्धि की है। इस संदर्भ में अधूरे सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग राज्य सरकारों को इस महत्वपूर्ण उद्देश्य पर ध्यान देने को कहें।

पिछले वर्षों में राजस्व में संतोषजनक वृद्धि हुई है। गैर-योजना व्यय में वृद्धि होने से चिन्ता पैदा हो गई है। इसीलिये, राज्य सरकारों को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना आवश्यक है जिसके जरिये सभी क्षेत्रों में गैर-नियोजित व्ययों में कटौती की जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिये कृषि को बढ़ावा देने के लिये काफी ज्यादा संख्या में विभिन्न प्रकार के एकमुश्त कल्याणकारी कार्यक्रमों पर बजट में जोर दिया गया है। इससे दो उद्देश्यों के प्राप्त होने की सम्भावना है :

(1) गरीबी दूर करने के विभिन्न कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने से जैसे ग्रामीण आवास कार्यक्रम, भूमिहीन श्रमिकों, हथकरघा मजदूरों, रिक्शाचालकों तथा अन्यों को बीमा में शामिल करने के लिये सामाजिक सुरक्षा कोष, इससे ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक प्रभाव को समर्थन देने के लिये लोगों की कुछ हद तक खरीद शक्ति बढ़ेगी।

(2) इसका आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा।

बजट में खासतौर पर ग्रामीण विकास, जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, निर्धन व्यक्तियों के लिये गांवों में रोजगार तथा स्व:रोजगार मुहैय्या करना, कृषि के लिये ऋण देना, संस्थानिक ढांचे को मजबूत करना तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की स्थिति में सुधार करना आदि पर जोर दिया गया है। अनाज तथा उर्वरक में राज-सहायता पर वृद्धि सही

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

दिशा में एक कदम है। तथापि हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह फायदा देश के सभी हिस्सों में बराबर का हो तथा देश के पूर्वी क्षेत्रों जैसे कृषि क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों में उर्वरक की आपूर्ति में सुधार हो। इस क्षेत्र में चावल तथा अन्य फसलों के उत्पादन में सुधार करने तथा इसे बढ़ाने के लिये इस सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। साथ ही साथ सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार करने को प्राथमिकता देनी होगी, फसल उगाने की पद्धति में भिन्नता लाकर हमें गैर-सिंचाई वाले क्षेत्रों पर भी ध्यान देना है। तिलहन के क्षेत्र में काफी सफलता हासिल कर ली गई है।

5.00 म० प०

कृषि ऋण पर ब्याज दर कम करने का निर्णय एक महत्त्वपूर्ण फैसला है जिससे लाखों छोटे तथा सीमान्त किसानों को फायदा होगा। इस संदर्भ में मैं यह आग्रह करूंगी कि देश के विभिन्न भागों में कमजोर सहकारी बैंकों तथा प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने को पुन: निर्धारित करने के लिये विशेष कार्यक्रम बनाने चाहियें। गांवों में बैंक की शाखाओं द्वारा सम्पूर्ण गांव के आस-पास का चहुंमुखी विकास करने में भूमिका निभाना भी एक स्वागतयोग्य कदम है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को सीधे ही धन मुहैय्या करने से किसानों को मदद मिलेगी। उर्वरक की कीमत में बिक्री के समय छूट देने से किसानों को काफी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत कोष की स्थापना पर वित्त मंत्री के सहमत हो जाने के लिये मैं उनका धन्यवाद करती हूं।

परन्तु इसकी रूपात्मकता राज्य सरकारों के साथ सलाह करके बनानी चाहिये ताकि कोष को जल्दी ही शुरू किया जा सके।

जलधारा योजना सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में सीमान्त किसानों की मदद करने के लिए एक नई योजना है। इसी प्रकार कुटीर ज्योति कार्यक्रम भी नया ही है इससे ग्रामीण व्यक्तियों, आदिवासी तथा हरिजन समेत सभी को एक-एक बिजली का सिंगल प्वाईंट कनेक्शन दिया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं। इससे ग्रामीण आवास बनाने में काफी मदद मिलेगी। भूमि विकास बैंकों की भूमिका अधिक विस्तृत करने से किसानों को आवास के लिये धन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बजट में 'हुडको' द्वारा इसी तरह की एक योजना बनाई गई है जिससे छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा मकान बनाने में सहायता मिलेगी। पर्यावरण सुधार के लिये 'हुडको' का नया कार्यक्रम स्वागतयोग्य है।

अग्नि से भूमिहीन श्रमिकों, कारीगरों तथा गांवों में निर्धन परिवारों को हुई क्षति से बचाने के लिये बीमा योजना का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण समुदाय के अत्यन्त शोचनीय लोगों को मदद मिलेगी। जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा कोष से कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों आदि को बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा।

छोटे कारीगरों तथा मजूरी पाने वालों के लिये नई फसल बीमा योजना सही मायनों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की परम्परा है।

एक और स्वागतयोग्य फैसला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम की स्थापना करना। लेकिन कुछ राज्यों में इस तरह के निगम पहले ही कार्य कर रहे हैं। अत: इस निगम को भी अन्य राज्यों में स्थापित ऐसे ही संस्थानों के साथ नजदीकी

सहयोग से कार्य करना होगा इससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में उद्यमियों की भावना बढ़ेगी।

लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना करने से छोटे उद्योगों के क्षेत्र की एक लम्बे समय से की जा रही मांग पूरी हो गई है। साथ ही साथ यह भी फैसला किया गया है कि 2.5 लाख रुपये तक की कार्यशील पूंजी निवेश वाले लघु उद्योग को एक ही स्थान पर सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। विदेशी मुद्रा ऋण पर विदेशी मुद्रा के प्रभाव से बचने के लिये, उद्योग के हित के लिए, एक नई योजना को लागू करने से उपकरणों के आयात करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री को आशा है कि उद्योग संतोषजनक रूप में कार्य करते रहेंगे—अगर उदार नीति को बराबर जारी रहने दिया जाए।

किसान विकास पत्र तथा इन्दिरा विकास पत्र में छूट देने से भी छोटी बचत को बढ़ावा मिलेगा।

इलैक्ट्रानिक मदों पर उत्पाद-शुल्क में कमी एक अच्छा कदम है कुछ वस्तुओं जिन पर अब तक उत्पाद शुल्क में छूट थी उन पर उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। इससे बहुत से बहुत कम लाभप्रद कम्पोनेंट उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि कृपा कर वे इस लेवी को हटाने पर विचार करें।

केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के सभी मुमकिन प्रयास करने होंगे कि विभिन्न मदों के तहत दी गई भारी रियायतें वास्तव में उपभोक्ताओं को पहुंचे और उद्योग ही इन्हें आंशिक रूप में या पूर्णतया न खा जायें। इसका एक उदाहरण है मानव निर्मित फाइबर उद्योग।

आधारभूत बुनियादी क्षेत्रों जैसे कि विद्युत, परिवहन तथा संचार के लिये आवंटन में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह भी स्वागतयोग्य कदम है। इसी तरह से कोयले के लिये 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। यद्यपि विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिये 32 प्रतिशत बढ़ा हुआ परि-व्यय है, देश की जरूरत को देखते हुये यह पर्याप्त नहीं है। मैं विदेश ऋण के पैकेज से मशीनों को आयात करने को प्रोत्साहित करने के लिये उदार नीति बनाने के लिये कहूंगी, ताकि बड़ी संख्या में विद्युत संयंत्रों को न सिर्फ राज्य क्षेत्र में ही स्थापित किया जाये अपितु संयुक्त तथा नीति क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए। केवल विद्युत का उत्पादन अधिक कर देने से ही हम देश में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने की आशा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देश में विद्युत उत्पादन की क्या स्थिति है। वित्त मंत्री इस पर भी विचार करें तथा तदनुसार इसके लिए ज्यादा आवंटन किया जाये। बजट में, सम्पूर्ण राजस्व प्राप्ति राशि 1534 करोड़ रुपये की है जिसमें 922 करोड़ रुपये की रियायतें दी गई हैं तथा इसके पश्चात् सकल राजस्व 614 करोड़ रुपये बचता है।

उत्पाद शुल्क की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अतिरिक्त भार खासतौर पर किसी पर अधिक नहीं पड़ा है। जबकि रियायतें उचित तरीके से काफी ज्यादा दी गई हैं। सबसे अधिक राजस्व विशेष उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है जिसे बुनियादी शुल्क के 5 प्रतिशत की दर से लगाया गया है और इस तरह की कुछ रियायतें दी गई हैं।

रंगीन टेलिविजन एयरकंडीशन, बड़ी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने पिछले दो वर्षों के बजटों की इस धारणा को बदल दिया है कि इस सरकार का अमीरों के प्रति नर्म रवैया था

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

इसके विपरीत घरेलू वस्तुओं, बर्तनों, खिलौनों और सीमेंट आदि पर राहत देने से शहरी मध्य वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

बजट में कुल मिलाकर विशेष रूप से समाज के असुरक्षित क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने के लिए कई नवीन और स्पष्ट प्रस्ताव दिये गये हैं बजट प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया के रूप में मैंने दो आलोचनाएँ देखी हैं एक तो बजट में पूरा न किया गया बड़ा घाटा तथा दूसरा निगमित क्षेत्र में कराधान में किसी तरह की राहत न दिया जाना। सारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए वित्त मंत्री के पास और कोई चारा नहीं था। बजट सम्बन्धी 7480 करोड़ रुपये का घाटा जो कि कुल व्यय का सिर्फ 9 प्रतिशत है, देश के सामने आई समस्याओं को देखते हुए, ये आंकड़े ठीक ही हैं। निगमित क्षेत्र को निर्धन व्यक्तियों पर ज्यादा ध्यान देकर देश के सम्पूर्ण विकास में सहयोग करना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र प्रत्यक्ष कर देने में सबसे अधिक योगदान करता है। मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षात्मक उपाय करेगी कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित सीमाओं में रखा जाये जो पूरे न किए गए इतने बड़े बजट घाटे के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री को बधाई देती हूं जिन्होंने पुरोगामी बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और देश में अधिकांश लोगों ने जिसकी प्रशंसा की है।

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में सभी तत्वों के लोगों का समुचित ध्यान रखा गया है। चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, कामगारों की बात हो, प्रैस वालों की बात हो या लघु उद्योगपतियों की बात हो सभी को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया गया है। यह अपने आप में अनुकरणीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मेनिफेस्टो को कांग्रेस ने चुनाव के पूर्व जनता के सामने रखा था और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों को ले कर जनता के बीच गयी थी। उन्हीं के क्रियान्वयन के रूप में यह बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है। यह निश्चित रूप से कांग्रेस के मूल्यों को प्रतिपादित करता है तथा देश के 75 से 80 फीसदी लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने वाला यह बजट है। यह हर दृष्टिकोण से स्वागत योग्य है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि अपना देश कृषि प्रधान देश है और यहां की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। आप यह भी जानते होंगे कि आजादी के पूर्व या जब हमें आजादी मिली तब हम केवल 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादनकरते थे। आज हमें बड़ा गर्व है जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि हम अगले दो वर्ष में 175 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे और देश को खाद्यान्न के मामले में राहत पहुंचाएंगे।

हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने इसे दिशाहीन बजट बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट इन्फ्लेशन पैदा करने वाला होगा। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने प्रतिपक्ष के भाइयों से यह जानना चाहता हूं कि इस बजट में जो इतना अधिक फायदा डायरेक्ट रूप से किसानों को दिया

गया है, जिससे हमारे देश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं तो क्या यह दिशा निर्देश नहीं करता, क्या इससे हमारी दिशा परिलक्षित नहीं होती ? मेरी पूरी मान्यता है कि यह बजट पूरी तौर पर समाजवादी बजट है। इस बजट की सभी लाइनें देश को ऊपर उठाने वाली हैं।

मैं इसको थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। यूरिया खाद के मूल्य में पर बोरा 8 रुपये 80 पैसे की कमी की गयी है। इससे निश्चित तौर पर हरित क्रांति को बल मिलेगा। फासफोरस खाद के मूल्य में भी कमी की गयी है। जो योजनाएं सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचाने वाली हैं उनको इस बजट में सम्मिलित किया गया है। जैसे मिडटर्म लोन को लोंगटर्म लोन कर दिया गया है और शार्टटर्म लोन को मिडटर्म लोन कर दिया गया है।

आप जानते हैं कि इस वर्ष देश में सूखे की स्थिति है। इस शताब्दी का सब से भयावह सूखा इस देश में पड़ा है और इस संदर्भ में यह बजट इसलिए भी सराहनीय है कि उन तमाम सिंचाई की योजनाओं के लिए जो कि अधूरी पड़ी थीं अतिरिक्त धनराशि जो कि लगभग 236 करोड़ रुपये होती है दे कर पूरा कराने की बात सोची जा रही है। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।

इसी प्रकार से अनेक बातें हैं जिन पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं कुछ ऐसी चीजों में जाऊंगा क्योंकि समय कम है जिससे, वास्तव में कुछ फायदा हो सके। माननीय मंत्री श्री पांजा जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यह जो बजट भाषण की औपचारिकताएं हैं इन औपचारिकताओं को कम करना चाहिए। अब समय आ गया है कि इनको हम कुछ व्यावहारिक रूप दें। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बजट से पूर्व इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और हर संसद-सदस्य, हर विधानसभा सदस्य और हर सक्रिय कार्यकर्ता को कान्फीडेंस में लेना चाहिए और व्यापक योजनाएं तथा व्यापक कार्यक्रम बनाने चाहिए, जो निश्चित तौर पर उसके क्षेत्र से संबंधित हों और उनके क्षेत्र में कुछ न कुछ काम निश्चिततौर पर हो। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी राज्यों में काम तो हो रहे हैं, लेकिन रीजनल इंबेलेंस की स्थिति पैदा हो रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस स्थिति को बदलने की चेष्टा करें। आप जानते हैं कि अगर विकास केवल महानगरों या शहरों तक सीमित रह जाएगा तो गांवों में बसने वाला यह देश कमी महसूस करेगा और इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमने बहुत सी रियायतें अपने देशवासियों को दी हैं लेकिन यह भी हकीकत है कि हिन्दुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर कर भी देशवासियों पर लगाए जाते हैं और यह एक तरह से आवश्यक भी है, देश की प्रगति के लिए भी यह आवश्यक है, लेकिन मेरी यह निश्चित मान्यता है कि हम उतने ही कर लगाएं जितने कर हम वसूल कर सकें। भारतवर्ष में दुनिया में सबसे अधिक कर लगते हैं और वसूल बहुत कम होते हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि हमें उतने ही कर लगाने चाहिए जितने कर बजट को सुदृढ़ करने और देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हों। हम कर लगाएं लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि उनकी वसूली भी ठीक प्रकार से होनी चाहिए, उसके लिए हर संभव तरीके अपनाए जाने चाहिए। आप जानते हैं कि आज के युग में कोई टैक्स देकर राजी नहीं है और न ही यह अच्छा माना जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों पर कर लगाएं और लोगों को व्यर्थ में तंग करें। मेरा निश्चित मत है कि हमें अपने संसाधन जुटाने के लिए बेशक कड़े कदम उठाने चाहिए, इससे हमें

[श्री लाल विजय प्रताप सिंह]

पीछे नहीं हटना चाहिए, कड़े कदम उठाकर टैक्स वसूल करने चाहिए, तथा जितने सुपर फ्लुअस टैक्स हैं वे समाप्त किये जाने चाहिए।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नान प्लान एक्सपेंडीचर हमारा 70 फीसदी है, उसको निश्चिततौर पर हमें कम करना चाहिए। इसके कोई अच्छे परिणाम देश के लिए निकलने वाले नहीं हैं। इसी तरह से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि रक्षा पंक्ति पर हम बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं, इसकी कास्ट इफेक्टिवनेस के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि हम रक्षा पक्तियों की आवश्यकताओं को हर कीमत पर पूरा करें। परन्तु इतना अवश्य देखें कि उनकी जो योजनाएं हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, वह ज्यादा खर्चीले न हों और उसका दायरा कुछ छोटा करने की बात हमें सोचनी होगी। आज के युग में हम निरस्त्रीकरण की बात कहते हैं। हमारा देश निरस्त्रीकरण में अग्रणीय है। हम यह चाहते हैं कि अपने देश में, अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त इसका ज्यादा जमाव न हो, जिससे हम एक उदाहरण सैट कर सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। किसी भी काम को यदि हम हाथ में लें तो पूरी तरह से उसका फायदा मिलना चाहिए। अभी अनेक प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो अधूरे हैं और जिनका हमें फायदा नहीं मिल रहा है और वह भी पूरी तरह बनाने की स्थिति में नहीं हैं। उनको पूरा करने के लिए जितना बजट हमारे पास है, उससे दुगुना बजट लगाना होगा। ऐसी स्थिति में हमें कुछ दायरा फिक्स करना होगा और कुछ चुने हुए प्रोजेक्ट्स को कम्पलीट करने की बात सोचनी चाहिए जिससे धन का सदुपयोग हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1988-89 के आम बजट का स्वागत करता हूं।

पिछले वर्ष पूरे देश में भयंकर सूखे की स्थिति व्याप्त थी। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 1987-88 के दौरान कृषि और सिंचाई परियोजनाओं के लिए और विभिन्न राहत उपायों के लिए 236 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आबंटित की है। मैं प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूं। इस वर्ष सिंचाई के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय भी 40 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं सरकार से सिंचाई उद्देश्यों के लिए ठीक प्रकार से इस धन को खर्च करने का अनुरोध करता हूं।

हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या किसानों की है। हमारे ग्रामीण लोगों का मुख्य आधार कृषि है और वे सूखे व बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहां तक कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कृषि को महत्व दिया था। तदनुसार, हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में मुख्य रूप में देश के किसानों के हितों को महत्व दिया है।

कृषि सम्बंधी उद्देश्यों के लिए ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को उदारता से ऋण दिया जा रहा है। इन ऋणों पर ब्याज की दर कम कर दी गई है। लेकिन ब्याज की दरों को कम कर देना ही

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर्याप्त नहीं है। सभी कृषि सम्बंधी ऋणों पर ब्याज की दर को कम करके केवल 8 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। अगर किसान ऋण वापिस नहीं दे पाता तो किसानों से लिए जाने वाले ब्याज पर या तो अतिरिक्त ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। वित्त मंत्री जी को हमारे निर्धन किसानों को दिए गए कृषि सम्बंधी ऋणों की वसूली के लिए किसानों से नाममात्र ब्याज दर लेने के लिए एक कार्यक्रम लाना चाहिए।

मैं पम्प सैटों पर उत्पाद शुल्क कम करने का भी स्वागत करता हूं।

कृषि के बाद बुनकरों का स्थान आता है। सरकार अब तक एक मीटर पर 2 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। अब इस बजट में सरकार ने एक मीटर पर 2 रुपये 75 पैसे आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार जनता साड़ियों पर भी आर्थिक सहायता दे रही है। केन्द्र सरकार इस आर्थिक सहायता को राज्य सरकार को देती है। और इसके बाद बुनकरों को सहकारी संस्थाओं द्वारा यह दी जाती है। बुनकरों से सामान को खरीदने से पहले केन्द्र सरकार यह आर्थिक सहायता राज्य सरकार को बुनकरों को देने के लिए देती है। इस बारे में दुःख की बात यह है कि बुनकरों के लिए दी गई आर्थिक सहायता उनमें नहीं बांटी जाती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र आमीयाकृप्पम, पालीपुटू और तिरुथानी में लगभग 60,000 बुनकर हैं। बुनकरों की 600 से 700 सोसाइटियां हैं। 85 लाख रुपये मूल्य की साड़ियां बुनकरों से खरीदने का प्रस्ताव था और केन्द्र सरकार से भण्डार के अनुरूप आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई थी। यद्यपि बाद में पैदा हुई कुछ समस्याओं के कारण, बुनकरों से 2½ लाख साड़ियां नहीं उठाई गई। केन्द्रीय सहकारी बैंक ने उन साड़ियों के उत्पादन के लिए बुनकरों को पैसा दिया था क्योंकि बुनकरों के पास साड़ियों का भण्डार जमा हो गया था और उन पर बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज की ऊंची दर तथा उस पर लगने वाले पैनल ब्याज की अदायगी का दबाव पड़ा। उनके परिवार बरबाद हो गये। वे ऋणग्रस्त हो गये थे। मैंने सरकार का ध्यान बुनकरों की इस वास्तविक समस्या की ओर दिलाया है। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में मैंने हिस्सा लिया था। मैंने बुनकरों को होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला था। मैं कपड़ा मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा से भी मिला था और इस बारे में एक ज्ञापन भी दिया था।

हमारे प्रधान मंत्री जी के सिद्धांत, दार्शनिकताएं, योजनाएं और कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन योजनाओं को लागू करते समय कुछ समस्याएं सामने आईं। इन समस्याओं को बिना देरी किये सुलझाया जाए।

अब मैं अपने देश के उद्योगों पर आता हूं। भारत में उद्योग ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। पंडित जवाहर लाल नेहरू भारतीय उद्योग के निर्माता थे। यद्यपि हमारे देश में बहुत सी बीमार इकाइयां हैं। उन्हें पुनरुज्जीवित करने के लिए अभी तक पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं। या तो सरकार को इन बीमार इकाइयों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए या इकाइयों को नीलाम कर देना चाहिए ताकि निजी उद्यमी उनको चला सकें। नीलामी करने से न केवल रुग्ण उद्योगों में लगी निष्क्रिय पूंजी से छुटकारा मिल जायेगा जिसका अनुमानित मूल्य 5000 करोड़ रुपये है बल्कि उनको विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पिछले तीन वर्षों से अर्थात जब से मैं संसद में आया हूं अपने उद्योग की इस विशेष समस्या की

[श्री आर० जीवरत्नम]

ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराता रहा हूं। मैंने इस बारे में संसद की सलाहकार समिति में भी इस का उल्लेख किया था। अभी तक इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

गैर-सरकारी किसी व्यक्ति को साधारणत: 5000 रुपये से 6000 रुपये तक ऋण दिया जाता है उस पर अत्याधिक ब्याज लिया जाता है। मैं रुग्ण इकाइयों में फंसे 5000 से 6000 करोड़ रुपये पर ब्याज की अदायगी की बात सोचकर कांप जाता हूं। इसलिए वित्त मंत्री जी को जैसा कि मैंने सुझाव दिया है उनके अनुसार इन रुग्ण इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले पाँच घंटे से इन्तजार कर रहा हूं। कृपया मुझे पाँच मिनट का समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे लोग भी इन्तजार कर रहे हैं।

श्री आर० जीवरत्नम् : मुझे भी समय चाहिए। किसानों के सम्बंध में ब्याज दर कम कर दी गयी है ऐसी रियायतें व्यापारी वर्ग को भी दी जानी चाहिए। सरकार को उनके लिए समान ब्याज दर 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत निर्धारित करनी चाहिए। आर्थिक विकास में व्यापारियों का योगदान भी कोई कम नहीं है। व्यापारी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वित्त मंत्री जी को व्यापारिक वर्ग को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों को कम करने की संभावनाओं का भी अवश्य पता लगाना चाहिए।

सावधि जमा पर विभिन्न दरों पर ब्याज दिये जाते हैं। मैं नहीं जानता भारतीय रिजंव बैंक ने इसकी अनुमति कैसे दी है। गरीब लोग 14%, 15% और 16% पर कम्पनियों में धन लगाते हैं और दो या तीन वर्षों बाद वे कम्पनियां ही नहीं रहती हैं। यह घटना तमिलनाडु में हुई है। सरकार और भारतीय रिजंव बैंक को इस मामले को देखना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अगला मुद्दा आयकर के बारें में है। सरकार ने वेतनभोगी लोगों के लिए मानक कटौती को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। सरकार को छोटे और मध्य स्तरीय व्यापारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो व्यापारी 16,000 या 20,000 आयकर के रूप में दे रहे हैं वे बड़े व्यापारी नहीं हो सकते। इसलिए, इन छोटे व्यापारियों के सम्बंध में आयकर सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

ग्रामीण विकास की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस गाँव में 10,000 की अबादी हो वहां ग्रामीण विकास बैंक खोले जाने चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि केवल गांव वालों को और स्थानीय लोगों को इन बैंकों में नौकरी दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विनियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।

हम आर०एल०ई०जी०पी० के अधीन हरिजनों को आवास के लिए धन दे रहे हैं। हमने उनको इसके लिए 10,000 रुपये दिये है। भवन सामग्री की लागत को देखते हुए यह राशि बहुत ही कम है। इस राशि में कम से कम 2000 रुपये की वृद्धि की जाए।

इसी तरह, सिगार व बीड़ी मजदूरों को घर बनाने के लिए ऋण दिया जाना चाहिए। यह ऋण लम्बे समय के लिए दिया जाना चाहिए और वसूली उचित किश्तों में ली जानी चाहिए।

भाषण समाप्त करते हुए मैं उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी देर तक मेरा भाषण सुना।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को वर्ष 1988-89 के ऐतिहासिक बजट के लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं।

इस बजट में खास तौर पर किसानों और गरीब कमजोर वर्गों को जो राहत दी गई है, सहायता प्रदान की गयी है, उसके लिए हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी भी बधाई के पात्र हैं। इस बजट में हर वर्ग के हित का ध्यान रखा गया है। ग्रामीण खेतिहर मजदूर, कमजोर वर्ग से लेकर रसोई के सामान, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वस्तुओं और दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं पर राहत प्रदान की गयी है। इस बजट से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रधान मंत्री जी ने गरीबों के साथ-साथ महिलाओं का भी ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, हमारे देश की भावी पीढ़ी, आज के बच्चों के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया है और उनके खिलौनों, गुड़ियों आदि पर भी राहत दी गयी है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। उसका कारण यह है कि खिलौने बच्चों का दिमाग विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, सहायक हैं।

मैंने स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर देखा है, इस बजट से किसान भाईयों को जो राहत मिली है, उसके कारण उनमें खुशी की लहर दौड़ गयी है और वे इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। खास तौर पर प्रधान मंत्री जी की इस घोषणा का सर्वत्र स्वागत किया जा रहा है अब किसानों से लिया जाने वाला ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा। हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों और समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने का जो वायदा किया था, निस्संदेह उन्होंने उस वायदे को पूरा किया है और किसानों को राहत प्रदान की है।

मान्यवर, किसानों की एक समस्या है। हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान गन्ना पैदा करते हैं, लेकिन उनका गन्ना आज भी खेत में खड़ा है, पिराई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। जैसे यहां भी मेरे एक भाई ने यह विषय उठाया था और कहा था, उनकी बात का समर्थन करते हुए मैं भी कहना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़ में भी गन्ना ज्यादा बोया जाता है, लेकिन उनको अपने गन्ने को फैक्ट्री में ले जाने की सुविधा नहीं है जिसके कारण आज भी उनका गन्ना खेतों में खड़ा है। मैं अपने वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि इस गन्ने को पिराई की सुविधा देने के लिए मेरे क्षेत्र अलीगढ़ में एक चीनी मिल लगाने की घोषणा की जाए क्योंकि मेरे इलाके में जो एक चीनी मिल है, वह एक किनारे पर है और मेरे क्षेत्र में एक टप्पल एरिया है, वहां गन्ना बहुत ज्यादा बोया जाता है। वहां से उस गन्ने को यदि चीनी मिल में ले जाया जाता है, तो वह बहुत दूर पड़ती है। इसलिए मैं आग्रह करती हूं कि एक चीनी मिल मेरे क्षेत्र में खोले जाने की घोषणा की जाए। ताकि जो किसान गन्ना पैदा करता है, उसको अपने गन्ने का सही मूल्य मिल सके।

[श्रीमती ऊषा रानी तोमर]

मान्यवर, जो बजट पेश किया गया है, उसकी सारे भारत में सराहना की जा रही है। मैं ज्यादा न कहकर इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से धन्यवाद देती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं।

श्री रामदेव राय (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित वित्त मंत्री जी द्वारा इस देश के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह निश्चित ही सराहनीय है और मैं भी उसका हृदय से स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, यह देश के लिए गौरव की बात है, इस देश के प्रधान मंत्री, जो इस देश के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने इस देश की गरीब जनता के साथ जो वायदा किया है, उसे वे आज संकल्प लेकर पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं और की है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह देश जो प्रजातांत्रिक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, यह धर्मनिर्पेक्ष है। और संकल्प का नाम भारत देश है। जहां संकल्प है, वही भारत देश है और संकल्प के साथ-साथ, उस संकल्प को पूरा करने की क्षमता रखने वाले का नाम राजीव गांधी है। इसलिए आज इस देश के गरीब लोगों के लिए और 80 करोड़ लोगों की जनआकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, उनकी इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखने वाले प्रधान मंत्री जी ने देश के हित के लिए काम किया है, किसानों के हित के लिए काम किया है। आज जो गरीब गांवों में बसते हैं, आज उनके दिलों में भी एक आशा बंधी है कि हमारे देश का नेता, हमारे देश का प्रधान मंत्री, हमें साथ लेकर, हमारा हमदर्द बनकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बजट प्रगतिशील और प्रभावकारी होते हुए, पूरी तरह से लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आधारित है। इसीलिए आज चारों तरफ से इसका स्वागत हो रहा है।

इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए, गांवों के विकास के लिए और लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए कितने ही काम यहां पर हो रहे हैं। मगर प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। बजट में कृषि के लिए, सिंचाई के लिए भरपूर व्यवस्था की गई है। किन्तु उपाध्यक्ष जी सूखे से हमारा देश जरजर हो गया है। हमारे बिहार में बाढ़ एवं वर्षा से भयंकर बर्बादी हुई और आज भी कुसमय में बरसात आ गई है। पहले वहां सूखा पड़ा। अभी हमारे उत्तरी बिहार में ओले की वर्षा हुई है और आज भी रबी की 75 फीसदी फसल का नुकसान हो गया है। हम जानते हैं कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। जहां सरकार कर सकती है, वहीं तो सरकार कार्य करे जैसे जहां वर्षा से पानी जमाव और बाढ़ की समस्याएं हैं, वहां आपको उन्हें रोकने के लिए और पानी विकास के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी जगहों में छोटी-छोटी नदियां निकालकर पानी का भण्डार बनाना होगा ताकि वह पानी नुकसान न करे और जब जरूरत हो, किसान जब सिंचाई करना चाहे, तब वह मिल सके। मगर आज सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

बिहार में 75 प्रतिशत ट्यूबवैल बेकार पड़ा हुआ है। कहीं 10 हजार, कहीं 20 हजार और कहीं 25 हजार रुपयों के लिए ही 50 प्रतिशत से अधिक नलकूप बेकार पड़े हुए हैं। कहीं मशीन और कहीं नाले के लिए नल-कूप बेकार पड़े हुए हैं। इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। बजट देखने से मुझे आशा बंधी है कि जो योजनाएं अधूरी हैं या जहां हर थोड़ी मरम्मत करने की जरूरत है, सरकार उसे पूरा करने की चेष्टा करेगी। मैं इस क्रम में बिहार के नलकूपों की ओर

सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार वहां पर सबसिडी से मदद कर के उनको चालू करवा दे।

सारे लोग अवगत हैं कि बिहार नदियों से भरा पड़ा है, वहां हर इलाके में कम-से-कम 5 नदियां बहती हैं और उनका पानी बाढ़ के बाद बेकार चला जाता है। आज उसके उपयोग की जरूरत है। आप जानते हैं कि नदियों के पानी से किसान को बहुत लाभ होता है, नदी के पानी के उपयोग में खर्च में भी कमी होती है और निश्चित रूप से इस की अपेक्षा वह उससे दुगुनी फसल उगाता है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि केन्द्र की तरफ से योजना चालू कर के नदी के पानी का उपयोग करा दे ताकि किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सके।

दूसरी ओर गरीबी की रेखा से हटाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे सामने आज बहुत बड़े बाधक हमारे बैंक और ब्लाक हैं। आज किसान को बैंकों और ब्लाकों का चक्कर काटना पड़ता है। उन्हें वहां पर रिश्वत देनी पड़ती है, इसके बावजूद भी समय पर उनको ऋण नहीं मिलता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस सूझबूझ से बजट पेश किया है और हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कार्यक्रम इसमें जोड़े हैं, उनसे लगता है कि इसमें अपेक्षित लाभ हो सकता है, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब तक गांव के किसान और मजदूर को बैंक और ब्लाक के चक्कर काटने पड़ेंगे तब तक उन्हें उनका पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि बैंक पर स्थानीय अधिकारियों का निश्चित रूप से दबाव रहे और उस पर अधिकार रहे. बैंक उनके मुताबिक काम करें। आज बैंक वाले वहां के अधिकारियों का ख्याल नहीं करते हैं उनके निर्देश तक का पालन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं वहां के जिलाधीश या उच्च अधिकारियों के आदेश का भी पालन नहीं करते हैं। आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर कौन अंकुश लगाएगा ? और किन के निर्देशन में वह काम करेंगे ? यही कारण है कि आज हमें जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है।

हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इसके तहत निश्चित रूप से गरीब के बच्चों को आशा बंधी है, वह भी अमीर के बच्चे के साथ उसी श्रेणी में बैठकर शिक्षा लेंगे। लेकिन आज वहां जो पढ़ाई की व्यवस्था है वह निस्संदेह हमें शंका में डाल देती है। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप यहां से ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाएं ताकि वहां की सरकार प्राथमिक शिक्षा पर जितना रुपया खर्च करती है उसे सही रूप में खर्च करे और उसके अनुकूल बच्चों को राहत दिलाए। अभी तक बच्चों को उससे लाभ नहीं हो रहा है और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आशा है आप इस पर अनुकूल ध्यान देंगे।

आज बिहार के सारे मजदूर पंजाब और बंगाल का ओर भाग रहे हैं और बिहार की खेती बेकार पड़ी हुई है इससे वहां के किसानों को काफी नुक्सान हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि आप वहां के मजदूरों के पलायन को रोकें। जो मजदूर वहां से पंजाब में जाते हैं वहां उनका शोषण होता है और जब वह वहां से वापिस आते हैं तो भयंकर बीमारी लेकर घर लौटते हैं, कुछ तो रास्ते में ही मर जाते हैं और कुछ घर आकर मर जाते हैं और कुछ घर पर आकर बेकार हो जाते हैं। इसलिए उन पर अंकुश लगाना होगा। आप राज्य स्तर पर उनका रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि वह किसी अन्य राज्य में न जाएं और अगर जायें तो उसके लिए सरकार का निर्देश प्राप्त हो।

[श्री राम देव राय]

हमारे यहां बहुत सारे रुग्ण मिल हैं, जिनको चालू कराने की जरूरत है, उससे वहां के हजारोंहजार लोगों को लाभ पहुंच सकता है। हमारे यहां समस्तीपुर में एक ठाकुर पेपर मिल है जिसे तुरन्त चालू कराने की आवश्यकता है। वहां सारी मशीन पड़ी हुई है और वह मिल बेकार पड़ा हुआ है सारी सम्पत्ति बेकार पड़ी हुई है और वह बर्बाद हो रही है लेकिन आज उस बन्द मिल को कोई खोलने वाला नहीं है। उत्तर बिहार एक गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका है, समस्तीपुर तो सदैव प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट होता है और ऊपर से आपकी व्यवस्था से भी उसे नुक्सान हो रहा है। वहां की जनता को भी उतना ही हक है, जितना अन्य जगहों की जनता को है। जितना बम्बई, कलकत्ता व मद्रास की जनता को हक है उतना ही समस्तीपुर की जनता को हक है। हमारे समस्तीपुर की जनता यह चाहती है कि वहां पर उद्योग धन्धे खुलें। हमारे यहां की अनेकों योजनायें वर्षों से लम्बित पड़ी हुई हैं। उसके कार्यान्वियन के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने निदेश दिया है ग्रेफाचर का कारखाना। लेकिन मालूम नहीं क्यों अभी तक उनका कार्यान्वियन नहीं हो रहा है। जब तक हम गांवों को उद्योगों से नहीं जोड़ेंगे तब तक गरीब लोग ऊपर नहीं उठ सकेंगे और उनको जो लाभ व हक मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकेगा। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस तरफ पूरा ध्यान दें।...(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अब मैं श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि को बोलने के लिए कहूंगा।

[**हिन्दी**]

श्री राम देव राय : मेरा आपसे यह निवेदन भी है कि आप छोटे वे गृह उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दें। आप जब तक काटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देंगे तब तक भारत कभी भी सम्पन्न राष्ट्र नहीं बन सकेगा। गरीबों व किसानों के इस बजट को आपने जिस तरह से पेश किया है उसी तरह से उसे कार्यान्वित भी कराना होगा और गांवों को अपने साथ जोड़ कर रखना होगा व गांवों के गरीब नौजवानों, किसानों मजदूरों को अपने साथ जोड़ कर रखना होगा। जैसे कि एक कहावत है कि नौजवान कभी बेईमान नहीं हो सकता है, वह झगडालू हो सकता है। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी नौजवान हैं। वह देश की बुराइयों, विपत्तियों और गरीबी से झगड़ा करेंगे। इसलिये इस देश की तमाम जनता जिन में भारतीयता व राष्ट्रीयता की भावना है, वह प्रधान मंत्री के कदम को चूमेगी व उसकी सराहना करेगी। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस तरह से अपने वायदों को पूरा किया है उससे हमारे देश के 80 करोड़ लोगों का फर्ज बन जाता है कि वह उनके कार्यों की सराहना करें व उनको सहयोग दें।.....(**व्यवधान**)....इसलिये जो लोग इस बजट की आलोचना करते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह प्रधान मंत्री जी द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करें। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और भारतीय गौरव का उपहास होगा।.....**व्यवधान**......**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : *बस। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।* इसका कोई अन्त नहीं है। मैं और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करती हूं। राष्ट्र के अर्थतंत्र ने इस वर्ष के अन्दाज पत्रीय दरख्वास्तों में एक नई चेतना का संचार अनुभव किया है। समाज के हर क्षेत्र का व्यक्ति इस अंदाज पत्र से प्रसन्न है और गरीब किसानों और दूसरों की वचनबद्धता का अहसास इस अंदाज पत्र से निश्चित हुआ है। मैं श्री तिवारी जी को इस कठिन भूमिका को बड़ी दक्षता से निभाने के लिए बधाई देती हूं। मैंने श्री तिवारी जी की भूमिका को कठिन इसलिए कहा कि इस साल करीब पूरा देश अभूतपूर्व सूखे के पंजे में फंसा रहा है। कुछ प्रान्त जो सूखे के प्रभाव से बचे थे वे बाढ़ के शिकार हुए हैं जिससे हमारे कृषि आधारित अर्थतन्त्र पर बड़ा विपरीत असर पड़ा है। आम तौर से भारत में एक और वित्त मंत्री जो माना जाता है वह है वर्षा। इस वर्ष ये दूसरे वित्त मंत्री रूठे रहे हैं और यही वजह थी कि श्री तिवारी जी का कार्य बड़ा कठिन हो चुका था। ऐसी कठिनाई के समय में राष्ट्र के अर्थतन्त्र को प्रगति की दिशा में सफलतापूर्वक ले जाते हुए समाज के सभी स्तरों को न्याय देना और खुश रखना कोई आसान काम नहीं था।

हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीब, भूमिहीन एवं छोटे किसानों का ख्याल इस अंदाज पत्र में बड़े रचनात्मक ढंग से रखा गया है हालांकि खाद के भाव में ज्यादा कटौती का प्रस्ताव था। किसानों के ऋण पर ब्याज की कटौती तो जरूर है मगर अपर्याप्त है। सूखे के त्रस्त किसान ज्यादा रियायत के अधिकारी हैं। मेरा नम्र सुझाव यह है कि जिस प्रदेश में लगातार तीसरा और चौथा सूखा पड़ा है उन प्रदेशों के किसानों को ब्याज से पूर्णतया मुक्त किया जाय। दो बीघा जमीन में पर्याप्त बीज एवं उर्वरक निःशुल्क दिया जाय, उनकी बिजली के बिल्स की वसूली बन्द रखी जाय, इन कदमों से सरकार को कोई खास नुकसान नहीं होगा किन्तु त्रस्त किसानों को बहुत राहत मिलेगी।

फिर भी किसानों के लिए बहुत से नये प्रोग्राम्स इस बजट में दिए गए हैं उनमें से "जलधारा" हर गांव तक पानी पहुंचाने का और "कुटीरज्योति" नाम की नई स्कीम के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब लोगों की झोंपड़ी में भी रोशनी आयेगी, इतना ही नहीं गांव में बैठकर गरीब आदमी रोजगार भी पा सकेंगे और शहर की ओर भागने की दौड़ कम हो जायेगी, यह योजना बहुत लाभदायक रहेगी। इसमें हमें बहुत सफलता मिलेगी।

कम खर्चीले मकान बनाने के लिए देश में विभिन्न किस्म की योजनाओं के माध्यम से मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों को सिर्फ 7 प्रतिशत की ब्याज दर से 22 वर्ष में भरपाई करने की योजना बहुत लाभदायक होगी।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि]

खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज एवं गांवों में कोआपरेटिव में बनी इलैक्ट्रॉनिक चीजों आदि में एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई है, इससे महात्मा गांधी जी के सपनों को बढ़ावा मिलेगा और हमारे प्रधान मंत्री जी का वायदा पूरा होगा।

एन०आर०ई०पी० एवं आर०एल०ई०जी०पी० में करीब एक मिलियन कुएं का प्रौजेक्ट बनाने का प्रावधान बजट में रखा गया है। हरिजन, आदिवासी और जनंलिस्टों के लिए इस बजट में कई योजनाएं दी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं यह सुझाव देती हूं कि नौकरी वाले वर्गों में जो छोटे-मोटे कर्मचारी होते हैं, आज की मंहगाई को ख्याल में रखकर जो मंहगाई भत्ता बढ़ा है उस भत्ते की रकम को टैक्स मुक्त करना चाहिए ताकि आम लोगों को जीने में आसानी हो सके व उनको राहत मिल सके, इससे छोटे-मोटे कर्मचारियों को रियायत मिलेगी।

हमारी वित्त मंत्री जी ने महिलाओं और बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। आज तिवारी जी ने महिलाओं को कुंकुम, काजल और सौभाग्य चिन्ह देकर महिलाओं का सम्मान और गौरव बढ़ाया है फिर भी इससे काम नहीं चलेगा। मैं उनका इस बात की ओर जरूर ध्यान दिलाऊंगी कि आज हमारे भारत की महिलाओं का सौभाग्य चिन्ह मंगलसूत्र शादी के बाद पवित्र बन्धन माना जाता है, आज उसके मोतियों पर 200 प्रतिशत (टका) ड्यूटी है जिसकी वजह से मोतियों की बहुत स्मगलिंग होती है और आम गरीब महिलाओं द्वारा मंगलसूत्र मंहगा होने की वजह से सिर्फ ख्वाब में ही पहना जा सकता है इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे वित्त मंत्री जी उस ड्यूटी को माफ करेंगे और हर महिला का मंगलसूत्र जीवन्त रखकर उनका आशीर्वाद पायेंगे।

आखिर में कपड़े पर ज्यादा ड्यूटी होने की वजह से आज टैक्सटाइल उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं और कई मिलें बन्द हो रही हैं। आज गुजरात में बहुत सारी मिलें बन्द हो गई हैं और इसका सीधा असर गरीबों के रोजगार पर पड़ रहा है और उनके लिए यह समस्या पैदा हो गई है इससे स्मगलिंग भी ज्यादा होती है। आप कपड़े पर ड्यूटी कम करें। इसपर गम्भीरता से सोचकर कपड़ा उद्योग में भी ड्यूटी कम करनी चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने सच्चा समाजवाद लाने के लिए जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं फिर एक बार बजट का समर्थन करके धन्यवाद देती हूं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस 1988-89 के बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट वास्तव में जनहित का है और पिछले वर्ष जो भयंकर सूखा पड़ा उससे जो जनता अत्यधिक प्रभावित हुई, कम से कम उसको इससे राहत मिली है। देहात में किसानों का यह एक बहुत अच्छा बजट है। माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

मैं जब इस बजट को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि जो राहत हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने दी है, उससे मेरी समझ में नहीं आया कि वे कितनी गहराई से सोचते हैं और कहां-कहां देखते हैं। किस तरीके से उन्होंने राहतें दी हैं और किस-किस वर्ग को राहत मिली है यह सचमुच प्रशंसनीय है। मैं एक किसान परिवार से आ रहा हूं और मैंने अपने क्षेत्र में जाकर देखा है कि इस बजट

का कितना स्वागत हुआ है, लोग कितने प्रसन्न हैं। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर से उनको बधाई दे रहा हूं।

जलधारा, कुटीरज्योति, गांव की आबादी के वातावरण को शुद्ध करना और कृषि विकास पत्र आदि ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिनसे किसान को बड़ा लाभ हो रहा है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से सुधरेगी। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और न अर्थशास्त्र का विद्यार्थी ही हूं और बहुत गहराई से इन आंकड़ों के जरिये अपनी बात को साबित नहीं कर सकता लेकिन मैं भारत की जनता, जहां से मैं आ रहा हूं और जिनके बीच में मैं काम करता हूं। मैं उनकी भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं कि वे कितने संतुष्ट हैं, कितना अपने आपको संरक्षित, प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं। बजट आने के पहले आम तौर पर लोग सांस साधकर बैठ जाते हैं कि जाने क्या होगा? इस भयंकर सूखे में जिस तरह से लोग झकझोर दिए गए थे, किसानों की पूरी खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी, वे सोच रहे थे कि इस बजट में जाने क्या हमारे ऊपर लाद दिया जाए लेकिन जब बजट पेश किया गया तो उनको बड़ी राहत मिली क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्सट्रा कर नहीं लगाया गया है।

इस बजट के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। विशेष रूप से हमारे कुछ विपक्ष के साथियों ने यहां जो विचार रखे हैं, मैंने देखा कि उन्होंने बजट को एज-ए होल नहीं देखा, कुछ चीजों को लेकर ही आलोचना शुरू कर दी। बजट में यह देखा जाना चाहिए कि उससे आखिर कौन से लोग प्रभावित होने जा रहे हैं, कौन सा वर्ग प्रभावित हो रहा है और उससे प्रभावित होने के बाद वे लोग कर देने लायक हैं या नहीं। इस सम्बन्ध के मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। कुछ लोग जो देख नहीं सकते थे उन्होंने एक हाथी को टटोल कर देखा और आपस में बात करने लगे। जिसने हाथी की सूंड छुई थी वह कहने लगा कि हाथी केले के तने की तरह होता है। जिसने हाथी का पैर छुआ वह कहने लगा कि हाथी तो खम्भे की तरह होता है। मैं समझता हूं उसी तरह से इन लोगों ने भी इस बजट को देखा है। यदि वे इस बजट को समग्र रूप में देखें तो उनकी समझ में आयेगा कि अपने किस्म का यह एक बहुत ही बढ़िया और उमदा बजट है।

मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। देहात से शहरों की तरफ लोगों का जो पलायन है वह एक चिन्ता की बात है। हमारे देश के 75 से 80 फीसदी लोग देहातों में ही रहते हैं। और जो लोग देहातों में रहते हैं उनमें 35 परसेन्ट लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से खेती से सम्बन्धित हैं या तो वे खेत मजदूरी करते हैं या उनकी अपनी खेती है। जब गांवों से शहरों की तरफ लोग जाते हैं तो उससे शहरों में समस्यायें बढ़ती हैं और गांव समाप्त हो रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसी योजनाएं जरूर होनी चाहिए जिनसे कि लोगों को गांवों में ही रोका जा सके। हम उनके लिए वहीं पर काम की व्यवस्था करें और उनको वहीं पर वह सुविधायें मोहैया करें जिनके लिए वे शहरों में आते हैं। इस तरह से शहरों की समस्याएं कम हो सकेंगी और स्लम्स भी खत्म हो सकेंगे। यदि देहातों में ही सुविधाएं मिल जायें तो लोग वहीं पर रहना पसन्द करेंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक बात तो यह है कि हर देहात को सड़क से जोड़ा जाए। राहत कार्यों के माध्यम से जो सड़कें देहातों में बनाई जाती हैं वह तो दो-चार साल में पानी बरसने के बाद खत्म हो जाती है। इसलिए कोई न कोई इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए कि राहत कार्यों के माध्यम से जो सड़कें वहां पर

[श्री भीष्म देव दुबे]

बनाई जाती हैं उनको पक्का बनाकर मुस्तकिल किया जा सके। आखिरकार उनको बनाने पर जो पैसा खर्च होता है वह इस देश का पैसा है फिर उनको टैम्पोरेरी तरीके से क्यों बनाया जाता है? इसी तरह से मेरा सुझाव है कि गांवों के लिए भी प्लानिंग होनी चाहिए कि वहां पर कैसे मकान बनें, किस तरह की गलियां हों। क्योंकि आगे एक समय आयेगा जब छोटे-छोटे गांव बड़े गांव बनेंगे और बड़े गांव शहर का रूप लेंगे। ऐसी स्थिति में वहां पर भी वही समस्याएं सामने आयेंगी। वहां पर भी स्लम्स दिखाई देंगे। इसलिए अभी से हम गांवों की प्लानिंग क्यों न करें कि वहां पर किस तरह से मकान बनें और कैसे रास्ते बनें। बहुत से गांवों में जो पीने का पानी दिया जाता है वह पानी की टंकी बनाकर नलों के द्वारा दिया जा रहा है लेकिन उसके बाद वहां पर कीचड़ हो जाने से रास्ता चलने लायक नहीं रहता है। इसलिए हमें अभी से सोचना चाहिए कि किस तरह से गांवों का विकास करें जिससे आगे चलकर वह समस्या वाले गांव न बनें।

6.00 म० प०

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आई०आर०डी०पी०, एन०आर०ई०पी०, आ०एल०ई०जी०पी०—यह क्रांतिकारी योजनाएं हैं लेकिन हम देखते हैं कि यहां से जो योजनायें बनकर जाती हैं नीचे, उनका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिलता है। इसका सही कार्यान्वयन आवश्यक है और मैं समझता हूं कि सही कार्यान्वयन के लिए यहां से एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो हर जिला स्तर पर हो और उसका अध्यक्ष जन-प्रतिनिधि हो और वह उसके इम्पलीमेंटेशन को देखें। हम लोग जन-प्रतिनिधि हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी होती है, हम दिल्ली में रहते हैं, हाउस के सैशन में लगे होते हैं और वहां जिला कमेटा की मीटिंग हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या निश्चय किए। इस तरह से जब तक हम लोगों का सीधा संबंध नहीं होगा, तब तक मुझे यह बात समझ में नहीं आती है।

एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, जहां से मैं चुनकर आया हूं। जैसे आज मुझे पीछे मौका मिला है अपनी बात प्रस्तुत करने का, उसी तरह से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका बुन्देलखंड है। अब मैं बुन्देलखंड की प्रगति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां सबसे ज्यादा सूखा आया और हम उस सूखे से निपटे।

उपाध्यक्ष महोदय : वाइन्ड-अप प्लीज।

श्री भीष्म देव दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, जितनी देर से मौका मिला है, उसमें मेरे प्वाइंट्स खो गए है, जितने बाकी हैं, मैं उन्हीं को कह देना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र बुन्देलखंड के बारे में बात कर रहा था। यह क्षेत्र पिछड़ा और अविकसित क्षेत्र है। यदि ऐसा कोई क्षेत्र है, तो वह उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड। प्रधान मंत्री जी से एक दिन मेरी बात हुई थी, उन्होंने यह विचार जाहिर किया था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को लेकर कोई ऐसी योजना बनाई जाए जहां इनका पूरा डवेलपमेंट हो। शायद आगे यह विचार में आए। लेकिन मेरा निवेदन है कि बुन्देलखंड के लिए केन्द्रीय आयोग बनाया जाए, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लिए बनाया जाता है। यहां पर सिंचाई के लिए यू०एन०डी०पी० का भी कार्यक्रम है, जिसमें पांच जिले बुन्देलखंड के और तीन जिले और जितनी सिंचाई की जानी चाहिए थी+ वे जिले हैं, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर,

जालौन तथा इलाहाबाद, बनारस और मिर्जापुर यह पहाड़ी इलाका है, इनकी सिंचाई के लिए यू०एन०डी०पी० का कार्यक्रम है। खैर, जब जल संसाधन मंत्रालय पर बहस होगी, तब मैं इसको विस्तार से कहूंगा। मेरा निवेदन है कि बुन्देलखण्ड के लिए सिंचाई का यू०एन०डी०पी० का कार्यक्रम है, इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। यहाँ पर अगर हम सिंचाई के साधन उपलब्ध करा देते हैं, तो जो आज हमारी खेती पूर्ण-रूपेण आसमान की बारिश पर निर्भर है, उसमें कम से कम तो स्थिरता आ जाएगी और कुछ तो हमें ताकत मिलेगी। ऐसे और भी बहुत से कार्यक्रम हैं, जो पड़े रहते हैं। जैसे बोर करके पानी निकालने की बात है, सिंचाई की सुविधा देने की बात है, लेकिन यह योजना आठ साल से पड़ी हुई है। यदि हम उस वक्त इस कार्यक्रम को पूरा कर देते तो आज बहुत कुछ सूखे से निपट सकते थे। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि जो स्कीम्स अधूरी पड़ी हुई हैं, पहले उनको पूरा किया जाएगा। हमारे यहां भी आधा दर्जन स्कीम्स पड़ी हुई हैं। जो उस वक्त उतने पैसे में पूरी हो जाती, लेकिन आज उनमें चौगुना पैसा लगेगा। उसकी तरफ ध्यान गया है, यह बड़ी प्रसन्नता और सन्तोष की बात है।

बांदा में फ्लोट-ग्लास-फैक्ट्री जो कि दो सौ करोड़ रुपये की योजना है, जिसको कायम किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक आश्चर्य की बात यह है कि फैक्ट्री तो बांदा में कायम की जा रही है, लेकिन उसके आफिसेस इलाहाबाद में खोले जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है, यह तो ऐसे हुआ कि जैसे यूनिवर्सिटी दिल्ली में खोली जाए और बोर्ड-हाउसिंग अमृतसर में बना दिया जाए। मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को कैसे लाभ मिलेगा और कैसे वे उससे सम्बद्ध हो सकेंगे। कम से कम जितने भी कार्यालय हैं, वे जनपद बांदा नगर में ही खोलने चाहिए, जिससे वहां के लोगों को फायदा हो।

देश की सबसे अधिक आवश्यकता उपज की है और देश की बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश लगाने की है। और ये दोनों चीजें अगर हम पेरेलल और समानांतर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी आगे आने वाली समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी।

उपज तभी हो सकेगी जब हम खेत को पानी दे सकेंगे और खेत को पानी देने के लिए जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनको हमें एकदम सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

राहत कार्य के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सूखे के राहत कार्य बन्द कर दिए गए हैं। सूखा जब होता है तो उसका असर दूसरे साल आता है, उसके अगले साल सूखे का असर होता है। अब जब सूखे का असर आ रहा है और सूखे के लोग प्रभावित हो रहे हैं तब राहत कार्य बंद कर दिये गये हैं। राहत कार्य एकदम से चला देने चाहिए ताकि जो सूखा बीत गया, उसकी विभीषिका से लोग अब बच सकें।

यह जो बजट आया है यह एक बहुत संतुलित बजट है और इसे ऐसी स्थिति में लाया गया है जिस स्थिति को सम्भाल पाना बहुत मुश्किल था। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

6.06 म० प०

आधे घण्टे की चर्चा

राष्ट्रीय बीज नीति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा का विषय लेंगे। श्री बाला साहिब विखे पाटिल बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष जी, मैंने अनस्टार्ड क्वेश्चन नं० 1783 के बारे में हाफ एन आवर डिस्कशन का नोटिस दिया है। यह क्वेश्चन नेशनल सीड पालिसी के बारे में था। इसका जवाब दिया गया कि हमारी कोई ऐसी नीति नहीं है और इसके लिए डिटेल्स भी नहीं दिये जा सकते। इसका सवाल भी नहीं है। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हम राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बना पाये हैं। जब कहीं नेशनल केलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, ड्राट, बाढ़, साइक्लोन आते हैं तो उसके लिए हमें सीड की जरूरत होती है। काश्तकार को इसकी जरूरत होती है। इस सीड के बारे में 1963 में नेशनल सीड कारपोरेशन एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन सरकार की रिपोर्ट में लिखा है कि उनका काम इतना सेटिसफेक्ट्री नहीं है। 85-86 में उनका प्रोडक्शन भी कम हुआ और केरी ओवर होने के कारण यह सब हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है शुद्ध सीड जिसका जरमीनेशन भी अच्छा हो, लोग क्यों नहीं लेते। बीजों की मिलावट होती है। अभी जो 16 जोन बनाये हैं, एग्रो क्लाईमेटिक कंडीशंज के साथ, क्योंकि अलग-अलग क्लाईमेटिक कंडीशंज के साथ उनके बीज की उपज और उनकी फसल अलग-अलग हो सकती है। खरीफ, रबी और बाकी के लिए भी हमें बीज चाहिए।

जब सूखा पड़ता है तो पहले बोया बीज सूख जाता है और फिर बोने के लिए रिप्लेसमेंट के लिए हंड्रेड परसेंट हमें सीड की जरूरत पड़ती है। जब किसान का सीड पूरा जरमिनेशन में नहीं होता तो उसकी पूरी फसल बर्बाद होती है और उत्पादन भी नहीं होता। जब बीज शुद्ध न हो तो सीड की डिजीज होती है। अभी वे डिजीज बढ़ रही हैं। मंत्री जी को पता है कि हरियाणा में गेहूं के बारे में क्या हो रहा है। बाजरे में भी डिजीज है और कपास की वही हालत है। एक तरफ किसान को रेम्युनरेटिव प्राइसिज नहीं मिल रही है दूसरी तरफ आपने बीज उत्पादन प्राइवेट लोगों को दे रखा है। सर्टिफाईड सीड की बात ऐसी होती है कि हम एक थैला सर्टिफाइड सीड का लेते हैं लेकिन वह सर्टिफाईड होते हुए भी धान होता है आयलसीड बिल्कुल नहीं होता और इसके कारण किसान को घाटा होता है। वह जो ऋण लेता है उसको वह वापस नहीं दे सकता।

जब तक आप उसकी राष्ट्रीय नीति के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं है। छठी योजना में आपने सीड प्रोग्राम को 61 करोड़ रुपया लगाया था। सातवीं योजना में अभी एकाध-दो करोड़ ज्यादा रुपया लगाया है। यह ठीक नहीं है। जो नेशनल सीड कारपोरेशन या फार्मिंग कारपोरेशन जगह-जगह लगे हैं उनके हिसाब से सीड का पैदावार नहीं होता है। कुछ

प्राइवेट लोगों ने भी लगा कर रखे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में ध्यान दें और सीड के बारे में अच्छे प्रोग्राम बनाएं। आप कह देंगे कि इस प्रोग्राम का विषय तो राज्य सरकारों का है, इस बारे में हम दखल नहीं दे सकते। जब हमारा आठ लाख टन तक उत्पादन घटा है और हम 175 मिलियन टन का लक्ष्य रखने जा रहे हैं यह किस हिसाब से करने जा रहे हैं। उत्पादन के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। उसके लिए नेशनल सीड पालिसी होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्टेट और सेंटर में कोआर्डिनेशन होना चाहिए। आई०सी०ए०आर० रिसर्च करता है, लेकिन अब जेनेटिक साइन्स बढ़ रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग न हो, टिशू कल्चर की जरूरत है, इसके लिए कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। इस बारे में बड़ी-बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन किसान को कोई फायदा नहीं हो पाता। एक किताब किसानों से लिए निकलती है "वेरायटीज आफ सीड्स" लेकिन इस किताब का किसानों को पता ही नहीं है और न ही यह किताब किसानों को मिल पाती है। सीड सप्लाइ से बारे में आपको अपनी राय बदलनी पड़ेगी। जब अकाल होता है, सूखा होता है तब हंडरेड परसेंट सीड सप्लीमेंट करना पड़ता है, ऐसे समय में गोडाउन में सीड नहीं होगा तो कैसे काम होगा। दूसरी बात ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है जिससे सीड बेकार हो जाता है या उसमें कीड़ा लग जाता है। इसी तरह से जहां बारिश ज्यादा होती है वहां बारिश के बाद सीड सप्लाई होता है, वहां पर भी कोल्ड स्टोरेज न होने से उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाता है। इन बातों का शिकार किसान होता है और वह भी छोटा किसान ज्यादा नुकसान में रहता है।

इसी तरह से कीमत का भी सवाल हो, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, मल्टीपल सीड, इनकी कीमत मनमाने ढंग से ली जाती है। स्टेट और नेशनल सीड्स कार्पोरेशंस में किसानों का शोषण होता है। जब यहां पर सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है कि यह राज्य सरकार का मामला है। बीज महाराष्ट्र से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से आता है, इसलिए राज्य सरकारों को इसको देखना चाहिए। आप एग्रो क्लाईमेटिक रीजनल जोन के मुताबिक बीज नहीं बनायेंगे, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं करेंगे, नेशनल सीड पालिसी नहीं बनायेंगे तो कैसे काम चलेगा। वर्षा से पहले जब आप सीड सप्लाई नहीं करेंगे तो वह समय पर उगेगा नहीं, उगेगा तो फसल अच्छी नहीं आएगी। इसलिए वर्षा से पहले सीड सप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अभी हमारे यहां लहसुन का बीज बोया गया, लेकिन एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। इसी तरह से अब सोनेलिक गेहूं की फसल के लिए बीज लेते हैं तो ड्राप वेरायटी की उपज होती है और एडल्ट्रेशन की वजह से मिक्स क्राप हो जाती है। एडल्ट्रेशन को भी सख्ती से रोका जाना चाहिए। इस बारे में राज्य सरकारों को कहा गया है, लेकिन इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सीड कार्पोरेशन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मेरा यह कहना है कि जब तक ठीक से कोल्ड स्टोरेज का प्रबंध नहीं होगा तब तक शुद्ध बीज किसानों को नहीं मिल सकता। इस बारे में स्टेट और सेंटर में कोआर्डिनेशन होना चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रीय बीज नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है अगर एग्रीकल्चर का उत्पादन ठीक तरह से नहीं होगा तो देश की इकानमी ठीक नहीं रह सकती, किसान ठीक नहीं रह सकता। देहात में जो उपभोक्ता है, उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोई न कोई राष्ट्रीय नीति इस बारे में अवश्य बनाई जानी चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, पाटिल साहब ने कुछ सुझाव रखे हैं और इन्होंने पहले अपने सवाल में पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार कोई नई राष्ट्रीय बीज नीति बनाने जा रही है, तब इसका जवाब दिया गया था "नहीं", इसका मतलब यह है कि जब पहले से नीति है, तब नई नीति शुरू करने की बात ही नहीं आती।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था, उस समय देश में कितना उत्पादन होता था। उस वक्त 5 करोड़ 10 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था। यह बीजों की मेहरबानी है, नए किस्म के बीज सरकार ने किसान को दिए और यहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां बनीं, आई सी आर में वैज्ञानिकों ने इस पर रिसंच किया। इसका हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ा भारी शोध किया और शोध करके अच्छे बीज किसानों को दिए। उसी की मेहरबानी है कि आज मुल्क में 15 करोड़ टन अनाज पैदा होने लगा है, अच्छे बीजों की वजह से ही तीन गुना ज्यादा अनाज पैदा होने लगा है। प्रधान मंत्री जी ने खासतौर से एग्रीकल्चर में बड़ी रूचि ली है। देश में क्लाइमेटिकली जोन हमने स्थापित किए ताकि लोगों को हम आबोहवा के हिसाब से पूरी जानकारी दे सकें कि कौन सी फसल इस इलाके में आपको बोनी चाहिए, किस समय पर बोनी चाहिए और कौन सा बीज डालना चाहिए तथा कितनी खाद उसमें डालनी चाहिए। सारी जानकारी हम किसानों को देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और किसानों की हालत में सुधार भी हो सके। इन्होंने कहा कि बीज ठीक नहीं हैं। हमने बाकायदा कानून में संशोधन करके एक्ट बनाया है कि अगर कहीं भी कोई बीज में मिलावट करता है, बीज ठीक नहीं है तो उसको एक हजार रुपये से लेकर छह महीने तक की सजा मिल सकती है। बाकायदा टैस्टिंग लैबारटरी मुल्क में बनी हुई हैं ताकि सैम्पल भरकर टैस्ट करें जिससे कोई आदमी मिलावटी बीज न दे सके। जो सर्टिफाइड सीड होता है उस पर बाकायदा मोहर लगी होती है। उस मोहर को किसान को देखना चाहिए कि वह सर्टिफाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो किसान को नहीं लेना चाहिए। इस बारे में समय-समय पर बाकायदा किसानों को बताया जाता है। हमारे नेशनल सीड्स फार्म हैं और राज्यों ने भी अपने सीड फार्म बनाए हुए हैं। लेकिन जितनी मुल्क को जरूरत है उतना बीज तैयार करके हम किसानों को नहीं दे पाते इसलिए टोटल से करीब 42 परसेंट ही देते हैं। बाकी किसानों को सरकार फाउंडेशन सीड्स देती है, चार दफा उसको चैक किया जाता है। भारत सरकार देती है तो भारत सरकार करती है और राज्य सरकार देती है तो राज्य सरकार करती है। फूल आने पर, फल आने पर, पकने पर और कटाई के समय यह देखा जाता है कि क्या इस बीज में कोई बीमारी तो नहीं लग गई। क्या यह हमारे स्तर के मुताबिक है या नहीं। बाकायदा प्रोसेस करके, सर्टिफ़ाई करके अगर कंडीशन पूरी करता है तब उसको बेचने की इजाजत देते हैं। 19 लाख टन के करीब हम सीड पैदा करते हैं और 56 लाख क्विंटल सीड सारे मुल्क में हमने बांटा है। यह ठीक है कि बीजों की कमी है। दो-तीन साल से सूखा पड़ने की वजह से दालों और तिलहन की कमी है। गुजरात और राजस्थान ऐसे प्रान्त हैं जहां बाजरे का सीड बनता है। दालें और तिलहन भी उस एरिया में ज्यादा पैदा होते हैं। सूखे की वजह से हमें काफी दिक्कत आई है। फिर भी कोशिश करते हैं किसानों को पूरा सीड मिले। प्राईवेट लोगों का ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी न कर पाएं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : डिसीज्ड सीड मिलते हैं।

श्री भजन लाल : बाकायदा प्रोसेस करके, टैस्ट करके बाद में किसानों को देते हैं। देने से पहले बाकायदा टैस्ट करते हैं कि किसी प्रकार का कोई कीटाणु न हो जिससे किसान को बीज उगाने में

कोई किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इन्होंने समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए यह भी कहा। सरकार ने बाकायदा समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है और इसके लिए एक कमेटी बनाई है वह पूरी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से किसानों को समय पर बीज पहुंच सकें और किसी प्रकार की शिकायत उनको न हो इसका अध्यक्ष एक वैज्ञानिक को बनाया गया है। आपने कीमत के बारे में भी कहा। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं गेहूं का बीज सरकार के घर में 465 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता है और किसान को वह 425 रुपये प्रति क्विंटल देती है। इसी तरह से पैडी का बीज भी 465 रुपये प्रति क्विंटल सरकार को घर में पड़ता है और 425 रुपये प्रति क्विंटल किसान को देती है। वह घाटा स्वयं खाकर किसान को सही भाव पर बीज देती है। जबकि आपने कहा था कि सरकार पर्चेज किसान से सस्ता करती है और उसे बीज महंगा बेचती है, ऐसी बात नहीं है। जनरल क्रोप के मुकाबले में इसका ईल्ड बहुत कम होता है उसको सम्भालना पड़ता है, खाद, पानी ज्यादा देना पड़ता है। आपने कोल्ड स्टोरेज की बात कही। इनका होना जरूरी है इसके लिए हमने एक मीटिंग की है और हम कोशिश करेंगे कि बीज को इस तरह से सम्भाल कर रखा जाये कि एक प्रतिशत भी सौ प्रतिशत में से ऐसा बीज न हो जिससे जर्मिनेशन न हो। जैसा सीड आज है वैसा ही 6 महीने के बाद किसान को मिले और उसे शिकायत का मौका न मिले, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। किसानों को समय पर बीज देने की पूरी व्यवस्था है, इसकी कोई शिकायत मिले तो भारत सरकार को लिख कर दें हम जरूर कार्यवाही करेंगे। आपने लहसुन के बीज के बारे में भी कहा कि इसका जर्मिनेशन नहीं हुआ, आप लिखकर दें, हम जरूर कार्यवाही करेंगे। किसान देश की राढ़ की हड्डी है। सरकार चाहती है कि उसे समय पर पानी, बिजली, अच्छी खाद और अच्छा बीज मिले। हम किसानों को पूरी मदद आपके सहयोग से देंगे ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, हमें सरकार के इरादों पर शक नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा है कि नीति तो है परन्तु कमी यह है कि इस नीति को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जब सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तब किसानों को नकली और मिलावटी बीज बेचे जाते हैं और प्रजनक, फाऊंडेशन बीज, सर्टीफाइड बीज और दूसरे ये बीज उपलब्ध नहीं होते हैं। माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रजनक और उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हैं और क्या फाऊंडेशन बीज राज्यों को भेजे गये हैं? जब तक राज्यों द्वारा इसको सबसे निचले स्तर पर कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक इरादे पूरे नहीं होंगे। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि कुछ राज्यों में किसानों को नकली बीज दिये गए हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में, हमारा लक्ष्य यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 175 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाना चाहिए और इस लक्ष्य के लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहियें। निस्संदेह, माननीय कृषि मंत्री द्वारा उठाये गये कदमों के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वह यह देखने के लिए कठोर प्रयास कर रहे हैं कि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। परन्तु साधारणतया यह महत्वकांक्षी हो सकता है क्योंकि जल और उर्वरक के अतिरिक्त—दूसरी चीजों की तो बात ही छोड़िए—बीज ही मुख्य चीज है। जब किसान को आवश्यकता पड़ने पर, उचित दाम पर यह चीज नहीं मिल पाती है तो लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे सम्पन्नों का विकास कर लिया है जिन पर नमी का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अच्छी किस्मों के

[श्री सोमनाथ रथ]

बीजों का विकास किया गया है। समस्या यह नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक ने उन्नति नहीं की है परन्तु समस्या इसके परिणाम किसान तक पहुंचाने की है। हमारे यहां कृषि सम्बन्धी ग्राम सेवक है। विश्व बैंक इसके लिए एक ही बार में धन नहीं देता है। जब तक राज्य स्तर पर ग्राम सेवक कृषि विभाग के साथ रहते हैं; और खंड विकास अधिकारियों के साथ नहीं रहते हैं तो ग्राम सेवकों को आवश्यक रूप से कम से कम एक सप्ताह में चार दिन गांवों में जाना चाहिए। वास्तव में ये गांवों में नहीं जाते हैं। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करनी होगी। जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी कहा है, किसानों को शिक्षित करने के लिए तेजी से कदम उठाये जाने चाहिये।

किसानों को सिर्फ ग्राम सेवकों अर्थात् कृषि विभाग अधिकारियों के माध्यम से ही शिक्षित किया जा सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है और जब तक बीजों को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं भेजा जाता तब तक लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। सिर्फ राष्ट्रीय बीज निगम ही नहीं, परन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि राज्य सरकारें भी फाऊंडेशन और सर्टीफाईड बीज बना सके। यदि किसी अन्य राज्य में बीजों की कमी है तो बीजों को लाने ले जाने पर कोई नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में देखना चाहिए। यदि इन कार्यों को कुशलता से किया जाता है तो सिर्फ तभी उत्पादन में वृद्धि होगी और सूखे तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में, किसान की सहायता की जा सकती है और उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, निश्चित तौर पर यह एक वहुत कठिन कार्य है। इसके बारे में सिर्फ बातें करने से ही काम नहीं चलेगा। इसको कार्यान्वित किवा जाना चाहिए। जवाब यह है कि इसको निष्ठा और ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मंत्री को दूसरे मंत्रियों के साथ मिलकर बैठक में इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, विभिन्न राज्यों से इस सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त की जानी चाहियें और तभी उनको यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि इसको कितने अच्छे ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय का ख्याल रखते हुए माननीय मंत्री जी से एक-दो महत्वपूर्ण प्वाइंटस पर ही क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि चाहे फाउन्डेशन सीड का प्रश्न हो, या सर्टिफाईड सीड का सवाल हो, देश में सभी तरह के बीजों की कमी है। लेकिन दूसरी ओर नेशनल सीड कार्पोरेशन ने अपनी एनूअल रिपोर्ट वर्ष 1985-86 में यह कहा है कि 1·35 लाख क्विंटल व्हीट का बीज बेचा न जा सका इसलिए उन्होंने उसे नॉन-सीड के रूप में ओपन मार्केट में कम्पीटीटीव रेट पर बेच दिया। उस व्हीट बीज़ को कम्पटीटीव रेट पर बेचे जाने से सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा। एक ओर तो हमारे देश में सटिफाइड सीड की कमी है, फाउन्डेशन सीड और सर्टिफाइड सीड उपलब्ध नहीं है, दूसरी ओर यदि नेशनल सीड कार्पोरेशन कई लाख रुपये का बीज नुकसान उठाकर, सर्टिफाइड बीज को नॉन-सर्टिफाइड सीड के रूप में बेच दे तो वह हमारे लिए विचारणीय विषय है। मैं चाहूंगा कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ, मंत्री जी स्पष्ट करें।

दूसरे जहां तक व्हीट और पैडी की बात है, हमारे देश में कई कार्पोरेशन, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और इंसटीट्यूशन्स किसानों को सर्टिफाइड सीड या हाई ब्रीडिंग वैराइटी उपलब्ध करा

रहे है लेकिन इसके अलावा पल्सेज और ऑयलसीडस की भी इस देश में भारी कमी है। अखबारों के माध्यम से हमें बराबर जानकारी मिलती रहती है कि सन फ्लावर जैसा बड़े महत्व का ऑयल स्रोत न तो हमारे देश में जरूरत-भर के लिए उपलब्ध है और न समय पर मिल पाता है। इसके लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार ग्रीन मैन्यौर के लिए भी, जैसे जन्तर है, ढेंचा है, जो हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं, की भी कमी इस देश में है। हम चाहते हैं कि हमारे खेत फ्यूटाइल न हों, खराब न हों क्योंकि कैमिकल फर्टिलाइजर्स डालने से उनकी उर्वरा शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। इसलिए ग्रीन मैन्यौर के सम्बन्ध में आपके कार्पोरेशन की क्या पौलिसी है, सरकार का क्या विचार हैं, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालें कि वह कैसे ग्रीन मैन्यौर किसानों को समय पर सप्लाई कराने की व्यवस्था कर रहे हैं।

इसके अलावा 1983 में 10 हजार क्विटल बाजरे का सड़ा-गला बीज यू० पी० और राजस्थान सरकार के राज्यों को नैशनल सीड कार्पोरेशन ने सप्लाई किया था या किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया था या किसने किया था, यह मैं जानना चाहता हूं और उसके खिलाफ मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की या नहीं ?

मान्यवर, अभी हाल की, ताजा खबर है, तीन-चार महीने पहले, बिस्कोमान ने जो बिहार में बीज सप्लाई किया था और जिसको लगभग ढाई लाख हैक्टेयर जमीन पर बोया गया था, उसमें जर्मीनेशन हुआ ही नहीं। उनकी सारी पूंजी, उनका सारा श्रम नष्ट हो गया। मैं जानना चाहूंगा कि वह सीड किसने सप्लाई किया था, कहां से किसानों के पास पहुंचा और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई।

इसके अलावा मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में व्यवस्था है मनी बैंक गारंटी की, मगर इस तरह से बीज न जमें, न उगें, न पैदावार दें, तो किसानों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत कितने लोगों ने लाभ उठाया है ? क्या इस देश में एक प्रतिशत लोग भी इसका फ़ायदा न उठा सके, यदि ऐसा है, तो क्या इसका कारण यह नहीं है कि इस मनी बैंक गारंटी कानून की क्लॉज ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है या फिर किसानों को इसकी जानकारी ही नहीं है या कौन से कारण हैं, इतना जबर्दस्त नुकसान उठाने के बावजूद किसानों को उनके दामों का रीइम्बर्समेंट क्यों नहीं किया गया है ?

मान्यवर, इसी के साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है और वह यह है कि इन्होंने जहां भी संस्थाएं बनाई हैं, कायम की हैं वे इतनी दूर हैं कि वहां से सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है और समय पर बीज इसी कारण नहीं मिल पाता है। आज सारा सदन इस बात को जानता है और हमारे माननीय सदस्य ने भी कहा है, हम सब इस बात से अवगत हैं, हम सब किसान हैं, कभी भी समय से बीज इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि सेंटर 300 या 400 किलोमीटर दूर बने हुए हैं। क्यों नहीं आप सर्टीफाइड सीड को उगाने के लिए, 10 गांवों के बीच में एक सेंटर बनाएं और किसानों को ही यह काम करने दें, वे ही बोएं, वे ही सप्लाई करें। इससे आपके कैरिएज के चार्ज भी बचेंगे और जो तमाम तरह का करप्शन इसमें होता है, वह भी नहीं होगा। क्या ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करोड़ों किसानों के हितों को देखते हुए करना चाहेंगे ?

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर खत्म करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं समय बहुत हो गया है। मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने कहा, जो लोग स्पूरियस सीड सप्लाई करेंगे, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, उनको दण्ड दिया जाएगा। यह सभी को पता है कि बिहार में जो पिछली बाढ़ आई, वह डेढ़ सौ सालों में अभूतपूर्व बाढ़ थी। ऐसी बाढ़ पहले आई नहीं थी। लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, सभी चीजें चली गई। फिर केन्द्र सरकार ने राज्य को सहायता दी और राज्य सरकार ने बिस्कोमान को स्पूरियस सीड दिए या राज्य सरकार ने बिस्कोमान को पैसा दिया और बिस्कोमान ने स्पूरियस सीड दिए जिनका जर्मीनेशन नहीं हुआ और 50 लाख मार्जिनल फार्मर्स तबाह हो गए। उन्होंने खाद भी दी, दूसरे इनपुट्स भी लगाए और रबी की फसल तो हुई ही नहीं, खरीफ की फसल भी नहीं हुई। लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। रबी की फसल तो केवल एक ही कारण से खराब हुई और वह कारण है स्पूरियस सीड, इसी की वजह से रबी की फसल नहीं हुई। इसमें करोड़ों का घपला है। आप कोआपरेटिव की बात कहते हैं। इस बजट में भी कहा गया है कि कोआपरेटिव को हम आगे बढ़ावा दें, लेकिन कोआपरेटिव के ऊपर जो नाग बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, जो अजगर बैठा हुआ है, उसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप केवल यह कहकर मुंह मोड़ लेंगे कि यह तो राज्य सरकार का क्षेत्र है। मैं तो नाम भी ले लूंगा, वह नाग यहां बैठता है। यह स्टेट गवर्नमेंट का महकमा है, यह कह कर करोड़ों लोगों को आप अंधकार में धकेल देंगे। क्या इस प्रकार से सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकती है ? अगर नहीं मोड़ सकते हैं, तो माननीय वित्त मंत्री जी यहां सदन में कहें, क्योंकि मुझे लाखों फार्मर्स को बिहार में जाकर बताना होगा, कि उनके साथ यह धोखा क्यों किया गया है। उनको जाली सीड क्यों दिया गया है। उनके साथ धोखा क्यों किया गया है ? यदि धोखा किया गया है, तो उस आदमी को सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं दी गई ?

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं। जब वह मेरे मित्र श्री पाटिल के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तब कह रहे थे कि हमारे देश में उन लोगों को सजा देने के लिए पर्याप्त कानून हैं जो नकली और मिलावटी, अधिमिश्रित बीज इत्यादि बेच रहे हैं। परन्तु इनकी जानकारी के लिए मैं यह उल्लेख करता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा बीजों को एक आवश्यक वस्तु घोषित करने के पश्चात् और तदनुसार 1983 में जब इसने बीज नियंत्रण आदेश पारित किया तो देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया। कई गैर-सरकारी व्यापारी न्यायालय में गये और न्यायालयों ने अन्ततः स्थगन आदेश दे दिया। यदि ऐसा है तो, उस आदेश को किस प्रकार लागू किया जा सकता है ?

संसद में 1966 का बीज अधिनियम पारित किया गया था, परन्तु दुर्भाग्यवश राज्यों ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है। अपने राज्यों में इसको लागू करना, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व बनता है। परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग दस राज्यों ने यह अधिनियम लागू नहीं किया है। ऐसी स्थिति में दोषी को सजा कैसे दी जा सकती है ?

इसके अतिरिक्त एक बात और मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। 1970 में पश्चिमी देशों में प्रति हैक्टेयर गेहूं का उत्पादन 3000 किलोग्राम था जिसमें वृद्धि करके 1980 तक 3800 किलोग्राम कर दिया गया। उन देशों ने यह चमत्कारिक उत्पादन हाईब्रीड बीजों और अधिक पैदा-

वार देने वाली किस्मों के बीजों का इस्तेमाल करके प्राप्त किया। इस प्रकार, जब तक बीजों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति नहीं होगी तब तक हम उस तरह की अधिक उपज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? हमारे देश में प्रति हैक्टेयर गेहूं की उपज लगभग 1700 किलोग्राम है। अधिक उत्पादन कैसे किया जा सकता है ? इसके अतिरिक्त हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जब तक हम भी अपने खेतों में हाईब्रीड बीजों की पैदावार नहीं करते हैं तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट कैसे भरा जायेगा ?

दूसरी बात यह है कि हाईब्रीड बीजों का मूल्य असाधारण है, इसके मूल्य बहुत अधिक हैं, और यह किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर है। व्यापारी हाइब्रीड बीजों और अधिक पैदावार देने वाले बीजों के मूल्य में वृद्धि करते हैं और अधिक लाभ कमाने के लिए ये अधिमिश्रित बीजों इत्यादि में भी मिलावट कर देते हैं। मैं राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में नहीं कह रहा हूं। माननीय मंत्री इस बारे में जानते हैं। इसलिए माननीय मंत्री से अनुरोध है कि उस निगम में और अधिक हाईब्रीड बीजों के विकास और पैदावार के लिए वह व्यक्तिगत रूप में ध्यान दें। क्योंकि जब तक धन की कमी है, वे उनका विकास नहीं कर सकते। हाईब्रीड और सर्टीफाईड बीजों के ऊंचे मूल्यों की वजह से कुछ किसान इत्यादि अधिक नकली बीज बनाने में लगे हुए हैं और अधिक पैदावार वाले बीजों का उत्पादन दुबारा नहीं किया जा रहा है। भारतीय बीज निगम द्वारा सफाई किये जाने वाले बीजों का ही वे स्वयं उनका उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि वे भी इनको किसानों से खरीदते हैं। परन्तु पहले से ही माननीय मंत्री इस बात से सहमत हो गये हैं कि अधिकतर दूरदराज के क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सर्टीफाईड अथवा प्रभावकारी बढ़िया किस्म के बीजों की पैदावार करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं, कि इस विषय में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कार्यक्रम है ताकि वे अच्छी किस्म के बीज पैदा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सोमनाथ जी ने नीति लागू करने के बारे में ठीक बात कही हैं और नीति पुरजोर तरीके से लागू भी करनी चाहिए। सरकार की यह भरसक कोशिश भी है कि जो नीति इस सम्बन्ध में बनी हुई है उसको लागू भी किया जाये। किस तरह से सीड़ को तैयार करना है, किस तरह से डीलर को देना है और किस तरह से उसे पैदा करके लोगों तक पहुंचाना है इसकी पूरी जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए। हमें कहीं-कहीं से थोड़ी-बहुत शिकायतें सुनने को मिलती रहती हैं। उनको हमने समय-समय पर दूर भी किया है। लेकिन फिर भी हमें इसकी तह में जाना होगा ताकि किसानों को किसी प्रकार की शिकायत का मौका न मिले। यह ठीक बात है कि जब हम किसान को समय पर और अच्छा सीड़ देंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य 175 मिलियन टन अनाज पैदा करने का है। यह हम पैदा तभी कर पायेंगे जब सारी सुविधायें किसानों को देंगे और समय पर सीड़ पहुंचायेंगे। इसके लिए पूरा प्रयत्न सरकार करेगी। बीज के महत्व को तो आप सब जानते ही होंगे। असली बेस तो बीज ही होते हैं। अगर किसी मकान का फाऊंडेशन ही अच्छा नहीं है तो उस पर महल कैसे बनेगा। फाऊंडेशन मजबूत होने पर ही उस पर महल अच्छा बनेगा। इसी प्रकार अगर बीज अच्छा होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। उत्पादन न बढ़ने का कोई सवाल नहीं है।

[श्री भजन लाल]

हमारे वैज्ञानिकों ने इस बारे में बड़ा भारी अनुसंधान किया है और वह रात और दिन इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने 1600 प्रकार के नये हाई-ब्रिड बीज पैदा किये हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही हमारे माननीय सदस्य ने यूनिवर्सिटियों और आई. सी. ए. आर. के बारे में ठीक बात कही है।

आप तो जानते ही हैं कि किताबी ज्ञान से इतनी जल्दी ज्ञान हासिल नहीं कराया जा सकता है। जब तक हम मौके पर जाकर सारी चीज नहीं समझायेंगे तब तक कोई फायदा किसानों को नहीं हो सकेगा। हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं, दूसरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं और आई. सी. ए. आर. हैं, वह समय-समय पर जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते है। हम आगे भी और ऐसे प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ताकि किसानों को उसका पूरा लाभ मिल सके। हमारे जो भी डिपार्टमेंट किसानों को यह सब समझाने में लगे हुए हैं, उनको चाहिये कि वह हर महीने में कम से कम एक हफ्ते तो गांवों में जायें और मौके पर लोगों को समझायें। वह हर हालत में 1-2 गांव सिलैक्ट कर लें ताकि मौके पर जाकर यह सब कुछ आसानी से समझा सकें कि गेहूं, धान, सरसों, तिलहन और दालें ऐसे लगानी हैं। यह सब होने के बाद ही उस पर अमली-जामा पहनाया जा सकता है।

इसी तरह से सूखा और बाढ़ के बारे में जिक्र किया गया है। सूखे के कारण हमें दिक्कत कुछ आई है। लेकिन सरकार ने हर तरह से लोगों को मदद पहुंचायी है। जहां सूखा है या कम पानी है, वहां हम इस बात की कोशिश करेंगे कि कम पानी में कौन सी फसल वहां पैदा हो सकती है ताकि थोड़े पानी में फसल पैदा की जा सके और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

इसी तरह से त्रिपाठी जी ने सन-फ्लावर और ग्रीन ढांचे के बारे में बात कही। यह ठीक बात है कि सन-फ्लावर कम पैदा होता है। लेकिन हमने रशिया से मंगाने की कोशिश की है। हम रशिया से लाकर किसानों को देंगे ताकि उसका उत्पादन भी ज्यादा हो सके और सीड भी अच्छा मिल सके। ढांचे आदि के बारे में कहा, घास के बारे के भी कहा, इसके लिए भी हमने नये बीज ईजाद किये हैं क्योंकि राजस्थान में, बिहार में और गुजरात में भी बड़ी भारी समस्या है सूखे और बाढ़ में। वहां अगर चारे के लिए अच्छे सीड नहीं हों तो आप जानते हैं कि किसान के लिए पशु भी रीढ़ की हड्डी है इसलिए पशुधन को भी चारा देने के लिए हमने अच्छे बीज पैदा करने की कोशिश की है और हम अब भी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आपने कहा कि राजस्थान में बाजरे का सीड गन्दा आ गया तो यह हमारे आज ही नोटिस में बात आई है, पहले आई हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हम इसमें देखेंगे कि क्या कार्यवाही हो सकती है। आपकी एक बात में वजन है कि बिहार में, राजहंस जी ने भी कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास गेहूं का सीड नहीं था और न होने की वजह से हमने बिहार गवर्नमेण्ट को कहा कि हमारे पास सर्टिफाइड सीड नहीं है तो उन्होंने कहा कि हमें सीड की बड़ी भारी सख्त जरूरत है इस पर एफ०सी० आई० ने 4 लाख क्विंटल अच्छे से अच्छा गेहूं लेकर दिया। आप जानते हैं कि चाहे गेहूं हो, चाहे चना हो, चाहे ग्वार हो, चाहे सरसों हो, चाहे बाजरा हो, खाने वाली कोई फसल, जिस हो तो जर्मिनेशन उसका हो जायेगा, इसलिए हमने अच्छा गेहूं छांटकर उनको दिया और बिहार गवर्नमेण्ट से कह दिया कि यह सर्टिफाइड बीज नहीं है। उस चार लाख क्विंटल में से एक लाख क्विंटल हमने जे० एण्ड के० को दिया, जे० एण्ड के० को कोई खास शिकायत नहीं हैं, बिहार से शिकायत हमको

जरूर मिली है कि उसका जर्मिनेशन ठीक नहीं है। इसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे बाढ़ की बात करते हैं, आज फसल उसमें बोई है और 4 दिन में उसमें पानी भर गया, बाढ़ आ गई तो जर्मिनेशन नहीं हो सकता या सूखा हो जाय तो उसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकता फिर भी हम उसकी जांच करवा रहे हैं। हमारे बहुत सीनियर आफिसर जो इन डिपार्टमैण्ट के सैक्रेटरी हैं वह भी आज से एक हफ्ते पहले बाकायदा एक टीम लेकर मौके पर गये हैं कि कैसे जर्मिनेशन नहीं हुआ और कहां तक नहीं हुआ लेकिन उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने बिहार सरकार को पहले कह दिया था कि यह सर्टिफाइड सीड नहीं है इसलिए हमारी कोई गारण्टी नहीं होगा। बिहार गवर्नमैण्ट का भी यह कर्त्तव्य बनता था कि वह बताते किसानों को कि यह सर्टिफाइड सीड नहीं है···

डा० गौरी शंकर राजहंस : बिहार सरकार ने बताया ही नहीं है।

श्री भजन लाल : वही मैं कह रहा हूं कि उनको बताना चाहिए था कि यह सर्टिफाइड सीड नहीं है। अच्छा गेहूं था और हमने इसको बाकायदा टैस्ट जरूर किया है और देखा है कि इसका जर्मिनेशन ठीक है···

डा० गौरी शंकर राजहंस : ऐसा है इसकी पूरी रिपोर्ट लेकर हमको बता देते जिससे हम लोगों को बता सकें।

श्री भजन लाल : एक आपने कहा कि सीड दूर मिलता है, नजदीक मिलना चाहिए, हमारे सैण्टर्स नजदीक होने चाहिए। इसकी भी कोशिश हम करेंगे कि किसान को नजदीक से नजदीक सैण्टर्स पर बीज मिले। एक बात आपने कोआपरेटिव की कही कि कोई नाग बैठा है या क्या है तो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन वह जो कोआपरेटिव संस्था है वह बिहार की है, स्टेट गवर्नमेण्ट की है·······

डा० गौरी शंकर राजहंस : हमारी भावनाएं आप बिहार सरकार तक पहुंचा तो सकते हैं।

श्री भजन लाल : हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और आपने जो भावनाएं रखी हैं, उनको भी हम समझते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि बीज में कितना घाटा हुआ, गेहूं की सरकार की कितनी शानदार नीति है किसान के हित में कि हम किसान को घटिया किस्म का बीज नहीं देते। 1984-85 में हमारे पास सीड देने के बाद जो सीड बच गया था उसको हमने अगले सीड के रूप में किसानों को नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि हो सकता है कि इसमें कहीं जर्मिनेशन कम न हो जाय इसलिए उसको बाकायदा गेहूं के रूप में बाजार में बेचा और उससे सरकार को एक करोड़ 90 लाख रुपये का घाटा हुआ और उस सीड की क्वाण्टिटी एक लाख 35 हजार क्विंटल थी, वह सीड जो बचने के बाद घटिया हो गया, जो बच गया, वह बचा हुआ सीड हमने किसान को नहीं दिया किसान के हित में।

इसी तरह से जैना साहब ने भी कुछ बात कही कानून के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में है तो इसको हम देखेंगे कि क्या है। आपने कहा कि दूसरे देशों में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकता है, हमारे यहां कम है तो दूसरे देशों के मुकाबले में हमने बहुत तरक्की की है लेकिन कुछ देश अभी भी हमसे आगे हैं। चाइना ने हमारे से आगे तरक्की की है उत्पादन में, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। आज से 20 साल पहले चाइना हमारे से बहुत पीछे था लेकिन आज बहुत आगे है। हम पूरी कोशिश में हैं कि अच्छा से अच्छा उत्पादन हम करें और उत्पादन तभी होगा जब

[श्री भजन लाल]

अच्छा बीज हम किसान को देंगे, उन्नत बीज पैदा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि किसान को अच्छा बीज दिया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.50 **म०प०**

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 17 मार्च, 1988/27 फाल्गुन, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, 1867, चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006